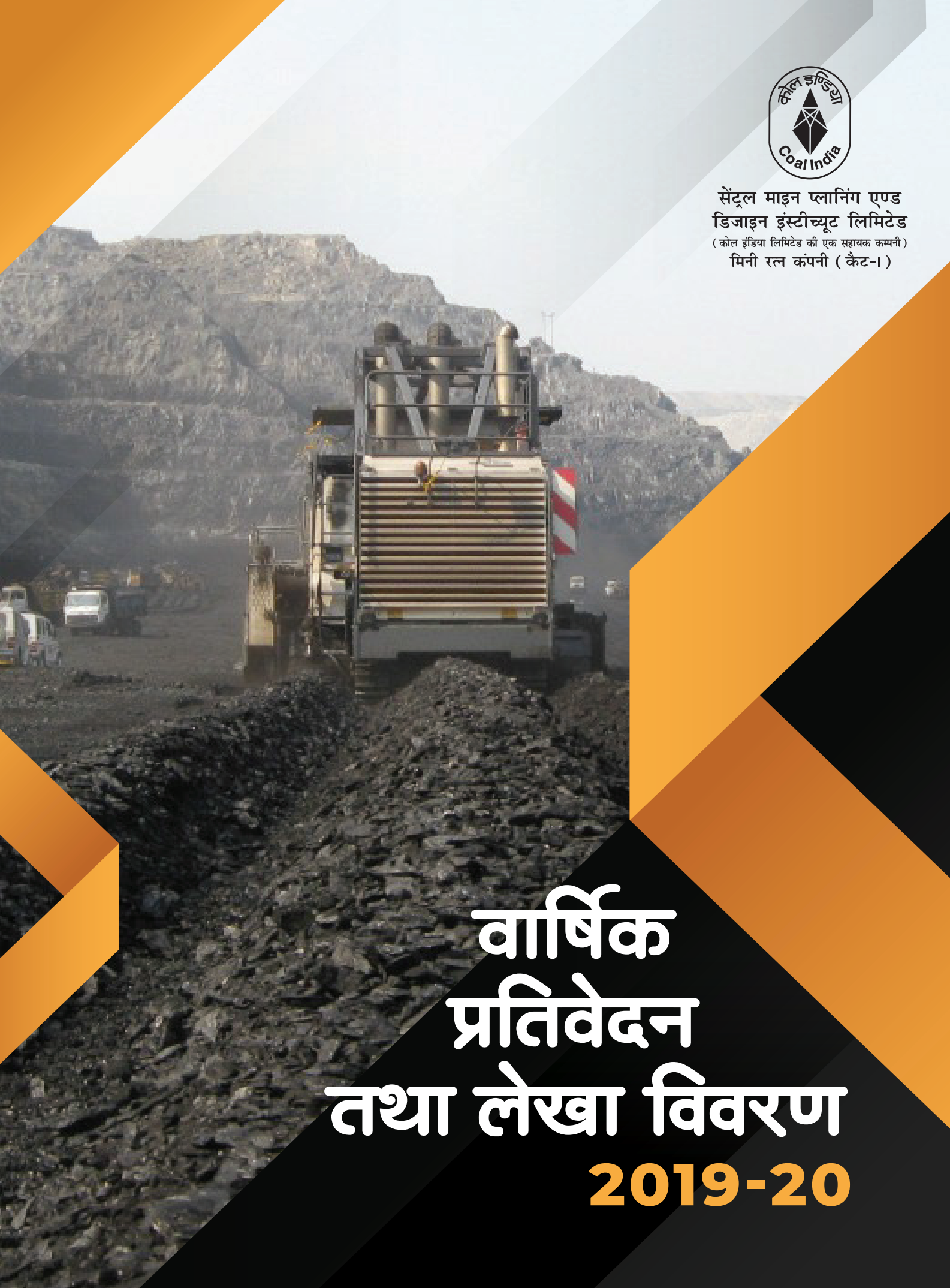

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड
डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
मिनी रत्न कंपनी (कैट-I)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण

2019-20

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2019-20

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (**कैट-I**)

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची - 834 031

सीआईएन : यू14292 जेएच1975 जीओआई 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू–संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित (व्यवसायिक) क्रिया–कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना ।

मिशन

प्रमुख परामर्शदाता के रूप में भारत तथा अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में भी कोयला, गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना।

सीएमपीडीआईएल की प्रबंधन नीति

कोयला और अन्य खनिज संसाधनों के गवेषण तथा खान आयोजन प्लानिंग, डिजाइन एवं अभियंत्रण तथा प्रबंधन प्रणाली में परामर्श सेवा देने के उद्देश्य से सीएमपीडीआई बढते भू–संसाधन क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्रिया–कलापों में अग्रणी परामर्शदाता के रूप में बाजार नेता (मार्केट लीडर) बनने का प्रयास कर रहा है। हम निम्नलिखित के प्रति समर्पित हैं।

हम निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं :-

1. पर्यावरण, सूचना सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धि पर सम्यक (यथोचित) ध्यान देते हुए अपने परामर्श एवं अन्य सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सत्त् सुधार लाना।
2. उत्पन्न अपशिष्ट में लगातार (दृढ़तापूर्वक) कमी लाकर, पुनः उपयोग कर तथा उसके कुछ भाग को पुनर्चक्रित (रिसाइक्लिंग) कर हमारे कार्यों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को कम कर पर्यावरण के संरक्षित करना।
3. गुणवत्ता, पर्यावरण, ऊर्जा तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. व्यापार निरंतरता को बनाए रखने के लिए खतरों (जोखिम) तथा व्यवधान से अपनी सूचना संपदा (परिसम्पत्ति) को बचाए रखने तथा सूचना सुरक्षा उपलब्ध (कार्यनिष्पादन) में सत्त् सुधार लाने।
5. कानूनी एवं अन्य सभी प्रयोज्य (लागू) आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) के अनुपालन।

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआईएल की वार्षिक लेखा विवरण जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2019–2020 के दौरान प्रबन्धन	01
2.	27.07.2020 के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्य	02
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	03
4.	45 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	04
5.	अध्यक्ष का कथन	07
6.	उपलब्धि : एक नजर में	17
7.	वित्तीय पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी	18
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	20
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	114
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र	120
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	121
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट	129
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधक का उत्तर	150
14.	निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट	152
15.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	170
16.	नकद प्रवाह (कैशफ्लो) विवरण के साथ–साथ लेखे पर टिप्पणी	175
17.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	210

31-03-2020 के अनुसार निदेशक मंडल

अधयक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

शेखर सरन

कार्यकारी निदेशक

श्री के.के. मिश्रा

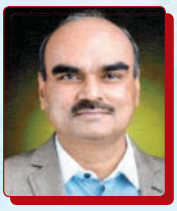

श्री आर.एन. झा

श्री ए.के. राणा

श्री एस.के. गोमास्ता

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री बिनय दयाल

डा. अनिंद्य सिन्हा

स्वतंत्र निदेशक

डा. के.सी. पाण्डेय

श्रीमती अलका पण्डा

श्री प्रमोद सिंह चौहान

स्थाई आमंत्रित सदस्य

श्री अजितेश कुमार

कंपनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा

वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)
श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्र	:	निदेशक (तकनीकी) (11.10.2018 से)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से)
श्री अनिल कुमार राणा	:	निदेशक (तकनीकी) (01.08.2019 से)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी) (25.02.2020 से)
श्री भोला नाथ शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (17.08.2017 से 14.06.2019 तक)
श्री असीम कुमार चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से 31.07.2019 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (09.11.2017 से)
डा. अनिंद्य सिन्हा	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.02.2018 से 01.05.2020)

स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	:	स्वतंत्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्रीमती अलका पाण्डा	:	स्वतन्त्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्री प्रमोद सिंह चौहान	:	स्वतंत्र निदेशक (16.10.2019 से)
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2015 से 16.11.2019 तक)
श्री राजेन्द्र प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2015 से 16.11.2019 तक)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजीतेश कुमार	:	उप सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (13.01.2020 से)
श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2016 से 12.01.2020)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव (18.02.2016 से)

वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रबंधन

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)
श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्र	:	निदेशक (तकनीकी) (11.10.2018 से)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी) (30.01.2019 से)
श्री अनिल कुमार राणा	:	निदेशक (तकनीकी) (01.08.2019 से)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी) (25.02.2020 से)
श्री भोला नाथ शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (17.08.2017 से 14.06.2019 तक)
श्री असीम कुमार चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से 31.07.2019 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (09.11.2017 से)
डा. अनिंद्य सिन्हा	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.02.2018 से 01.05.2020)

स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	:	स्वतंत्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्रीमती अलका पाण्डा	:	स्वतन्त्र निदेशक (10.07.2019 से)
श्री प्रमोद सिंह चौहान	:	स्वतंत्र निदेशक (16.10.2019 से)
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2015 से 16.11.2019 तक)
श्री राजेन्द्र प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक (17.11.2015 से 16.11.2019 तक)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजीतेश कुमार	:	उप सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (13.01.2020 से)
श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2016 से 12.01.2020)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव (18.02.2016 से)

27.07.2020 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्र	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री रवीन्द्र नाथ झा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री अनिल कुमार राणा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
डा. मुकेश चौधरी	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (26.05.2020 से)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	:	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अलका पाण्डा	:	स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रमोद सिंह चौहान	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री अजीतेश कुमार	:	उप सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव

निगमित सूचना

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031,
(झारखण्ड), भारत

सीआईएन : यू 14292 जेएच 1975
जीओआई 001223
वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक

अंकेक्षक

सांविधिक अंकेक्षक
मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी, राँची

सचीविय अंकेक्षण
मेसर्स सतीश कुमार एंड असोसिएट्स, राँची

कर अंकेक्षक
मेसर्स लोधा पटेल, बाधवा एंड कंपनी, राँची

डिपोजिटरी
मेसर्स नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड

रजिस्टर एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट
मेसर्स एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड

आईएसआईएन
INE05HV01019

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए विडियो कन्फ्रेंसिग/ओएवीएम के जरिए कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 27 जुलाई, 2020 के पूर्वाह्न 10.30 बजे कंपनी के निबंधित कार्यालय, राँची में आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. फरवरी, 2020 में कंपनी के 3,80,800 इक्विटी शेयर पर प्रतिशेयर 712.00 (डिविडेंट प्रति शेयर) की दर से 27.11 करोड़ रू. के अंतरिम लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान की संपुष्टि तथा जुलाई 2020 में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 3,80,000 इक्विटी शेयर पर 811.72 रू. प्रति शेयर की दर से प्रस्तावित 30.90 करोड़ रू. के फाइनल लाभांश (डिविडेंट) का भुगतान, इस प्रकार डिविडेंट के रूप में कुल 58.02 करोड़ रू. के भुगतान, को अनुमोदित करना।
3. श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) पूर्णकालिक निदेशक,जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
4. श्री विनय दयाल (डीआईएन 07367625) अंशकालिक सरकारी निदेशक, जो कंपनी अधिनियम 2013 की ध ाारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, एवं पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य :

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित कास्ट आडिटरों की पारिश्रमिक की संपुष्टि

   यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :–

   संकल्प किया गया कि 18.09.2019 को आयोजित 227वीं बोर्ड बैठक में कास्ट आडिटर मेसर्स डीजीएमएंड असोसिएट्स, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंकेक्षण हेतु अनुमोदित पारिश्रमिक 1,47,650 रू. प्रतिवर्ष + लागू कर और कॉस्ट आडिट शुल्क की 50 प्रतिशत की सीमा तक जेब खर्च (ऊपरि खर्च) होगा, को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

   उपर्युक्त निर्धारित विशेष कार्य व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

ध्यातव्य: 1 देश में जारी कोविड 19 के चलते महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान असाधारण परिस्थिति के आलोक में भारत सरकार निगमित मामले के मंत्रालय (कुछ समय के लिए लागू किसी प्रकार का चयनित संशोधन और उसे पुनः लागू करने) द्वारा जारी क्रमशः सामान्य परिपत्र सं : 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं: 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं: 17/2020 5 मई,

2020 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के प्रावधान एवं अन्य लागू कानून एवं विनियमन के अनुरूप सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के शेयर होल्डर, निदेशक सचिवीय अंकेक्षक सहित अंकेक्षक बैठक में उपस्थिति होने/मत देने के हकदार है, वे Cosecretary.cmpdi@coalindia.in को ईमेल भेज कर बैठक में विचार किए गए मदों पर सिर्फ ऐसी स्थिति में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए विडियो कन्फ्रेन्सिग (वीसी) या अन्य दृष्य श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं या मद दे सकते हैं। सदस्यों के द्वारा एवजी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में वीसी या ओएवीएम के जरिए भागेदारी एवं मतदान के लिए सदस्यों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जा सकते हैं। वीसी या ओएवीएम के जरिए बैठक में भाग लेने के लिए अग्रिम रूप से कंपनी के अधिकृत ईमेल आईडी के जरिए लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम–से–कम 15 मिनट पहले बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और निर्धारित समय के बाद 15 मिनट तक बंद नहीं किया जाएगा।

2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(।) के अनुसार अल्पकालिक सूचना पर बैठक आयोजित करने के लिए अपनी सहमत प्रदान करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 21.07.2020
स्थान : राँची

वितरण :

सभी शेयरधारकों
कंपनी के सभी निदेशकों
अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष
कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक
कंपनी के सचिवीय अंकेक्षक
कंपनी के लागत अंकेक्षक
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या-बी (1): निदेशक-मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कॉस्ट आडिटरों के पारिश्रमिक की संपुष्टि।

सीएमपीडीआईएलके निदेशक मंडल ने दिनांक : 18.09.2019 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के कॉस्ट अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षण समिति के मेसर्स डीजीएम एंड असोसियट्स पोस्ट रिकॉमेडेंशन ऑफ ऑडिट कमेटी की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है, जिनका शुल्क 1,47,650 रू. प्रतिवर्ष + लागू कर तथा कास्ट ऑडिट शुल्क की 50 प्रतिशत की सीमा तक जेब खर्च (ऊपरि खर्च) होगी। कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) अधिनियम 2014 के नियम 14 के साथ पटित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के अनुसरण में अंकेक्षण समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक–मंडल द्वारा अनुमोदित कॉस्ट ऑडिटरों के पारिश्रमिक को बाद में सामान्य बैठक में शेयर होल्डरों द्वारा संपुष्टि की जरूरत पड़ती है।

इस संकल्प में निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी को कोई रूचि नहीं या इससे कोई संबंध नहीं है।

बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा कर दी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का कथन

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआईएल की 45वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1.0 विकास की रूप-रेखा:

संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआईएल की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाले संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, सूचना संचार, प्रौद्योगिकी, सुदूर, संसाधन विकास, रिमोट सेंसिंग) सीआईएल से बाहर की कंपनियों को भी इसी तरह की सेवाएँ दी जा रही है। कुछ हद तक धात्विक खनन उद्योग को भी आयोजना प्लानिंग एवं सम्बद्ध सेवाएँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉक, कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन यानि सीबीएम, यूसीजी शेल गैस से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी दे रहा है।

सीएमपीडीआईएल के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। सीएमपीडीआईएल के कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना के द्वारा महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा का निर्माण किया गया। इन सब उपायों से सीएमपीडीआईएल एक ही छत के नीचे खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बन गई है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं

की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चलती रही।

कुल मिलाकर बदलते व्यापार परिवेश के फलस्वरूप देश तथा विदेश के खनन क्षेत्र में अवसर में बदलाव आने के चलते यहाँ से विशेषज्ञों का पलायन और बढ़ गया, जो अगले 5–6 वर्षों तक जारी रहा। कुल मिलाकर कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ाने के प्रति पूर्णतः समर्पित है ताकि भारत तथा विदेश में व्यापार के वातावरण में बदल रहे परिदृष्य के साथ सामांजस्य बैठाया जा सके। इस कथन की इस तथ्य से पुष्टि की जा सकती है कि यह कंपनी कुछ संभव सीमा तक कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित आधुनिकतम साफ्टवेयर के प्रयोग, खासकर पर्यावरणिक सुविधा से संबंधित उपकरण, कोयले का गुण निर्धारण एवं आईएसओ मानक शामिल करने में सक्रिय रूप से लगी रही है।

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा बिक्री लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) थी। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय संशोधन का ही था। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर सभी ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआईएल की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयात्ति उपकरण के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, सीबीएम खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। आपकी कंपनी इन चुनौतियों को स्वीकार करने में सही साबित हुई और इसने आधुनिकतम मड टेक्नोलॉजी को शामिल कर उच्चतर क्षमता वाला ड्रिल एवं हाई पॉरफॉर्मेंस बिट, श्रमशक्ति को बढ़ाने जैसे कई कार्य (पहल) कर वर्ष 2018–19 के दौरान अपनी विभागीय ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाकर 5.00 लाख मीटर तक पहुँचा दिया।

इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआईएल की गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया जहाँ वर्ष 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी। सीएमपीडीआईएल ने पूर्व के वर्ष में की गई ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मीटर, वर्ष 2017–18 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 13.66 लाख मीटर तथा वर्ष 2018–19 में 13.60 मीटर ड्रिलिंग किया।

वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू का लक्ष्य 14 लाख मीटर रखा गया था। आपकी कंपनी इस चुनौती पर खरी उतरी। इसने वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 12.94 लाख मीटर कुल ड्रिलिंग किया, जिसमें विभागीय संसाधन से किया गया 4.88 लाख मीटर ड्रिलिंग शामिल है। यह उम्मीद की गई कि विभिन्न उपाय जैसे न्यू हायर कॉपोसिटी ड्रिल एवं हाई परफार्मेंस बिट लगाकर तथा आधुनिकतम मड टेक्नोलॉजी आदि अपना कर वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त 5.00 लाख मीटर ड्रिलिंग उपलब्धि से अधिक हो गई तथापि, कोविड–19 विश्वव्यापी महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के चलते 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक कोई प्रगति नहीं होने के कारण लक्ष्य की उपलब्धि पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर भी वर्ष 2006–07 (10वीं योजनावधि के अंत) में 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि से 15 प्रतिशत ड्रिलिंग में सीएजीआर, सहित (समेकित वार्षिक वृद्धि दर) 2019–20 में 12.94 लाख मीटर उपलब्धि प्राप्त की।

व्यापारिक गतिशीलता पर पुनरावलोकन की आवश्यकता के कारण रणनीतिक व्यापारिक योजना बनाई गई। संभावित जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद सीएमपीडीआई ने उन कार्यों तथा उनके कर्त्ता की रूपरेखा तैयार उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना बनाई है, जिन्हें हम किसी संगठन से अपने जोखिम का मूल्यांकन, पहचान, प्राथमिकता

देने, प्रशमन करने तथा मानिटरिंग करने की अपेक्षा रखते हैं। इसके साथ–ही–साथ विविधिकरण के बावजूद निकट भविष्य में संपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र के हितों के लए कंपनी की अपनी विशिष्टता भी बनाए रखनी होगी।

2.0 वित्तीय उपलब्धि:

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने 312.62 करोड़ (8.60 करोड़ की विस्तृत अन्य आय पर विचार करने के बाद) कर के पूर्व लाभ सहित 1381.31 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का मूल्य 31.3.2019 के अनुसार 447.95 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2020 को 570.31 करोड़ रू. हो गया है। प्रतिशेयर अर्जन गत वर्ष 4450.16 (3.80.800 शेयर पर परिकलित) से बढ़कर विवेच्य वित्तीय वर्ष के दौरान 5078.52 (3.8.800 शेयर पर परिकलित) हो गया।

3.0 ड्रिलिंग उपलब्धि:

वर्ष 2019–20 के दौरान एमओयू लक्ष्य 14.00 लाख मीटर की तुलना में 12.94 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया, जिसमें विभागीय ड्रिलों के जरिए 602 मीटर!ड्रिल/माह की उत्पादकता सहित 4.88 लाख मीटर डिलिंग शामिल है। ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित होने का मुख्य कारण कोविड–19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉक डाउन था। वर्ष 2020–21 के कारण देशव्यापी लॉक डाउन था। वर्ष 2020–21 के लिए अधिक क्षेत्र शामिल करने तथा ड्रिलिंग की गति बढ़ाने के उद्देश्य से 50 लाइन कि.मी. 2डी सिसमिक सर्वेक्षण तथा 100 वर्ग कि.मी. 3डी सिसमिक सर्वेक्षण सहित 11.00 लाख मीटर ड्रिलिंग प्रस्तावित है।

सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष 1.00 लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया हे जिसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.00 लाख मीटर कर दिया गया है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक निविदा के जरिए 2007–08 से 40 लाख मीटर ड्रिलिंग हेतु आउटसोर्स्ड एजेंसियों को 101 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया।

4.0 परियोजना रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 178 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता वृद्धि वाली कुल 32 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इन 32 परियोजना रिपोर्टा में से 22 परियोजना रिपोर्ट खुली खदानों के हैं, जिनमें 9 परियोजना रिपोर्ट बड़ी (मेगा) परियोजना (10 एमटीवाई या इससे अधिक के हैं) 10 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत (यूजी) खान के हैं। भूमिगत परियोजना में 2 बड़ी (मेगा) भूमिगत परियोजनाएँ (जैसे बोरदा भू.ग. 6 (एमटीवाई) तथा झाँझरा विस्तारण (5 एमटीवाई पावर्ड सपोर्ट लॉगवाल टेक्नोलॉजी वाली तथा कंटीन्यूअर माइनर वाली 8 भूमिगत परियोजनाएँ शामिल है। गैर सीआईएल खानों के लिए 3 परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गईं।

देश में कोयला खनन के इतिहास में पहली बार वकेट ड्रिल एक्सावेटर टेक्नोलॉजी वाली दो खुली खान परियोजना रिपोर्ट जैसे भंदार पर्वत (15 एमटीवाई तथा पिरपंति बारहाट (30 एमटीवाई) की रूप–रेखा (योजना) तैयार की गई।

5.0 प्रयोगशालाओं का उन्नयन:

सीएमपीडीआईएल की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाओं को आयात्ति परिष्कृत उपकरण से सुसज्जित कर उन्नत कर दिया गया है ।

भू रासायनिक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेम्पल प्रेपरेशन यूनिट तथा अन्य उपकरण जैसे स्वेलिंग इन्डेक्स एनटीजी के, क्रासिंग प्वाइन्ट एंड इग्निशन, बॅम्ब कैलोरी मीटर लगाकर उन्नत किया गया हे तकि प्रयोगशाला की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। क्षमता में वृद्धि होने से रासायनिक प्रयोगशाला का राजस्व भी गत वर्ष से लगभग 70 प्रतिशत बढ़

गया है। 12 विभिन्न क्षेत्रों में ''जाँच'' के क्षेत्र में उपलब्ध इसकी सुविधा के लिए भू रासायनिक प्रयोगशाला को मानक आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाण पत्र के साथ मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में भी नई रासायनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। सीएमपीडीआई की रासायनिक प्रयोगशाला कोल कोर नमूनों के विश्लेषण हेतु दो वर्षों के लिए आईआईटी, खड़गपुर के साथ एमओयू किया है, जो सीएसआईआर प्रयोगशाला के साथ वर्तमान एमओयू के अतिरिक्त है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण (प्रेपरेशन) प्रयोगषाला को मई, 2019 में आईएसओ/आईईसी 17025 :2017 के अनुसार एनएबीएल मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर में भी नई रासायनिक विश्लेषण ात्मक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। सीएमपीडीआई की रासायनिक प्रयोगशाला कोल कोर नमूनों के विश्लेषण हेतु दो वर्षों के लिए आईआईटी, खड़गपुर के साथ एमओयू किया है, जो सीएसआईआर प्रयोगशाला के साथ वर्तमान एमओयू के अतिरिक्त है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला को मई, 2019 में आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार एनएबीएल मान्यता दी जा चुकी है। परीक्षण परिणाम की आपसी स्वीकृति को सरल बनाने के लिए इस तरह की ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा मान्यता मिलना पहला कदम माना जाता है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय का एनडीटी सेल को भी एनएबीएल प्रमाण–पत्र दिया गया है, जो गेर विध्वंशक परीक्षण (एनडीटी) में परीक्षण/जाँच के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधा के लिए आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार है।

वर्तमान पर्यावरण प्रयोगशाला को आधुनिकतम (स्टेट–ऑफ–आर्ट) उपकरण से सुसज्जित कर दिया गया है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, क्षेत्रीय संसथान–4 तथा क्षेत्रीय संस्थान–7 के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआईएलके क्षेत्रीय संस्थान–1, क्षेत्रीय संस्थान–2 तथा क्षेत्रीय संस्थान–6 सिति पर्यावरण प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला को सीपीसीबी मान्यता वर्ष 2016–17 के दौरान ही मिल चुकी है, जो पाँच वर्ष के लिए वैद्य है।

6.0 श्रमशक्ति की भर्ती:

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, बहाली एवं स्थानान्तरण (कोल इंडिया लि.) के जरिए सीएमपीडीआईएल में 26 अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। इसी प्रकार बहाली/भर्ती/अनुकंपा के आधार पर नियोजन/अन्य कंपनियों से स्थानांतरण के द्वारा 24 कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को पदस्थापित किया गया है तथा श्रमशक्ति को और बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7.0 भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/वनस्पति आच्छादन मानचित्रण:

प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में वर्ष 2008 से वार्षिक आधार पर भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह–निगरानी की जा रही है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 5 मिलिटन घन मीटर (कोयला ओबी) से कम उत्पादन करने वाली खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

तद्नुसार वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी की विभिन्न कोटि की 87 खुली खनन परियोजना तथा 8 कलस्टरों के लिए उपग्रह आकड़े पर आधारित भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की जा चुकी है। वर्ष 2019–20 के दौरान 6 कोलफील्डों जैसे काम्पटी एवं वर्धाघाटी कोलफील्ड्स (डब्ल्यूसीएल), तालचर कोलफील्डस (एमसीएल), झरिया कोलफील्ड्स (बीसीसीएल), विश्रामपुर कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा माकुम कोलफील्ड्स (एनईसी) का वनस्पति आच्छादन मापन किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान उपग्रह आँकड़ा पर आधारित 31 भू.ग./खु.खा. खानों के कोर एवं बफर जोन का भू उपयोग/भूआच्छादन मैपिंग किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान एमओईएफएंडसीसी की आवश्यकता को पूरा करने के लए एसईसीएल की 15 भूमिगत परियोजनाओं के पट्टे वाल`क्षेत्र के लिए भू उपयोग/आच्छादन मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है।

8.0 कोल वाशरी की स्थापना में सहायता:

सीएमपीडीआईएल कार्यादेश देने के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी से लेकर वर्तमान वाशरियों के मोडिफिकेशन/मॉडर्नाइजेशन और ड्राईंग की संवीक्षा तक का प्रस्ताव करता है। इन सेवाओं में परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रयोगशाला अध्ययन, टेक्नों इकोनोमिक्स फिजिविलिटि रिपोर्ट (टीईएफआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर), बिड प्रोसेस मैनेजमेंट, संविदा दस्तावेज की तैयारी और कार्यादेश में सहायता उसके बाद ड्राईंग की संवीक्षा करना भी शामिल है।

सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के सम्बन्धित सीाी अनुषंगी कंपनियों के लिए 18 वाशरियों हेतु एनआईटी सुपुर्द की है। बीसीसीएल के अनुरोध पर इन 18 वाशरियों में से मूनीडीह वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.) के लिए स्वच्छ कोल के 14 प्रतिशत राख की स्तर पर कोयले धुलाई के लिए फ्रेश एनआईटी तैयार किया गया और बीसीसीएल को सौंप दिया गया।

''तापीय मूल्य के रूप में थ्रोवावे कोल वाशरी अपशिष्ट को परिभाषित करने, अन्य निचले इलाके में पर्यावरण के अनुकूल सत्त् ढंग सं थ्रोवाले अपशिष्ट के निपटान के लिए मानक संचाल प्रक्रिया तैयार करने तथा थ्रोवावे अपशिष्ट की मानिटरिंग मेकानिज्म का नया तरीका ढूढने'' के लिए कोयला मंत्रालय के दिनांक : 4.4.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिहित का गठन किया गया है। विस्तृत विचार–विमर्श तथा कई बैठकों के बाद इसकी रिपोर्ट जून, 2019 में कोयला मंत्रालय को सौंप दी गई। इस समिति की रिपोर्ट से वाशरी से उत्पन्न अपशिष्ट को पर्यावरण के अनुकूल ढंग से उपयोग/ निपटान के लिए समरूप (एक समान) नीति अपनाने में सहूलियत होगी।

''सीएमपीडीआईएल, राँची द्वारा 22 फरवरी, 2020को सीएमपीडीआईएल में संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे कोयला उत्पादकों, वाशरी परिचालकों संभावित बोलीदाताओं (बिड्डर), शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, छात्विक क्षेत्रों आदि के विशेषज्ञों की भागेदारी के साथ एक कार्यशाल का आयोजन किया गया। इसके निष्कर्ष की अंतिम अनुशंसा को अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

9.0 पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2019–20 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर तथा रांची स्थित अपने 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड गई तथा 31 फार्म–1 सहित 52 ईआईए/ ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) भी तैयार किए गए। 11 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई। कुछ वैज्ञानिक तरीके से बालू पुनभराई अध्ययन तथा वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम/विन्ड बैरियर पूरे किए गए। इसके अतिरिक्त खुली खनन/भूमिगत खनन, तापीय, सीबीएम तथा कोंयला धुलाई (वाशिंग) देने के लिए सीएमपीडीआईएल क्वालिटी कॉन्सिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) एमओईएफ एंडसीसी द्वारा नामित एजेंसी) नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) संगठन के रूप में अपनी मान्यता जारी रखी हुई है।

10.0 कोयला आधाारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत:

सीएमपीडीआईएल ने कोयला आधारित गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के आधारित कोयले के व्यावसायिक विकास को सरल बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुसरण कर रहा है। सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के विकास में लगा हुआ है।

1997 में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति की घोषणा के बाद भारत में सीबीएम के विकास की गति तेज हुई है। इस नीति के कारण भारत में सीबीएम के व्यावसायिक दोहन की नींव पड़ी है। भारत सरकार के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है तथा देश में सीबीएम के विकास के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडेल एजेंसी बनाया गया है।

भारत सरकार ने कोल इंडिरूा लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों को उन कोयला धारक क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) का पता लगाने एवं दोहन करने की अनुमति दी है, जिनके लिए उन्हें कोयला हेतु खनन पट्टा मिला है। तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए सीबीएम नीति, 1997 में पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक : 8 मई, 2018 के द्वारा आंशिक संशोधन किया है। इसलिए सीआईएल को दिया गया खनन पट्टे को कुछ बाद्यता (दियित्व)/औपचारिकता को पूरा करने के बाद उसे ही पेट्रोलियम खनन पट्टा का अधिकार माना जाएगा। इसलिए इस अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न अधिनियमों के तहत कोयले की निकासी के लिए सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के पास वेस्टेड/माइनिंग लीज के अधिकार को सीबीएम के गवेषण तथा दोहन के लिए पीएनजी नियमावली के तहत स्वीकृत खनन पट्टा माना जाएगा।

तद्नुसार, सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल बेड मिथेन के व्यावसायिक दोहन के लिए पट्टेधारी (अनुषंगी कंपनियों तथा सीआईएल के परामर्श से सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के खनन पट्टे क्षेत्र के भीतर संभावित सीबीएम ब्लॉकों की रूपरेखा निर्धारण के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। गैसीय सीम आम तौर पर दामोदर वैली कोलफील्ड्स तथा सोहागपुर कोलफील्ड्स में मिलते हैं प्रारंभ में सीबीएम के व्यावसायिक दोहन के लिए सीआईएल के पट्टे वाले क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल द्वारा तीन सीबीएम ब्लॉक (I) झांझरा सीबीएम ब्लॉक–I (बीसीसीएल क्षेत्र), (II) रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) तथा सोहागपुर ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) की रूपरेखा तैयार (निर्धारण) की गई है।

झरिया सीबीएम–I ब्लॉक (बीसीसीएल क्षे.) तथा रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) की परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) को एमडीओ मोड के जरिए अपने पट्टे वाले क्षेत्र में सीबीएम के व्यावसायिक दोहन के लिए संबंधित अनुषंगी कंपनियों संगठनों के बोर्ड द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति दे दी गई है। तद्नुसार सीबीएम डेवलॉपर का चयन रेवन्यू शेयरिंग माडेल (आरएससी) के तहत ग्लोबल बिडिंग के जरिए किया जाएगा। यह प्रस्ताव किया गया हे कि समझौता ज्ञापन के तहत सीएमपीडीआईएल संबंधित अनुषंगी कंपनियों/पट्टेधारकों के साथ प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होगा। परियोजना के परिचालन के आधार पर सीएमपीडीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर कोल इंडिया की संबंधित अनुषंगी कंपनियों द्वारा सिद्धतांतः सहमति दे दी गई है। सीएमपीडीआईएल/सीआईएल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के पट्टे वाले क्षेत्र के भीतर भी बीसीसीएल तथा सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में अतिरिक्त सीबीएम ब्लॉकों की पहचान के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

सीआईएल के क्षेत्रों से सीबीएम का उत्पादन बहुत ही कम व्यावसायिक महत्व का है, परंतु इससे कोयला खनन के पहले सीबीएम के निष्कासन के कारण भावी गैसीय सीम से कोयला खनन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। यह विचार किया गया हे कि कोल इंडिया लिमिटेड के खेत्र से सीबीएम का उत्पादन अधिकतम 2 मिलियन घनमीटर प्रति दिन (2एमएमएससीएमडी) के आस–पास होगा बीसीसीएल बोर्ड द्वारा झरिया कोलफील्ड्स (बीसीसीएल) की मुनिडीह भूमिगत खान में कोल माइन मिथेन ड्रेनेज पर एक प्रदर्शन परियोजना की मंजूरी दे ही गई है। अवधारणा से संस्थापन तथा संचालन मोड के तहत परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदाता के चयन के लिए बीससीसीएल द्वारा ग्लोबल बिड जारी कर दिया गया है।

भारत में भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास के लिए कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। कोयला मंत्रालय ने प्रस्ताव किए जाने वाले क्षेत्र की पहचान करने, नामांकन आधार पर पीएसयू को देने या बोली लगाने वाले ब्लॉकों के बारे में निर्णय लेने, बोली प्रक्रिया या अन्य संबंधित मामले के बारे मेकानिज्म का प्रस्ताव करने के उद्देश्य से सीबीएम के विकास के वर्तमान नीति ही के अनुयप यूसीजी के लिए क्षेत्र की पहचान करने हेतु एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है। द्वितीय आईएमसी की बैठक में, इस उद्देश्य के लिए 7

कोयला ब्लॉक तथा 7 लिग्नाइट ब्लॉक को और सरल बनाने हेतु भारत सरकार के अनुमोदन के लिए अक्टूबर, 2019 में आईएमसी द्वारा मॉडेल कान्ट्रैक्ट डोक्यूमेंट तथा मॉडेल बीड दस्तावेज तैयार कर अनुशंसित कर दिया गया है।

कोयले से तरल प्रौद्योगिकी के जरिए 2030 तक लगभग 50 एमटीपीए उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसक सहायक कंपनियों द्वारा भूतल कोयला गैसीकरण के विकास का विचार किया गया है। सीएमपीडीआईएल ''कोयला गैसीकरण परियोजना'' के लिए कोयला खानों की उपयुक्तता पता लगाने के लिए अपनी सेवाएँ देगा तथा संबंधित अनुषंगी कंपनियों द्वारा चिह्नित कोयला खानों के लिए परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने में मदद देगा।

11.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजना आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय (एमओसी) तथा सीआईएल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत निधिकृत अनुसंधान क्रिया–कलापों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआईएल अपने सुस्थापित प्रयोगशाल की सहायता से खनन गवेषण, कोयला आधारित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जेसे कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), गैसीकरण (भूतल एवं भूमिगत) शेल गैस मूलयांकन कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

अनेक वर्षों से इनमें से कई अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ। यद्धपि, कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के कारण इस उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, कुछ अन्य परियोजना ऐसी भी जिनमें है जिनसे चालू खानों तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खान आयोजन, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं। भारतीय भू–खनन स्थितियों जैसे भूमिगत कोल पिलर डिजाइन, रूफ कैवेब्लिटी का विश्लेषण, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेब्लिटी, सतह धँसान का पूर्वानुमान, विभिन्न शैल स्थितियों के लिए अनुकूल विस्फोटन डिजाइन, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटी, ऑन लाइन कोल वाशेब्लिटी अनालाइजर, पुनरूद्धार किए गए खुली कोयला खदानों पर स्थायी जीवनयापन कार्यों आदि जैसी समस्याओं वाले भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए विभिन्न डिजाइन/मेथेडोलॉजी/प्रक्रिया विकसित की गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 7 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। पूरी की गई परियोजनाएँ ''भारत के दामोदर बेसीन का शेल गैस की संभावना के लिए मूल्यांकन, कोयला खानों में ओबर बर्डेन के विस्फोटन के लिए लोडेन्सिटी पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट के साथ एएनएफओ की तकनीकी आर्थिक दक्षता का अध्ययन, इनवर्स मॉटेलिंग आफ ग्रेविटी, मैगनेटिक एंड एएमटी डाटा का प्रयोग कर सिंगरौली कोलफील्ड्स के प्रमुख कोल बेसिन में टेक्टोनिक अध्ययन के लिए इंटिग्रेंटेड जिओ फिजिकल अप्रेाच,'' ''अधिक राख वाले भारतीय तापीय कोले का शुष्क परिष्करण'', ''भूकंपनीय डाटा संसाधन,'' संसाधन के आकलन के लिए इनवर्स कन्टीन्यूअस वेवलेट ट्रांसफार्म डिकॉन्वोल्यूशन (आईसीडब्ल्यूटी–टेकॉन) का प्रयोग कर पतले कोयला सीमों की पहचान तथा प्रतिपादन, अम्लीय खान ड्रेनेज का किसी समय उपचार एसिड माइन ड्रेनेज के सिमुल्टेनियस रेमेडिएशन) तथा विशिष्ट धात्विक सल्फायड की प्राप्ति के लिए हाईब्रीड पीआरईएसआरआईएक्स प्रोसेस तथा भूतल खनन स्लोप के सुरक्षा क्षेत्र (सेफ्टी जोनिंग) में भू–आधारित इन्टरफेरोमेट्री सिन्थेटिक अपर्चर रडार (जीबीएलएनएसएआर) की उपयोगिता तकि उपलब्धि का मूल्यांकन से संबंधित है।

सीएमपीडीआईएल द्वारा आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य, जो कोयला एवं लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभकारी हो, के लिए कोयला/लिग्नाइट उत्पादक कंपनी, भारत तथा विदेश स्थित अधिक–से–अधिक अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने का हर समय प्रयास जारी रखा गया। वर्तमान में 29 अनुसंधान परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रमुख परियोजनाएँ ''कोयला खान वर्किंग में विभिन्न खनन प्रणालियों के लिए पिलनों/अर्रे ऑफ पिलर का डिजाइन एवं स्थायित्व,'' समेकित जैविक दृष्टिकोण अपनाकर उस क्षेत्र के मूल प्रजाति के पौधों को लगा

कर मृदा संशोधन तथा पुनः वनाच्छादन के जरिए नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स के कोयला निकाले गए जमीन का पुनरूद्धार, भारत के खुली कोयला खानों में ओवर बर्डेन डम्प की ऊँचाई बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश का विकास, पीट बाटम तथा भूमिगत खान रोडवेज तथा वर्किंग फेस के सोलर इल्यूमिनेशन आधारित आप्टिकल फाइबर, कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर (वीआरएमएस), कार्यस्थल (वर्किंग की स्थिरता के लिए बालू भराई के रूप में फ्लाई ऐश (विद्युत संयंत्र के अपशिष्ट) से उपयुक्त पेस्ट फील मटेरियल का विकास एवं भूमिगत कोयला खान तक इसकी ढुलाई की प्रणाली'', अपेक्षाकृत कम डायलुटेड कोयले की बेहतर प्राप्ति के लिए मल्टीपुल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग; ''जोखिम मूल्यांकन कर विस्फोटन के खतरे को रोकने तथा उसके प्रशमन के लिए दिशा–निर्देश का विकास तकि जोखिम आधारित खान आपातकालीन रिक्तिकरण (माइन इमरजेंसी इवैक्यूएशन) एवं रिइन्ट्री प्रोटोकाल को शामिल कर भारतीय कोयले की विस्फोटकता का निर्धारण, ''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में कोल माइन मिथेन संसाधन की निकासी के लिए क्षमता निर्धारण'' तकि उपग्रह आँकड़े तथा ग्राउन्ड आवजर्वेशन आदि का प्रयोग कर कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु की गुणवत्ता की मानिटरिंग के लिए प्रणाली का विकास जिसे ख्याति प्राप्त संगठनों जैसे आईआईटी आईएसएम, खड़गपुर, आईआईटी, रूड़की, सीआईएमएफआर, धनबाद, आरएफआरआई, जोरहट सीएसआईआरओ, अस्ट्रेलिया, एनआरएससी, हैदराबाद आदि के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

12.0 निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

सीएमपीडीआईएल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुनियोजित सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से अपने आस–पास के समुदायों के साथ व्यापक सामाजिक समुदायों के साथ भी गहरा संबंध स्थापित किया है। सीएसआर के तहत सीएमपीडीआईएल द्वारा अपने ड्रिलिंग कार्यस्थल में एवं इसके आस–पास स्थित, समुदायों के लिए सत्त् विकास का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों में विद्यालय एवं गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास, विद्यालय जाने वाले गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सहायता, कुष्ठ रोगियों के इलाज एवं देखभाल के लिए वित्तीय सहायता, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपाहिज तथा नेत्रहीन छात्रों को सहायता, अकुशल एवं बेरोजगार युवकों का कौशल विकास, कोविड–19 से बचाव के लिए मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर का वितरण, राँची, नागपुर, बिलासपुर, धनबाद, आसनसोल तथा भुवनेश्वर के विभिन्न इलाकों में चिकित्सा कैम्प का आयोजना, जिला परिषद् प्राथमिकशाला, चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 5 केडब्ल्यू सोलर प्लांट की स्थापना, कोसला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़िसा में हीट स्ट्रेस मरीजों के लिए फिक्सर एवं फर्निचर के प्रावधान वाला कमरे का निर्माण तथा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा ओड़िसा के गाँवों में ड्रिलिंग कैम्प के निकट अन्य ग्रामीण विकास कार्य के साथ–साथ बोरबेल की ड्रिलिंग एवं स्थापना तथा हैंड पम्प लगाकर पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना।

13.0 प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा:

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन कराने के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी है, जो विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 5001, ओएचएसएएस 18001 आदि के प्रयोग के लिए परामर्श सेवा देता है। हम इन मानकों की स्थापना, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण सहायता, प्रमाण सहायता के साथ–साथ प्रमाणोत्तर सहायता देते हैं।

सीएमपीडीआईएल के साथ–साथ इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को भारतीय मानक ब्यूरो नए संशोधित आईएसओ 9001:2015 मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। सीएमपीडीआईएल अगले 10 वर्षों के लिए अपनी आंतरिक परामर्शी सेवाओं द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य के साथ रणनीतिक व्यावसायिक योजना को अद्यतन कर लिया है। सीएमपीडीआईएल के वर्तमान आईएमएस नियमावली में आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 आईएसओ 27001:2013 तथा आईएसओ 50001:2011 शामिल है।

हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता में भारतीय मानक ब्यूरो से कोल इंडिया लिमिटेड ने आईएसओ 9001:2011 से आईएसओ 50001:2018 के उन्नयन का प्रलेखन कर लिया गया है।

31 मार्च, 2020 की तिथि तक कोल इंडिया की सहायक कंपनियों, ईसीएल, एनसीएल तथा सीसीएल को कंपनी वाइज समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। सीएमपीडीआईएल की सहायता से एवं मार्गदर्शन में एमसीएल एवं ईसीएल ने ओएचएसएएस 2007 आईएसओ से आईएसओ 45001:2018 में उन्नयन के लिए प्रलेखन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्नत मानक के प्रमाणीकरण का कार्य जारी है। सीएमपीडीआईएल के मार्गदर्शन में बीससीएल द्वारा उन्नत आईएमएस के प्रलेखन का कार्य जारी है।

हमारी ओर से एमसीएल, ईसीएल तथा एनसीएल के लिए ओएचएसएएस 1800 (व्यावसायिक स्वास्थ एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की जगह आईएसओ 45001:2018 के प्रलेखन तथा कार्यान्वयन का कार्य जारी है। बीसीसीएल के लिए कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 45001:2018) के कार्यान्वयन का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल के परामर्श सेवा से बीसीसीएल मुख्यालय द्वारा आईएसओ 37001 कार्यान्वयन की प्रक्रिया की जा रही है। बीसीसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल को भी सीएमपीडीआईएल सहायता एवं मार्गदर्शन दे रहा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष में कंपनीवाइड समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001/आईएसओ 45001) हेतु प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कतार में है।

बाह्य परामर्शी कार्य के तहत मेसर्स एवटीपीसी की पकरी–बरवाडीह ओसी कोयला खान के लिए समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 तथा आईएसओ 45001:20128) के कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है तथा 2019–20 के दौरान ग्राहक को सुपुर्द कर दिया गया है।

14.0 कोल इंडिया लिमिटेड से अलग की कम्पनियों को परामर्श सहायता :

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 21 संगठनों को 28 परामर्श सेवा का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से कुछ प्रमुख ग्राहक हैं : अल्ट्राटेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ओड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड, (ओसीपीएल), गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड आदि।

वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड सेल टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटैड (एससीसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, तालचर फटिंलाइजर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड आदि जैसे 18 संगठनों के लिए 28 आउटसाइड सीआईएल परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 21 संगठनों से 27.20 करोड़ रू. मूल्य के 27 आउटसाइड सीआईएल परामर्श कार्य प्राप्त कर लिए गए, जिसमें कोयला मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठन तथा निजी कंपनियाँ शामिल हैं।

15.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा:

खान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का विकास किया गया है, जिसमें सीआईएल द्वारा मानिटर की जा रही परियोजनाओं की प्रमुख विशेषता दर्शाया गया है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनाओं की प्रगति मानिटर करना है, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति (क्लियरेंस) (ईसी), वन स्वीकृति (एफसी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आरएंडआर), वित्तीय पारामीटर, एचईएमएम की खरीद, उत्पादन एवं अन्य बड़ी आधारभूत संरचना जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी), सिलो एवं रेलवे साइडिंग शामिल हैं। गैरी सीआईएल कोयला ब्लॉकों को मानिटर करने हेतु सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी तथा प्राइवेट ब्लॉक आवंटियों को देने के लिए माइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल (एमडीएमएस) साफ्टवेयर विकसित किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों जैसे एनसीएल, सीसीएल तथा सीएमपीडीआईएल के गैर अधिकारी वर्ग के कर्मैचारियेां के लिए ऑन लाइन रिक्रयूटमेंट पोर्टल का विकास कर

कार्यान्वित कर लिया गया है। सीएमपीडीआईएल एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया है, जिसके जरिए सीआईएल तथा कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल परियोजनाओं की ऑनलाइन मानिटरिंग की जा रही है।

सीएमपीडीआईएल को संपूर्ण कोल इंडिया लिमिटेड में ई–आफिस के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया है। सभी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय; सीआईएल, नई दिल्ली; सीआईएल, मुख्यालय, कोलकाता; आईआईसीएम तथा एनईसी में (सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमपीएलएस कनेक्टिविटी की स्थापना) कर दी गई है।

16.0 मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआईएल के योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा मई 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टप्राइजेज (डीपीई) के दिनांक : 9.10.1993 के ओएम नं. 11/36/97 फिन के प्रावधान के अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (कैट–।) से नवाजा है। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से लगातार (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआईएल की आकर्षक उपलब्धि प्रतिबिम्बित होती है। वर्ष 2018–19 के लिए एमओयू सीआईएल में विचाराधीन है।

17.0 निगमित शासन:

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआईएल द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

18.0 आभारोक्ति:

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों (जेसीसी) तथा ऑफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनवरत सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्ता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मैं आश्वस्त हूँ कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर इसके समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची
दिनांक : 09.06.2020

उपलब्धि एक नजर में

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)
विवरण			
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1381.31	1274.56	1154.75
अन्य आय	21.7	13.01	15.09
कुल आय	1403.01	1287.57	1169.84
कुल खर्च	1090.39	1023.75	1049.02
पी बी टी	312.62	263.82	120.82
पी ए टी	193.39	173.27	80.83
कुल ब्लॉक	182.5	180.39	147.23
चालू परिसम्पत्तियाँ	1057.35	959.84	1165.69
चालू देयताएं	424.63	541.86	857.55
कार्यकारी पूँजी	632.72	417.98	308.14
नियोजित पूँजी	815.22	598.37	455.37
इक्विटी कैपिटल	38.08	38.08	38.08
आरक्षित शेष	550.8	428.74	277.25
नेट वर्थ **	570.31	447.95	315.33
नियोजित पूँजी की वापसी	38.37	44.11	26.59
प्रति शेयर उपार्जन	5078.52	4550.16	2122.64

*नियोजित पूंजी = नेट ब्लॉक + वर्किंग कैपिटल

**नेट वर्थ = इक्वल शेयर कैपिटल + रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लुडिंग कैपिटल रिजर्व

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)
पी.बी.टी	312.62	263.82	120.82

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2019-20 (अंकेक्षित)	2018-19 (अंकेक्षित)	2017-18 (अंकेक्षित)
सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	1381.31	1274.56	1154.75

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

सेल्स ब्रेकअप (2019-20)

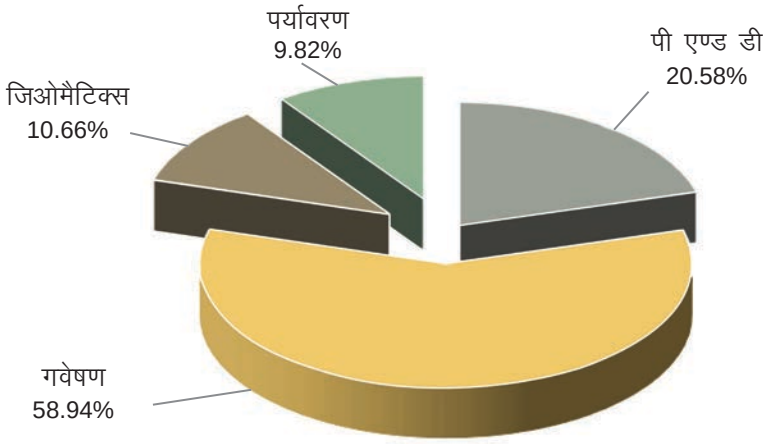

एक्सपेंस ब्रेकअप (2019-20)

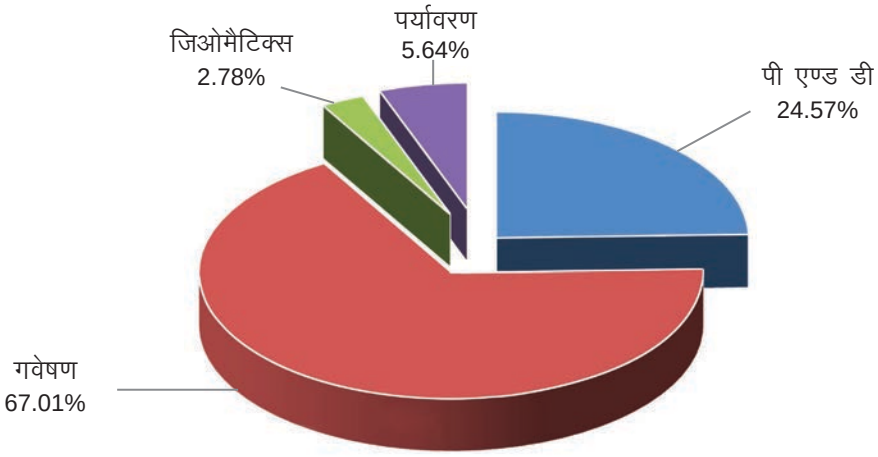

व्यय ब्रेकअप (2019-20)

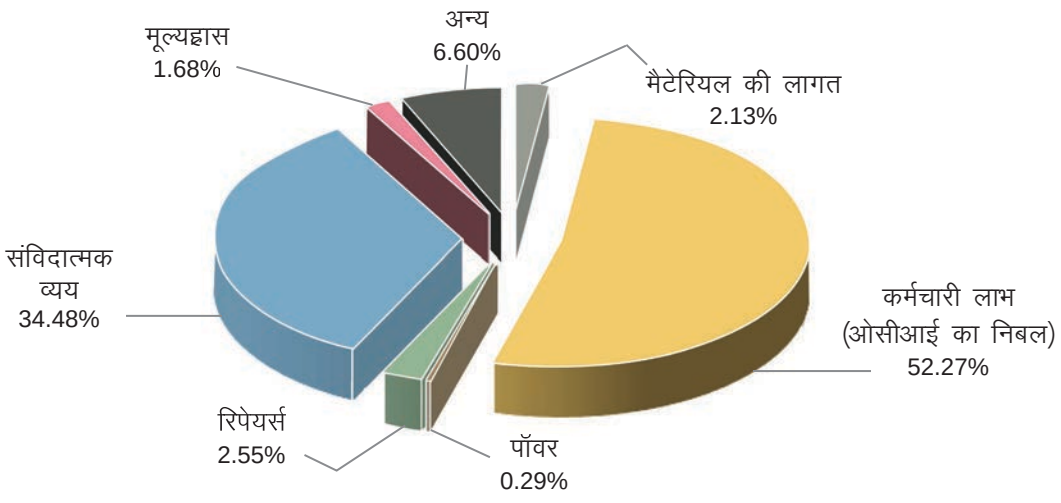

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

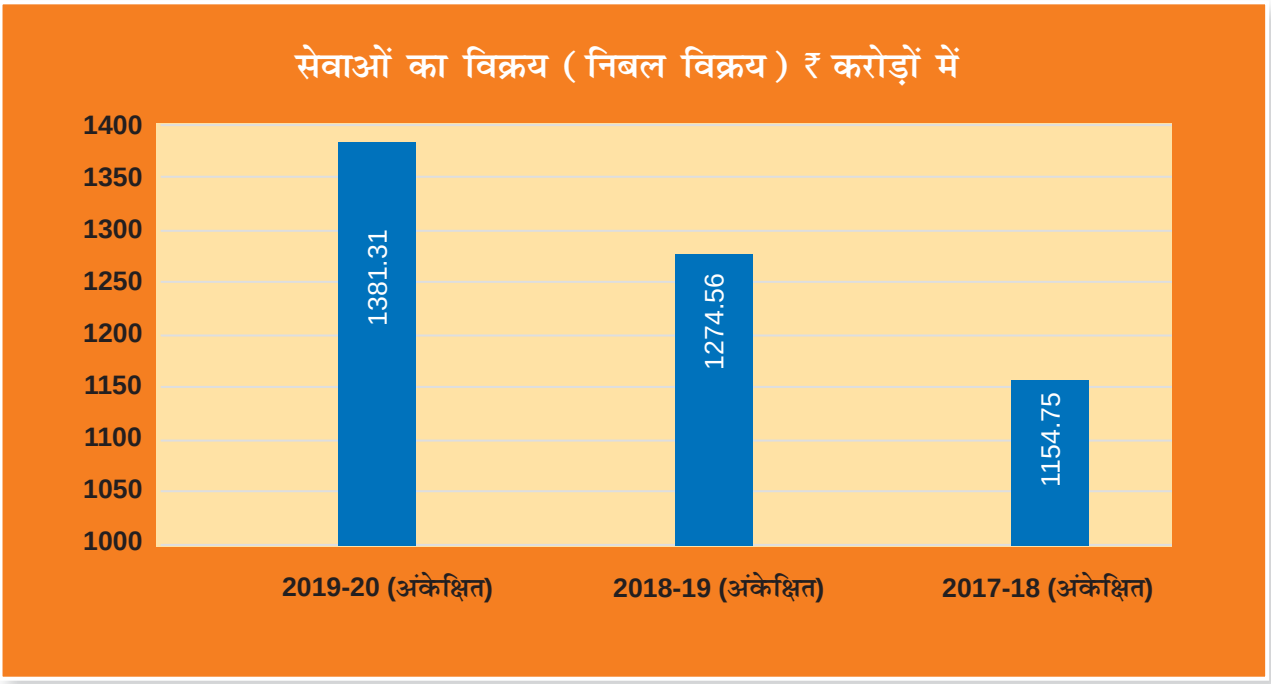

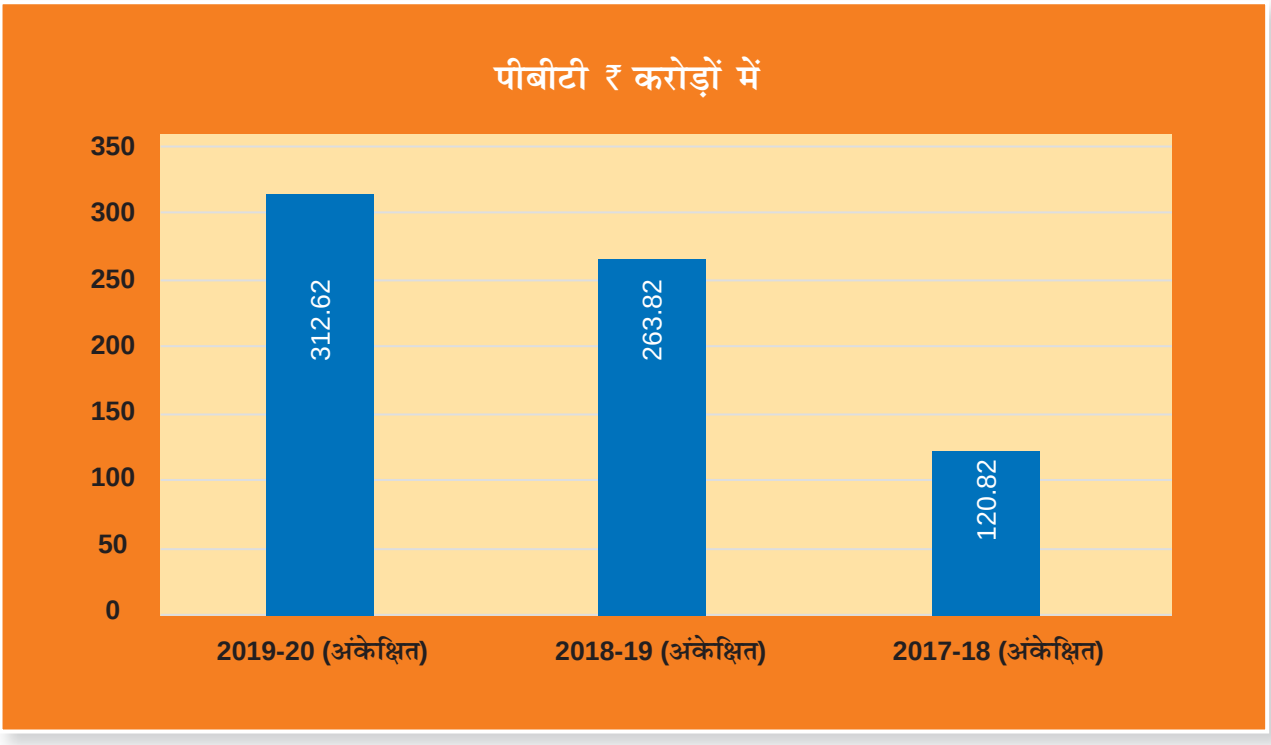

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिव्रेदन सहित आपकी कंपनी के क्रिया–कलाप पर आधारित 45वाँ वार्षिक प्रतिव्रेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन:

आपकी मिनी रत्न (कैट–।) कंपनी ने गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातों क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1), बीसीसीएल (क्षे.सं.–2), सीसीएल (क्षे.सं.–3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.–5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल (क्षे.सं.–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

सीआईएल, मुख्यालय, एनईसी तथा गैर सीआईएल ग्राहकों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, ओडीसी कोल एंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल), गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि को परामर्श सेवाएँ मुख्यत: सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के द्वारा दी गई। इन परामर्श सेवा के अलावा सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की विशेषज्ञता वाला कार्य का भी संचालन किया है।

वर्तमान में सीएमपीडीआईएल द्वारा 18 संगठनों जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, सेल, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, (एससीसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड आदि के लिए 29 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा 21 संगठनों से 27.20 करोड़ रू. मूल्य के सीआईएल से बाहर के 27 कार्य प्राप्त किए गए हैं।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**

  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक तथा भू–अभियंत्रण आँकड़ा तैयार करने तााि खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वस्थाने कोयला भंडार के मूल्यांकन के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब भू–भौतिक लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिजोल्यूशन शैलो सीममिक सर्वेक्षण, जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसधनों की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत और खुली खानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अभियंत्रण ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक इकाईयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधा।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशिल्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआईएल, अपने बल पर परिष्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूरी सतह आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला खान की गैसों का गुणवत्ता पूर्ण विश्लेषण, वायु, ध्वनि, कोयला कोर नमूनों, कोयले की धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, संसस्तर का भौतिक यांत्रिक शक्ति, पेट्रोग्राफी अध्ययन, गैर विध्वंसक परीक्षण आदि सेवाएँ दे रही है।

- **पर्यावरणिक सेवाऐं :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए इसका कार्यान्वयन घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, खान बंदी योजना बनाना तथा खान बंदी की मॉनिटरिंग करना, ओबी एवं हाई वाल का ढाल स्थायित्व अध्ययन, खानों की पर्यावरणिक वहन (कैरिंग) क्षमता ताि नदी तटीय इककोसिस्टम का अध्ययन, संपूर्ण सीआईएल की खानों के लिए भू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर उपग्रह डाटा का प्रयोग, आदि।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ❖ खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण
  - ❖ नियंत्रित विस्फोटन
  - ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ❖ खान थम्हाल का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ❖ अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
  - ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 193.39 करोड़ रूपए कर पश्चात् लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है :

₹ (करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निबल बिक्री	1381.31	1274.56
अन्य आय	21.70	13.01
कुल व्यय	1090.39	1023.75
कर के पूर्व लाभ	312.62	263.82
कर व्यय	119.23	90.55
कर के बाद लाभ (क)	193.39	173.27
अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)'	(8.60)	(6.39)
आयकर, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(2.16)	(2.23)
अन्य विस्तृत आय (ख)	(6.44)	(4.16)
कुल विस्तृत आय (क)+(ख)	**186.95**	**169.11**

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के प्रबंधन ने कार्यनिष्पादन और आऊटलुक सहित महत्व वाले विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार–विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए कारपोरेट के उद्देश्य को सेट (निर्धारित) करना :

सीएमपीडीआईएल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।

2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. संसाधन की उत्पादकता में सुधार लाकर एवं बर्बादी को रोकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम निर्माण करना तथा निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाहरी संसाधन लगाना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा इनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन तथा सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना, (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा खान बंदी योजना बनाना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावरणिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मापन, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस एवं वाशरी स्थल आदि के चयन सहित आधारभूत संरचना के आयोजन के लिए सुदूर संवेदन सेवा प्रदान करना।
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.2 सीएमपीडीआईएल के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआईएल के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा- स्थापना काल से ही यह सीएमपीडीआईएल का कोर फंक्शन है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– सीएमपीडीआईएल के स्थापना काल से ही दूसरा कोर फंक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण एवं संचालन, परिष्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का निर्माण और / अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- असंबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों के अंतराल पर की जा रही है।

(घ) **प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ :** 1997 से यह क्रिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकांउंटेबिलिटी प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 37001 (रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है। सीएमपीडीआई को अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

(ड.) **मानव संसाधन विकास :** 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैः बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

(च) **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ :** सुदूर संवेदन, खानों में संवातन (वेंटिलेशन) एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक माफ आदि सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.3 उद्योग की संरचना एवं विकास :

वर्ष 2019 की कोविड की पहले की अवधि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन वर्ष रहा। 2009 का वैश्विक वित्तीय संकट से अब तक विश्व उत्पादन (आउटपुट) विकास की आकलित वृद्धि वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ी। इसका कारण चीन एवं अमेरिका का व्यापार संरक्षणवादी प्रवृति तथा यूएसए इरान भू–राजनीतिक तनाव बताया गया। फिर भी, कोविड, 19 विश्वव्यापी महामारी बढ़ती जा रही है तथा विश्व में मानव जीवन पर खतरा (ह्यूमैन कास्ट) भी बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008–09 की वित्तीय संकट की तुलना में अधिक बदतर होकर 2020 में –3प्रतिशत तक सिकुड़ जाने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान लगाना अत्यंत अनिश्चित है। अर्थव्यवस्था में गिरावट कई तथ्य पर निर्भर करता है जो इस रूप में आपसी प्रभाव डालता है कि वैश्विक महामारी की राह, आपूर्ति में व्यवधान की मात्रा (सप्लाई डिस्ट्रप्शन) फैलाव क पैटर्न में बदलाव कंटेमेंट प्रयास की तीव्रता एवं दक्षता का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन है। कई देश बाहुआयामी संकट तथा पुरे परिणाम का सामना कर रहे हैं जिसे अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। भारत बड़े पैमाने पर जी–जान से सामना कर रहा है और इसके प्रभाव को नकार नहीं जा सकता है।

भारत में खनन प्रमुख आर्थिक क्रिया–कलाप है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कोयला खनन तथा कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षेत्र में दो कोर उद्योग है तथा दोनों मिलकर भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देकर अपना महत्व दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, आज की तिथि तक भारत का लाजिस्टिक उद्योग, स्पंज आयरन उद्योग भारत के घरेलू कोयला उद्योग पर आधारित है। तीन पूर्वी राज्य (झारखंड, ओडीसा तथा छत्तीसगढ़) में आर्थिक गतिविधि काफी हद तक कोंयले पर आधारित है। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,00,000 लोग लगे हुए हैं और संभवतः इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत के लिए कोयला क्षेत्र की महत्ता देश के लिए न सिर्फ ऊर्जा के लिए है, बल्कि जो सामाजिक आर्थिक भूमिका यह निभाता है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

विगत 5 वर्षों में भारत में कोयले की माँग में एक चौथाई से ज्यादा बढ़ी है और माँग में यह वृद्धि

विद्युत क्षेत्र तथा गैर विनियमित (नन रेगुलेटेड) क्षेत्रों, दोनों, के कारण हुई है। विद्युत क्षेत्र इसका प्रमुख उपभेक्ता बना हुआ है, क्योंकि भारत की 72 प्रतिशत बिजली कोयला चालित संयंत्र भारत का 72 प्रतिशत बिजली उत्पादन करता है। यहाँ तक कि घोर निराशाजनक परिस्थिति में भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले की माँग 2030 तक और शायद उसके बाद तक बढ़ती जाएगी। पीएमजी द्वारा तैयार किए कोल विजन 2030 दस्तावेज के अनुसार कुल कोयले की माद्दग (2021 तक लगभग 1049 मि.ट. (कोयला मंत्रालय के आकलन के अनुसार) तथा 2030 तक 1300 से 1900 मि.ट. तक होना आकलित किया गया है। यहा माँग परिदृश्य आर्थिक विकास, ऊर्जा पर्याप्तता तथा कोयले के वैकल्पिक प्रयोग के प्रभावित है। कोल इंडिया लिमिटेड आपूर्ति कड़ी (चेन) में संतुलनात्मक भूमिका अदा कर सकता है। माँग परिदृश्य आर्थिक विकास, ऊर्जा की दक्षता तथा कोयले के वैकल्पिक उपयोग से प्रभावित होता है। आपूर्ति चेन में सीआईएल संतुलन बना सकता है तथापि, उपभोक्ता ईकाई में कोविड'–19 लॉक डाउन के बाद के प्रभाव के चलते कोयले की माँग पर प्रतयक्ष प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार को कोयले की आयात में कमी लाने का प्रयास करना पड़ा, जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च तथा समय–सीमा तक आयात का प्रयास के विकल्प का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर लॉक डाउन समाप्त होने के उपरांत उपभोक्ता इकाईयों के खुलने पर कोयले की माँग तेजी से बढेगी।

देश में संभावित 19400 वर्ग किलो मीटर कोयला धारक क्षेत्र में से लगभग 16558 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्रीय गवेषण के जरिए समाविष्ट किया गया हे, लगभग 7620 वर्ग किलो मीटर कवर किया हे तथा 2781 वर्ग कि.मी. विस्तृत गवेषण (1.7.2020 के अनुसार) के तहत है। भारत सरकार ने आगे सीएमपीडीआईएल को निदेश दिया हे कि वह देश में 2डी/3डी सिसमिक सर्वेक्षण पर बल देते हुए क्षेत्रीय (रिजनल) और विस्तृत गवेषण की गति तेज करे ताकि तेज गति से निकट भविष्य में कोयले के दोहन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की पहचान की जा सके इसका उद्देश्य संभव सीमा तक देश के उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए जितना तेजी से हो सके संभावित (प्रोसेफेक्टिव) विडरों को कोल ब्लॉक उपलब्ध करना है। इस पर विचार कर प्रषासनिक मंत्रालय जी 2 स्तर के संसाधन (2डी/3डी सीसमिक सर्वेक्षण की सहायता से प्रति वर्ग किलो मीटर लगभग 2 बोर होल के साथ गवेषित) वाले गैर सीआईएल ब्लॉकों को पहले की तरह 6 से अधिक बोर होल प्रति वर्ग किलोमीटर वाले गवेषण के पूर्व के प्रचलन की जगह निलामी करने का प्रयास कर रही है। कम बोह होल धनव्त के साथ भौतिक ड्रिलिंग, दीर्घकालीन कोविड–19 लॉक डाउन, कठिन भू–वैज्ञानिक स्थिति जैसे औसर बोरहोल में 500 मी. से अधिक की वृद्धि, वन भूमि के कारण ड्रिलिंग स्थल की अनुपलब्धता, कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की विपरीत स्थिति, आधुनिक आधारभूत सुविधा से युक्त उपयुक्त आउटसोर्स्ड एजेंसी उपलब्ध न होना आदि को ध्यान में रखकर वर्ष 2020–21 के लिए 100 वर्ग किलो मीटर के 3डी सीसमिक सर्वेक्षण तथा 500 लाइन कि.मी. के 2डी सीसमिक सर्वेक्षण के जरिए 11.00 मी. डिलिंग सहित डाटा संकलन का प्रस्ताव किया गया है।

कुल मिलाकर भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए कोल इंडिया को नियमित तौर पर गवेषण एवं आयोजन सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह सीएचपी वाशरी सहित आधारभूत सुविधा के लिए सच्चाई होगी। इसके अतिरक्ति, सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ सेवाओं की माँग सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में भी बनी रही है। सीएमपीडीआईएल अल्ट्राटेक इन्डस्ट्रीज लि., एनटीपीसी लिमिटेड, ओडीसा कोल एंड पावर लि. (ओसीपीएम), गजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड आदि जैसे कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर कंपनियों को अपनी परामर्श–सेवा देता रहा। घरेलू आपूर्ति के द्वारा कोयले की माँग पूरा करने के प्रति कोयला कंपनियों, मुख्यतः सीआईएल में सीएमपीडीआईएल की सेवाओं की माँग भी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, कोयले पर आधारित कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण आदि जैसे गैर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने के प्रति कोल इंडिया लि एवं अन्य कंपनियों के प्रयास भी सीएमपीडीआईएल के लिए परामर्श कार्य का स्रोत हो सकता है।

इसके अतिरिक्त कोयला सेक्टर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो सीएमपीडीआईएल के लिए अतिरिक्त मौका दे रहा हे, जिसे आगामी वर्षों में बढ़ने की संभावना है।

फिर भी सीएमपीडीआईएल के टॉप और बॉटम लाइन में इसके प्रयास परिलक्षित करने के लिए शुरूआत की है, और तद्नुसार हाल ही के वर्षों में बिक्री और पीबीटी में वृद्धि दर्ज हुई है। देश और विश्व में बदलते परिदृश्य विशेषकर इस दौरान और पोस्ट कोविड–19 के बाद सीएमपीडीआईएल के व्यवसाय की गति पर पुनः देखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। भविष्य के भावी बाजार परिदृश्य कोल सेक्टर में समुचित अध्ययन को भी शामिल करना होगा। प्रमुख उपाय में अन्य क्षेत्रों में फोरे के लिए संभाव्य अवसरों को भी शामिल करना होगा।

कुल मिलाकर पर्यावरणिक दिशा–निर्देशों के अनुपालन की विभिन्न आवश्यकताएँ, ग्रीन लॉबी की ओर से दबाव साथ ही साथ प्रयास कोयला खनन के लिए भूमि अर्जन के प्रयास दिन–प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कोयले की माँग में कमी आने से कोयले के गवेषण की आवश्यकता और कम हो जाएगी। सीएमपीडीआईएल के टर्न ओवर में प्रमुख भागेदारी निभाने वाला गवेषण की महत्ता बनाए रखने के लिए मेटल क्षेत्र सहित गैर–कोल सेक्टर के लिए विविधिकरण करना होगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआईएल के व्यावसायिक क्षेत्र में गतिशीलता लोन के लिए उत्पादकता में और वृद्धि कर गवेषण क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करना यथार्थवादी होगा, वह भी खासकर 2 डी/3डी सिस्मिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ वर्तमान सुविधा तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं आधुनिकी करण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती, कोयला के अलावा अन्य खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवा में पदार्पण, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेंटरी कंट्रोल सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनीटरिंग की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि जेसे क्षेत्रों में प्रवेश के जरिए ये सब करने होंगे।

1.3.4 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति :

खनिज, खनन तथा संबंद्ध क्षेत्रों में प्राप्त बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के सहारे अपने उपर्युक्त निगमित उद्देश्य प्राप्त करने क लिए सीएमपीडीआईएल निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना बना रहा है :

1. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालन दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. सत्त् आयोजना (प्लानिंग) तथा कोयला उद्योग को विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी श्रमशक्ति की भर्ती

9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,
10. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.5 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य :

- सीएमपीडीआईएल वास्तव में एक बहु आनुशासनिक संगठन, शायद अपनी तरह का एक मात्र, है जो एक ही छत के नीचे खनन के पहले, खनन के दौरान तथा खनन कार्य के बाद प्रायः सभी सेवाएँ उपलबध करा रहा है।
- भारत में विस्तृत कोयला गवेषण में प्रभुत्व वाला, सीएमपीडीआईएल की पहचान सरकारी प्रिफरेंसेज रखने के अलावा भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे पसंदीदा परामर्शदाता के रूप में है।
- रणनीतिक रूप से अवस्थित अपने क्षेत्रीय संस्थानों के साथ यह कोयला मंत्रालय के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों को दहलीज पर ही सेवा देने में सक्षम है। सीएमपीडीआईएल की उपस्थिति कोयलाधारक क्षेत्रों के आस–पास अखिल भारतीय की है।
- कोयला क्षेत्र में उपलब्ध वृहद संशाधनों की सूचना देने के लिए सीएमपीडीआईएल के पास कोयला ब्लॉकों, कोयला भंडारों, कोयले की गुणवत्ता आदि से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ा आधारित पर्याप्त जानकारी है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- इसके पास बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि.ट.प्र.व. खुली खदान खान तथा 6 मी.ट.प्र.व. भूमिगत खान तक की निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्टों की प्लानिंग, 1300 से अधिक समेकित कोल गवेषण परियोजना, को क्रियान्वित करने का व्यापक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।
- 8 राज्यों में जियोग्राफिकल रूप से फैले प्रयोगशाला सुविधाओं, बेस लाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि से युक्त कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में वेधन के लार्जेस्ट फ्लीट) के लिए इसके पास व्यापक आधारभूत संरचना उपलबध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ) :

- राजस्व प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर निर्भरता।
- क्षेत्रीय गवेषण आँकड़ा, जो विस्तृत कोयला गवेषण के लिए आवश्यकत है, हेतु जीएसआई/एमईसीएल पर निर्भरता।
- उच्च संचालन लागत और निर्धारित लागत अर्थात् उद्योग में पियर्स (Peers) की तुलना में कर्मचारी मुआवजा।
- दक्ष और अनुभवी अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति तथा नव–नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद कंपनी को छोड़ने की उच्च दर।
- गैर–विविधिकरण अर्थात् केवल कोयला उद्योग के लिए प्रतिबंधित
- अधिकारी और गैर–अधिकारी संवर्ग में दक्ष और योग्य कर्मिकों की कमी।

1.3.6 अवसर एवं आशंकाऐं

अवसर

- कोयले की मांग कम से कम 10 से 12 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआईएल की सेवाएँ बनी रहने की संभावना है।
- सरकार द्वारा पब्लिक एवं प्राइवेट कंपनियों दोनों के कैप्टिव उपयोगकर्त्ताओं के लिए कोयला ब्लॉकों का ऑक्सन/आवंटन से कोल इंडिया के बाहर सीएमपीडीआईएल के लिए और अधिक बाजार अवसर का सृजन होगा।
- संपूर्ण गवेषण और खनन समाधान उपलब्ध कराने के लिए सर्विस प्लेटफार्म के कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विकास
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।

- गैर कोयला क्षेत्र में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

- भारतीय कोयला सेक्टर धीरे–धीरे उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब कोयला सेक्टर को और खोल देने (मुक्त करने) से अन्य घरेलू अथवा अंतराष्ट्रीय परामर्श सेवा प्रदाताओं के बीच बाजारू प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के साथ ताल–मेल बैठाना, वर्तमान विस्तृत वेधन क्षमता को बनाए रखना निकट भविष्य में कठिन प्रतीत होता है।
- कोयले को सोलर, विंड आदि जैसे रीन्यूएवल ऊर्जा स्रोतों के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में और वृद्धि होगी और सस्ते में भी होंगे। इससे कोयला खनन की रूझान में कमी आती जाएगी, जिसके कारण कोयला क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल को मिलने वाले कार्यों में गिरावट आ जाएगी।
- इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र सीमित खनन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण ड्रिलिंग कार्य प्रभावित हो रहा है।
- प्रमुख रूप से मानव संसाधन संचालित कंपनी होने के कारण वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल निकट भविष्य में नुकसानदायक होगी। विशेषज्ञ श्रमशक्ति तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि इसके अधिकांश अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ सेवा–निवृत्त होते जा रहे हैं।

1.3.7 मूल्य निर्धारण नीतिः

सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्श सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहकों की विभिन्न श्रेणी के लिए अपनाए गए मूल्य–निर्धारण फार्मूला पर आधारित है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहाकय कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं हेतु 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क+लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया, जबकि आउससोर्सिंग एजेंसियों द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य वर्ष 2017 के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक अलग लागत केंद्र (जिओमेटिक्स) शुरू किया गया है, पहले यह पीएंडडी कार्य (आंतरिक परामश) में शामिल था।

1.3.8 बाजार नीतिः

सीएमपीडीआईएल प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। सीएमपीडीआईएल महत्वपूर्ण और नीतिगत मूल्यों को ध्यान में रखकर कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों से कार्य, जहाँ ऐसे बाहरी परामर्शी कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेने/करने के प्रति भी वचनबद्ध है।

1.3.9 दृष्टि एवं तैयारीः

11वीं एवं 12वीं ,,,,,,,,योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआईएल का गवेषण कार्य बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहा, जो 2017–18 तक जारी रहा, परंतु समय पर फंड की अनुपलब्धता सहित कई अन्य कारणों से वर्ष 2018–19 के दौरान इसे कायम नहीं रखा जा सका। वर्ष 2017–18 में की गई कुल ड्रिलिंग 13.66 लाख मीटर की तुलना में वर्ष 2018–19 में कुल ड्रिलिंग 13. 60 लाख मीटर रहा। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न राष्ट्रव्यापी लॉक डउन के कारण इतना कम रहा। सीएमपीडीआईएल 11वीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान लगभग 19.41 लाख मीटर वेधन की तुलना में 12वीं योजना अवधि के दौरान (2012–17) के दौरान 42.08 लाख मीटर ड्रिलिंग कर सका। और 10वीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान कुल वेधन 10लाख मीटर किया गया। कुल मिलाकर विभागीय ड्रिलों के

द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान 619 मीटर/ड्रिल/माह की उत्पादकता के साथ 5 लाख मीटर वेधन किया जो सीएमपीडीआईएल के इतिहास में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में 12.094 लाख मीटर के उपलब्धि सहित वर्ष 2006–07 (10वीं योजना अवधि का अंत) में 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि लगभग 15 प्रतिशत अधिक के वेधन में सीएजीआर (क्यूमूलिटिव एनूअलाइज्ड ग्रोथ रेट) प्राप्त किया जा सका।

25 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों की तैयारी और लगभग 292 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तृत गवेषण के जरिए लगभग 7.77 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला रिसोर्सों को ''प्रमाणित श्रेणी'' में जोड़ा गया है। स्थापना काल से अब तक सीएमपीडीआईएल द्वारा एक वर्ष में सर्वाधिक कोयला प्रमाणित किया जा चुका है।

सीएमपीडीआईएल मेसर्स एसईआरसीईएल से आयात्ति वाइब्रोसिस द्वारा लगभग 1000 मी. रेंज की गहराई के साथ आँकड़ा अर्जन और बड़े पैमाने पर 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण किया है। पाराडिग्म सॉफ्टवेयर (हाईस्पीड सिस्मिक डाटा प्रोसेसिंग) के साथ पिपरवार पीएच–।। ब्लॉक (20.68 वर्गकि.) एनकेसीएफ के नार्थ के लिए आँकड़ा अर्जन का कार्य पूरा किया जा चुका है। और अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसके अतिरिक्त दो ब्लॉकों अर्थात् अरखापाल तालचर कोयला क्षेत्र के नार्थ का नादर्न पार्ट और सोहागपुर कोयला क्षेत्र के निगवानी–बकेली–ए में वर्ष 2019–20 के दौरान आँकड़ा सृजन का कार्य शुरू कर दिया गया था।

विभागीय वेधन के आधुनिकीकरण, अधिक क्षमता वाला नया मेकेनिकल ड्रिल तथा ड्रिल का समावेश, हाई परफार्मेंस बिट्स का समावेश जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोजॉजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों और श्रम शक्ति की कारगर व्यवस्था आदि सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन रहे थे।

भारत सरकार ने कोयला गवेषण को फास्ट ट्रैक पर रखा है। विस्तृत गवेषण हेतु देश के क्षेत्रीय गवेषण की गति तेज करने तथा और अधिक संभावित क्षेत्र की पहचान करने पर विचार किया गया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम ऑफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद रूप से ऑयल सेक्टर में होता है जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल वियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआईएल ड्रिलिंग में आधुनिकतम उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल कर गवेषणात्मक ड्रिलिंग की क्षमता निमार्ण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। इसने अधिक समय लेने वाले ड्रिलिंग प्रक्रिया पर निर्भरता को कम करने के लिए गवेषण के विभिन्न भू–भौतिक सर्वेक्षण तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने में इसका उपयोग करने के लिए पहले ही कदम उठाया है। इससे भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने की गति में तेजी आएगी तथा ब्लाकों के भू–वैज्ञानिक माडल तैयार करने में इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य को 12.94 लाख मीटर रखा गया, जो वर्ष 2020–21 वर्ग कि.मी. के 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण और 500 लाइन कि.मी. 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण से संबंधित आँकड़ा सृजन सहित 11.00 लाख मी. का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। विगत 3 वर्षों में गवेषण की गति में स्थिरता आ गई थी, जिसका कारण गैर–सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण के लिए कोष की अनिश्चितता, कुछ कोयला ब्लॉक क्षेत्रों में विपरीत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, एन विभाग की अनुमति के लिए 105 कोयला ब्लॉकों के आवेदन लंबित रहने से विस्तृत गवेषण की अनुमति प्राप्त न होना आदि है। सीएमपीडीआईएल ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन एक लाख मीटर तक करने के प्रस्ताव के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ एक दीर्घकालीन एमओयूम किया है, जिसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.0 मीटर कर दिया गया है। वर्ष 2007–08 से 101 ब्लॉकों में 40 लाख मी. के कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग में आने वाले अवरोध के

लिए सीएमपीडीआईएल, सीआईएल और एमओसी द्वारा संबंधित राज्यों तथा एमओईएफ एंड सीसी के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पेश की गई 32 परियोजना रिपोर्टों में से 22 परियोजना रिपोर्ट खुली खनन की थी। इसमें से 9 बड़ी परियोजनाओं (10एमटीवाई या इससे अधिक) की थीं। 10 परियोजना रिपोर्ट भूमिगत खान की थीं, जिसमें कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी सहित 8 भूमिगत परियोजनाएँ और पावर्ड सपोर्ट लॉगवाल टेक्नोलॉजी सहित 2 मेगा भूमिगत परियोजनाएँ शामिल थीं।

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची की भू–रासायनिक प्रयोगशाला को 12 विभिनन स्कोप/पारामीटर में जाँच (टेस्टिंग) के क्षेत्र में उपलबध सुविधाओं के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुरूप नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) की मान्यता है। भुवनेश्वर स्थित सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान–7 में नई रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जियो केमिकल प्रयोगशाला को सोफिसकेटेड आयातित उपकरणों के द्वारा अपग्रेड किया गया है और क्षमता बढ़ाई गई है। आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसरण में मई, 2019 में कोल एंड मिनरल प्रिपरेशन (सीएमपी) प्रयोगशाला को एनएबीएल एक्रीडीटेशन (मान्यता) प्रदान की गई। वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के एनडीटी सेल को भी एनएबीएल की मान्यता दी गई जो गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनपीटी) में ''टेस्टिंग'' के क्षेत्र इसे सुविधाजनक बनाने के लिए मानक आईएसओ/आईईसी के आधुनिक उपकरण के साथ मजबूती प्रदान की गई है। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), क्षेत्रीय संस्थान–4 क्षे.सं.–5 और क्षे.सं.7 को एनएबीएल द्वारा मान्यता दिया गया है। सीएमपीडीआईएल के क्षेत्रीय संस्थान 1, क्षेत्रीय संस्थान–2 और क्षेत्रीय संस्थान–6 के पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं को एनएबीएल की मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहो है। वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल (मु) के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को सीपीसीबी की रिकोगनिशन दिलाई गई जो पाँच वर्षों के लिए वैद्य है।

सीएमपीडीआईएल मुख्यालय में एक आधुनिकतम सीबीएम प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जिससे सीबीएम मिल गैस से संबंधित अध्ययन के बारे में सभी पारामेट्रिक डाटा तैयार करने, रिजरवायर का गुण निर्धारण तथा सीबीएम एवं शेल गैस संसधन का मूल्यांकन करना सहज हो गया है। सीएमपीडीआईएल की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआईएल तथा सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

2008 से अब तक 5 घन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली सीआईएल के सभी खुली खदान कोयला खान के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलॉस वार्षिक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से कम उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है।

वाशरी की स्थापना में वैचारिक (कंसेप्चुअल) रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य प्रदान करने तदुपरांत ड्राईंग की संवीक्षा करने तक कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को तकनीकी सहायता दी गईं सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया की संबंधित अनुषंगी कंपनियों को 18 वाशरियों के लिए एनआईटी सुपुर्द किया। बीसीसीएल के अनुरोध पर इन 18 वाशरियों में से क्लीन कोल के 14 प्रतिशत राख के स्तर वाली घुले कोयले के लिए मूनीडीह वाशरी (2.5 मी.ट. प्र.व.) हेतु फ्रेश एनआईटी तैयार कर बीसीसीएल को भेज दिया गया है।

''थ्रो अवे रिजेक्ट्स के निपटान के लिए मॉनीटरिंग मैकेनिज्म के डिवाइजिंग हेतु औ खान रिक्ति और/अथवा अन्य निम्न क्षेत्रों में पड़ने वाले पर्यावरणिक रूप से उपयचुक्त तरीके से थ्रो अवे रिजेक्ट्स के निपटान के लिए स्टर्ण्डड आपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाकर इसके तापीय मूल्य के संदर्भ में थ्रो अवे कोल वाशरी रिजेक्टस की डिफाइनिंग'' पर एक समिति की रिपोटई तैयार कर जून, 2019 में एमओसी को सौंप दिया गया है। पर्यावरणिक

रूप से अनुकूल तरीके से वाशरियों से उत्पन्न अपशिष्टों के उपयोग/निपटान के लिए इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं से समान नीति अपनाने में मदद मिलेगी। सीएमपीडीआईएल द्वारा 22 फरवरी, 2020 को सीएमपीडीआईएल, राँची में ''कोयला परिष्करणः अप्टीमाइजेशन ऑफ क्लीन कोल ईल्ड एट लोवर एश प्रतिशत'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सीएमपीडीआईएल कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीबीएम के व्यवााायकि विकास के लिए सीआईएल लीज होल्ड एरिया में सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरूआत में तीन सीबीएम ब्लॉकों, मुख्यतः (I) झरिया सीबीएम ब्लॉक–I (बीसीसीएल एरिया) II रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल क्षेत्र) एवं (III) सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया) की पहचान की है। झरिया सीबीएम–I ब्लॉक (बीसीसीएल क्षेत्र) और रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया) के परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट को एमडीओ मोड के जरिए इसके लीज होल्ड एरिया के लिए सीबीएम के कर्षण के लिए संबंधित सबसिडियरी बोर्ड द्वारा सिद्धांत्तः अनुमोदित किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया कि सीएमपीडीआईएल संबंधित सबसिडियरी/लीजी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के तहत मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) होगा। कुल मिलाकर कोयला खनन से पूर्व सीबीएम के कर्षण के कारण गैसी सीमों से भविष्य में सुरक्षित कोयला खनन में सहायता करेगा। झरिया कोयला क्षेत्र में मूनीडीह भूमिगत खान (बीसीसीएल) में काम माइन मीथेन ड्रेनेज पर एक प्रदर्शन परियोजना को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। कोयला मंत्रालय ने भारत में भूमिगत कोल को नोडल एजेंसी बनाया है। आईएमसी की द्वितीय बैठक में इस उद्देश्य के लिए सात कोयला और सात लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान की जा चुकी है। भारत में यूसीजी के विकास को आगे और सुविधानजक करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन हेतु मॉडल कंट्रैक्ट डाक्यूमेंट एवं मॉडल बिड दस्तावेज तैयार कर अक्टूबर, 2019 में आईएमसी द्वारा अनुशंसा की जा चुकी है। यूसीजी विकास की नीति (पॉलिसी) को कोयला मंत्रालय द्वारा भी अधिसूचित किया जा चुका है।

कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी के जरिए 2030 तक लगभग 50 मीटीपीए उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सर्फेस कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी विचार किया गया है। सीएमपीडीआईएल ''कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट'' के लिए कोयला खानों की उपयुक्तता का परीक्षण करने तथा संबंधित सबसिडियरी द्वारा चिन्हित कोयला खानों के लिए परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी को सरल बनाने के लिए अपनी सेवाओं में बढ़ोत्तरी करेगा।

कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की आरएंडडी बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत अनुसंधान क्रिया–कलापों में समन्वय के लिए भी सीएमपीडीआईएल को नोडल एजेंसी बनाया है। वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनाओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षित वर्किंग स्थिति, बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है, जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर प्रत्यक्ष रूप से टैन्जीबल प्रभाव पड़ा है, तथा कुछ अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित माइन प्लानिंग, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाओं को मजबूती मिली है। पुनरूद्धारित खुली खदान कोयला खानों में सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिया–कलाप, आन–लाइन कोयला धोवन क्षमता विश्लेषक, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेबिलिटि, आपरेशन के लिए सेल्फ–एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एजे सवोर्ट्स (एसएजीईएस), आदि जैसे समस्या से युक्त भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए भिन्न–भिन्न डिजाइन/क्रिया–विधि/प्रक्रिया विकसित की गई है।

कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए लाभदायक आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान एवं शैक्षक संस्थानों, कोल/लिग्नाइट उत्पादक कंपनियों को अधिक–से–अधिक शामिल करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा लगातार

प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 29 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के अधीन हैं।

सीएमपीडीआईएल आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 270001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है। सीएमपीडीआईएल और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को संशोधित नए आईएसओ 9001:2015 मानक की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिया गया है। सीएमपीडीआईएल प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली में दो नए मानक आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, तथा आईएसओ 27001:2013 तथा आईएसओ 50001:2011 शामिल है।

सीएमीपडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सरवर की स्थापना की है, जिसके जरिए सीआईएल और एमओसी द्वारा आनलाइन मॉनीटर किया जा रहा है। संपूर्ण कोल इंडिया लि. के लिए ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के कार्य को भी सीएमपीडीआईएल को सौंपा गया है सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एमपीएलएस कनेक्टीविटि की स्थापना सबसिडियरी मुख्यालय, सीआईएल, नई दिल्ली, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता, आईआईसीएम और एनईसी में की गई है ई–आफिस सभी स्थानों में कार्य कर रहा है।

1.3.10 सीएमपीडीआईएल और कोल इंडिया के बीच एमओयू:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 तक के स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा खराब 4.51 से 5.0 तक दिया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम है तथा अपने सिन्डकेट में प्रथम वित्तीय वर्ष 2015–16 से ग्रेडिंग सिस्टम को 5 प्वाईंट स्केल से बदलकर प्रतिशत प्रणाली में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सीएमपीडीआईएल को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग दिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमओयू का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन जारी है।।

1.3.11 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सघनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में विस्तृत गवेषण क्षमता बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंधित होने से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है
- कंपनी अधिनिमय के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर की अध्यक्षता में सीएमपीडीआईएल में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

1.3.12 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआईएल के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- निर्बाध रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार उपलब्ध है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।

- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन किया गया मुख्य कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.13 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआईएल के कर्मियों का वेतन, मजदूरी तथा लाभ का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों केलिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआईएल अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सत्त् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग (पोर्सन) में शामिल किया गया है।।

1.3.14 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की आय मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय अन्य आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 1287. 57 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल आय 1403.01 करोड़ रू. है, इस प्रकार कुल वृद्धि 8.97 प्रतिशत दर्ज की गई। कुल व्यय 1090.39 करोड़ रू. है (ओसीआई का कुल)।

आयकर व्यय में आयकर अधिनियम, यथा संशोधित के संबंधित प्रावधान के अनुसरण में परिकलित वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय या क्रेडिट शामिल है। वर्तमान कर के लिए प्रावधान की पहचान भत्ते तथा आयकर अधिनियम के अनुरूप छूट के लिए अनुमानित कर देयता के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति तथा देयता की पहचान समय अंतराल कारण भावी कर परिणाम के लिए किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर विनियमन का उपयोग कर इनका पता लगाया जाता है। कर के दर के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के परिवर्तन वाले संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। अग्रेषित हानि के मामले में आस्थगित कर की पहचान उस सीमा तक की जाती है कि वर्चुअल निश्चितता हो जहाँ पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगा, जिसके विरूद्ध इस तरह की आस्थगित कर परिसम्पत्ति की वसूली की जा सके।

गत वर्ष के 263.82 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में 312.62 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर से पूर्व लाभ हुआ जो 48.80 करोड़ रू. ज्यादा है। गत वर्ष के लिए 173.27 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) की तुलना में कर पश्चात् लाभ 193.39 करोड़ रू. (ओसीआई को छोड़कर) कर पश्चात् लाभ है। 20.12 करोड़ रू. अधिक है।

1.4.0 सीएमपीडीआईएल का वित्तीय पर्यावलोकन

वर्ष के दौरान कंपनी को 193.39 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

	योग्यता मानदण्ड	सीएमपीडीआईएल की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
1.	कर पूर्व लाभ (करोड रू. में)	120.82	263.82	312.62
2.	कर बाद लाभ (करोड रू. में)	80.83	173.27	193.39
3.	टर्न ओवर (करोड रू. में)	1154.75	1274.56	1381.31
4.	टर्न ओवर के लिए कर पूर्व लाभ (प्रतिशत)	10.46	20.69	22.63
5.	प्रतिशयर अर्जन (रूपये में)	2122.64	4550.16	5078.52

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–IV के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए टिप्पणी पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण ओर सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–V में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रू. की तुलना में 150 करोड़ रू. है। पूंजीगत भंडार 18.57 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व 22.37 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 484.06 करोड रू. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 550.80 करोड़ रू. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 329.55 करोड़ रू. तथा चालू देयताएं 424.63 करोड रू. है।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 174. 12 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति (कुल) 78.25 करोड़ रू., अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 285.71 करोड़ और चालू परिसंपत्ति 1057.35 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य व्यय 1403.01 करोड़ रू. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 193.39 करोड़ रू. है। प्रति शेयर अर्जन 5078.52 रू. (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2018 तक का पूँजीगत व्यय

(करोड़ रू. में)

	2018-19	2019-20
भूमि एवं भवन	2.03	7.18
प्लांट एवं मशीन	10.77	13.17
कार्यालय उपकरण	0.14	1.28
फर्नीचर	1.90	1.91
टेलीकाम	0.14	0.03
वाहन	0.44	1.43
साफ्टवेयर	2.94	6.95
कुल	**18.36**	**31.95**

1.4.5 अंतरिम लाभांश की घोषणा :

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में पहला अंतरिम लाभांश की घोषणा की जिसका आधार दिसम्बर, 2019 की अवधि के लिए कार्यकारी परिणाम तथा 27.11 करोड़ रू. अर्थात् 712.00 प्रतिशेयर (लाभांश) 3,80,800 दिया गया। कर पश्चात् चालू वर्ष का लाभा 1000/– प्रत्येक (शेयर का अंकित मूल्य) का इक्विटि शेयर तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 31.12.2019 तक कंपनी के प्राक्कलित लाभ एवं आनि में अधिशेष को घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार कारपोरेट डिविडेंट टैक्स (सरचार्ज एवं सेस सहित) का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया।

1.4.6 31.03.2020 के बाद मेटेरियल परिवर्तन

मेटेरियल और कमिटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से सम्बद्ध हो।

1.5 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–3 में संलग्न किया गया है।

1.6. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसरीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालन करता हो, को सुनिश्चित करना है।

कारपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति बनाई है :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहित (कोड आफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.7 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क). निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख). निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2020 के अनुसार सीएमपीडीआईएलके निदेशक मंडल में 10 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा (3) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित (3) स्वतंत्र निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा शेष (2) स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्ति की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2020 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख. कार्यकारी निदेशक

1. श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा
2. श्री रवीन्द्र नाथ झा
3. श्री अनिल कुमार राणा
4. श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री विनय दयाल
2. डा. अनिंद्य सिन्हा

III. गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय
2. श्रीमती अलका पांडा
3. श्री प्रमोद सिंह चौहान

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री अजितेश कुमार

ग). आयोजित बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की रेख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दस (10) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	223वीं	21.05.2019	मंगलवार	सीआईएल, नई दिल्ली
2.	224वीं	29.05.2019	बुधवार	सीआईएल, नई दिल्ली
3.	225वीं	29.06.2019	शनिवार	दार्जिलिंग
4.	226वीं	29.07.2019	सोमवार	सीआईएल, नई दिल्ली
5.	227वीं	18.09.2019	बुधवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
6.	228वीं	29.10.2019	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
7.	229वीं	09.11.2019	शनिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	230वीं	28.12.2019	शनिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
9.	231वीं	27.01.2020	सोमवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
10.	232वीं	17.03.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ). निदेशक मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	10	10	हाँ
2.	श्री के.के. मिश्रा	10	9	हाँ
3.	श्री आर.एन. झा	10	10	हाँ
4.	श्री ए.के. राणा	6	4	–
5.	श्री सतेन्द्र कु. गोमास्ता	1	1	–
6.	श्री बी.एन. शुक्ला	2	2	–
7.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	4	2	–
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
8.	श्री विनय दयाल	10	7	हाँ
9.	डा. अनिंद्य सिन्हा	10	10	-
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
10.	डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	7	7	–
11.	श्रीमती अलका पांडा	7	6	–
12.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	5	5	–
13.	श्री राजेंदर प्रसाद	7	7	हाँ
14.	डा. देबाशीष गुप्ता	7	7	हाँ

क्रम संख्या – 8 कोल इंडिया द्वारा 09.11.2017 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

क्रम संख्या – 9 कोयला मंत्रालय द्वारा 5.2.2018 से सरकारी–नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।

ङ) (ii) 31 मार्च, 2020 के अनुसार रूचि का प्रकटीकरण

क्र. सं	निदेशकों के नाम	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री शेखर सरन	शून्य	–
2.	श्री के.के. मिश्रा	महानदी कोलफील्ड्स लि.	निदेशक
3.	श्री आर.एन. झा	शून्य	–
4.	श्री ए.के. राणा	शून्य	–
5.	श्री सतेन्द्र कु. गोमास्ता	शून्य	–
अंशकालीन सरकारी निदेशक			
6.	श्री विनय दयाल	1. कोल इंडिया लि. 2. कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड 3. तालचर फटिंलाइजर लिमिटेड 4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 5. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	1. निदेशक 2. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक 3. निदेशक 4. निदेशक 5. निदेशक
7.	डा. अनिंद्य सिन्हा	शून्य	.–
अंशकालीन गैर-सरकारी			
8.	डॉ० कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	शून्य	.–
9.	श्रीमती अलका पांडा	शून्य	.
10.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	1. अष्ट विनायक रिलेटर्स प्रा.लि. 2. प्रिंस शेल्टर्स प्रा. लिमिटेड	1. निदेशक 2. शेयर होल्डर

च). बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पूंजी एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्य–निष्पादन की आवधिक संवीक्षा,
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सांविधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रम–शक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

1.8 निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलाशने वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण किया और कोल सिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की । उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू) से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआईएल में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने ईस्टर्न जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि स्थाई सदस्य के रुप में कोल इंडिया के निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति बनी रहती है।

वे 01.01.2016 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक है और दिनांक : 18.04.2019 से 02.08.2019 तक बीसीसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं।

श्री बिनय दयाल (**डीआईएन 07367625**) कोल इण्डिया के निदेशक (तकनीकी) है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआईएल का प्रभार ग्रहण किया। वे दिनांक : 01.12.2015 से 11.10.2015 तक सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी), (आयोजन एवं अभिकल्पन) रहे।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें माँद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित ''इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाईट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल'' की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआईएल की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआई) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 09.11.2017 से सीएमपीडीआईएल के सरकारी अंशकालीन निदेशक नियुक्त किए गए।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

डा0 अनिंद्य सिन्हा (**डीआईएन 08069992**) खनन अभियांत्रिकी में स्नातक और कोयला खानों को मैनेज करने के लिए फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी धारक हैं और इन्होंने पोलैंड से डाक्टरेट की उपाधि हासिल की है तथा इन्हें भारत और विदेश में कोयला क्षेत्र में 33 (तैंतीस) वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनके अनुभव में कोल इंडिया लिमिटेड के बीसीसीएल एवं एमसीएल के भुमिगत एवं खुली खदान खानों दोनों के संचालन तथा प्रबंधन का 10 वर्षों का अनुभव, अकादमिक अनुसंधान एवं विकास का तीन वर्षों का अनुभव, सीएमपीडीआईएल में माइन प्लानिंग एंड डिजाइन का 20 वर्षों का अनुभव, और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के एनर्जी फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पालिसी प्लानिंग में 4 महीनों का अनुभव शामिल है।

डा0 सिन्हा वर्तमान में कोयला मंत्रालय भारत सरकार में परियोजना सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तरीय पद) के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। उनके अनुभव में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला और लिग्नाइट के लिए पूंजीगत बजटिंग, गवेषण पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन का मूल्यनिर्धारण, मौस बदलाव से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए परिप्रेख्य योजना का विकास, कोयला धुलाई, कोयला गैसीकरण, यूसीजी,सीटीएल सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास, कोयला इवाक्यूएशन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है।

डा0 सिन्हा 1984 में खनन अभियंत्रण में स्नातक हैं और भारतीय खनिविद्यापीठ से 1986 में स्नातकोत्तर पूरा किए हैं। अपने बैच के टॉपर होने तथा आईएसएम में पुरस्कार/स्कोलरशिप प्राप्त करने के अलावे उन्हें एमजीएमआई के पिकरिंग मेडल तथा आईएसएम के गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उसके बाद वर्ष 1993–96 के दौरान यूनिवर्सिटि ऑफ साईंस एंड टेक्नोलॉजी (एजीएच), क्रेकाव, पोलैंड में पोलिश सरकार के फेलोशिप (यूपीएससी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए चयनित) के तहत अपनी डॉक्टरल की पढ़ाई पूरी की। उनका रिसर्च भूमिगत कोयला खानों के खान संवातन और वायु की स्थिति पर था, इसी दौरान उन्होंने पोलैंड के कुछ सर्वोत्तम लौंगवाल खानों के बारे में पढ़ाई कर उन खानों का दौरा किया। उस अवधि के दौरान अनेक अनुसंधान पेपर के प्रकाशन के अलावे वे पोलिश एकेडमी ऑफ साईंस (पीएएन), पोलैंड के तत्वावधान के तहत माइन वेंटीलेशन साफ्टवेयर पैकेज के को–डेवलपर भी रहे। तदनन्तर वर्ष 2008 में उन्होंने एशियन इंस्टीचयूट ऑफ मैनेजमेंट (एआईएम), मनीला, फिलिपिन्स में प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (पीपीडीएम) कोर्स में भाग लिया।

डा0 सिन्हा, ईआईए/ईएमपी की तैयारी के लिए क्यूसीआई–एनएबीईटी एक्रीडिटेड ईआईए को–आर्डिनेटर तथा खनन योजना/ खान बंदी योजना की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय के एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति (आरक्यूपी) हैं। खनन क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनयर्स (इंडिया) ने वर्ष 2017 में खनन के क्षेत्र में ''एमीनेन्ट इंजीनियर अवार्ड'' प्रदान किया।

डा0 सिन्हा ने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न समितियों/वर्किंग ग्रुप का कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। और व्यावसायिक कार्य से संबंधित कार्यों के लिए पोलंड, स्पेन सहित विभिनन देषों का दौरा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला क्षेत्र से संबंधित नीति और मुद्दों पर अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीचयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एमजीएमआई) आदि के आजीवन सदस्य हैं।

डा0 सिन्हा 05.02.2018 से सीएमपीडीआईएल के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा (डीआईएन 08256429) वर्ष 1985 में आईएसएम (अभी आईआईटी), धनबाद से खनन अभियांत्रिकी में बीटेक में स्नातक हैं और अपने बैच के अंतिम वर्ष में द्वितीय टॉपर रहे। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से वर्ष 1989 में भारतीय खनि अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी प्राप्त किए। उन्होंने पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी से 2012 में एमबीए किया। उन्होंने माइन्स रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे एमजीएमआई के सदस्य और इंस्टीट्शन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो हैं।

उन्होंने एसईसीएल के सोहागपुर क्षेत्र के अमलई कालियरी में वर्ष 1985 में कोल इंडिया में योगदान दिया और 1993 तक अमलई कोलियरी में मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी के तहत जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी (जेट) से विभिनन पदों पर योगदान दिया। वे मार्च 2000 तक न्यू अमलई यूजी माइन के साथ–साथ अमलई ओसीपी, बरहार संख्या–1 यूजी खान के माइन मैनेजर के रूप में कार्य किया। जोहिला क्षेत्र में उनके स्थानान्तरण के पश्चात् उन्होंने नवम्बर, 2002 तक यंत्रीकृत पिनौरा यूजी माइन के मैनेजर के रूप में 0.90 लाख टी/प्रतिवर्ष से 2.50 लाख टी/प्रतिवर्ष पिमौरा यूजी खान के प्रबंधक के रूप में उत्पादन में 2.60 लाख टी/प्रतिवर्ष से 3.10 लाख/टी/प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

नवम्बर, 2002 में एमसीएल में उनके स्थानांन्तरण के बाद उन्होंने बेलपहाड़ ओसीपी, बसुंधरा ओसीपी, हिंगुला ओसीपी के प्रोजेक्ट आफिसर रहे, इसके अतिरिक्त जून, 2010 तक भरतपुर क्षेत्र के एडिशनल महाप्रबंधक रहे। उनके योग्य प्रबंधकीय और लीडरशिप गुणों के कारण उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही और सभी परियोजनाओं में प्रेषण भी होता रहा और इसी प्रकार बेलपहाड़ और वसुंधरा ओसीपी में दुगुना से भी अधिक वृद्धि हुई।

जून, 2010 में सीसीएल में उनके स्थानान्तरण के बाद उन्होंने जुलाई, 2012 तक अशोका ओसीपी के परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किए, तथा 2010–11 के दौरान 8.00 मीलियन टन कोयला की उपलब्धि रही जो अशोका ओसीपी के इतिहास में सर्वाधिक थी।

उन्होंने जुलाई, 2012 से सितम्बर, 2014 से कथारा एरिया (सीसीएल) के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया और उनके कार्यवधि में बदला और 1.92 मी.ट.प्र.व. से बढ़कर 3.00 मी.ट.प्र.वर्ष हुआ जो कि कथारा एरिया के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन था। उन्होंने अक्टूबर, 2014 से अप्रैल, 2018 तक नार्थ कर्णपुरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया और उनके कार्यवधि के दौरान क्षेत्र में उत्पादन 3.89 मी.ट.प्र.वर्ष से बढ़कर 7.03 मी.ट.प्र.वर्ष हुआ जो एन.के.एरिया के इतिहास में उच्चतम उत्पादन था। चुरी भूमिगत खान में हायरिंग आधार पर मास प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी (कंटीन्यूअस माइनर) को लागू किया गया। उन्होंने 27.4.2018 से 10.10.2018 से पिपरवार एरिया के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उनके पास क्षेत्र क्रिया–कलापों, तकनीकी कार्य, सुरक्षा, मैनपावर मैनेजमेंट, वित्त, पर्यावरण, गुणवत्ता प्रबंधन, भू–अर्जन, पुनर्वास एवं सेटलमेंट आदि से सहित उत्पादन, मार्केटिंग एवं सेल्स, वाशरी, प्लानिंग, प्रबंधन एवं खानों के संचालन का गहरा ज्ञान और अनुभव है। उन्होंने गाँवों और बेलपहाड़ ओसीपी, बसुंधरा ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, अशोका ओसीपी (थेना एवं बिजैन गाँव) के घरों और एन.के.एरिया (जेहली टाँड़, कुटकी, हेंजदा और देम्बुआ गाँवों) को शिफ्ट कराया।

उन्होंने माननीय भारत के राष्ट्रपति के हाथों से 2013 में कथारा एरिया के स्वांग एवं गोविंदपुर भूमिगत के लिए नेशनल सेफ्टी अर्वाड प्राप्त किया। उन्हें 1 नवम्बर, 2017 (कोल इंडिया स्थापना दिवस) पर सचिव (कोयला) द्वारा सर्वोत्तम एरिया महाप्रबंधक से नवाजा गया। उन्होंने सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक एवं स्पोर्ट्स गतिविधि, ग्राम कल्याण कार्यक्रम आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने 2006 में टोक्यो (जापान) में ''क्लीन कोल टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट'' पर 3 सप्ताह के

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और लास वेगास में माइन एक्सपो– 2012 में भी भाग लिया तथा पियूरिया (शिकागो) में कैटर पिलर के मेन्युफैक्चरिंग फैसिलिटिज का दौरा किया और सितम्बर, 2012 में यू.एस.ए. के गोमिंग स्टेट में जिलेट में ओपेन कास्ट कोल माइन (ब्लैक थंडर) का भी दौरा किया। मई, 2014 में ओंवरसीज मॉड्यूल के साथ–साथ डोमेस्टिक मॉड्ल को शामिल करते हुए आईआईएम, कोलकाता द्वारा आयोजित एडवांस मैनेजमेंअ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तथा तद्नुसार स्वीडेन में ''स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स'' तथा जर्मनी में '' फ्रैंकुर्ट स्कूल ऑफ फाइनांस एंड मैनेजमेंट''में भाग लिया।

उन्होंने 11.10.2018 से सीएमपीडीआईएल में निदेशक (टेक्नीकल/प्लानिंग एंड डिजाइन) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने नवम्बर, 2018 में ब्रिसबेन (आस्ट्रेलिया) का दौरा किया तथा टेक्नीकल को–ऑपरेशन इन माइनिंग, जियोलॉजी और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु सीएमपीडीआईएल की ओर से सिसरो (सीएसआईआरओ) के साथ एक एमओयू किया। उन्हें 21.02.2019 से 7.5.2019 तक निदेशक (तकनीकी) बीसीसीएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वे दिनांक : 24.06.2019 से 29.04.2020 तक एमसीएल के निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार में रहे।

दिनांक : 11.10.2018 से उनकी नियुक्ति सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी) (अभियंत्रण सेवाएँ) में की गई।

श्री रवीन्द्र नाथ झा (डीआईएन 05195902) भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से 1985 में खनन अभियांत्रिकी से स्नातक हैं। इन्होंने 1990 में डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर कम्पीटेंसी सर्टिफिकेट (कोल) प्राप्त किया है। ये एक प्रमुख क्वालिटि सिस्टम ऑडिटर भी हैं। और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक हैं।

इन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत भारत के सबसे गहरे कोयला खान, ईसीएल के चिनाकुरी के पिट–1 एवं 2 से की है। इन्होंने स्टोविंग माइन सहित लौंगवाल में भी कार्य किया है। ईसीएल में 7 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद वे 1992 में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीएमपीडीआई और इसके विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के परियोजना मॉनीटरिंग/एप्रेजल डिविजन, खुली खदान खनन, भूमिगत खनन और पर्यावरण विभागों में कार्य किया है।

इन्होंने जनवरी, 2012 में निदेशक (तकनीकी) के रूप मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में योगदान दिया।

- एमईसीएल को उनकी कार्य अवधि में मिनीरत्न (श्रेणी–II) कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- एमईसीएल 25 वर्षों के अंतराल के बाद 2014 में भारत सरकार को डिविडेंट (लाभांश) देना शुरू किया।
- एमईसीएल ने वर्ष 2012 में डीआरडीओ के लिए चुमाथन (लेह के निकट) में एक भू–तापीय परियोजना सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- इनके कार्यअवधि में वेधन वर्ष 2012 में 2.96 लाख मीटर से बढ़कर वर्ष 2018 में 6.32 लाख मीटर हो गया और पीएटी (PAT) रू.10 करोड़ से पढ़कर रू. 95 करोड़ हो गया।
- एमईसीएल मार्च, 2018 में तीसरा वेतन समझोता करने वाली पहली पीएसयू है।
- एमईसीएल ने माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयला और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा फरवरी, 2018 में मिनी रत्न पीएसयू के बीच सर्वोत्तम वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा ''हिन्दुस्तान रत्न'' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- इन्होंने फरवरी, 2018 में, मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआर कांग्रेस द्वारा एचआर ओरिएंटेशन सहित सीईओ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट माइनिंग से संबंधित विभिन्न समितियों में एमईसीएल और

खान मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ये कनाडा, दुबई, पेरू आदि देशों का दौरा किया और मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से संबंधित अनेकों तकनीकी आलेख प्रस्तुत किए।

सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी/रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी) के रूप में 30.01.2019 को उनकी नियुक्ति हुई।

श्री अनिल कुमार राणा, (डीआईएन 08531295) वर्ष इन्होंने आईटी. बीएचयू से 1985 में स्नातक किया और ये भारतीय खान अधिनियम के तहत फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कम्पीटेंसी धारक है। इन्होंने ला एंड डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस में डिग्री प्राप्त की है।

इन्होंने 1985 में सीएमपीडीआईएल ज्वाईन किया। अपने कैरियर के आरंभिक वर्षों में डब्ल्यूसीएल के दुर्गापुर रायतवारी खान और बीसीसीएल के सुदामडीह इनक्लाइन माइन में कार्य किया। वे निम्नलिखित कार्यों में शामिल रहे हैं :

- अन्य संगठनों के साथ–साथ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान) तथा परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
- भूमिगत धात्विक खानों के लिए परामर्श सेवा
- एमडीओ के जरिए खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए बोली प्रक्रिया दस्तावेज (बीड प्रोसेस डॉक्यूमेंट) की तैयारी
- ''काल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना, ''कोल विजन 2025'', और ''कोयला ब्लॉकों की स्थिति पर रिपोर्ट'' जैसे नीति संबंधित रिपोर्ट को बनाना।
- इन्होंने कोयला ब्लॉक निलामी (कॉक्शन) के लिए एमओसी/नामिनेटेड अर्थारिटि को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे सीआईएल आरएंडडी 3 परियोजनओं के लिए प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेटर भी रहे हैं।
- उन्होंने यूएसए, पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के भुमिगत और खुली खदान खानों का दौरा किया। विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन के संदर्भ में स्वीट्जरलैंड, पोलैंड और आस्ट्रेलिया का भी दौरान किया।

निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण करने के पहले ये महाप्रबंधक (सीबीएम) के पद पर कार्यरत थे। जहाँ इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सीबीएम ब्लॉक को चालू करने की प्रक्रिया की शुरूआत करने का श्रेय जाता है।

कोल इंडिया स्थापना दिवस पुरस्कार, 2018 के अवसर पर कोल इंडिया द्वारा इसे सर्वोत्तम महाप्रबंधक के पुरस्कार से नवाजा गया।

इन्हें 1.8.2019 से सीएमपीडीआईएल निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) (आयोजना एवं डिजाइन) के पद पर नियुक्त किया गया।

श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता (डीआईएन- 08714820) ने वर्ष 1984 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर से खनन अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 1989 में फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी उत्तीर्ण की है। इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 1984 में डब्ल्यूसीएल से कोयला उद्योग में की। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के सबसिडियरी कंपनियों मुख्यतः डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल और एनसीएल में विभिन्न क्षमता वाले भूमिगत और खुली खदान खनन में कार्य किया है। उनका खुली खदान खानों में 16 वर्षों तथा भूमिगत खानों में 18 वर्षों का व्यापक खनन अनुभव से कोयला खनन उद्योग के साथ–साथ सीएमपीडीआई को व्यापक लाभ मिलेगा।

उन्होंने उच्च प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए इन्होंने वर्ष 2014 में स्वीटजरलैंड तथा फ्रांस का दौरा किया। श्री सतेन्द्र कुमार गोमास्ता ने दिनांक : 25.2.2020 को सीएमपीडीआईएल के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किए। इसके पहले ये नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में महाप्रबंधक (खनन) के पद पर कार्यरत थे।

दिनांक : 25.2.2020 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) (कोयला संसाधन विकास) के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय (डीआईएन 06706962) रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से 1990 में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि हासिल की तथा 1996 में आगरा विश्वविद्यालय से1996 में पीएचडी की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, दिल्ली प्रशासन तथा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में शिक्षण का कार्य किया।

ये वर्ष 2015 से 2017 तक पंचनंद रिसर्च इंस्टीच्यूट एंड एडिटिंग पंचनंद रिसर्च मैगजीन में, वर्ष 2016 से 2018 तक मासिक समाचार पत्रिका माखनलाल चवतुर्वेदी नेशनला जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल के एडिटर–इन–चीफ रहे। वर्ष 2007 से 2019 तक इंडियन हेरिटेज मैगजीन में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ संस्कृत (भारत सरकार) में ट्रेनिंग कैम्प के को–आर्डिनेटर भी रहे।

इन्होंने वर्ष 1996 से 2007 तक नेशनल कंजक्शन ऑफ भारत संस्कृत परिषद् के प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया तथा वर्ष 2015–2017 तक इन्द्रप्रस्थ साहित्य भारती, दिल्ली में महासचिव के रूप में सेवा दी।

इन्होंने ऑल इंडिया विद्या परिषद् एंड विज्ञान भारती के विभिन्न विषयों तथा रचनाओं पर लगभग 200 आलेख लिखा तथा 7 पुस्तकों का प्रकाशन किया।

वर्ष 1988 में दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें संस्कृत समरादक सम्मान से नवाजा गया। इन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार तथा 2015 में समाज रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2015 में अटल साहित्य पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में वे प्रसार भारती में पब्लिक प्रॉपर्टी कंजरवेशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर (सलाहकार) हैं।

वे पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों के पारंपरिक रूप से प्रचलित लोक संगीत का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने लोक साहित्य तथा भारतीय शिक्षा पद्धति (प्रणाली) पर लिखते रहे हैं।

इन्हें 10.07.2019 से सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्रीमती अलका पण्डा (डीआईएन 08524514) 1983 बैच के उड़िसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने राजस्थान, जयपुर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। अपनी सेवा–काल में उड़ीसा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग तथा जनजाति कल्याण विभाग में सचिव का पद सम्हाला। भारत सरकार में 2010 में प्रतिनियुक्ति के पहले ये उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थीं। सचिव, भारत सरकार के समतुल्य रैंक में डायरेक्टर जेनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंर्डड, नई दिल्ली के रूप में जुलाई, 2017 में सेवा–निवृत हुईं।

सीएमपीडीआईएल बोड में गैर अंशकालीक सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 10.07.2019 को हुई।

श्री प्रमोद सिंह चौहान (डीआईएन 01308337) स्नातक उत्तीर्ण हैं तथा पेशे (व्यवसाय) से ये चार्टर्ड अकाउन्टेंट हैं।वे वर्ष 2014–15 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा में सीआईसीएसए अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2015–16 में दि इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया के सीआईआरसी के आगरा शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आगरा के प्रमुख प्रैक्टिशनर हैं और इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र अंकेक्षण, लेखा, आयकर एवं सीएसआर हैं। इन्होंने प्रिंस कारपोरेट सर्विस प्रा0 लि0 में निदेशक पद पर अपनी सेवाएँ दी हैं। वर्तमान में ये अष्ट विनायक रीयलटर्स प्रा0 लि0 के निदेशक हैं। ये एक प्रेरक वक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं एवं इनका लेख कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होता आ रहा है। ये

सिविल इन्क्लेव एयर पोर्ट ऑथरिटी, आगरा के सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

ये डा0 भीमराव अंबेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के ''इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट'' की योजना एवं सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

दिनांक 16.10.2019 सीएमपीडीआईएल के निदेशक–मंडल में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई।

श्री अजितेश कुमार :यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस एक्जमिनेशन 2005 के जरिए चयनित सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप–ए) सेवा के 2006 बैच से हैं। उन्होंने अपने बी–टेक (इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) की डिग्री गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर (उत्तराखंड) से ली।

उन्होंने 2008 में सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी आथरिटी, नई दिल्ली में ज्वाइन किया और 2016 तक हाइड्रोइलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन भी किया। वर्ष 2016 में उनकी नियुक्ति हिंडस–ऑन–एक्सपोजर टू वापर प्लांट आपरेशन के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) के लिए हुई और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के पावर हाउस में पदस्थापित रहे।

वर्ष 2017 में सीईए से लौटने के पश्चात् उनकी पदस्थापना पावर सिस्टम प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग डिवीजन में हुई जहाँ उन्हें वे राष्ट्रीय महत्व के टेरिफ आधारित बिडिंग स्कीम और अन्य ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से संबंधित मामले देखने का कार्य दिया गया।

वर्तमान में वे कोयला मंत्रालय में डिपुटी सेक्रेटरी के रूप में भारत सरकार के सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ दे रहे हैं और माइन एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) अधिनियम 1957 के तहत कोल/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी हैं।

दिनांक : 13.01.2020 से सीएमपीडीआईएल बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है।

1.9 सेक्शन 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

डा. कृष्ण चंद्र पांडेय, श्रीमती अलका पांडा और श्री प्रमोद सिंह चौहान कंपनी के स्वतंत्र निदेशक है। सभी स्वतंत्र निदेशक अपनी डयूटि करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी अधिनियम के सेक्शन, 149 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करने की घोषणा उपधारा में उपलब्ध कराए गए नियमों के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

1.10 क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कॉरपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक

पहलूओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।
   ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण।
   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टि (इन्ट्री)।
   घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।
   च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी

क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।
18. डिपोजिटर्स, डिवेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना ।

घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।

4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

1.11 गठनः

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष– (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री बिनय दयाल	सदस्य– (09.11.2017 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	डा. अनिंद्या सिन्हा	सदस्य– (09.03.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य– (10.07.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य– (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
6.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य– (29.05.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

विभागाध्यक्ष (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

क) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान क्रमशः दिनांक : 21.5.2019, 29.05.2019, 28.06.2019, 29.07.2019, 18.06.2019, 29.10.2019, 27.01.2020 और 17.03.2020 के दौरान कुल आठ बैठकें आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	उनके कार्यावधि के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अंकेक्षक समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री बी.एन. शुक्ला	2	2
2.	श्री के.के. मिश्रा	6	6
अंशकालिक सरकारी सदस्य			
3.	श्री विनय दयाल	8	7
4.	डा. अनिंद्य सिन्हा	8	7
अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य			
5.	श्री राजेन्दर प्रसाद	6	6
6.	डा. देबाशीष गुप्ता	6	6
7.	श्रीमती अलका पांडा	4	3
8.	डा. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	4	4
9.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	2	2

1.12 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेस के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 9.11.2019 को आयोजित 229वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पांडा	अध्यक्ष (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य (10.07.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
4.	डा. अनिंद्य सिन्हा	सदस्य (12.5.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य (17.11.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा महाप्रबंधक (पीएंडए) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.13 सीएसआर कमिटीः

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआर कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष–(17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य–(10.07.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य–(17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य–(29.05.2019 से)	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री आर.एन. झा	सदस्य–(17.11.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

बैठक एवं उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 29.05.2019, 19.07.2019, 17.09.2019, 27.01.2020, तथा 17.03.2020 कुल 5 (पाँच) बैठकें आयोजित की गई। सीएसआर समिति की बैठकों में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	भाग लिए गए बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	अध्यक्ष–(17.11.2019 से)	2
2.	डा. कृष्ण चन्द्र पांडेय	सदस्य–(10.07.2019 से)	3
3.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य–(17.11.2019 से)	3
4.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य–(29.05.2019 से)	5
5.	श्री आर.एन. झा	सदस्य–(17.11.2019 से)	3
6.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष– (11.12.2018 से 16.11.2019)	3
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य–(11.12.2018 से 16.11.2019)	3
8.	श्री ए.के. चक्रवर्ती	सदस्य–(21.05.2019 से 31.07.2019)	1

1.14 निदेशकों के पारिश्रमिक :

सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक का निर्णारण कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसियेशन/कोल इंडिया लि. के टर्म में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

क) कार्यकारी निदेशकः

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

(आंकड़े रू. में)

नाम	पदनाम	कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरपी अग्रिम /पीआरपी	चिकित्सा व्यय	कुल
श्री शेखर सरन	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3018840.00	1237806.00		1049941.00	529954.96	449748.00	89595.00	6375884.96
श्री के.के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी)	2874424.00	1167852.33		1000782.00	443014.00	516201.18	64410.00	6066683.71
श्री आर.एन. झा	निदेशक (तकनीकी)	2827686.70	1026601.20	16436.00	757355.00	403746.60		20896.00	5052721.50
श्री ए.के. राणा	निदेशक (तकनीकी)	2803543.00	872115.00	397276.00	980965.00		624211.00	299063.00	5977173.00
श्री एस.के. गोमास्ता	निदेशक (तकनीकी)								
श्री बी.एन. शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)	881330.00	346628.00		125931.00			8647.00	1362536.00
श्री ए.के. चक्रवर्ती	निदेशक (तकनीकी)	1107085.00	477028.00		491615.00		770374.00	247515.00	3093617.00

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकः

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

1. डा. अनिंद्या सिन्हा, परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
2. श्री बिनय दयाल, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनीत निदेशक है और उनका पारिश्रमिक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) स्वतंत्र निदेशक :

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फीस		कुल (रू. में)
		बोर्ड की बैठक (रू. में)	समिति की बैठक (रू. में)	
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	1,40,000	2,20,000	3,60,000
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	1,40,000	2,20,000	3,60,000
3.	डा. कृष्ण चंद्र पाण्डेय	1,40,000	1,80,000	3,20,000
4.	श्रीमती अलका पांडा	1,20,000	1,60,000	2,80,000
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	1,00,000	80,000	1,80,000
कुल				**15,00,000**

1.15 (i) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	2017-18 43वीं एजीएम	2018-19 44वीं एजीएम	2019-20 45वीं एजीएम
तिथि	31.07.2018	28.06.2019	27.07.2020
समय	पूर्वाह्न 10.30	अपराह्न 4.00	पूर्वाह्न.10.30
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	होटल मेफेयर, दार्जिलिंग	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.15 (ii) असाधारण आम बैठक :

विवरण	2017-18 10वीं इजीएम	2018-19	2019-20
तिथि	17.03.2018	शून्य	शून्य
समय	9.30 पूर्वाह्न		
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड		
विशेष संकल्प	बोनस शेयर का निर्गत		

1.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निम्न विषयों पर विचार करने हेतु साल में कम से कम एक बैठक करना है :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निष्पादन की संवीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार ले के संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी ड्यूटी कर सके, के लिए आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक दिनांक : 17.09.2019 को हुई।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	1
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	1
3.	डा. कृष्ण चंद्र पाण्डेय	1
4.	श्रीमती अलका पांडा	1
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	-

1.17 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) :

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शनः**

  कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से मेटेरियली सिग्नीफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

  सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

  संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधि नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है।

  धारा 188(I) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या अरेंजमेंट को **परिशिष्ट-VII** में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून क अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

  कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच :**

  यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

  व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ **परिशिष्ट IV** में संलग्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय जो अप्वाईंटिंग ऑथरिटि है को इससे अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आईईएम**

  कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी

पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सपोर्ट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण:**

  कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के **परिशिष्ट-II** के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट):**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया हे, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

  बुक ऑफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है तथा कंपनी के अंकेक्षकों ने इस तरह के किसी खर्च के लिए रिपोर्ट भी नहीं की है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

  वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेंसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

1.18 संचार के साधन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.19 कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टिप्पणियों को **परिशिष्ट VIII** में शामिल किया गया है।

1.20 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के बिजनेस मॉडल से पूर्णतः वाकिफ होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.21 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआईएल में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.22 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांकः 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 192वीं बैठक में किया गया तथा दिनांकः 18.9.2017 को आयोजित बोर्ड की 207वीं बैठक में इसे पुनर्गठित किया गया।

क) गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक करते हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डा. कृष्ण चंद पाण्डेय	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
4.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री आर.एन. झा	सदस्य	कार्यकारी निदेशक

ख) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक : 17.09.2019 को एक बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष–(28.06.2016 से 16.11.2019)	1
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सदस्य–(28.06.2016 से 16.11.2019)	1
3.	डा. कृष्णा चंद पाण्डेय	अध्यक्ष–(17.11.2019) सदस्य–(10.07.2019 से 16.11.2019)	1
4.	श्रीमती अलका पांडा	सदस्य–(10.07.2019)	1
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य–(17.11.2019)	-
6.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य–(18.09.2017 से 14.06.2019)	-
7.	श्री के.के. मिश्रा	सदस्य–(10.07.2019)	1
8.	श्री आर.एन. झा	सदस्य–(10.07.2019)	1

ग) जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम उप-समिति का गठन किया है और उप-समिति का गठन 31 मार्च, 2020 को किया गया जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति
1.	डी डी.डी. त्रिपाठी,	सीआरओ
2.	श्री रजनीश कुमार	सदस्य
3.	श्री यू. चटर्जी	सदस्य
4.	श्री राजीव दत्ता	सदस्य
5.	श्रीमती ममता टोप्पो	सदस्य

आरएससी की बैठक सीएमपीडीआईएल (मु.), रांची में आयोजित हुई। कमिटि द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार–विमर्श किया गया। यह भी विचार किया गया कि आरएमसी के समक्ष मानीटरिंग मेकेनिज्म को शामिल करते हुए संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति बनाई जाय।

आरएससी के अनुसार रिवाज्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पोस्ट सहित मानीटरिंग मैकेनिज्म बनाया गया है।

1.23 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोड :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआईएल द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिंग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआईएल के वेबसाइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.24 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआईएल के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआईएल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.25 निगमित शासन के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआईएल द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.26 की–मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की – मैनेजेरियल पर्सनल हैं:

श्री शेखर सरन	:	सीईओ
श्री के.के. मिश्रा	:	निदेशक
श्री आर.एन. झा	:	निदेशक
श्री ए.के. राणा	:	निदेशक
श्री एस.के. गोमास्ता	:	निदेशक
श्री बिनोद कुमार पाण्डेय	:	सीएफओ
श्री अभिषेक मुंधड़ा	:	कंपनी सचिव

1.27 सीएमपीडीआईएल में सीएसआर पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी ने दिनांकः 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2016–17

के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के **भाग ''ख''** में देखा जा सकता है।

1.28 वार्षिक रिटर्न

कंपनी का वार्षिक रिर्टन हमारे वेबसाइट लिंक **https://www.cmpdi.co.in/annualrpt.php** पर उपलब्ध है।

1.29 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय और आऊटगो को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है (**परिशिष्ट–I**)

1.30 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन :

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा 134(3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया हे, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 38. 08 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूलंकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य–निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों महिला निदेशक सहित के तीन महीने से अधिक की अवधि तक नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण और ड्रिलिंग

1.0.1 सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2019–20 में भी मुख्य रूप से सीआईएल और गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में कोयला गवेषण गतिविधियों को जारी रखा। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग/उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल ब्लॉकों में गवेषण किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में गवेषण भावी उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सरल बनाने के लिए किया गया था।

1.0.2 सीएमपीडीआईएल ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। विभागीय संसाधनों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर की उपलब्धि के मुकाबले, सीएमपीडीआईएल ने 2011–12 में 4.98 लाख मीटर (ग्यारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष), 2016–17 में 11.26 लाख मीटर (बारहवीं योजना का टर्मिनल वर्ष) और 2019–20 में 12.94 लाख मीटर की उपलब्धि हासिल किया है।

विभागीय ड्रिलिंग के क्षमता विस्तार के लिए, 7 नए हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किए गए हैं और जनवरी 2018 से अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तैनात किए गए हैं, जो ड्रिल की क्षमता को 71 तक बढ़ा दिया है, जिसमें 71 ड्रिल में से 26 ड्रिल हाइड्रोस्टेटिक हैं और 45 ड्रिल मैकेनिकल हैं।

1.0.3 2008–09 में कुल लगभग **40.00** लाख मीटर ड्रिलिंग वाले **101 ब्लॉकों** के काम को पुरस्कृत किया गया, जिसमें **61 ब्लॉकों** को शामिल किया गया है।

वर्ष 2019–20 में कुल लगभग **8.05 लाख मीटर** आउट सोर्सिंग के माध्यम से ड्रिल किया गया है, जिसमें से निविदा के माध्यम से **3.08 लाख मीटर**, एमओयू के माध्यम से **4.94 लाख मी.** एमईसीएल से तथा राज्य सरकार क्षरा **0.03 लाख मीटर** किया गया।

1.1 वर्ष 2019-20 में ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन:

1.1.1 सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों की विस्तृत गवेषण के लिए अपने विभागीय संसाधनों को लगाया जबकि ओडिशा राज्य सरकार ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त, ग्यारह अन्य संविदा एजेंसियों ने सीआईएल/गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए अपने संसाधनों को भी लगाया है। वर्ष 2019–20 में कुल 160 से 180 ड्रिल तैनात किए गए थे, जिनमें से 71 विभागीय ड्रिल थे।

सीएमपीडीआईएल ने **7 ब्लॉकों** में कोल सेक्टर (सीआईएल क्षेत्रों) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रमोशनल/एनएमईटी गवेषण कार्य की तकनीकी सर्वेक्षण जारी रखी। इसके अतिरिक्त, डीजीएम (नागालैंड) ने भी **1 ब्लॉक** और सीएमपीडीआईएल ने कोयला मंत्रालय की ओर से कोल सेक्टर में **3 ब्लॉकों** में प्रमोशनल गवेषण किया है। एमईसीएल द्वारा 5 ब्लॉकों में लिग्नाइट सेक्टर में प्रमोशनल/एनएमईटी गवेषण कार्य किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआईएल के माध्यम से **कोयला (0.82 लाख मीटर)** और लिग्नाइट (**0.34 लाख मी**) कुल **1.16 लाख मीटर** प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग किया गया था।

1.1.2 वर्ष 2019–20 में, सीएमपीडीआईएल और इसके संविदात्मक एजेंसियों ने **9 राज्यों** में स्थित **22 कोयला** क्षेत्रों के **132 ब्लॉकों/ खदानों** में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया है। **132 ब्लॉकों/ खदानों** में से, **62 गैर-सीआईएल/परामर्शी ब्लॉक** और **70 सीआईएल ब्लॉक/खानें** थी। ये कोयला क्षेत्र हैं रानीगंज (11 ब्लॉक/माइंस), राजमहल (20 ब्लॉक), झरिया (3 ब्लॉक), औरंगा (1 ब्लॉक), ई. बोकारो (1 ब्लॉक), नॉर्थ करनपुरा, रामगढ. (1 ब्लॉक), साउथ कर्णपुरा (4 ब्लॉक) , वर्धा घाटी (9 ब्लॉक), पेंच–कन्हान (3 ब्लॉक), काम्पटी (2 ब्लॉक), बंदर (1 ब्लॉक), (सोहागपुर (13 ब्लॉक), मांद रायगढ़ (29 ब्लॉक), कोरबा (30 ब्लॉक), सोनहट (3 ब्लॉक), टाटापानी–रामकोला– (6 ब्लॉक), सिंगरौली (9 ब्लॉक), तालचर (12 ब्लॉक), ईब वैली (8 ब्लॉक) और गोदावरी वैली (2 ब्लॉक), माकुम (1ब्लॉक)।

सीएमपीडीआईएल के विभागीय ड्रिल द्वारा **69 ब्लॉकों/खदानों** में गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया जबकि **63 ब्लॉकों/खदानों** में संविदात्मक एजेंसियों द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया गया है।

1.1.3 प्रोमोशनल/एनएमईटी (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत, एमईसीएल ने 7 कोयला ब्लॉकों (मांद रायगढ़ = 2, सिंगरौली =1, ईब वैली = 1, हसदेव अंडर = 1, सोहागपुर = 1 और गोदावरी वैली = 1) में क्षेत्रीय ड्रिलिंग किया है। डीजीएम (नागालैंड) ने भी कोल सेक्टर में क्षेत्रीय ड्रिलिंग के लिए 1 ब्लॉक का कार्य किया है। सीएमपीडीआईएल ने 3 ब्लॉकों, सिंगरीमारी कोयला क्षेत्र में 1 तथा ईब घाटी कोयला क्षे में 1 में प्रमोशनल गवेषण का कार्य किया है।

वर्ष 2019–20 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का विस्तृत उपलब्धि नीचे दिया गया है:

वर्ष 2019–20 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का विस्तृत उपलब्धि नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख मीटर में)

एजेंसी	एजेंसी 2019-20	2019-20 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य-निष्पादन			उपलब्धि पिछले वर्ष : 2019-20	वृद्धि %
		उपलब्धि	उपलब्धि (%)	+/-		
क. सीएमपीडीआईएल द्वारा किया गया विस्तृत ड्रिलिंग :						
1. डिपार्टमेंटल	**5.05**	**4.885**	**97%**	**-0.18**	**4.99**	**-2%**
2. आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.01	0.027	272%	0.02	0.02	36%
एमईसीएल (एमओयू)	4.00	4.936	123%	0.94	4.61	7%
निविदा	4.94	3.088	63%	- 1.89	3.97	- 23%
कुल आउटसार्सिंग	**8.95**	**8.052**	**90%**	**- 0.93**	**8.60**	**- 6 %**
सकल योग क'	**14.00**	**12.937**	**92%**	**- 1.06**	**13.60**	**-5 %**
ख. एमईसीएल, जीएसआई, सीएमपीडीआईएल, डीजीएम (नागालैंड) और डीजीएम (असम) द्वारा प्रोमोशनल/एनएमईटी ड्रिलिंग:						
1. कोल सेक्टर						
एमईसीएल	1.00	0.67	67%	-0.33	0.814	- 18%
डीजीएम, नागालैंड	0.02	0.01	70%	-0.01	0.0108	-3%
डीजीएम, असम	0.04		0%	-0.04	0.00	
सीएमपीडीआईएल	0.13	0.14	114%	0.01	0.135	6%
कुल कोयला :	**1.18**	**0.82**	**70%**	**- 0.36**	**0.959**	**-14%**
2. लिग्नाइट सेक्टर						
एमईसीएल	0.35	0.34	96%	-0.02	0.43	-22%
कुल लिग्नाइट	**0.35**	**0.34**	**96%**	**-0.02**	**0.43**	**-22%**
सकल योग ख	**1.53**	**1.16**	**70%**	**-0.37**	**1.39**	**-17%**

***वर्ष 2019-20 में 12.94 लाख मीटर के कुल विस्तृत ड्रिलिंग में से गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 6.72 लाख मी. वेधित किया गया है।**

वर्ष 2019–20 में, सीएमपीडीआईएल ने अपने डिपार्टमेंटल और समग्र ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 97% और 92% हासिल किया। विभागीय ड्रिलिंग का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि के साथ बेहतर है और 602 मी. प्रति ड्रिल प्रति माह के औसत परिचालन ड्रिल्स उत्पादकता को दर्शाता है। कोविड 19 लॉकडाउन में (22 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक शून्य प्रगति) रही। वन क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति की अनुपलब्धता और स्थानीय समस्याओं (कानून और व्यवस्था) ने विभागीय और आउटसोर्स ड्रिलिंग के प्रदर्शन को प्रभावित किया है।

1.1.4 गैर-सीआईएल / कैप्टिव माइनिंग ब्लॉकों में ड्रिलिंग:

वर्ष 2019–20 में, कुल 8.16 लाख मीटर गैर–सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया था (विभागीय = 2.02 लाख मीटर, आउटसोर्सिंग =6.14 लाख मीटर)। इसके विरूद्ध, कुल 6.72 लाख मीटर हासिल किया गया है, जिसमें से सीएमपीडीआईएल की विभागीय ड्रिल ने 2.08 लाख मीटर की गवेषणात्मक ड्रिलिंग की जबकि 4.64 लाख मीटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हासिल किया गया है।

उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावा, सीएमपीडीआईएल ने आवंटन के उद्देश्य के लिए कोयला मंत्रालय को मौजूदा कैप्टिव माइनिंग ब्लॉक्स की प्रारंभिक भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान की है। आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, गवेषण की कुल लागत का भुगतान पर सीएमपीडीआईएल द्वारा आवंटियों को मूल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदान किया जाता है।

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएमपीडीआईएल एलोकेट्स द्वारा प्रस्तुत योजना को प्रमाणित कर रहा है, खनन योजना की तैयारी में प्रयुक्त भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स निहित आदेश और खनन योजना में शामिल भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह किसी भी अन्य समीपवर्ती ब्लॉक का अतिक्रमण नहीं करता है।

1.2 जल भू-विज्ञान (हाइड्रोज्योलोजी)

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन और ईआईपी/ईएमपी की तैयारी के लिए ''ग्रउण्ड वाटर क्लियरेंस अप्लीकेशन'' की तैयारी के लिए कई खनन परियोजनाओं/खदानों के हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। 21 खनन परियोजनाओं ईसीएल (3 परियोजनाएँ) बीसीसीएल (1 परियोजना), सीसीएल (5 परियोजनाएँ) डब्ल्यूसीएल (7 परियोजनाओं), एसईसीएल (4 परियोजनाएँ डब्ल्यूसीएल (7 परियोजनाओं), एसईसीएल (4 परियोजनाएँ) और एमसीएल (1 परियोजनाएँ), के लिए हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन वर्ष 2019–20 के दौरान पूरा किया गया। बीसीसीएल, सीसीएल और एमसीएल के 5 खनन परियोजनाओं के लिए हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है।

1.2.2 एनटीपीसी के लिए फ्लाई ऐश अध्ययन के लिए सिंगरौली में गोरवी माइन वाइड्स, एनसीएल के लिए डिजाइन और पिजोमीटर लोकेशन की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।।

1.2.3 इस अवधि के दौरान, ईसीएल (4 परियोजनाएँ), बीसीसीएल (2 परियोजनाएँ), सहसहएज (5 परियोजनाएँ), डब्ल्यूसीएल (33 परियोजनाएँ), एसईसीएल (44 परियोजनाएँ), एनसीएल (4 परियोजनाएँ) और एमसीएल (2 परियोजनाएँ) सहित जीआर/पीआर/पिजोमीटर/डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट (डीएआर) पर 94 जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन पूरे किए गए हैं।

1.2.4 बीसीसीएल (1 परियोजना), सीसीएल (3 परियोजनाएँ) डब्ल्यूसीएल (18 परियोजनाएँ), एसईसीएल (1 परियोजना) तथा एमसीएल (3 परियोजनाएँ), सहित विवेच्य अवधि के दौरान जीआर/पीआर/पिजोमीटर तथा अन्य पर 25 हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन प्रगति पर है।।

1.2.5 खानों, परियोजना कालनी और नजदीकी गाँवों (1 परियोजना पूर्ण तथा 4 प्रगति पर है), के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल के 5 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है।

1.2.6 बीसीसीएल क्षेत्र (भू–जल मॉनीटरिंग रिपोर्ट सुपुर्द) में खानों के 15 कलस्टर और डब्ल्यूसीएल क्षेत्र के 74 खानों का एमओईएफ क्लीयर्ड परियोजनाओं के भू–जल मानीटरिंग का कार्य सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है। ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल और एमसीएल के अन्य क्षेत्रों में भी जल स्तर की मॉनीटरिंग कर रहा है।

1.3 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट:

1.3.1 विगत वर्षों में संचालित विस्तृत गवेषण के आधार पर वर्ष 2019–20 में 25 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार किया गया है। तैयार किया गया भूवैज्ञानिक रिपोर्टों से अतिरिक्त कोयला संसाधनों में लगभग 7.8 बिलियन टन को 'प्रमाणित श्रेणी' में अपग्रेड किया है।

1.3.2 प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत, जीएसआई और एमईसीएल ने कोयला ब्लॉकों पर 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जो विनिर्दिष्ट

मोटाई के ऊपर, 'सूचित' और अनुमानित श्रेणियों में, लगभग 9.7 बिलियन टन कोयला संसाधन स्थापित की हैं।

1.4 भूभौतिकीय सर्वेक्षण:

1.4.1 भूभौतिकीय लॉगिंग:

गवेषण के उद्देश्य से बोरहोल ड्रिल किए गए जिससे बोरहोल में सामने आए विभिन्न स्ट्रेटा की इन–सीटू जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लॉग इन किया गया। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान सीआईएल और गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी–पैरामीट्रिक भूभौतिकीय लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 6,45,922.61 मीटर की भूभौतिकीय लॉगिंग को किया गया है। इसमें से 8 विभागीय भूभौतिकीय लॉगिंग इकाइयों द्वारा 2,16,845.38 गहराई मीटर की लॉगिंग की गई और संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 4,29,077,23 मीटर लॉगिंग की गई।

1.4.2 भूतल भूभौतिकीय सर्वेक्षण:

सीएमपीडीआईएल ने कोल सीमों के इन–क्रॉप का डिलीनिएशन, डाइक के डिलीनिएशन और भूगर्भ जल की जाँच के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटी तथा मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी शुरू किया है। ऐसे उद्देश्य के लिए वर्ष 2019–20 में कुल 279.86 लाइन किमी रेसिस्टिविटी प्रोफाइलिंग, 158 वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग (वीईएस), 267 ग्रेविट स्टेशन और 158 वर्टिकल इलेक्ट्रीकल साउंडिंग (वीईएस), 267 गेविटि स्टेशन और 151.86 लाइन किमी गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण किया गया। 48 चैनल सिग्नल एन्हांसमेंट सिस्मोग्राफ और वाइबोसिस, निग्वानी बारकेली ''ए'' ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, अरखापाल ब्लॉक तालचर कोयला क्षेत्र, का नार्थ का नादर्न पार्ट और पिपरवार फेज 11, नार्थ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र का नार्थ का 2 डी सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया है।

1.4.3 रिपोर्ट:

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 16 भूभौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है। इसमें जियोफिजिकल लॉगिंग पर चार रिपोर्ट, रेसिस्टीविटी सर्वेक्षण पर सात, जियोफिजिकल सर्वेक्षण पर चार और डीजीआर के लिए एक जियोफिजिकल चैप्टर शामिल है।

1.5 भू-प्रणाली (जियोसिस्टम):

01.04.2019 के अनुसार कोल बियरिंग एरिया के गवेषण की स्थिति पर रिपोर्ट एआरसी जीआईएस साफ्टवेयर का उपयोग कर तैयार किया गया एवं सौंपा गया। रिपोर्ट में 01.04.2019 के अनुसार 19400 वर्ग कि.मी. के संभावित कोल बियरिंग एरिया जीएसआई में एक्सप्लोरेशन की स्थिति एवं ब्लॉफकिंग्स शामिल है।

कोयला मंत्रालय के उपयोग हेतु क्षेत्र, ग्रेड, संसाधन, वनाच्छादव आदि जैसे सूचना के साथ 927 कोयला ब्लॉकों के लिए ब्लॉक को स्टेट–वाइज, डिस्ट्रिक्ट–वाइज एवं कोलफील्ड वाइज सूची सौंपी गई है।

भारत में चिन्हित सभी 927 कोयला ब्लॉकों के लिए ब्लॉक की कैटेगरी, स्टेट और कोयला क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ब्लॉक बाउन्ड्री वनाच्छादन आदि से संबंधित विभिन्न मामलों का पता लगाने के लिए एमओसी को सहायता, आईसीटी के सहयोग से क्रिएशन, ओसीबीआईएस, वेब पोर्टल के लिए आँकड़े की तैयारी में सहायता।

जीआर और 28 माइनेक्सव मॉडल (पीआर के लिए जीआर एवं जीआर के लिए माइनेक्स मॉडल शामिल) की जाँच और आउट एजेंसियों द्वारा माइनेक्स मॉडल की तैयारी में सहायता प्रदान करना।

ब्लॉकों के विभिन्न कैटेगरियों से संबंधित ब्लॉक बाउन्ड्रीज के संबंध में जीआईएस डाटाबेस का आधुनिकीकरण/अद्यतन नियमित आधार पर किया जा रहा है। जब और जहाँ आवश्यकता हो, भुवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य सूचनाओं को शामिल करने के लिए कोयला मानचित्रों के अद्यतन के लिए जीआईएस डाटा प्लेटफार्म में कम्पाइलेशन/वैलीडेशन/कंसलटेंसी कार्य किया जा रहा है।

एआरसीजीआईएस साफ्टवेयर की सहायता से विभिन्न मुद्दों को निपटाने के लिए विभिन्न रिपोर्ट और डाटा की तैयारी सहित गवेषण

विभाग के लिए अन्य इकाईयों और कोल, एनर्जी, जियोमेटिक्स, खनन जैसे अन्य विभागों के लिए सहायता, गवेषण विभाग के एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू के अद्यतन एवं रख–रखाव।

उपयुक्त के अतिरिक्त, घरेलू साफ्टवेयर का विकास, एआरसीजीआईएस और माइनेक्स जब और जहाँ आवश्यकत हो का प्रयोग कर क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय को उनकी सहायता जियोसिस्टम इकाई कर रही है।

1.6 एमओयू 2019-20:

1. सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार ''डिलिंग (लाख मीटर) क्र.म. 1, भाग ख (पार्ट बी)'' के शीर्ष के तहत 14.00 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान इस लक्ष्य की तुलना में 12.94 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई।
2. सीएमपीडीआईएल के एमओयू वर्ष 2019–20 के अनुसार ''भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी एवं सुपर्दगी, क्र.सं. 3(क) भाग भाग ''ख'' ''शीर्ष के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करने के लिए 25 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना एवं सुपुर्द करना था। वर्ष 2019–20 के दौरान इस लक्ष्य की तुलना में 25 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गई।
3 सीएमपीडीआईएल के 2019–20 के एमओयू के अनुसार, ''25 भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों की समय पर सुपुर्दगी, क्र.सम. 3 (ख), भाग ख'' शीर्ष के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करने के लिए 29.2.2020 तक 25 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी जानी थीं इस लक्ष्य की तुलना में 29.2.20 तक 25 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी गई।

2. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) / कोल माइन मीथेन (सीएमएम)

2.1 सीआईएल और ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार ने 2002 में सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए नामंकन के आधार पर ओएनजीसी–सीआईएल के कंसोर्टियम को रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज नार्थ ब्लॉक अर्थात् दो सीबीएम ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। सीएमपीडीआईएल, सीआईएल की ओर से परियाजनाओं को कार्यान्वयन कर रहा है। ओएनजीसी, सीबीएम के दोनों ब्लॉकों के लिए आपरेटर है और भारत सरकार के साथ संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है। सीएमपीडीआईएल द्वारा सीआईएल के भाग का कार्य को पूरा करने और ओएनजीसी द्वारा मूल्यांकन गतिविधि को पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप, आपरेटर अर्थात् ओएनजीसी द्वारा फील्ड डेवलपमेंट प्लान (एफडीपी) तैयार किया गया है।

जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए एफडीपी को अनुमोदित कर दी गई थी। झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीएमएल) झारखंड सरकार द्वारा जुलाई, 2015 में प्रदान की गई है जबकि पर्यावरण मंजूरी अप्रैल 2017 में दी गई है।

311.79 वर्ग किलो मीटर (लगभग) से अधिक के रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक में कोल बेड मीथेन गैस के लिए पेट्रोलियम माइनिंग लीज ओएनजीसी–सीआईएल के कंसोर्टियम को पश्चिम बंगाल सरकार के पत्रांक 81–सीआई/ओ/एमआईएन/एमजेएम–सीबीएम/001/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2020 के माध्यम सें अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। ओएनजीसी दो विकल्पों (।) संपूर्ण बीएपीएल ओवर लैप क्षेत्र 67 कूपों पर विचार कर) को छोड़कर और (2) 67 वर्टिकल कूपों से अलग ओवर लैप क्षेत्र में 8 डेविएटेट और 2 वर्टिकल कूपों पर विचार कर रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को अद्यतन और रूपांतरित करने के लिए ओएनजीसी ने वर्तमान में पुनः कार्य करना शुरू कर दिया है। सक्षम अनुमोदन पर विचार करने के लिए ओएनजीसी द्वारा संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट ओएनजीसी द्वारा सौंप दिया गया है।

दिनांकः 22 फरवरी, 2018 को डीजीएमएस से वार्ता के तहत जारी किया गया है कि सेल के प्रभातपुर कोयला ब्लॉक और ओएनजीसी के झरिया कोयला ब्लॉक के बीच ओवर लैपिंग क्षेत्र में सीबीएम गतिविधियों को पुनः आरंभ से संबंधित निदेशालय को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि सीबीएम ड्रिलिंग शुरू करने के बाद फाल्ट एफ

5–एफ–5 के पश्चिम साइड में कोई अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं किया जाएगा। तद्नुसार एचएफ कार्य शुरू किया गया। ओएनजीसी वर्तमान में झरिया सीबीएम ब्लॉक की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को अद्यतन करने और संशोधित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

सेल और सीआईएल कोल ब्लॉक ओंवरलैप के डिसकाउंटिंग के बाद 61.5 वर्ग कि.मी. के ब्लॉक में प्रस्तावित 51 सीबीएम कूपों के जरिए सीबीएम को निकाले जाने की संभावना है। भावी खनन में किसी भी हिंडरांस से बचाव के लिए खनन योजनाओं पर विचार कर सीएमपीडीआई के सहयोग से ओएनजीसी ने अंतिम रूप दिए गए कूपों का प्लेसमेंट किया।

25 जून, 2019 को एमओसी में हुई संयुक्त संवीक्षा बैठक में यह निदेश दिया गया कि सीआईएल और ओएनजीसी सीबीएम उसके बाद कोयले यदि ओवर लैप कोल ब्लॉक जेवी को आवंटित किया जाएगा तो सिक्वेंसियल एक्सट्रेक्शन के लिए व्यावसायिक व्यवहार्यता पर कार्य करेगा।

10 दिसम्बर, 2019 को आयोजित झरिया सीबीएम ब्लॉक के आपरेटिंग कमिटि (ओसी) की 35वीं बैठक में झरिया सीबीएम ब्लॉक (पर्वतपुर, अलुअरा और महल सेक्टर सहित स्टेज–। में 36 डेवलपमेंट लोकेशन) के संशोधित डाटा पैकेज के कार्यान्वयन चरण–। को ओसी द्वारा अनुमोदित किया गया ; और इसे 10 जनवरी, 2020 को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ओएनजीसी सीबीएम में 6 जनवरी, 2020 को आयोजित झरिया सीबीएम ब्लॉक के आपरेटिंग कमिटि (ओसी) की 37वीं बैठक में ओसी ने डेवलपमेंट फेज के विस्तार के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है। तद्नुरूप अनुरोध डीजीएच को सुपुर्द किया गया है।

2.2 वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रमोशनल गवेषण के तहत सीबीएम और शेल गैस संबंधित अध्ययन

2.3 सीबीएम संबंधित अध्ययनः

सीएमपीडीआईएल गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के मीथेन गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान आठ बोरहोल में अध्ययन संभावित सीबीएम क्षमता के विकास के लिए अधिक ब्लॉकों में डेलिनियेशन का आसान बनाता है।

''राजुरा माणिकगढ़ एवं बाहमिनी पलासगांव'' कोयला ब्लॉक, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र (महाराष्ट्र) पर अध्ययन से संबंधित सीबीएम पर आधारित रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है।

2.4 शेल गैस संबंधी अध्ययनः

सीएमपीडीआईएल गवेषण के दौरान ड्रिल किए गए बोरहोल के माध्यम से ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के शेल गैस–ईन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन संभावित शेल गैस की क्षमता के निर्धारण के लिए डाटा बेस बनाता है और शेल गैस के विकास के लिए अधिक ब्लाकों के डेलिनियेशन को आसान बनाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान पाँच बोरहोल में अध्ययन पूरा करके लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

2.5 कोल माइन मीथेन (सीएमएम)/कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का व्यावसायकि विकास :

1. झरिया सीवीएम ब्लॉक–। (बीसीसीएल एरिया): कपुरिया, मूनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉक को क्लब करते हुए 24.32 वर्ग कि.मी. के ब्लॉक, 25.2 बीसीएम के सीबीएम रिसोर्स वाले बीसीसीएल के खनन लीजहोल्ड एरिया में व्यावसायिक विकास के लिए डिलियनिटेड एरिया में व्यावसायिक विकास के लिए डिलियनिटेड किया जा चुका है। ''झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक, झरिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल के कोयला खन लीज होल्ड के तहत) शीर्षक वाली परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक अध्ययन एवं रिजर्वर मॉडलिंग के आधार पर तैयार कर बीसीसीएल को सौंपा जा चुका है।

बीसीसीएल के बोर्ड ने 3 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एमडीओ मोड के माध्यम से सीबीएम के दोहन के लिए सैद्धांतिक रूप से पीएफआर को मंजूरी दे दी है। बीसीसीएल बोर्ड ने आगे सलाह दी है कि सीएमपीडीआईएल को अन्सेपसन के स्टेज से, निविदा, पुरस्कार, चालू

करने से समाप्ति तक के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, बीसीसीएल बोर्ड ने सीएमपीडीआईएल को पीएफआर सहित मार्केटिंग और वित्तीय मूल्यांकन तथा सीएमपीडीआईएल के चार्जेज को भी अपडेट करने की सलाह दी। आग्रे की कार्यवाही हेतु बीसीसीएल को संशोधित पीएफआर सुपुर्द कर दिया गया है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि सीबीएम डेवलपर (सीबीएमडी) के जरिए विकास किया जाय जिसमें सीएमपीडीआईएल मुख्य कार्यन्वयक एजेंसी (पीआईए) होगा।

2. मूनीडीह खान (बीसीसीएल), झरिया कोयला क्षेत्र में मीथेन का प्री-ड्रेनेज :

मूनीडीह खदान (बीसीसीएल) के वर्किंग सीम –xvi में मीथेन के प्री–ड्रेनेज के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसके द्वारा मीथेन रिकवर्ड गैस का लाभप्रद उपयोग भी किया जा सकता है। इस संबंध में ''**मुनीडीह अंडरग्राउंड माइन से कोल माइन मीथेन (सीएमएम) का प्री-ड्रेनेज**'' के लिए प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल बिड डाक्यूमेंट को बीसीसीएल के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

बीसीसीएल ने 26 मई, 2018 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट और टेंडर स्पेसिफिकेशन डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है ताकि संचालन और रख–रखाव सहित यूजीसी से मीथेन के प्री–ड्रेनेज के लिए उपयुक्त अनुभवी डेवलपर के चयन के लिए ग्लोबल ई–टेंडर आमंत्रित किया जा सके। बीसीसीएल बोर्ड ने अपगे सलाह दी है कि सीएमपीडीआईएल परियोजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में कार्य करेगा और यह कान्सेपशन के स्टेज से, टेंडरिंग, कमीशनिंग और पूरा होने तक चरण से परियोजना से जुड़ा रहेगा।

बीसीसीएल ने नवम्बर, 2018 और जुलाई, 2019 में दो बार वैश्विक निविदा प्रकाशित की परंतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। वैश्विक डाकबोली दस्तावेज पर संभावित बोली कर्ताओं के विचार प्राप्त करने के लिए बीसीसीएल (मुख्या.) में 27 नवम्बर, 19 को प्री–निट बैठक आयोजित हुई। विदेश और भारत से अच्छी संख्या में संभावित बिडरों ने भाग लिया और 21 दिसम्बर, 19 तक बीसीसीएल को अपने सुझाव/इनपुट सौंपा। प्री–निट में प्राप्त इनपुट पर के आधार पर संशोधित ग्लोबल बिड दस्तावेज तैयार किया गया। मोडिफाइड ग्लोबल बिड दस्तावेज 6 मार्च, 2020 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 361वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। कमीशनिंग के आधार की अवधारणा पर 6 जून, 2020 की नियत अवधि तक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए बीसीसीएल द्वारा एनआईटी प्रकाशित किया जा चुका है।

वर्ष 2022–23 में सीआईएल एरिया से 0.3 एमएनएस सीएमडी सीबीएम का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो कोयला मंत्रालय के 5 वर्षीय विजन प्लान में 2023–24 में बढ़कर। एमएमएससीएमडी हो जाएगा। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल, सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र) में सीआईएल माइनिंग लीज होल्ड के भीतर अतिरिक्त सीबीएम/सीएमएम ब्लॉकों की पहचान के लिए सीएमपीडीआई/सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों द्वारा भी पहल की जा चुकी है, जो सीबीएम के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावना वाला होगा।

3. रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया):

रानीगंज कोयला क्षेत्र में ईसीएल के श्रीपुर, सतग्राम तथा कुनस्तोरिया एरिया के माइनिंग लीज के अंतर्गत लगभग 57 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए डेलिनिएटेड कर दिया गया है। रिजर्वर मॉडलिंग तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर आधारित परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा अगले अवलोकन के लिए इसे ईसीएल को सुपुर्द कर दिया गया है।

सीबीएम इत्यादि के लिए संभावित कोयला सीम के विस्तृत पुरारा वर्किंग, जीईईसीएल के साथ ओवर लैपिंग, अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि की ऊँची लागत तथा लिमिटेड एक्रास द फ्री लैंड तथा दामोदर नदी के नीचे माइनिंग लीज जैसे बाधाओं पर विचार

करना। यह स्पष्ट करता है कि सीबीएम/सीएमएम दोहन के लिए पहचान किया हुआ क्षेत्र तकनीकी रूप से चुनौती हो सकता है।

ईसीएल बोर्ड ने 22 सितम्बर को आयोजित बैठक में एमडीओ मोड के तहत रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पीएफआर को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि सीबीएम डेवलपर (सीवीएमडी) के जरिए ब्लॉक का विकास किया जाएगा जिसके लिए सीएमपीडीआईएल मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) होगा।

4. सोहागपुर सीबीएम ब्लॉक (एसईसीएल एरिया):

सोहागपुर कोयला क्षेत्र में एसईसीएल के कमांड क्षेत्रों के तहत 1.07 बीसीएम वाले 60 वर्ग कि0मी0 संसाधनों वाले क्षेत्रों की पहचान सीबीएम के विकास के लिए किया गया है। परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे अगस्त, 2020 तक सौपे जाने की संभावना है। सीबीएम डेवलपर (सीबीएमडी) के जरिए ब्लॉक के विकास का प्रस्ताव किया गया, जिसमें सीएमपीडीआईएल मुख्य कार्यान्वयक एजेंसी (पीआईए) होगा।

2.6 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंगहाउस

17 नवम्बर, 2008 को कोयला मंत्रालय और यूएसईपीए के त्त्वावधान में सीएमपीडीआईएल, राँची में एक सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना किया गया था। क्लीयरिंग हाउस गैस के लिए नोडल एजेंसी है जो देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा के संग्रह और जानकारी साझा करती है और सार्वजनिक/निजी भागीदारी, तकनीकी सहयोग एवं वित्तीय निवेश के अवसरों को लाकर भारत में सीएमएम प्रोजेक्ट्स के व्यावसायिक विकास में मदद करता है।

यूएस ईपीए और कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड सें वित्तीय सहायता द्वारा क्लीयरिंग हाउस का स्थापना किया गया है। भारत क्लीयरिंग हाउस की वेबसाईट http://www.cmmclearinghouse.cmpdi.co.in सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को शामिल करती हे जैसे ईओआई सूचनाएँ, सीएमएम, वीएएम इत्यादि के विकास के लिए मौजूदा अवसरों के बारे में जानकारी के अतिरिक्त समाचार पत्र। प्रारंभिक तीन साल की अवधि के पूरा होने के बाद इसे तीन साल के लिए दो बार बढ़ाया गया था। आगे इसे यूएस ईपीए द्वारा अतिरिक्त तीन साल 2018–2021 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है।

यूएस ईपीए ने 24 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2019 को राँची में सीआईएल– सीएमपीडीआईएल, जीएमआई–यूएस ईपीए, यूएनईसीई द्वारा संयुक्त रूप से भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

कोलकाता कंसुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कंसूल जेनरल मिस. पैट्रिसिया एल हॉफमैन ने 31 जनवरी, 2020 को भारत के सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस का दौरा किया।

2.7 भूमिगत कोयला गैसीकरण (युजीसी) का व्यावसायिक विकास)

कोयला मंत्रालय ने सीवीएम विकास की मौजूदा नीति के समान मोटे तौर पर यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए अंतर मंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। कोयला और लिग्नाइट में संभावित ब्लॉकों की पहचान की गई और पीएसयू द्वारा अधिमानत, यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए आईएमसी में विचार किया गया। यूजीसी विकास के लिए पहचाने गए कोल ब्लॉक वर्धा वैली कोलफील्ड (जोगापुर–सिरसी), सोहागपुर सीएफ (मैइकी/उत्तर)–मैइकी–मरखी, पठोरा, चौनपा) टाटापानी–रामकोल सीएफ (रियोंटी–सेस्ट), और सिंगरौली कोलफील्ड (बांधा) और गोदावरी घाटी (येलेंदु–एससीसीएल) है।

मेसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साल्यूशंस लिमिटेड, मुंबई यूजीसी के विकास के लिए बोली दस्तावेज और मॉडल अनुबंध दस्तावेज का निर्माण में लगा हुआ था। मॉडल कंट्रेक्ट डाक्यूमेंअ एवं बिड दस्तावेज तैयार किया जा चुका है और जीओआई के अनुमोदन के लिए अक्टूबर, 2019 में आईएमसी द्वारा अनुशंसा की गई। एमओसी मॉडल डाक्यूमेंट पर स्टेक होल्डरों से इस पर विचार भी लेगा।

13 नवम्बर, 2019 की नई दिल्ली में ''भारत में भूमिगत कोल गैसीफिकेशन (यूसीजी) की संभावनाओं'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डा० वी.के. सारस्वत, सदस्य– नीति आयोग, श्री अनिल कुमार जैन, आईएएस, सचिव (कोयला), श्री विनोद कुमार तिवारी, आईएफओएस, अपर सचिव (कोयला), श्री विनोद कुमार तिवारी आईएफओएस, अपर सचिव (कोयला), डा० अनिंद्य सिन्हा, सलाहकार परियोजना, एमओसी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड फार्मर एडवाइजर (परियोजना) एमओसी से अन्य वरीय अधिकारी तथा इंडस्ट्री (कोल एंड लिग्नाइट), साइंटिफिक आर्गेनाइजेशन की प्रतिनिध और स्कोचिंस्कीज इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग (एसआईएम), मास्को और इर्गो एक्जर्जी टेक्नोलॉजी इंक कनाडा से अन्तराष्ट्रीय यूसीजी विशेषज्ञ ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

ईसीएल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में कास्ता वेस्ट कोल ब्लॉक की पहचान ईसीएल/सीएमपीडीआईएल/सीआईएल के सहयोग से आरएंडडी मॉडल के तहत पायलट स्केल यूसीजी परियोजना को शुरू करने के रूप में की गई है। सीआईएल आरएंडडी बोर्ड के शीर्ष समिति में परियोजना प्रस्ताव पर सिद्धांतः सहमति हो चुकी है। पायलट स्केल यूसीजी के विकास को शुरू करने के लिए वैश्विक निविदा के जरिए तकनीकी सेवा प्रदाता की पहचान करने के लिए प्रोजेक्ट प्रोपेनेन्ट फर्स्ट होना चाहिए। तद्नुसार सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड के अनुमोदन हेतु परियोजना प्रस्ताव रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के चयन के लिए वैश्विक निविदा दस्तावेज को विधि और वित्तीय जाँच टिप्पणियों को शामिल कर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि अंगरेन (उज्बेकिस्तान) के प्रस्तावित अध्ययन दौरे के आधार पर प्राप्त इनपुट के आधार पर वैश्विक डाकबोली दस्तावेज (जीबीडी) को अंतिम रूप दिया जाए।

2.8 कोल बेड मीथेन पर एसएंडटी और आरएंडडी प्रोजेक्ट्स

''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम रिजर्व आकलन'' पर एस एंड टी परियोजना''

भारतीय कोयला क्षेत्रों (परियोजना कोड# सीई (ईओआई) 131) के लिए सीबीएम भंडार का आकलन'' से संबंधित एक एसएंडटी परियोजना जिसकी लागत 2069.91 लाख रू. है (आईआईएसटी/बीईएलयू, शिबपुर– 763. 21 लाख रू., एनजीआरआई, हैदराबाद 457. 06 लाख रूपये, सीएमपीडीआईएल 592.73 लाख रू. औ ीसीई, कोलकाता– 257 लाख रू.) रामओसी के पत्रांक 34012/1/2014–सीआरसी–1 दिनांक 25 फरवरी 2014 के कोल एसएंडटी परियोजना के ईओआई के तहत अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना 3 वर्षों की अवधि का है और इसकी समापन अवधि मार्च, 2017 थी। संशोधित समापन अवधि 23 सितम्बर, 2020 है।

परियोजना की स्थिति पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2018 को आईआईईएसटी, कोलकाता में 53वीं एसएसआरसी की संयुक्त बैठक हुई जिसमें संशोधित कार्य योजना की रूपरेखा बनाई गई। जनवरी, 2021 समापन अवधि का टाइम लाइन था जिसे विचारार्थ सौंप दिया गया और वाइब्रोसिस जो अन्य एसएंडटी परियोजना में लगा हुआ था कि उपलबधता की बाधाओं पर विचार करते हुए अनुमोदनार्थ सौंप दिया गया है।

एनजीआरआई द्वारा 2डी एवं 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अध्ययन किया गया। एनजीआरआई से सिस्मिक इंटरप्रटेशन पर रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। एडज्वाइनिंग एक्सप्लोर्ड ब्लॉक डाटा पर विचार करते हुए एनजीआरई, आईआईईएसटी और ीसीएस द्वारा संयुक्त संवीक्षा पर डीप ड्रिलिंग और नमूने एकत्र करने के लिए एनजीआरआई ने 5 बोरहोल स्थल उपलबध कराया है। ड्रिलिंग एजेंसी कें लिए एलओए सीएमपीडीआईएल द्वारा जारी कर दिया गया है। लॉक डाउन के कारण ड्रिलिंग का कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

2.9 'सीआईएल कमांड क्षेत्रों के अंतर्गत सीएमएम संसाधन के निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण' पर एस एंड टी परियोजना

''सीआईएल कमांड क्षेत्रों (परियोजना कोड# सीई–32) के अंतर्गत सीएमएम संसाधन निष्कर्षण के लिए क्षमता निर्माण'' पर एक एसएंडटी परियोजना को कोल एसएंडटी परियोजना के तहत कोयला मंत्रालय के पत्रांक

34012/4/2016 सीआरसी–I दिनांकः 21 मार्च, 2016 के तहत अनुमोदित किया गया है तथा पत्रांक सीएमपीडीआई/एसएंडटी/022/339–41/ई–9001 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा अनुमोदन की सूचना दी गई। अनुदान की स्वीकृति को पत्रांक सीएमपीडीआई/एसएंडटी/022 एवं सीई–32/367–70/ई–9043 दिनांक 22/23 मार्च 2016 के द्वारा सूचित किया गया। अनुमोदित परियोजना की लागत 2392.79 लाख है, जिसमें उपकरणों की लागत 934.32 लाख रू. है। (सीएमपीडीआईएल 1492.72 लाख रू. और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलियाः 900.07 लाख रू.) सीएमपीडीआई कार्यान्वयन एजेंसी है और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया उप–कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना की अवधि 3 वर्षों की है। संशोधित परियोजना अवधि 22 सितम्बर, 2020 है।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोलाबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को सीएसआईआरओ और सीएमपीडीआईएल के बीच हस्ताक्षर किया गया। इसकी वैद्यता दिसम्बर, 2021 तक है। अधिकांश उपकरण को आदेश/प्राप्ति किया जा चुका है। चरण 3 एवं 4 की आगे की क्रिया–कलाप सीएसआईआरओ के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। सीएसआईआर ओ लॉकडाउन के कारण परियोजना संबंधी कार्य में नहीं लग सका।

2.10 शेल गैस पर परियोजना

एस एंड टी परियोजना का शीर्षक "भारत के दामोदर घाटी बेसिन की शेल गैस संभाव्यता"

"भारत में दामोदर बेसिन की शेल गैस की संभाव्यता परियोजना कोड–सीई (ईओआई/30)" से संबंधित एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना जिसकी लागत 1686.84 लाख रू. है और यह कोयला मंत्रालय के पत्रांक 34012/3/2012 सीआरसी–1,दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 और 12 दिसम्बर, 2012 के तहत है। इसके पश्चात् पत्रांक सीएमपीडीआई/एसएंडटी/002 एवं सीई (ईओआई) 30/499–504 दिनांक, 20 मार्च, 2015 के द्वारा 351.25 लाख रू. की अतिरिक्त एसएंडटी अनुदान को एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित किया गया। संशोधित परियोजना की समापन अवधि दिसम्बर, 2019 था।

परियोजना का उद्देश्य संयुक्त रूप से चयनित अध्ययन क्षेत्र में समेकित जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल, जियो केमिकल और पेट्रो फिजिकल अन्वेषणों के जरिए शेल गैस की संभाव्यता के लिए दामोदर बेसिन का मूल्यांकन करना है, जिसमें रानीगंज कोयला क्षेत्र में रंगामाटी बी ब्लॉक (टुमनी एवं कंचनपुर सेक्टर) और राधानगर ब्लॉक झरिया कोयला क्षेत्र। इन ब्लॉकों में 3 डी सिस्मिक सर्वेक्षण का कार्य एनजीआरआई द्वारा पूरा किया गया। उसके पश्चात् रंगामाटी बी ब्लॉक (रानीगंज कोयला क्षेत्र) और राधानगर पिपराटॉड ब्लॉक (यरिया कोयला क्षे) में ड्रिलिंग का कार्य अगस्त, 2019 और 3डी इंटरप्रटेशन के साथ वैद्यता के लिए सितम्बर, 2019 में पूरा किया जा चुका है। एनजीआरआई और सीएमपीडीआईएल ने अपना–अपना इनपुट और इंटरप्रटेशन सीआईएमएफआर से शेयर किया। सीआईएमएफआर एव सीएमपीडीआईएल के प्रयोगशाला परिणामों पर विचार करते हुए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनजीआरआई अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा क्योंकि लॉक डाउन के कारण इसमें देर हो चुकी है।

2.11 गैसीफिकेशन पर आरएंडडी परियोजना (कोल टू केमिकल, सीटीसी) :

"हाई ऐश कोल गैसीफिकेशन एंड असोसिएटेड अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस (कोल टू केमिकल सीटीसी)" परियोजना कोड सीआईएल/आरएंडडी/03/2017 शीर्षक वाली एक सीआईएल आर एंड डी परियोजना का कार्यान्वयन इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूढ़की, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), ईसीएल, सीसीएल और एमसीएल के सहयोग से मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद द्वारा किया जा रहा है। सीआईएल पत्रांक : सीआईएल/पीएमडी/81/272 दिनांक 8.7.17 के द्वारा इस आरएंडडी परियोजना के अनुमेदित किया है। पत्रांक सीएमपीडीआईएल /सीआईएल/ आरएंडडी/3.3.2017/1451–68 दिनांक 17.7.2017 के द्वारा दिनांक 2.7.2017 से यह परियोजना शुरू हुई। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2160.721 है, जिसकी अवधि

तीन वर्षों के लिए है। समापन समय 19 जुलाई, 2020 है।

इस परियोजना का उद्देश्य 5 कि.ग्रा./घंटे फीड रेट के साथ प्रयोगशाला स्केल पर इंड्रेन्ड बेड, फ्लूडाइज्ड बेड और केमिकल लूपिंग कैसीफिकेशन टेक्नोलाजी का उपयोग कर 35% राख की मात्रा वाले कोयले को गैसीफाई करना है। इस संबंध में ईसीएल कोल माइन्स से कोयले नमूने को एकत्रित किया गया। और सीएमपीडीआईएल और आईआईटी–आईएसएम, धनबाद, द्वारा मेगा स्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण संयुक्त रूप से किया गया। तदनन्तर, सीसीएल के खानों से कोयला नमूने एकत्रित किए गए और सीएमपीडीआईएल अधिकारियों के साथ आईआईटी–आईएसएम, धनबाद द्वारा संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। आईआईटी–आईएसएम प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

2.12 एमओयू 2019-20

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार,'सीआईएल (दिनांक), क्र.सं–5, भाग–बी को "एनईसी क्षेत्र में सीबीएम की संभावनाओं पर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट" तैयार करने और प्रस्तुत करने के तहत'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य तैयार किया गया तथा उल्लिखित रिपोर्ट सीआईएल को 29.02.2020 तक सुपुर्द किया गया। इस लक्ष्य के मुकाबले "एनईसी क्षेत्र में सीबीएम की संभावनाओं पर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट" तैयार की गई और 14.02.2020 को सीआईएल को प्रस्तुत किया गया।

3.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पनः

178 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नई/विस्तार/पुर्नगठन खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी किया गया।

परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन के रीवीजन नई पीआर के साथ किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए :

- नए/वर्तमान कोयला वाशरियों के लिए वैचारिक/संभाव्यता रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज, कंट्रेक्ट डाक्यूमेंट, बिड का मूल्यांकन आदि की तैयारी।
- ओसी माइन्स के लिए आपरेशनल प्लान।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)।
- ओपेनकास्ट तथा भू.ग.खान के लिए माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान।
- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खान तथा खुली खान के लिए खान क्षमता का मूल्यांकन।
- खुली खान तथा भूमिगत खानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी मूल्यांकन।
- कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में एचईएमएम के संचालन का कार्य निष्पादन विश्लेषण।
- मिनी स्मार्ट कालोनियों का विकास के लिए डीपीआर की तैयारी।
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग,एनआईटी,निविदा जाँच आदि।

वर्ष 2019–20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरणिक प्रबंधन और मॉनीटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ऊर्जा आडिट (डीजल एंड इलेक्ट्रीकल) तथा ओपेन कास्ट खानों का बेंच मार्किंग रॉक और कोयला नमूनों पर फिजिको–मैकेनिकल टेस्ट, धँसान अध्ययन, रूट्राटा कंट्रोल, गैर विध्वंसक जाँच (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटक उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/गैस सर्वेक्षण, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों पर पेट्रोग्रफिक अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एंड विश्लेषण, धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ रिवराइन ईकोसिस्टम और कोयला खनन क्षेत्रों का कैरिंग क्षमता, विंड ब्रिक (डब्ल्यू बी) और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम (बीजीएस), स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएंट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, माइन क्लोर ऑडिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का विशेषज्ञ परामर्श सेवाएँ प्रदान की गई।

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 276 रिपोर्ट तैयार की गई है। तैयार की गई रिपोर्ट का ब्रेक अप नीचे दिया गया है :

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	25
प्रोजेक्ट रिपोर्ट	32
ड्राफ्रट ईएमपी (60 फार्म–1 सहित)	52
अन्य अध्ययन	167
कुल	**276**

वर्ष 2019–20 के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण में नीचे दिए गए है :

परिशिष्ट-1

वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	मधुकुण्डा ईस्ट
	2.	सलभद्रा गोमारपहाड़ी (गैर–सीआईएल)
क्षे०सं०–3	1.	रामगढ़ ब्लॉक–I (सेक्टर–II न्यू पैच)
	2.	अशोका का पूर्व
	3.	पीपरवार मनगर्धा यूजी
क्षे०सं०–4	1.	तकली जेना बेलोरा के एन.डब्ल्यू का पश्चिम विस्तारण
क्षे०सं०–5	1.	बगरा
	2.	कोतेया
	3.	मनपुर
क्षे०सं०–6	1.	मोरवा
क्षे०सं०–7	1.	घोगरपल्ली एवं इसका डीप एक्सटेंशन (गैर–सीआईएल)
	2.	समेकित जीआर मन्दाकिनी–बी (गैर–सीआईएल)
संविदात्मक	1.	वेस्ट ऑफ बेसिन फतेहपुर ''ए''
	2.	धीरौली (गैर–सीआईल)
	3.	कलिंगा ईस्ट
	4.	बेसिन फतेहपुर साउथ एक्सटेंशन (गैर–सीआईएल)
	5.	वेस्ट ऑफ बेसिन फतेहपुर ''बी''
	6.	बारूल बागडीह
	7.	भालू कस्बा सुरनी फेज–1
	8.	डोलेसेरा (गैर–सीआईल)
	9.	टेड़ी इमली
	10.	रियोंटी इस्टर्न सेक्टर (गैर–सीआईल)
	11.	डुबा
	12.	बरापली करमीतिकारा (गैर–सीआईल)
	13.	कलिंगा वेस्ट
क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		**रिपोर्टों के नाम**
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे०सं०–1	1.	धंगाजोरे यूजी
	2.	सोनेपुर बाजरी एक्स. ओसी
	3.	खांदरा यूजी
	4.	इटापारा ओसी रिकास्ट
	5.	पांडेश्वर दालूरबंध (यूजी एवं ओसी) रिकास्ट
क्षे०सं०–2	1.	पिरपैंती बाराहाट ओसी
क्षे०सं०–3	1.	चैनपुर ओसी आरपीआर
	2.	पुंडी विस्तारण ओसी
	3.	झारखण्ड लइयो ओसी
	4.	अमलो–धोरी ओसी
	5.	परेज वेस्ट रिकास्ट
क्षे०सं०–4	1.	बोरदा यूजी
	2.	विचारपुर यूजी माइन, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट
	3.	धनकसा यूजी रिकास्ट
	4.	बल्लारपुर ओसी एनडब्ल्यू ओसी
	5.	सस्ती ओसी एक्सटेंशन
	6.	जमुनिया यूजी रिकास्ट
	7.	गौरी–पउनी एक्सटेंशन
क्षे०सं०–5	1.	रेहार एक्स. यूजी
	2.	गरे पेलमा IV/7 यूजी
	3.	दिपका एक्सटेंशन
	4.	बतुरा वेस्ट ओसी
	5.	बदौली यूजी
क्षे०सं०–6	1.	बिना–ककरी अमलगेमेशन ओसी का आरपीआर
	2.	निगाही एक्सटेंशन ओसी (15 से 25 मी.ट.प्र.व.)
क्षे०सं०–7	1.	लाजकुरा ओरिएंट ओसी रिकास्ट
	2.	सुभद्रा ओसी (उत्तकल ए + गोपालप्रसाद वेस्ट)
	3.	मनोहरपुर ओसी, मेसर्स ओसीपीएल
मुख्यालय	1.	मंदार पर्वत ओसी
	2.	झांझरा एक्स. यूजी
	3.	मेसर्स एनटीपीसी का मंदाकिनी 'बी' ब्लॉक
	4.	चुपरभीटा ओसी आरपीआर
पर्यावरणिक प्रबंधन योजना		
फॉम-1		
क्षे०सं०–2	1.	कलस्टर VII (ईसी संशोधन)
क्षे०सं०–3	1.	गिद्दी ए ओसीपी
	2.	कबरीबाद ओसी
	3.	गिरिडीह खुली खान परियोजना (उल्लंघन)
	4.	पिचरी खुली खान परियोजना (रूपांतरण)
क्षे०सं०–4	1.	विष्णुपुरी यूजी से ओसी

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	2.	अमलगेमेटेड इदर काम्पटी ओसी
	3.	न्यू माजरी यूजी से ओसी विस्तार
	4.	मकरधोकरा–1 ओसी विस्तार
	5.	गाँधीग्राम यूजी
क्षे०सं०–5	1.	अमली/न्यू अमली यूजी (पुनर्वैधानिक)
	2.	राजेन्द्र यूजी (पुनर्वैधानिक)
	3.	नवापारा यूजी (पुनर्वैधानिक)
	4.	राजनगर ओसीपी (पुनर्वैधानिक)
	5.	गायत्री यूजी (पुनर्वैधानिक)
	6.	सिंहली यूजी (पुनर्वैधानिक)
	7.	महान ओसी (पुनर्वैधानिक)
	8.	झीरीया यूजी (पुनर्वैधानिक)
	9.	बीजुरी यूजी (पुनर्वैधानिक)
	10.	उमरिया यूजी (पुनर्वैधानिक)
	11.	वेस्ट झगरगन्ड यूजी (पुनर्वैधानिक)
	12.	कुसमुण्डा ओसीची (ईसी संशोधन)
	13.	बटूरा हाईवाल
	14.	दिपका ओसी विस्तार (ईसी वैधता का विस्तार)
	15.	बटुरा ओसीपी (ईसी पुनर्विचार)
	16.	गेवरा ओसी विस्तार (ईसी संशोधन)
क्षे०सं०–6	1.	ककरी ओसीपी
	2.	कृष्णशीला ओसीपी
क्षे०सं०–7	1.	कुलदा ओसीपी विस्तार
	2.	कुलदा ओसीपी विस्तार (ईसी वैद्यता का विस्तार)
	3.	लखनपुर ओसीपी विस्तार (ईसी वैद्यता का विस्तार)
मसौदा		
क्षे०सं०–1	1.	राजमहल ओसीपी (नियमतिकरण) (पीक क्षमता–17 मी.ट.प्र.व.)
	2.	कलस्टर VII माइंस (4 खानों का ग्रुप) (7 (ii) के तहत ईसी संशोधन)
	3.	कालिदासपुर यूजी एवं ओसी
	4.	राजमहल एक्स. ओसीपी (पीक क्षमता–23.8 मी.ट.प्र.व.)
	5.	कलस्टर XII (झांझरा यूजी के संबंध में) (7(ii) के तहत ईसी संशोधन)
	6.	कलस्टर I (7(ii) के तहत ईसी संशोधन)
	7.	मोहनपुर ओसी विस्तार (फेज–II)
क्षे०सं०–3	1.	नॉर्थ उरीमारी ओसी (7(ii) के तहत परिशिष्ट/संशोधित ईएमपी)
	2.	आम्रपाली ओसी (7(ii) के तहत परिशिष्ट/रूपांतरित ईएमपी)
	3.	बसंतपुर तापिन वाशरी
	4.	न्यू कथारा वाशरी
	5.	तरमी ओसी
क्षे०सं०–4	1.	भाटडीह ओसी एक्स.
	2.	तावा–III यूजी (मसौदा ईएमपी)
	3.	न्यू माजरी यूजी से ओसी एक्स. तक
	4.	मकरधोकरा–I एक्स. ओसी (7(ii) के तहत परिशिष्ट/संशोधित ईएमपी)
	5.	निलजई एक्स. डीप ओसी (7(ii) के तहत परिशिष्ट/संशोधित ईएमपी)
क्षे०सं०–5	1.	गायत्री यूजी
क्षे०सं०–6	1.	निगाही ओसीपी (7(ii) के तहत परिशिष्ट/संशोधित ईएमपी)
क्षे०सं०–7	1.	जगन्नाथ एक्स. ओसी (उल्लंघन का केस) (7.5 मी.ट.प्र.व.) (संशोधित)
मुख्यालय	1.	कंचन ओसी

4.0 कोयला खनिज परिष्करण :

सीएमपीडीआईएल का कोयला खनिज परिष्करण, ग्रीनफील्ड कोयला वाशरियों, ,खनिज परिष्करण प्लांट तथा वर्तमान प्लांटों के रूपातंरण/आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सेवा प्रदान करता है। ये सेवाएँ विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर), वैचारिक रिपोर्ट (सीआर) बिड प्रोसेस मैनेजमेंट संविदा दतावेज की तैयारी तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्क्रुटनी ड्राईंग्स द्वारा अनुसरण किए गए कार्यों में सहायता देती है। यह आरएंडडी सेवाओं तथा कारपोरेट सपोर्ट का विसतृत रेंज भी प्रदान करता है। सीएमपी प्रयोगशाला को मई, 2019 में टेस्टिंग और केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) के लिए नेशनल एकीडीटेशन बोर्ड से मान्यता मिली है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जा चुके हैं:

क) रिपोर्ट/अध्ययन

➢ **वैचारिक रिपोर्ट :**

- मुंगोली–निरगुडा एरिया (3.5 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल में डिशेलिंग प्लांट
- अशोक वाशरी (4.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- वसतपुर–तापिन वाशरी (4.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- न्यू कथारा वाशरी (3.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- कारो वाशरी (4.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- कोनार वाशरी (4.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
- कुसमुंडा वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- बरौद वाशरी (4.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
- न्यू मूनीडीह वाशरी, बीसीसीएल की स्थापना के लिए 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत राख पर कोकिंग कोयले की धुलाई की संभाव्यता पर तकनीकी–आर्थिक तुलनात्मक रिपोर्ट

ख) निविदा दस्तावेज

कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के विभिन्न वाशरियों के लिए 8 निविदा दस्तावेज तैयार किए गए।

ग) निविदा दस्तावेज का मूल्यांकन

i) बरौद वाशरी (5.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
ii) कुसमुंडा वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
iii) दुग्धा वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.), बीसीसीएल

घ) निविदा दस्तावेज :

हिंगुला (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए दस्तावेज तैयार किया गया।

ड.) निर्माण ड्राईग (सिविल सहित) की संवीक्षा :

➢ भोजुडीह वाशरी, बीसीसीएल : 159 नग
➢ मधुबंध वाशरी, बीसीसीएल : 06 नग
➢ ईब–वैली लखनपुर वाशरी, एमसीएल : 458 नग

च) अन्य कार्य :

i) कोयले से अशुद्धता को हटाने के लिए कोल वाशरियों में अनुकूलतम खपत हेतु जल नेटवर्क का डिजाइन आईआईटी, रूड़की सहित उप कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है। सीएमपीडीआईएल का एसएंडटी विभाग नोडल एजेंसी है।

ii) कोकिंग कोयले के आगमेंटेशन के लिए वर्तमान कोयला पाशरियों के उपयोग के लिए सीसीएल एवं बीसीसीएल के वर्तमान वाशरियों के लिए अध्ययन रिपोर्टों की तैयारी।

क) बीसीसीएल :

- दुग्धा, मूनीडीह, महुदा, सुदामडीह, भोजुडीह और मधुबंध वाशरियों के लिए प्रारंभिक अध्ययन किए गए।
- दिनांक 12.07.2019 को रिपोर्ट तैयार कर बीसीसीएल को सौंप दिया गया।

ख) सीसीएल :

- राजरप्पा, केदला और किथारा वाशरियों के लिए प्रारंभिक अध्ययन किया गया।
- तदनन्तर, निम्नलिखित वाशरियों के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया :
- राजरप्पा वाशरी (18.10.2019 को सुपुद)
- केदला वाशरी (18.10.2019 को सुपुर्द)

5.0 परियोजना मूल्यांकन

1. वर्ष 2019–20 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों सीएमपीडीआई मुख्यालयों के विभागों द्वारा तैयार 30 पीआर/आरपीआर/ईपीआर की संवीक्षा एवं मूल्यांकन।

2. वर्ष 2019–20 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार 9 वैचारिक रिपोर्ट की संवीक्षा एवं मूल्यांकन तथा पीआर/आरपीआर/ईपीआर की तैयारी के पूर्व प्रमुख तकनीकी पारा मीटर को अंतिम रूप देने के लिए पीएडी विभाग और खुली खदान/भूमिगत खदान सहित निदेशक (टी/पीएंडडी) द्वारा मूल्यांकन करने के लिए समन्वयन।

3. सचिव (कोयला) के त्रैमासिक समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रू. से अधिक की लागत वाली विशेषकर सीएमपीडीआईएल के जिम्मे जो कार्य है उन चालू परियोजनओं के कार्यान्वयन की समिति का अद्यनीतनीकरण
4. वर्ष 2023–24 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के 1 बिलियन टन कार्यक्रम के तहत चिन्हित परियोजनाओं के लिए पीआर के फार्मूलेशन की मॉनीटरिंग।

5.1 एमओयू 2019-20 :

1. सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार ''परियोजना रिपोर्ट (सं) की तैयारी क्र.सं. 4 (क), भाग ख'' शीर्षक के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रापत करने के लिए 32 परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019–20 तैयार करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019–20 के दौरान 32 परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सुपुर्द कर दी गई।
2. सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार ''परियोजना रिपोर्ट की समय सुपुदर्गी, क्र.सं. 4 (क), भाग ख'' शीर्ष के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त करने के लिए 31.12.19 तक 32 रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के मुकाबले 31.12.2019 तक सभी 32 रिपोर्ट सौंप दी गई।

6.0 खुली खदान खनन

वर्ष 2019–20 के दौरान पूरे किए गए बड़े/ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है :

6.1 पूरे किए गए प्रमुख बाहरी परामर्शी कार्य इस प्रकार है :

- मेसर्स एनटीपीसी के मंदाकिनी–बी कोल ब्लॉक के लिए संभाव्यता रिपोर्ट
- मेसर्स हिंडालकों के गरे पेल्मा IV/4) ब्लॉक के लिए माइनिंग प्लान और माइन क्लोजर प्लान
- मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अमेलिया कोल ब्लॉक के लिए खनन योजना और माइन क्लोजर प्लान

6.2 पूरे किए गए कोल इंडिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

- चुपरभीटा ओसीपी, ईसीएल के संशोधित परियोजना रिपोर्ट
- बलराम एक्सपेंसन ओसीपी, एमसीएल का अद्यत्ति लागत प्राक्कलन
- नार्थ इंस्टर्न कोलफील्ड, सीआईएल का विजिबिलिटि अध्ययन
- गरे पेल्मा iv/1 कोल ब्लॉक, एसईसीएल के लिए आर्थिक मूल्यांकन
- कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों के क्षमता मूल्यांकन 01.04.2020 के अनुसार प्रोजेक्शन
- 2018–19 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों के लिए क्षमता मूल्यांकन और क्षमता का उपयोग
- कोल इंडिया लिमिटैड के सभी अनुषंगियों के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान एचईएमएम का कार्यनिष्पादन विश्लेषण
- वर्ष 2018–19 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के समरी (सारांश) तथा उम्पर एवं एक्सकेवेटर का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
- विस्फोटक, डीजल एवं इलेक्ट्रीक–पावर के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के खुली खदान खानों में विशिष्ट खपत का विश्लेषण
- नई चालू एचईएमएम के लिए सीआईएल प्लांट नम्बर का आवंटन तथा डाटाबेस का अद्यतन
- परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन

6.3 कोयला मंत्रालय के अन्य कार्यों में शामिल है :

- खनन योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन

6.4 वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू :

सीएमपीडीआईएल के 2019–20 के एमओयू के अनुसार, ''एनईसी की व्यवहार्यता का अध्ययन और रिपोर्ट की सुपुर्दगी, क्र.सं. 6, भाग ख'' शीर्ष के तहत उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने के लिए

''एनईसी की व्यवहार्यता का अध्ययन'' पर रिपोर्ट तैयार कर 01.03.2020 तक सीआईएल को सौंप देनी थी। इस लक्ष्य के मुकाबले यह रिपोर्ट 19.02.2020 को साफ्ट कापी तथा 25.02.2020 को हार्ड काफी सीआईएल को सौंप दी गई।

7.0 भूमिगत खनन :

क) कोल इंडिया के कार्य

वर्ष 2019-20 के दारौन निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

- चरणबद्ध तरीके से सीसीएल के खर्चीले खानों को बंद करने और उसके श्रमशक्ति को जहाँ लाभदायक हो, वहाँ लगाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम और तकनीकी–आर्थिक पारामीटरों का विस्तृत अध्ययन
- खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची
- कंपनीवार क्षमता उपयोग (2018–19) और वृद्धि विश्लेषण सहित कोल इंडिया लिमिटेड (2019–20) के भूमिगत खानों के लिए मूल्यांकन
- झांझरा कोलियरी, ईसीएल के लिए पीआर
- पतरातू एबीसी भूमिगत (एमडीओ विकल्प) का परियोजना रिपोर्ट
- नांदिरा कोलियरी, तालचर एरिया, एमसीएल का संपूर्ण संवातन अध्ययन
- लोअर सीमाना सीम, भुरकुंडा ''बी'' कोलियरी, सीसीएल के लिए खनन हेतु योजना की तैयारी और वर्किंग्स (खनन) की स्थायित्वता के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- हिंदीदुहा कोलियरी, तालचर क्षेत्र में 6 जोनों के स्टेबिलाइजेशन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन
- ईसवीएल के सतगब्राम क्षेत्र के तहत जे.के. नगर कोलियरी और कालिदास परियोजना में मैन राइडिंग सिस्टम को लागू करने के लिए योजना की तैयारी
- घेरी खास, सीसीएल के 4/5/6 के पिलरों के आंशिक कर्शण से संबंधित पैनल जी,एच, आई एंड जे का वैज्ञानिक अध्ययन
- राजुर इनक्लाइन कोलियरी (यू/जी माइन), वाणी एरिया, डब्ल्यूसीएल में संवातन के इंम्प्रूवमेंट के लिए वेन्टीलेशन पीक्यू सर्वेक्षण का अध्ययन
- गिद्धी–केदला रोड और भवनों/संरचनाओं की स्थायित्वता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, जहाँ सारूबेड़्या भूमिगत के 3 सी इनक्लाइन के सीम में विकास कार्य पहले ही गिद्दी केदला रोड के नीचे और 45 मीटर में किया जा चुका है।
- जारंगडीह भूमिगत खान, कथारा क्षेत्र, सीसीएल में एबी इनक्लाइन/6फीट खीम में डिपिलरिंग के कारण हुई रिक्ति से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन
- यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन (यूडीएम) के लिए नार्म्स के सर्वे ऑफ की तैयारी
- सीआईएल के खुली खदान खानों के लिए कोयले के विकास संचालन और डिलीवरी के लिए एमडीओ दस्तावेज
- आरएंडडी परियोजन के तहत निम्नलिखित खानों में संवातन अध्ययन किए गए : मॉस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की संवातन आवश्यकता, परियोजना कोड संख्याः सीआईएल/आरएंडडी/01/63/2016
  - झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी, ईसीएल
  - श्याम सुदरपुर कोलियरी, ईसीएल
  - मूनीडी यूजी माइन, बीसीसीएल
  - चुर्चा आर ओ, एसईसीएल

ख) कोल इंडिया के कार्य (प्रगति पर)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए :

- वर्ष 2020–21 के लिए 154 भूमिगत खानों का क्षमता मूल्यांकन और वर्ष 2019–20 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के 160 आपरेटिंग भूमिगत खानों का कंपनी वाइज क्षमता उपयोग एवं वृद्धि विश्लेषण
- खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य सूची
- निम्नलिखित के लिए 3 डी धँसान पूर्वानुमान एवं प्रबंधन

- सीसीएल के केदला भूमिगत खदान
- सीसीएल के भुरकुंडा भूमिगत खदान
- डब्लयूसीएल का तावा भूमिगत खदान

- कोल इंडिया लिमिटेड के भूमिगत खदानों के लिए कोयले के विकास, आपरेशन और डिलीवरी के लिए एमडीओ दस्तावेज
- कोल इंडिया लिमिटेड के अबानडोन्ड/डिरेलिक्ट कोयला खदान की रिओपनिंग के लिए एमडीओ दस्तावेज की तैयारी
- बरोरा एरिया, बीसीसीएल के फुलारीटाँड कोलियरी क पूरे बेनेडीह भूमिगत खान के शाफ्ट, फैन, ड्रिफ्ट एंड इवासी के बीओक्यू और विस्तृत डिजाइन की तैयारी
- वर्ष 2023–24 में 170 मी.ट.प्र.व. प्राप्त करने के लिए एनसीएल हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान
- तिलाबोनी कोलियरी, बंकोला क्षेत्र, ईसीएल के पिट सं. 2 के वाइडेनिंग और पीपेनिंग के लिए डिजाइन, ड्राईंग, इस्टीमेंट और एनआईटी
- मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु के खान सीआईएल/आरएंडडी/01/63/2016
- मकरी बरका वेस्ट, फेज–II (बोरका सारा टोला) यूजी, एनसीएल के परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
- नटराज यूजी माइन के संशोधित परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

8.0 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ :

वर्ष के दौरान पूर्ण की गई निम्नलिखित प्रमुख सेवाएँ समीक्षा के अधीन है :

8.1 प्रोजेक्ट प्लानिंग कार्य :

क) निम्नलिखित के सिविल पार्ट के पीआर की तैयारी/लागत अद्यतनीकरण :

1. पुण्डी ओसी का आरपीआर
2. चैनपुर ओसीपी का आरपीआर
3. मांदेर पर्वत, बीसीसीएल का पीआर
4. गरे पेल्मा iv/5 (1.1. मी.ट.प्र.व.) का पीआर
5. मंदाकिनी, एनटीपीसी का पीआर

ख) पुरे वर्ष के दौरान पीएडी द्वारा तकनीकी जाँच के लिए इस विभाग को अग्रसारित विभिन्न रिपोर्टों के लिए पीआर/आरपीआर की तकनीकी जाँच:

8.2 सिविल एवं वास्तुशिल्पीय विस्तृत डिजाइन कार्य :

क) जयंत, एनसीएल में सेंट्रल पार्क (रोज गार्डेन) के अपलिफ्टमेंट, आधुनिकीकरण और सौन्दर्यकरण के लिए योजना

ख) डब्ल्यूसीएल के वानी नार्थ एरिया के अंतर्गत भल्लार टाउनशीप में 15 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए वास्तुशील्पीय/संरचनात्मक तथा वैद्युत डिजाइन ड्राईंग की तैयारी।

ग) कुसमुण्डा एरिया, एसईसीएल के लिए टाउनशीप का वास्तुशील्पीय एवं संरनात्मक परामर्श

घ) आईआईसीएम, काँके रोड, राँची में 100 बिस्तर वाला होस्टल के निर्माण हेतु परामर्श

ड.) जयंत परियोजना के जीएम/प्रोजेक्ट आफिस तथा नए अधिकारियों के लिए होस्टल की प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं ड्राईंग

8.3 निविदा दस्तावेज की तैयारी :

क) बीओएम अवधारणा पर आधारित मुनिडीह कोकिंग कोल वाशरी (2.5 एमटीपीए) की स्थापना के लिए एकीकृत ई–टेंडर (आरएफपी के साथ–साथ आरएफक्यू) की तैयरी।

ख) बीओएम कॉन्सेप्ट पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए),एमसीएल को स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट एलओआई, एलओए और अंतिम ड्राफ्ट अनुबंध दस्तावेज तैयार करना।

ग) फील्ड वर्कशॉप में 190 टी डम्पर मेंटेनेंस शॉप तथा वाशिंग स्टेशन के लिए एनआईटी (तकनीकी एवं व्यावसायिक) एवं बेस वर्कशाप में 190 टी डम्पर रिपेयर शॉप तथा बाउन्ड्री वाल के लिए एनआईटी (तकनीकी एवं व्यावसायिक) के लिए एनआईटी की तैयारी

घ) गेवरा खु.खा.प., एसईसीएल में वर्कशॉप एवं स्टोर की स्थापना एवं डिजाइन इंजीनियरिंग निर्माण के लिए एनआईटी।

ड.) सीआरएस, बड़काकाना में वर्कशॉप ईटीपी के लिए योजना एवं टर्न की दस्तावेज की तैयारी

च) मगध खु.खा.प., नार्थ उरीमारी, आम्रपाली खु.खा. प.सीसीएल के सीएचपी का निविदा दस्तावेज

छ) ब्लॉक–बी सीएचपी (इन्क्रीमेंटल 4.5 एमटीपीए), एनसीएल का एनआईटी/निविदा दस्तावेज (व्यावसायिक एवं तकनीकी) की तैयारी

8.4 योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

क) एनसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल की कॉलोनियों को मिनी स्मार्ट सिटी/कॉलोनी में परिवर्तन के लिए डीपीआर की तैयारी।

ख) 5 एमटीपीए पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी, बीसीसीएल के लिए बीओ बीआर वैगन अपलोडिंग सिस्टम हेतु 2 ग 330 मी. लॉग ट्रैक होप्पर के निर्माण के लिए योजना

ग) पीआर के अनुसार कोटरे, झुम्मर, पचमो तथा बधरैया नामक चार नालों के डायवर्सन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन तथा सीसीएल के दक्षिणी सीमा के साथ–साथ चुटुआ नाला के तटबंध का डिजाइन

घ) बसुंधरा एरिया, एमसीएल के तहत सारंगीझरा आर एंड आर साइट कें लिए एलएआर आर अधिनियम, 2013 के अनुसार प्लॉटिंग, सड़क का विकास के लिए पीपीआर की तैयारी

ड.) सीसीएल के 3 एमटी न्यू कथारा कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना के लिए विसतृत अवधारणात्मक रिपोर्ट तथा इंटिग्रेटेड बीड दस्तावेज की तैयारी

च) 4 एमटीवाई बसंतपुर तापीन कोकिंग कोल वाशरी, हजारीबाग सीसीएल की स्थापना के लिए विसतृत अवधारणात्मक रिपोर्ट तथा एकीकृत बीड दस्तावेज की तैयारी

छ) अशोक गैर–कोकिंग कोल वाशरी, सीसीएल के लिए विस्तृत अवधारणात्मक रिपोर्ट तथा एकीकृत बीड दस्तावेज की तैयारी

ज) एनसीएल के सीडब्ल्यूएस जयंत के उन्नयन के लिए योजना पर रिपोर्ट

झ) न्यू केंदा कॉलोनी के एसटीपी के लिए योजना की तैयारी

ञ) बीओएम अवधारणा पर कुसमुण्डा कोल वाशरी (10.0 एमटीवाई), एसईसीएल की स्थापना के लिए संशोधित अवधारणात्मक रिपोर्ट तथा बिड दस्तावेज की तैयारी

ट) उमरेर एरिया के मकरघोकरा–। खुली खान में समीपस्थ नाला पर दो पूल तथा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण।

8.5 संरचनात्मक उपयुक्तता अध्ययन :

क) सीसीएल की विभिन्न वाशरियों (करगली वाशरी, कथारा वाशरी, स्वांग वाशरी एवं गिद्दी वाशरी) के विभिन्न ढाँचों एवं भवनों का संरचनात्मक उपयुक्तता अध्ययन

ख) दुधिचुआ सीएचपी, एनसीएल का अडवांस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट

ग) निगाही पैकेज–बी सीएचपी एवं अमलोहरी ओल्ड सीएचपी, एनसीएल का संरचानात्मक स्थायित्व अध्ययन

8.6 डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा :

क) बसुंधरा वेस्ट एक्सटेन्शन परियोजना तथा सियारमल परियोजना के लिए बसुंधरा नदी के ऊपर हाई लेवल ब्रिज के कार्य हेतु मेसर्स मेकॉन लिमिटेड राँची द्वारा पेश की गई डीपीआर की संवीक्षा

ख) कृष्णशीला खुली खान परियोजना (6.25 एमटीवाई), एनसीएल के लिए ईटीपी का डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा।

ग) सोनपुर बजारी सीएचपी (12एमटीवाई) की ड्राईंग/डिजाइन की संवीक्षा

घ) ईपीसी मॉडेल पर जेवीआरओसी तथा के ओसी,एसईसीएल में सीएचपी की स्थापना के लिए परामर्श सेवा संविदा

ड.) लखनपुर, एमसीएल के ईब घाटी वाशरी की स्थापना के संबंध में चालन परीक्षण तथा कार्य–निष्पादन गारंटी जाँच (पीजीटी) के दौरान सहायता एवं ड्राईंग की संवीक्षा

रोज गार्डेन, एनसीएल में प्रस्तावित कंसेप्चुअल मॉडर्न पस्क्रिप्चर

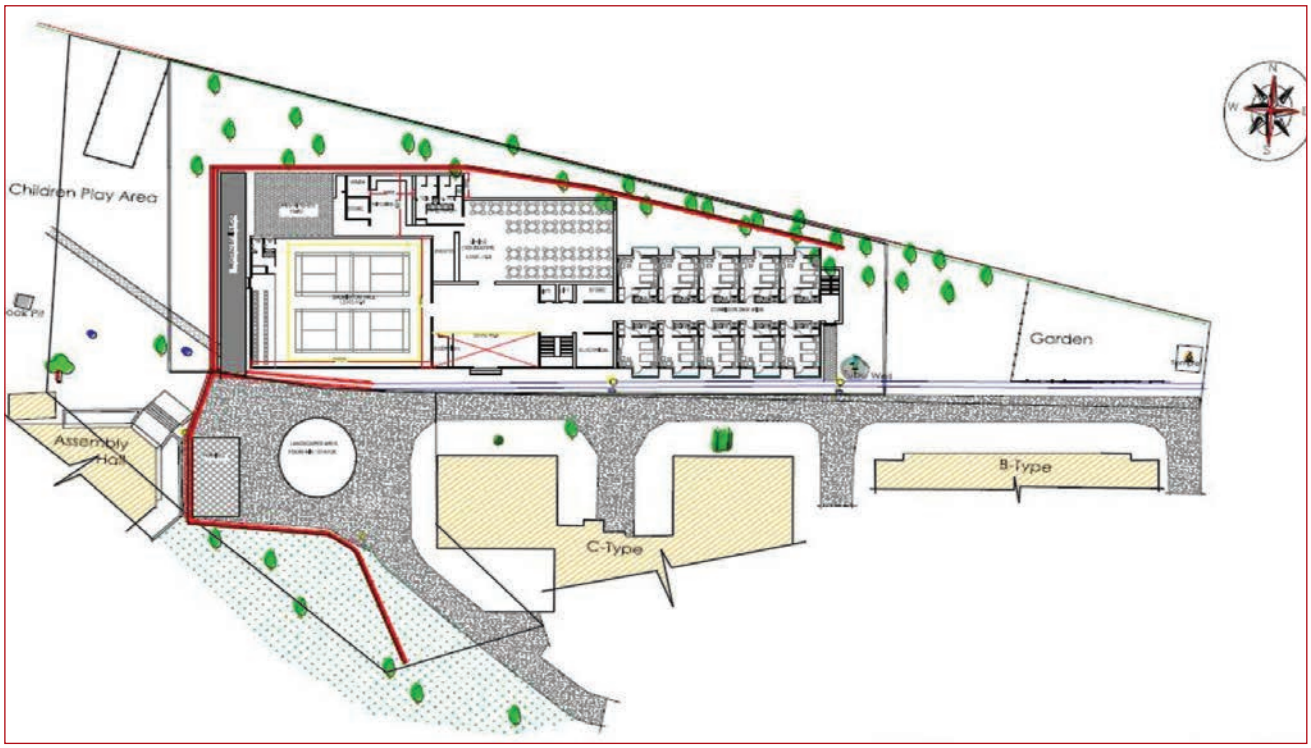

आईआईसीएम में प्रस्तावित 100 बिस्तर वाला अधिकारी होस्टल का प्लान

जागृति विहार कॉलोनी, एमसीएल के मिनी स्मार्ट सिटी कॉलोनी के विकास के लिए डीपीआर

बैक फील्ड ओपेन कास्ट माइन पर संरचना निर्माण शीर्षक वाले एसएडंटी परियोजना के लिए जगन्नाथ क्षेत्र एमसीएल में टेस्ट बिल्डिंग का निर्माण

च) टर्न की आधार पर अधिकारी क्लब–सह–ट्रांजिट कैम्प एवं स्टाफ क्लब एनसीसी, एनसीएल के निर्माण के लिए ड्राईंग की संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण

छ) 2 एमटीपीए भेजूडीह, एनएलडब्ल्यू वाशरी की स्थापना के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा एवं जांच

8.7 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

क) अनुसंधान एवं विकास परियोजना बैंक फील्ड खुली कोयला खानों पर संरचना का निर्माणः व्यावहारिक प्रक्रिया (विधि) सुझाने का प्रयास

9.0 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

9.1 खान आयोजन प्लानिंग (आधारभूत संरचना)

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्य किए गए:

➢ **परियोजना रिपोर्ट की तैयारी**

- **मुख्यालय**

  अमेलिया खु.खा.प./टीएचडीसी (5.6 एमटीवाई) एवं चुपरमिटा खुली खान परियोजना, ईसीएल 4 (एमटीवाई)

- **क्षेत्रीय संस्थान-I**

  वर्ष 2019–20 में कुल 8 पीआर तैयार किया गया।

- **क्षेत्रीय संस्थान-II**

  न्यू आकाश किनारी कोलियरी, ब्लॉक–IV गोबिन्दपुर कोलियरी, तेतुलमारी कोलियरी, निचितपुर खुली खान परियोजना, बासुदेवपुर खुली खान परियोजना तथा राजापुर खुली खान परियोजना की खान योजना

- **क्षेत्रीय संस्थान-III**

  अशोक खु.खान. परियोजना (12.0 एमटीवाई); चैनपुर खुली खान परियोजना (1.0 एमटीवाई) ; झारखंड लइयो खुली खान परियोजना (1.0 एमटीवाई) चैनपुर वेस्ट खुली खान परियोजना (2.0 एमटीवाई) कबरीबाद खुली खान परियोजना (0.6 एमटीवाई) तथा एकीकृत अमलो एवं ढोरी खुली खान परियोजना (5.0 एमटीवाई) के लिए परियोजना रिपोर्ट

- **क्षेत्रीय संस्थान-IV**

  विचारपुर भू.ग. (0.75 एमटीवाई), यूटीसीएल (बाह्य परामर्शी कार्य), धनकासा भू.ग. खानदिनेश मकरधोकरा ओसी, चिनौरा ओसी खान, मकरी मंगली ओसी खाना, बल्लरपुर एन/डब्ल्यू ओसीएम, गौरी पउनी और सस्ती ओसीएम विस्तार

- **क्षेत्रीय संस्थान-V**

  वर्ष 2019–20 के दौरान शिड्यूल 5 परियोजना रिपोर्ट तथा 4 अनशिड्यूल परियोजना रिपोर्ट का कार्य किया गया।

- **क्षेत्रीय संस्थान-VI**

  बीना ककरी एकीकृत खुली खान परियोजना (14 एमटीवाई) तथा निगाही खुली खान परियोजना (25 एमटीवाई) के लिए ईपीआर

- **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

  बलभद्र खुली खान परियोजना (10 एमटीवाई),सुभद्रा खुली खान परियोजना (20 एमटीवाई), भुवनेश्वरी खुली खान परियोजना (40 एमटीवाई), कुल्दा गर्जनबहल संयुक्त खुली खान परियोजना (40 एमटीवाई), तथा लाजकुरा ओरिएंट खुलीखान परियोजना (15 एमटीवाई) की पयिोजना रिपोर्ट।

➢ **परियोजना रिपोर्ट/लागत मूल्यांकन का अद्यतन**

- **मुख्यालय**

  मंदार पवर्त ब्लॉक बीसीसीएल (19 एमटीवाई)

- **क्षेत्रीय संस्थान-VII**

  हिंगुला खुली खान परियोजना (15 एमटीवाई), गोपाल जी–कनिहा खुली खान परियोजना (30 एमटीवाई) की आरईसी, सियारमल खुली खान परियोयजना (40 एमटीवाई का आरसीई दस्तावेज

9.2 कोल हैंडलिंग प्लांट

➢ **ई-निविदा दस्तावेज की तैयारी:**

- **मुख्यालय**
  - के.के–I ओसीपी, एसईसीएल की सीएचपी (सीआईएल से बाहर के परामर्शी कार्य)
  - दुधिचुआ इंक्रिमेंटल फेज–III सीएचपी (10 एमटीपीए), एनसीएल
  - हुरा सीसीएचपी (3.0 एमटीपीए), ईसीएल
  - ब्लॉक–बी सीएचपी (4.5 एमटीपीए), ईसीएल
- **क्षेत्रीय संस्थान-I**
  कुमारडीह बी सीएचपी (1.02 एमटीवाई) के लिए एनआईटी मुनिडीह भू.ग. परियोजना, डब्लयू जे क्षेत्र, बीसीसीएल
- **क्षेत्रीय संस्थान-III**
  नार्थ उरीमारी सीएचपी (7.5 एमटीवाई) तथा अम्रपाली सीएचपी (12 एमटीवाई) के लिए निविदा दस्तावेज
- **क्षेत्रीय संस्थान-IV**
  भाटाडी, गोंदेगाँव, सिनगोरी तथा पउनी एकीकृत के लिए सीएचपी सिस्टम डिजाइन
- **क्षेत्रीय संस्थान-V**
  गेवरा सिलो 5 एवं 6 एसईसीएल के लिए ड्राफ्ट एनआईटी, गेवरा सीएचपी फेज–I (20एमटीवाई), मानिकपुर सीएचपी (4.9 एमटीवाई)
- **क्षेत्रीय संस्थान-VII**
  कनिहा खुली खान परियोजना (10 एमटीवाई) में सर्ज बीन अरेन्जमेंट सहित आरएलएस तथा सीएचपी के लिए ई–निविदा दस्तावेज तथा लखनपुर खुली खान परियोजना(10 एमटीवाई) फेज–I में पाइप कन्वेयर तथा सिलो लोडिंग व्यवस्था सहित सीएचपी के लिए ई–निविदा दस्तावेज

➢ **सीएचपी/वर्कशॉप/सबस्टेशन के ड्राईग की संवीक्षा/अनुमोदन**

- **मुख्यालय**
  कृष्णाशीला मुख्य सीएचपी (4एमटीपीए), एनसीएल
  जेवीआर खुली खान, सीएचपी (10 एमटीवाई)
  कुसमुण्डा वर्कशॉप, एसईसीएल
  132/33 केवी, 3x40 एमवीए मधौली सब स्टेशन का स्थानांतरण
- **क्षेत्रीय संस्थान-I**
  सोनपुर बजारी सीएचपी (12एमटीवाई) की ड्राईंग की संवीक्षा
- **क्षेत्रीय संस्थान-V**
  दिपका, एसईसीएल में 33 केवी सब स्टेशन (3) के बचे हुए कार्य की ड्राईंग की संवीक्षा
- **क्षेत्रीय संस्थान-VII**
  हिंगुला खुली खान परियोजना (10 एमटीवाई) तथा भुवनेश्वरी खुली खान परियोजना (2.5 एमटीवाई) में पाइप कन्वेयर तथा सिलो लोडिंग व्यवस्था सहित सीएचपी की ड्राईंग संवीक्षा

9.3 वर्कशॉप तथा स्टोर: ई-निविदा दस्तावेज की तैयारी

➢ **मुख्यालय**

- जयंत फील्ड वर्कशॉप, एनसीएल में 190 टी डम्पर की मरम्मत
- गेवरा वर्कशाप (70 एमटीवाई), एसईसीएल

9.4 ऊर्जा अंकेक्षण / बेंचमार्किंग

➢ **मुख्यालय, राँची द्वारा निम्नलिखित कंपनियों के लिए सत्तर खुली खानों के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग**

- **मुख्यालय**
  बीसीसीएल का 14 ओसीपीएस, सीसीएल का 30 ओसीपीएस, ईसीएल का 08 कोसीपीएस, एमसीएल का 12 ओसीपीएस

एमसीएल का 10 ओसीपीएस, एसईसी 14 ओसीपीएस

➢ **निम्नलिखित के लिए वैद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग**

- **मुख्यालय**
  ब्लॉक बी खुली खान परियोजना, एनसीएल तथा एनसीएल मुख्यालय एनसीएल
- **क्षेत्रीय संस्थान-II**
  मुनिडीह भू.ग. परियोजना, डब्लयू जे क्षेत्र, बीसीसीएल
- **निम्नलिखित के लिए इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण**
- **मुख्यालय**
  एनसीएल की जयंत कोलियरी
- **क्षेत्रीय संस्थान-II**
  एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना, कतरास एरिया बीसीसीएल

9.5 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

➢ **मुख्यालय**

- 10 एमटीपीए से 20 एमटीपीए जयंत खुली खान परियोजना के विस्तारण के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु ई निविदा दस्तावेज

➢ **क्षेत्रीय संस्थान** - III

- मगध खुली खान परियोजना के 2x16 एमवीए, 33/6.6 केवी सब स्टेशन–I ई के लिए निविदा दस्तावेज
- अम्रपाली खुली खान परियोजना के 2 x16 एमवीए, 33/6.6 केवी सब स्टेशन–II के लिए निविदा दस्तावेज
- मगध खुली खान परियोजना के प्रस्तावित डीवीसी टंडवा (निकट एनटीपीसी टंडवा) से प्रस्तावित 2x16 एमवीए, 33/6.6 केवी सब स्टेशन–I ई तक 3 केवी ओर हेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए निविदा दस्तावेज
- प्रस्तावित डीवीसी टंडवा एनटीपीसी टंडवा के नजदीक) से अम्रपाली खुली खान परियोजना
- 2x16 एमवीए, 33/6.6 केवी सब स्टेशन–II तक 33 केवी ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए निविदा दस्तावेज का मसौदा

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - V**

- कुसमुंडा 33 केवी 3 सब स्टेशन के पुनर्निविदा के लिए एनआईटी
- गेवरा खुली खान परियोजना (35.70 एमटीवाई) में 33 केवी के 3 सब स्टेशन के लिए एनआईटी
- चाल खुली खान परियोजना में 33 केवी सब स्टेशन के लिए एनआईटी
- जगन्नाथपुर खुली खान परियोजना में 33 केवी सब स्टेशन के लिए एनआईटी

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - VI**

- 2 x10 एमबीए ओबी सब स्टेशन खादिया खुली खान परियोजना एनसीएल के लिए एनआईटी

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - VII**

- अनन्त खुली खान परियोजना में 2x4 एमवीए, 33/3.3 केवी परियोजना सब स्टेशन के लिए आपूर्ति, संस्थापन चालू करना, जाँच करना चालन परीक्षण तथा डीएलपी के दौरान रख–रखाव हेतु ई एनआईटी एवं लागत प्राक्कलन
- भरतपुर खुली खान परियोजना 2x10 एमवीए, 33/6.6 केवी ओएचटीएल परियोजना सब स्टेशन ओएचटीएल की आपूर्ति, संस्थापन, चालू करना, परीक्षण करना, तथा डीएलपी के दौरान चालन परीक्षण एवं अनुरक्षण
- जगन्नाथ खुली खान परियोजना 2x16 एमवीए, 33/6.6 केवी परियोजना सब स्टेशन तथा नान्दिरा सब स्टेशन से 33 केवी ओएचटीएल की आपूर्ति, संस्थापन, चालू करना, परीक्षण करना, तथा डीएलपी के दौरान चालन परीक्षण एवं अनुरक्षण

9.6 सौर्य ऊर्जा के लिए पहल (सोलर इनिसीएटिव्स) :

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - II**

- वर्ष 2019–20 में सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान।। में 30 केडब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापित किया जा चुका है।

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - IV**

- जून 2019 में सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान IV में 50 केडब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की स्थापना कर ली गई है।
- 55 लाख रूपये के 100 के डब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप विद्युत संयंत्र के लिए निविदा किया जा चुका है।
- सीएसआर कार्य के तहत जिला परिषद् स्कूल, आनन्दवन वेरोरा (एमएस) में 6 के डब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित कर लिया गया।

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - V**

- कार्यालय भवन में 100 केवीपी रूफ टाप सौर्य विद्युत संयंत्र स्थापित कर, इसे चालू कर इसकी जाँच कर ली गई।

9.7 अन्य रिपोर्ट/निविदा दस्तावेज/योजना :

➢ **मुख्यालय**

- पाथरडीह वाशरी बीओबीआर ट्रैक होप्पर की योजना
- राजमहल सीएचपी (10 एमटीवाई) की योजना
- जयंत सेकेन्ड्री साइजर की योजना
- सीएमपीडीआईएल में नए सब स्टेशन के लिए योजना
- सेंट्रल वर्कशॉप, जयंत, एनसीएल के उन्नयन के लिए योजना
- एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल तथा एईसीएल के लिए मिनी स्मार्ट सिटी पीपीआर की तैयारी

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - IV**

- तवा भू.ग.खान में कंटीन्यूअस माइनर शामिल करने की योजना

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - V**

- दिपका खुली खान विस्तारण (25–40 एमटीवाई) परियोजना में मेकेनाइज्ड साइडिंग के लिए योजना का मसौदा

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - VI**

- एनसीएल परियोजना (फर्स्ट माइल कनेक्टिबिटी) में मौजूदा वार्फवाल में आरएलएस सहित मेकेनाइज्ड लदान की योजना
- अमलोहरी परियोजना के मौजूदा सीएचपी में सेकेन्ड्री साइजर लगाने के लिए योजना का मसौदा
- वर्तमान खादिया फेज–I सीएचपी में सेकेन्ड्री साइजर लगाने की योजना का मसौदा
- निगाली परियोजना की पश्चिमी सीएचपी के वैकप्लिक मार्ग के लिए योजना
- खादिया फेज–II सीएचपी के परिचालन एवं रख–रखाव के लिए एनआईटी टीएच 8 से स्पर साइडिंग अप (15 एमटीवाई) के निकट प्रस्तावित सिलो तक कोयले की ढुलाई के लिए योजना एवं ई निविदा दस्तावेज

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - VII**

- भुवनेश्वरी सीएचपी (यू/सी) को टीएच 7 एवं टीएच–8 से स्पर साइडिंग–6 (15 एमटीवाई) के निकट प्रस्तावित सिलो तक कोयले की ढुलाई के लिए योजना एवं ई–निविदा दस्तावेज
- सरडेगा साइडिंग (20 एमटीवाई) में सर्ज बिन व्यवस्था सहित सीएचपी तथा आरएलएस के लिए योजना एवं ई–निविदा दस्तावेज
- अनन्त खुली खान परियोजना (20 एमटीवाई) में सर्ज बिन व्यवस्था सहित आरएलएस तथा सीएचपी के लिए योजना एवं ई–निविदा दस्तावेज
- लाजकुरा साइडिंग (20 एमटीवाई) में सर्ज बिन व्यवस्था सहित आरएलएस तथा सीएचपी के लिए योजना एवं ई–निविदा दस्तावेज

- स्टॉकयार्ड/रिक्लेम फीडर परिसर से भुवनेश्वरी सीएचपी (25 एमटीवाई) के टीएच। तथा टीएच 2 (यू/सी) तक कोयले की ढुलाई के लिए संशोधित योजना तथा ई निविदा दस्तावेज

9.8 निरीक्षण सेवाएँ :

- कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों के द्वारा खरीदी गई संयंत्र एवं मशीनरी के लिए निर्माता के कारखाने में प्रेषण पूर्व निरीक्षण सेवाएँ
- वर्ष 2019–20 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा इन सेवाओं से लगभग 3.04 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

9.9 एनडीटी (नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण) कार्य

➢ **मुख्यालय**

- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में सीएचपी का किया गया एनडीटी–02
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में किए गए ड्रैग लाइन का एनडीटी–02
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में किए गए शॉवेल/एक्सावेटरों का एनडीटी–20
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियाँ में किए गए डम्परों का एनडीटी–14
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियाँ में किए गए ईओटी क्रेन का एनडीटी–15
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियाँ में किए गए कोयला वाशरियों का एनडीटी–1
- कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियाँ में किए गए एयर कम्प्रेसर टैंक का एनडीटी–2

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - III**

- सीसीएल का स्वांग वाशरी
- सीसीएल की चूरी भू.ग. सीएचपी

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - VI**

- एनसीएल परियोजनाओं के सीएचपी स्ट्रक्चर, शॉवेल, डम्पर एवं ड्रैग लाइन का एनडीटी

9.10 अन्य बड़े (महत्वपूर्ण) कार्य :

➢ **मुख्यालय**

- कोयला ब्लॉक लागत अद्यतनीकरण (ईएंडएम भाग)
- जीईएम पोर्टल के जरिए मासिक आधार पर 7 एसयूवी (SUV) टाइप वाहन पर किराए पर लेने हेतु वाहन निविदा
- ''जब और जहाँ आवश्यक हो'' आधार पर वाहन को किराया पर लेने के लिए वाहन निविदा
- सीआईएल द्वारा अपनाएँ जाने के लिए एमएस प्रोजेक्ट सीएचपी टेम्पलेट की तैयारी
- ईएंडएम विभाग, सीएमपीडीआईएल (मु.) में गुणवत्ता एवं डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएमपीडीआईएल को आईएसओ समेकित (एकीकृत) प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन
- ईएंडएम विभाग, सीएमपीडीआईएल (मु.) में जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा रिश्वतरोधी प्रणाली का कार्यान्वयन

➢ **क्षेत्रीय संस्थान - IV**

- डीआरसी (4.6 करोड़) की डिजास्टर रिकवरी सिस्टम के लिए वैद्युत कार्य का संस्थापन
- 32 वाहन को किराए पर लेने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है
- एक नया कैम्प (एका नगर) की स्थापना की गई है और इसके लिए विभागीय तौर पर विद्युत संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

10.0 नगर अभियंत्रण सेवाएँ

1.	भवनों जैसे कार्यालय भवन तथा आवासीय स्टाफ क्वार्टर का रख–रखाव एवं सफाई व्यवस्था, आवश्यक बागवानी के साथ–साथ स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण तथा इसकी देखभाल करना।
2.	कार्यालय से संबंधित सभी वैद्युत, इलेक्ट्रानिक तथा यांत्रिक उपकरणों का रख–रखाव तथा इसकी वस्तु–सूची मेनटेन करना
3.	सभी कार्यालयी फर्निचरों का अनुरक्षण
4.	आवश्यक कदम उठाकर जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना
5.	बिजली संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाकर बिजली प्रबंधन
6.	बिजली बिल, टेलिफोन बिल, जल बिल तथा अन्य साविधिक भुगतान आदि के भुगतान के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति, जाँच सुपुर्दगी सुनिश्चित करना
7.	स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम के साथ संपर्क कार्य

11.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

11.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजन कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्रिया–कलापों को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के जरिए प्रशासित किया जता है। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेंट्रल माइन पलानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) के महानिदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सलाहकार (ऊर्जा), नीति आयोग, निदेशक, सीएमआईएफआर, धनबाद तथा निदेशक टेरी शामिल है। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य, योजना बनाना, बजट तैयार करना, नई अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित करना, इनके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना तथा वास्तविक क्षेत्रीय स्थिति में अनुसंधान एवं विकास निष्कर्षों के प्रयोग का प्रयास करना है।

कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलापों के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इन कार्यों में अनुसंधान के लिए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान चिह्नित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सकने वाली एजेंसियों की पहचान, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों संवीक्षा एवं कार्यवाही, अनुसंधान कार्य के लिए बजट प्राक्कलन की तैयारी, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को कोष का वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग आदि शामिल है :

1. शुरू की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.5.2020 तक) – 392
2. पूरी की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2020 तक) – 323

11.2 वर्ष 2019-20 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :

क) वित्तीय उपलब्धि

क्र.सं	पारामीटर	संख्या
1.	1.4.2019 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	12
2.	वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	02
3.	1.4.2020 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	11
4.	वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	01

ख) वित्तीय स्थिति :

विवेच्य वर्ष के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक कोष वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

2018-19			2019-20			
आरआई	**कोयला मंत्रालय से प्राप्त कोष**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरआई**	**कोयला मंत्रलय से प्राप्त कोष**	**वास्तविक**
25.00	24.19	24.23*	25.00	19.80 ईएक्सएनईआर 2.20 करोड़	18.78	18.67 (अनअंकेक्षित)

* गत वर्ष खर्च के बाद की बची रकम का उपयोग

11.3 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान बोर्ड कार्य कर रहा है। निदेशक तकनीकी (सीआईएल) की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति इस बोर्ड की सहायता करता है। सीएमपीडीआईएल, अनुसंधान कार्य के लिए बजट प्राक्कलन की तैयारी, नए प्रस्तावों मूल्यांकन, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को कोष का वितरण, परियोजनाओं के पूरा होने तक उनकी प्रगति की मानिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है।

- शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना (31.3.2020 तक) – 92
- पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना (31.3.2020 तक) – 63

11.4 भौतिक उपलब्धि :

वर्ष 2019–20 के दौरान सीआईएल आरएंडडी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.सं	पारामीटर	संख्या
1.	1.4.2019 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	21
2.	वर्ष 2019–20 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ	02
3.	1.4.2020 के अनुसार पूरी की गई परियोजनाएँ	05
4.	वर्ष 2019–20 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	18

11.5 वित्तीय स्थिति :

विवेच्य वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं पूरी की गई एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजना की सूची क्रमशः परिशिष्ट– 'क' एवं परिशिष्ट– 'ख' में दी गई है :

इस अवधि के दौरान बजट प्रावधान के मुकाबले वास्तविक धन संवितरण नीचे दिए गए हैं :

2018-19		2019-20	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
30.00	13.57	30.00	20.60 (अनअंकेक्षित)

परिशिष्ट-क

वर्ष 2019-20 के दौरान कोयला मंत्रलय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयक एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	कंटीन्यूअस माइनर के साथ प्रयोग के लिए 500 टी क्षमता वाला एसएजीईएस–III का विकास एवं क्षेत्र परीक्षण	आईआईटी आईएसएम, धनबाद ; एसईसीएल, बिलासपुर मेसर्स आध्र प्रदेश हेवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लि. (एपीएचएमईएल), विजयवाड़ा तथा मेसर्स जय भारत इक्वीपमेंट प्र. लि. जेबीईपीएल, हैदराबाद	396.69

वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

क्र.सं	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	भारत के दामोदर बेसिन का शेल गैस संभावना के लिए मूल्यांकन	एनजीआर आई, हैदराबाद, सीआईएमएफआर, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल, राँची	2038.09
2.	एसिड माइन ड्रेनेज तथा इंडियविजुअल मेटल सल्फाइड की रिकवरी के सिमुलटेनियस रेमेडिएशन के लिए हाईब्रीड पीआरई एसआरआईएक्स	इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), रूड़की; नार्थ इस्टर्न कोल फील्डस (एनईसी) मारग्रेटा तथा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), कोथागुडेम)	74.45

परिशिष्ट-ख

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमोदित सीआईएल बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाएँ :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	मोबाईल मशीनरी के लागत के अनुसार सुरक्षित परिचालन के लिए रीयल–टाइम प्रोग्नोसिस सिस्टम का विकास एवं अंगीकरण	आईआईटी, खड़गपुर, सीआईएमएफआर, धनबाद, लुलिया टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (एलटीयू), स्वीडेन तथा ईसीएल संक्टोरिया	440.30
2.	सरनी भू.ग. खान पाथरखेरा एरिया, डब्लयूसीएल में लागत प्रभावकोरिता सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा तथा पर्यावरण परसम्यक ध्यान देते हुए कोयले के निष्कर्षण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बालू भराई के विकल्प के रूप फ्लाई ऐश (विद्युत संयंत्र अपशिष्ट) से उपयुक्त पेस्ट फिल मैटेरियल का विकास	डब्ल्यूसीएल, नागपुर तथा सीआईएमएफआर, धनबाद	352.76

वर्ष 2019-20 के दौरान सीआईएल द्वारा वित्त प्रदत्त पूरी की जा चुकी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	3डी इन्वर्स मॉडेलिंग आफ गेविटि, मैगनेटिक एंड एएमटी डाटा का प्रयोग कर सिंगरौली कोलफील्ड के मुख्या कोल बेसिन में टेक्टोनिक अध्ययन के लिए समेकित जिओ फिजिकल अप्रोच	आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआईएल, राँची	349.40
2.	सर्फेस माइनिंग स्लोप के भूआधारित इंटरफेरोमेटरी सिंथेटिक अपचेर रडार (जीबीएलएनएसएआर) की उपयोगिता (व्यवहार्यता) तथा कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन	आईआईटी, केजीपी एवं ईसीएल संक्टोरिया	478.28
3.	अधिक मात्रा राख वाले भारतीय तापीय कोयले का शुष्क परिष्करण	एनएमएल जमशेदपुर, सीएमपीडीआईएल, राँची	216.77
4.	कोयला खानों में ओवरबर्डेन के विस्फोटन हेतु लो डेंसीटी पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट की तकनीकी व्यवसायिक प्रभावकारिता का अध्ययन	सीएमपीडीआईएल, राँची, डीएफपीसीएल, पूणे तथा डब्ल्यूसीएल, नागपुर	206.80
5.	संसाधन के आकलन के लिए इन्पर्स कंटीन्यूअस वैवेलेट ट्रांसफर्म डेकॉनवोल्यूशन (सीआईसीडब्ल्यूटी डेकान) का प्रयोग का पतले कोयला सीमों की प्रतिपादन तथा पहचान, सिसमिक डाटा प्रोसेसिंग	गुजरात इनर्जी रीसर्च एंड मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट (जर्मी) गांधीनगर, सीएमपीडीआईएल, रांची	249.02

11.6 एमओयू 2019-20 :

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार ''अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के तहत पूंजीगत व्यय (करोड़ रू..), क्र.सं. 7, भाग ख'' शीर्ष के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग के लिए आरएंडडी के तहत पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 30 करोड रू. था। इस लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2019–20 के दौरान 20.60 करोड. रू. (अन अंकेक्षित) पंजीगत व्यय हुए हैं।

12.0 कोयला पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला

12.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2019–20 के दौरान रारसायनिक प्रयोगशाला ने भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 29,020 नमूनों के लिए कोयल का गुण निर्धारण किया है, मनिमें 11 कोलफील्डों में 45 ब्लॉकों से 11,652 मी. कोल कोर नमूने शामिल हैं।

34 जीआर के लिए रासायनिक विश्लेषण की मानिटरिंग की गई तथा इसके परिणाम सौंप दिए गए, बाद में जिसके परिणामस्वरूप15 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट (आईजीआर तथा कंपेडियम सहित) सौंपी जा सके।

12.2 कोल पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला :

वर्ष 2019–20 के दौरान 20 कोलफील्डों के 42 गवेषण ब्लॉकों से प्राप्त बोरहोल कोल कोर के लिए कोयले का गुण–निर्धारण किया गया। मेसरल निर्धारण तथा रिफ्लेक्टेंश अध्ययन के लिए 890 नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें गवेषण ब्लॉक, वाशरी उत्पाद, सीबीएम सेल, बीसीसीएल से प्राप्त कोयला नमूनों तथा आयातित कोकिंग कोयला नमूनों पर पेट्रोग्राफिक अध्ययन शामिल है।

स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रोकीट अध्ययन के लिए कुल 25 कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया।

12.3 कोयला विनिर्माण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला

कोयला विनिर्माण प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग एवं गैर–कोकिंग दोनों नमूनों के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण (प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग गुण आदि में लगी हुई है। यह विश्लेषण कोयला कोर नमूना तथा आरओएम कोयला नमूना दोनों के लिए किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान जितने कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

क) बोर कोर कोयला नमूना– जीआर में शामिल करने के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण हेतु सीएमपीडीआईएल के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से प्रापत 39 (उनचालीस) (क्षे.सं. 1=2, क्षे. सं. –3=19, क्षे.सं. 4=3 तथा क्षेत्रीय संस्थान 5 =15)

ख) आरओएम कोयला नमूना : कोयला वाशरी की स्थापना के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण, प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, एसआई तथा एलटीजी के हेतु सीसीएल से प्रापत 5 (पाँच) नमूनों का विश्लेषण किया गया।

12.4 कोलबेड मेथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला

कोयले के आठ बोरहोल हेतु अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म (एआई) अध्ययन, पोरोसिटी एवं परमीसिबिलिटी अध्ययन तथा शेल हेतु 5 बोरहोलो के लिए टोटल ऑर्गेनिक कार्बन(टीओसी) विश्लेषण रॉक इवाल पायरोलिसिस अध्ययन जैसे प्रासंगिक अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। सीसीएल के विभिन्न कोलियरीओं से प्राप्त 759 खान वायु नमूनों का विश्लेषण किया गया हैं।

12.5 खनन प्रयोगशाला :

रॉक मेकानिक्स/रॉक टेस्टिंग

1. 3600 मी. ड्रिल कोर नमूनों की भौतिक यांत्रिक गुण निर्धारण के लिए जाँच की गई।
2. सीआईएल/गैर–सीआईएल के विभिन्न कोयला ब्लॉकों के 9 (नौ) बोरहोलों का भौतिक यांत्रिक गुण के परिणाम पर रिपोर्ट

संस्तर नियंत्रण अध्ययन :

1. 12 खानों/सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग आरएमआर)/स्कैम्प अध्ययन पर रिपोर्ट सौंप दी गई।
2. आरएमआर अध्ययन के लिए क्षमता गुण, स्लेक स्थायित्व सूचकांक निर्धारित करने के लिए कुमुलेटिव रॉक टाइप की जाँच (42) की गई।

13.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

13.1 ईआईए/ईएमपी

सीआईएल परियोजना :

वर्ष 2019–20 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 31 फार्म–।(फार्म–iv एव vi) सहित तथा 21 ईएमपी का मसौदा तैयार किया।

बाहरी परियोजनाएँ

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार किए गए :

- गुडा क्ले माइन्स (मेसर्स हरीश क्लेज), राजस्थान के लिए ढाल स्थायित्व मूल्यांकन अध्ययन तथा मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज, मूरी ईकाइ के लिए ढाल स्थायित्व का मूल्यांकन रिपोर्ट सफलतापूर्वक तैयार कर सौंप दी गई।
- एनसीएल की गोरबी खान में भरने के उद्देश्य से जीचेब्लिटी स्टडी शामिल कर विध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्लांट (बीएसटीपीएस), एनटीपीसी के लिए फ्लाई ऐश निपटान हेतु रिपोर्ट का मसौदा पेश कर दिया गया।
- जीआईपीसीएल, गुजरात की मंगरोल–विल्ला खुली खान तथा वस्तान लिग्नाइट खुली खान के लिए उत्तरोत्तर खान बंदी मानिटरिंग तथा अंकेक्षण रिपोर्ट सौंप दी गई।

13.2 वायु, जल एवं ध्वनि की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग

जब एक बार एमओईएफ एवं सीसी किसी खनन परियोजना की स्वीकृति दे देता है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की दक्षता तथा ईसी स्थिति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरण मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव,

पर्यावरण प्रयोगशाला मुख्यालय में जल के नमूनों का विश्लेषण

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला का एक दृश्य

जयंत तथा राँची स्थित नो (9) पर्यावरण प्रयोगशाला के माध्यम से सीआईएल की 314 परियोजना/कलस्टर/संस्थपना (ईसीएल–17, बीसीसीएल–17, सीसीएल–72, डब्ल्यूसीएल–86, एसईसीएल–81, एनसीएल–13 तथा एमसीएल–28) की पर्यावरणिक मॉनिटरिंग की गई।

13.3 ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में सीएमपीडीआईएल को मान्यता :

खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र, ताप विद्युत तथा कोयला वाशरी क्षेत्र के साथ–साथ खनिजों के खनन के लिए सीएमपीडीआई को भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्वालिटी कॉउन्सिल आफ इंडिया (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी) द्वारा ईआईए मान्यता प्राप्त परामर्श दाता संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता दी गई है। जनवरी, 2020 में क्यूसीआईएनएबीईटी द्वारा सीएमपीडीआई का सफलतापूर्वक निगरानी मूल्यांकन (सर्विलांस असेसमेंट) किया गया। सीएमपीडीआई को अब अतिरिक्त नए क्षेत्रों जैसे ऑफशोर तथा ऑन शोर तेल एवं गैस गवेषण, विकास एवं उत्पादन कोल बेड मिथेन के ईआईए के लिए ईआईए मान्यता प्राप्त परामर्श दाता संगठन (एसीओ) के रूप में मान्यता दी गई है। सीएमपीडीआईएल, ईआईए एवं ईएमपी तैयार करने के लिए 4 क्षेत्र एवं 12 कार्यकारी एरिया में 90 से अधिक अनुमोदित विशेषज्ञ वाला संबसे बड़ा मान्यता प्राप्त परामर्शदाता संगठन (एसीओ) है।

13.4 सीएमपीडीआईएल के पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता

नेशनल एक्रीडिटैशन बोर्ड फार टेस्टिंग एवं कैलिब्रेशन आफ लेबोरेटरीज (एनएबीएल) ने सीएमपीडीआईएल (मु.), राँची, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर को मान्यता प्रदान कर दी है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली द्वारा भी पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय को मान्यता दी जा चुकी है।

13.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/एसटीपी/एएमडी (आईडब्ल्यूएसएस) योजनाँ

इस वर्ष इसीएल की न्यू केंदा परियोजना तथा एनसीएल की खादिया टाउनशीप एवं केंद्रीय अस्पताल नामक तीन योजना एवं निविदा दस्तावेज तैयार किए गए।

13.6 कोयला मंत्रलय द्वारा सीएमपीडीआईएल को कोयला ब्लॉक के लिए खान बंदी योजना पर चेक लिस्ट पर त्वरित टिप्पणी एवं संवीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष मे 11 माइन क्लोजन प्लान तैयार की गई तथा कोयला मंत्रालय को भेज दी गई।

13.7 माइन क्लोजर स्टेट्स रिपोर्ट

ढाल स्थायित्व/भू.क्षरण नियंत्रण अध्ययन विवेच्य वर्ष के दौरान डीजीएमएस के सीएमआर, 2017 के विनियमन 106 के अनुपालन के अनुसार ओबी डम्प एवं हाई वॉल ढाल स्थायित्व मूल्यांकन की रिक्वायरेंट प्रारंभ की गई। तद्नुसार कोल इंडिया लिमिटेड की 46 कोयला परियोजनाओं का स्थायित्व अध्ययन सौंप दिया गया।

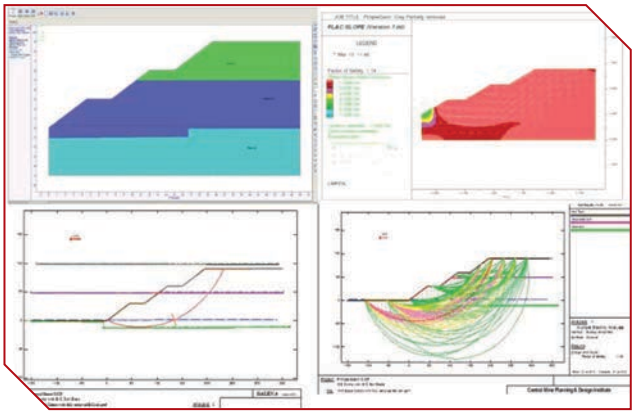

फ्लैक एवं गैलेना साफ्टवेयर का प्रयोगकर ओबी डम्प का टिपिकल ढाल स्थायित्व विश्लेषण

13.8 विशेष अध्ययन एवं एस एण्ड टी/ आर एण्ड डी की अध्ययन :

- सीएमपीडीआईएल पर्यावरण एवं कोयले के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में कोयला क्षेत्र (सेक्टर) के लिए हरित कोयला रणनीति (ग्रीन कोल स्ट्रेटेजी) तैयार करने में कोयला मंत्रालय को सहायता कर रहा है।
- यह कोयला क्षेत्र में पारिस्थितिकी (इकॉलोजी) तथा जैव विविधता की पुनर्स्थापना, खान जल संरक्षण एवं इसका उपयोग, खान पर्यटन, ओबी का उपयोग, सत्त् (सस्टेनेबुल) खान बंदी आदि जैसे सत्त् (सस्टेनेबुल) विकास कार्यक्रम की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन करने में भी मदद कर रहा है।
- शून्य बिजली (पावर) की आवश्यकता तथा शून्य परित्यक्त उत्पादन के साथ फाइटोथ्रायड टेक्नोलॉजी (कंस्टेटेड वेटलैंड) की योजना ईसीएल को सौंप दी गई है। सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर ईसीएल ने न्यू केंदा कॉलोनी में एसटीपी के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- सीएमपीडीआईएल द्वारा पहली बार केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली के लिए अस्पताल के तहत अपशिष्ट के ईटीपी के लिए योजना।
- पेंच एवं कन्हान नदी को शामिल करते हुए डब्ल्युसीएल की गोंदेगाँव खुली खान परियोजना हेतु नदीय पर्यावरणिक प्रणाली तथा वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) के अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- पर्यावरणिक क्लियरेंस की मंजूरी के लिए कोयला परियोजना के उल्लंघन के मामले से निपटने के लिए प्राकृतिक एवं सामुदायिक संस्थान संबंर्धन योजना (एनसीआरएपी) तैयार करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- एमसीएल की लखनपुर, भुवनेश्वरी तथा कुल्दा खुली खान परियोजना के लिए विभिन्न खनन क्रिया–कलापों से उत्पन्न होने वाले अस्थयी ध ूल के फैलने से रोकने के लिए विन्ड ब्रेक (डब्ल्यूबी) लगाने तथा वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम का डिजाइन तैयार किया जा चुका है। इस पद्यति में हिवन्ड ब्रेक सिस्टम को धूल बनने वाले स्रोत से अपविन्ड तथा वीजीएस को डाउनविन्ड की दिशा में लगाया जाता है।
- बिरसा कृर्षि विश्वविद्यालय के सहयोग से ''कोल इंडिया लिमिटेड की परितयक्त कोयला क्वारियों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन तथा उपयुक्त एवं लागत के अनुकूल प्रभावी खान रिक्ति जलीय पर्यावरण प्रणाली का विकास''शीर्षक से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी कर ली गई।
- भारत में खुली कोयला खानों में ओबी डम्प की ऊँचाई बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश का विकास
- उपग्रहीय आँकड़ा तथा स्थल अवलोकन का प्रयोग कर कोलफील्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग के लिए प्रक्रिया का विकास।

13.9 पर्यावरण प्रयोगशाला का स्वचालन (ऑटोमेशन) :

विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों द्वारा तैयार विश्लेषण आँकड़ा के सीधे स्थानान्तरण के लिए स्वचालन कार्य विकसित कर समावेश कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण मानिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय तथा श्रमशक्ति में कमी आई है।

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पर्यावरण प्रयोगशाला में जल नमूनों के स्वचालित विश्लेषण के लिए आयन क्रोमेटोग्राफ सफलतापूर्वक स्थापित कर चालू कर दिया गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

13.10 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

5 जून, 2019 को सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम जेसे बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, प्रश्नोंत्तरी प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम, अतिथि का भाषण आयोजित करवाया गया।

14.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को भी सहायता दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

1. पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सीएमपीडीआईएल के आईसीटी विभाग द्वारा निम्नलिखित केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर भी विकसित कर मेंटेन किया जाता है :

   क) संविदा श्रमिक सूचना (कान्ट्रैक्ट लेबर इंफोर्सेशन) पोर्टल के लिए पोर्टल–क्लीप–विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत संविदा श्रमिकों को दर्ज करना।

   ख) वेब सक्षम ऑनलाइन पीएमएस (कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली) ई–7 तक के लिए अधिकारियों के लए पीआरआईडीई तथा ई–7 से ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएआर

   ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) का विकास तथा कार्यान्वयन।

   घ) कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस प्रणाली/विजीलेंस मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित तथा कार्यान्वित की गई है।

   ड.) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए ऑन लाइन वेब समर्थित वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न सिस्टम यह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत इसे कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया है।

च) सीआईएल को सक्षम बनाने के लिए सीआईएल हेतु बैंक कार्ड रेट सिस्टम; सीआईएल द्वारा कोष जमा कराने के लिए बैंकरों से डिपोजिट रेट प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु।

छ) भूमिगत एवं खुली खान क्षमता मूल्यांकनः खान क्षमता मूल्यांकन की गणना करने के उद्देश्य से उपकरण आँकड़े तथा सम्बद्ध आँकड़े की सीमलेस प्रविष्टि हेतु अप्लिकेशन विकसित कर लगा दिया गया है।

ज) कोल ब्लॉक माइन डाटा से संबंधित सूचना देने के लिए ऑनलाइन कोल ब्लॉक सूचना प्रणाली अप्लीकेशन विकसित किया गया है।

झ) व्यावसायिक खनन के चिह्नित ब्लॉकों के लिए कोल ब्लॉक सूचना पोर्टल विकसित किया गया है।

ञ) सुरक्षा क्लियरेंस (एससी) और विभागीय क्लियरेंस (डीटी) पोर्टल विकसित कर इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

च) खान आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एमडीएमएस) का विकास किया गया है, जो परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस पोर्टल की प्रमुख विशेषता कोयला परियोजनओं की प्रगति का मानिटर करना है, जिसमें पर्यावरण क्लियरेंस (ईसी), वन क्लियरेंस (एफसी) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना (आरएंडआर) वित्तीय पारामीटर, एचईएमएम की प्राप्ति, उत्पादन एवं अन्य प्रमुख आधारभूत संरचना जेसे कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) सिलो एवं रेलवे साइडिंग। खान आँकड़ा प्रबंधन पोर्टल (एमडीएमएस) साफ्टवेयर को गैर–सीआईएल ब्लॉकों को मानिटर करने के लए राज्य (सरकारी) द्वारा नामित प्राधिकारी तथा निजी ब्लॉक आवंटियों को उपलबध कराया गया है।

2. विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के लिए ऑनलाइन भर्ती (रिक्रुटमेंट) पोर्टल का विकास कर कार्यान्वित कर लिया गया है :

क) एनसीएल के लिए कर्मचारी (गैर – अधिकारी) हेतु ऑनलाइन भर्ती (रिक्रूटमेंट) पोर्टल।

ख) सीसीएल के लिए कर्मचारी (गैर–अधिकारी) हेतु ऑनलाइन भर्ती (रिक्रुटमेंट) पोर्टल।

ग) सीएमपीडीआईएल के लिए कर्मचारी (गैर–अधिकारी) हेतु ऑनलाइन रिक्रुटमेंट पोर्टल।

3. सीएमपीडीआईएल, एमसीएल के वेबसाइट का रख–रखाव (मेनटेन) कर रहा है।

4. सीएमपीडीआईएल ने एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित किया है, जिसके माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय द्वारा सीआईएल की परियोजनाओं की मानिटरिंग की जा रही है।

5. सीएमपीडीआईएल को पूरे कोल इंडिया लिमिटैड के लिए ई–आफिस के कार्यान्वयन का कार्य भी सोंपा गया है। सभी अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालय लोकेशन, सीआईएल, नई दिल्ली; सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता आईआईसीएम तथा एनईसी में केंद्रीकृत आधारभूत संरचना एवं एमपीएलएस संयोजन (कनेक्टिविटी) स्थापित कर दिया गया है। सभी स्थानों में ई–आफिस का काम कर रहा है।

15.0 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य/गतिविधियाँ इस प्रकार है :

15.1 त्रैमासिक पत्रिका ''माइनटेक'' एवं ''गोंदवाना भारती'' का प्रकाशन :

वर्ष 2019–20 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक पत्रिका के तीन अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। जनवरी–मार्च 2020 का अंक प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

15.2 पत्रिका का प्रेषण :

वर्ष 2019–20 के दौरान आंतरिक वितरण के अलावा, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड

एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ मु., एरिया एवं कोलियरी ईकाई) विभिन्न संस्थानों तथा अन्य प्रख्यात संस्थानों को लगभग 12000 प्रतियाँ प्रेषित की गई।

15.3 पुस्तक का प्रकाशन :

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया :

1. ''रेडी रेकॉनर ऑफ मैनेजिंग इन्वायरमेंट ऑफ सीआईएल माइन्स
2. कंपेडियम ऑफ सीवीसी / सीआईएल / एमओसी / डीओपीटी / सीएमपीडीआईएल सर्कुलर एंड गाइड लाइन (इस पुस्तक का प्रकाशन अत्यंत कम समय लगभग डेढ़ महीने में किया गया)

15.4 पुस्तक की बिक्री

कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में तकनीकी पुस्तकों की बिक्री के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की गई। विभिन्न कोलफील्डों तथा सहायक कंपनियों के मुख्यालयों द्वारा पुस्ताकें की खरीद को सरल बनानें के लिए कार्यकारी निदेशकों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी क्षेत्रीय संस्थानों में तकनीकी पुसतकें समय से पूर्व ही उपलबध करा दी गईं हैं। इन तकनीकी पुस्तकों से कोयला खनन से संबंधित मध्यम स्तर तथा युवा अधिकारियों को तकनीकी ज्ञान अद्यतन करने में काफी सहायता मिलेगी।

15.5 सोशल मीडिया कार्य-कलाप :

विभागाध्यक्ष (आईएसएम) को सीएमपीडीआईएल के सोसल मीडिया का नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। सीएमपीडीआईएल का आफिसियल फेस बुक पेज तथा ट्विटर हैंडल है और सीएमपीडीआईएल, सीआईएल तथा कोयला मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रिया–कलापों को इस पर नियमित अपलोड किया जाता है। घरेलू क्रिया–कलापों के अलावा, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की प्रमुख सूचना (जानकारी) / उपलब्धि को भी शेयर किया जा रहा है। सोसल मीडिया के क्रिया–कलाप को कोयला एवं खान मंत्रालय के माननीय मंत्री के कार्यालय द्वारा मानिटरिंग भी की जा रही है।

15.6 एमओयू 2019-20

सीएमपीडीआईएल के एमओयू 2019–20 के अनुसार, 'उच्च प्रभाव पत्रिकाओं में प्रकाशन की स्वीकृति (क्यू1 और क्यू2 स्तर) (संख्या में), क्रम संख्या 8, पार्ट–बी के शीर्ष के अंतर्गत, 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य 5 आलेखों के प्रकाशन की स्वीकृति थी। इस लक्ष्य के सम्मुख वर्ष 2019–20 के दौरान उच्च प्रभाव पत्रिकाओं (क्यू1 और क्यू2 स्तर) में प्रकाशन के लिए सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों द्वारा लिखित / संयुक्त रूप में लिखित 7 आलेख स्वीकार किए गए हैं।

16.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सतर्कता गतिविधियाँ तथा उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:।

16.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची तथा इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों मं दिनांक 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019 तक सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनवाया गया।

28.10.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने राँची स्थित मुख्यालय में सतर्कता शपथ (प्रतीक्षा) दिलवाई। इस प्रकार का शपथ सीएमपीडीआईएल के सभी क्षेत्रीय संस्थानों में संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा दिलवाई गई। कर्मचारी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को एकता ई शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सीएमपीडीआईएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2019 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए

क) सीएमपीडीआईएल के सभी कर्मियों के लिए निबंध लेखन, वक्तृत्व, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी तथा नारा लेखन प्रतियोगिता एवं कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों के लिए पेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

ख) सीएमपीडीआईएल ने राँची के झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल, हेहल, बिरसा उच्च विद्यालय, एसएस

मेमोरियल कॉलेज, श्री डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी तथा संत एन्थोनी स्कूल, कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स आदि के छात्रों के बीच सतर्कता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करवाया।

ग) सभी सातो क्षेत्रीय संस्थानों में आस–पास स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच सतर्कता जागरूकता के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

घ) सीएमपीडीआईएल के सतर्कता विभाग द्वारा वीएडब्ल्यू, 2019 के समापन सत्र में एक अतिथि भाषण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात प्रेरक व्याख्याता डा. अमित मुखर्जी, ने ''नेतृत्व में सत्यनिष्ठा'' विषय पर व्याख्यान दिया।

ड.) समापन–सत्र के अंत में सतर्कता विभाग द्वारा संकलित ''अ कंपेडियम ऑफ सर्कुलर/गाइड लाइंस/एसओपी ऑफ सीवीसी, सीआईएल एंड सीएमपीडीआईएल'' का सीवीओ द्वारा विमोचन किया गया।

16.2 निवारक सतर्कता :

क) सीएमपीडीआईएल का सतर्कता विभाग कंपनी के प्रक्रियात्मक कमी तथा वित्तीय हानि (नुकसान) को रोकने के लिए संविदात्मक कार्य/सामग्री प्राप्ति के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाए करने के प्रति सदा अग्रसर रहा है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए इस विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण/अन्वेषणके आधार पर सुरक्षात्मक उपाए का सुझाव दिया जाता है।

ख) एक तय समय सीमा के भीतर संवेदकों (ठेकेदारों)/सेवा प्रदाताओं/वेंडरों के विभिन्न प्रकार के बिलों को पास करने के संबंध में अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में प्रद्धति विकास उपाय (सिस्टम इमप्रुवमेंट मेजर) अनुमोदित।

ग) संबंधित विभाग द्वारा नियमित प्रकृति के कार्य के लिए तैयार किए जाने वाले संविदा, विभिनन प्रकार के कार्य/सेवा के बारे में परिभाषा तैयार कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इसके अनुपालन के लिए पूरे सीएमपीडीआई में परिचालित कर दिया गया।

घ) संवेदकों को भुगतान, नकद की तुलना में बुक बैलेंस की जाँच, तृतीय भाग की ओबी मेजरमेंट रिपोर्ट सौंपने में लिया गया समय, चिकित्सीय दावों की जाँच, निविदा फाइलों की संवीक्षा आदि जैसे अनेक पहलूओं पर सीएमपीडीआई के विभिन क्षेत्रीय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया।

ड.) सतर्कता विभाग द्वारा संवेदनशील विभागों की पहचान तथा लम्बे समय से संवेदनशील पद पर तैयार कर्मियों के स्थानांतरण/रोटेशन करने का सुझाव दिया गया, जिसे कार्यान्वित कर लिया गया है।

16.3 सतर्कता कार्यकलापों का चित्र द्वारा प्रदर्शन

वीएडब्ल्यू, 2019 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सीएमपीडीआईएल द्वारा शपथ–ग्रहण।

17.0 जियोमिटिक्स :

सीएमपीडीआईएल का जिओमेटिक्स विभाग सुदूर संवेदन तथा सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवा देता है। इसके प्रमुख कार्यों में भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, ओबी माप, भू–आच्छादन मैपिंग, भू–उपयोग/भूअच्छादन मैपिंग, कोयला खान की आग की मैपिंग, डीजीपीएस सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत सह–संबंध सर्वेक्षण आदि शामिल है।

17.1 भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग :

सीएमपीडीआईएल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा पर आधारित नियमित आधार पर खुली खानों के भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य करता रहा है। वर्ष 2019–2020 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की 87 भू–पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य किया गया, जिसमें 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोटि की 52 परियोजनाएँ तथा 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन करने वाली 8 कलस्टर शामिल है।

17.2 वनस्पति आच्छादन मानचित्रण

कोलफील्ड क्षेत्रों में खनन के कारण भू–उपयोग/वनस्पति अच्छादन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए नियमित आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड कोयला क्षेत्र का भू–आच्छादन मैपिंग की जा रही है।वर्ष 2019–20 के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 कोंलफील्डों जैसे काम्पटी और वर्धा घाटी कोलफील्ड (डब्ल्यूसीएल), तालचर कोलफील्ड (एमसीएल) झरिया कोलफील्ड (बीसीसीएल), बिश्रामपुर कोलफील्ड (एसईसीएल) तथा माकुम कोलफील्ड (एमईसी) का वनस्पति आच्छान मैपिंग कार्य पूरा किया जा चुका है।

17.3 भू–उपयोग/आच्छादन मैपिंग :

वर्ष 2019–20 के दौरान 31 खुली खान परियोजना/भू.ग. परियोजनाओं के कोर जोन तथा बफर जोन का उपग्रह आँकड़े पर आधारित भू–उपयोग/आच्छादन मैपिंग 15 परियोजनाएँ एसईसीएल भूमिगत खानों का कार्य पूरा कर लिया गया। यह कार्य एमओईएफ एवं सीसी अनुपालन के लिए था।

17.4 ड्रोन (यूएबी) की खरीद :

नई प्रौद्योगिकी शामिल करने के प्रयास में, सीएमपीडीआई ने ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। यह आधुनिकतम (स्टेट–ऑफ–आर्ट) उपकरण होगा जो रडार/ऑप्टिकल/थर्मल सेंसर से पूर्णतः सुसज्जित होगा। इसका आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। सीएमपीडीआईएल इन ड्रोनों को जल्द ही हासिल कर लेगा।।

17.5 ओबीआर/अबोबी + कोयले की माप :

23 विभागीय खानों, 206 संविदात्मक पैचों में सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया। एवं टीपीसी की पकरी–बरवाडीह, दुलंग एवं तलाईपल्ली खनन परियोजना में ओजीएल एवं मात्रा की माप का कार्य भी किया गया। एनएलसीआईएल के तलाबिरा ।। एवं ।।। में ओजीएल सर्वेक्षण भी किया गया। मेसर्स एनटीपीसी के भालुमुण्डा कोयला ब्लॉक में ब्लॉ बाउन्ड्री का सीमांकन, वन भूमि का जियोरेफरेंस कैडेस्ट्रल मैप एवं डीजीपीएस सर्वेक्षण की तैयारी तथा ब्लॉक बाउन्ड्री तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। इन सब के अतिरिक्त, ईसी रेलवे के आरओआर के वन क्लियरेंस के लिए रोप एवं केएमएल फाइल भी तैयार की गई।

- पूरी की गई परियोजना – सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग बड़े भारतीय कोलफील्डों में अद्यतन स्थ्लाकृति मानचित्र की तैयारी–सीआईएल द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजना। इस परियोजना के तहत 29 कोलफील्डों के लिए 2 मी. कन्टूर सहित 1:5000 पैमाने का अद्यतन टोपोशीट तैयार कर लिया गया है।
- सेटलमेंट मैपिंग–एमसीएल के विस्तारण के लिए चयनित डीजीपीएस सर्वेक्षण सहित हाई रिज्योल्यूशन डाटा का प्रयोग कर अनाधिकृत निर्माण (संरचना) का पता लगाना। एनसीएल–निगाही एवं जयंत में स्मार्ट कॉलोनी के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु कॉलोनियों का सर्वेक्षण कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, सीसीएल की 7 परियोजनाओं तथा बीससीसीएल की 4 परियोजनाओं में वन क्षेत्र/जीएमजेजे भूमि/सीए भूम की योजना,

केएम फाइल तैयार करने हेतु डीजीपीएस सर्वेक्षण का कार्य भी कर लिया गया।

18.0 विस्फोटन

सीएमपीडीआईएल ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कंपन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन मूल्यांकन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के लिए उन्नयन अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य संवर्धित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता तथा क्षमता को बढ़ाया है। सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन विभाग विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों की जाँच करने के लिए स्टेट ऑफ–आर्ट उपकरण जैसे हाईस्पीड कैमरा, इन दि होल वीओडी माप के लिए डाटा ट्रै–II एवं हैंडी ट्रैप, विप फ्रैग साफ्टवेयर द्वारा माप एवं विखंडन मूल्यांकन, जेके सीम ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन तथा हाई सेम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलो स्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों को दी गई परामर्शी सेवाएँ :

1. क. सीआईएल की सहायक कंपनियों के भीतर कार्य :

❖ विवेच्य वर्ष में विस्फोटकों का रैंडम सेम्पलिंग तथा परीक्षण (बल्क) विस्फोटक, नन पमिटेड स्माल डायमीटर एक्सप्लोसिव (पीएसडी) एवं सहायक सामग्री (नोनेल, डेटोनेटिंग फ्यूज, एमएस कनेक्टर, कॉर्ड रिले, पीईटीएन कास्ट बूस्टर, इम्यूलशन कास्ट बूस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर एवं सीडीडी/सीईडी डेटोनेटर)।

- बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल तथा एमईसी–सीएमपीडीआई, मुख्यालय के विस्फोटन विभाग द्वारा जाँच की गई।
- ईसीएल–सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षे.सं.–। सीएमपीडीआई के विस्फोटन विभाग द्वारा जाँच की गई।
- डब्लयूसीएल– क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।
- एसईसीएल–क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।
- एनसीएल – क्षेत्रीय संस्थान – 6, सीएमपीडीआई के विस्फोटन अनुभाग द्वारा जाँच की गई।

2. बेंचमार्क पावडर फैक्टर (बीएमपीएफ) का निर्धारण।

- सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय का विस्फोटन विभाग – 26 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–।, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन विभाग – 4 खानें
- क्षेत्रीय संस्थान–4 का विस्फोटन अनुभाग – 1 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुीाग – 7 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुभाग – 4 खान।

3. नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

- सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय का विस्फोटन विभाग – 7 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–।, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुभाग : 3 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–4, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुभाग, शून्य
- क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुभाग–2 खान
- क्षेत्रीय संस्थान–6, सीएमपीडीआईएल का विस्फोटन अनुभाग– शून्य।

ख) सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के विस्फोटन विभाग द्वारा किए गए बाह्य परामर्शी कार्य

1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खानों को विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्त विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
2. 2 वर्षों के लिए एससीसीएल के सभी क्षेत्रों के खुली खान परियोजना में कोयला विस्फोटन में प्रयोग के लिए बीजी एक्सप्लोसिव एंड एलडीसी एक्सप्लोसिव एवं सहायक सामग्री, भूमिगत खानों में विस्फोटन के लिए परमिटेड

एक्सप्लोसिव (पी एवं पी3) की नियमित रेंडम जाँच।

3. दो वर्षों के लिए एससीसीएल की सभी क्षेत्रों के खुली खनन परियोजनओं में बल्क एक्सप्लोसिव एवं सहायक सामग्रियों की नियमित रेंडम जाँच।

ग) सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के विस्फोटन विभाग द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य :

1. ''कोयला खानों के आवर बर्डेन में विस्फोटन के लिए लोडेन्सिटी पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट सहित (वाला) एएनएफओ की तकनीकी व्यावसायिक दक्षता का अध्ययनः नामक अनुसंधान एवं विकास परियोजना'' में मुख्य कार्यन्वयन एजेंसी के रूप में काम करना।
2. ''मल्टीपुल लेयर ट्रायल क्लासिंग फॉर बेटर रिकवरी विथ लेंस डालुटेड कोल'' नामक अनुसंधान एवं विकास परियोजना में उप–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करना।

घ) सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के विस्फोटन विभाग द्वारा किए गए विशेष कार्य :

1. कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों की खरीद (प्राप्ति) हेतु अपेक्षित एनआइटी के लिए तकनीकी विनिर्देशन की तैयारी (2019–21)
2. माहन ओसीएम, कान्हान एरिया, डब्लयूसीएल में नियंत्रित विस्फोटन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन तथा हाईस्पीड कैमरा का प्रयोग कर सक्सेसिव शॉट और थ्रो आफ फ्लाई रॉक में डिले, डाटा ट्रैप का प्रयोग कर कन्फाइन्ड वीओडी का निर्धारण।
3. क्षेत्रीय संस्थान/कोल इंडिया लिमिटेड के लिए तकनीकी सहायता/रिपोर्ट की जाँच

19.0 खनन इलेक्ट्रानिक्स :

सीएमपीडीआईएल संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट और निविदा दसतावेज तैयार करने, भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटर की टेलिमॉनिटरिंग में अपनी सेवाएँ दे रहा है। यह सुरक्षा के उद्देश्य से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस डिटेक्टर की रिपेयरिंग एवं कैलिब्रेशन तथा आयात्ति/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मति में सेवाएँ दे रहा है। इस विभाग ने खुली खान तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी/एसएंडटी का कार्य किया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :।

19.1 आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाएँ :

1. ''खुली खानों के लिए ऑन–लाइन डस्ट सप्रेशन सिस्टम'' पर एमओसी एसएंडटी परियोजना अशोक खुली खान, सीसीएल– इस प्रणाली का क्षेत्र परीक्षण (5 बेस यूनिट तथा 1 प्रोयूनिट) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
2. ''खुली खान में फेलुअर/स्लोप इन्स्टेब्लिजटी का पूर्वानुमान के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का स्वदेशी विकास'' पर एमओसीएसएंडटी परियोजनाः प्रयोगशाला जाँच पूरी कर ली गई।
3. ''भूमिगत खानों के लिए थ्रू दि अर्थ टू वे संचार प्रणाली का स्वदेशी विकास'' सीआईएल आरएंडडी परियोजना– समेकित प्रयोगशाल परीक्षण पूरा कर लिया गया।

19.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्य :

1) झाँझरा भूमिगत खान, ईसीएल के विस्तारण के लिए भूमिगत रिमोट पीएलसी/रिमोट आई/ओ तथा आईएस वाईफाई संचार प्रणाली पर आधारित संशोधित ऑटोमेशन एंड कॉम्यूनिकेशन सिस्टम
2. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में मिनी स्मार्ट सिटी/कॉलोनियों के विकास के लिए डीआर की तैयारी।
3. सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों क परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने हेतु 20 भूमिगत तथा खुली खान परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार पर अध्याय (चेप्टर) तैयार कर लिया गया है।

4. सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के लिए बायोमेट्रिक उपसमिति।

19.3 इलेक्ट्रानिक कार्डो/गैस मानिटरों की मरम्मति/कैलिब्रेशन/जाँच:

1) 100 नए मॉडल एचईएमएमी मरम्मती।
2) 08 मेथेनोमीटर की मरम्मती तथा अंशशोधन

20.0 कोल टेक्नोलॉजी

कोल कैरेक्टराइजेशन विभाग कैमिकल लैब तथा पेट्रोग्राफी लैब को शामिल करता है। कैमिकल तथा पेट्रोग्राफी लैब कोयले के प्रणालीबद्ध विस्तृतगुण निर्धारण में लगा हुआ है तथा इसे भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रूटीन के आधार पर गवेषण स्टेज में कोयला का प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है। क्लीन कोयला का पता लगाने के लिए कच्चा एवं क्लीन कोयला नमूनों (वाशरी उत्पाद) के प्रणालीबद्ध गुण–निर्धारण के साथ.साथ सीबीएम के आंकलन के लिए कोयला के नमूनों का गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

केमिकल लैब प्रोक्सीमेट विश्लेषण, अल्टीमेट विश्लेषण, तथा ग्रॉस कैलोरिफिक मूल्य निर्धारण जैसै परीक्षण कर रहा है। कोकिंग कोयला विशेष जाँच के लिए फ्री स्वेलिंग इन्डेक्स, एलटीजी के कोल टाइप तथा प्लास्टोमिट्रिक जाँच किया जाता है। गैर–कोकिंग कोयला के लिए ऐश फ्यूजन तापमान रेंज निर्धारण, एचजीआई परीक्षण भी किया जाता है।

केमिकल लैब, कोयला/कोक/लिग्नाइट के प्रोक्सीमेट विश्लेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्वचालित प्रोक्सीमेट एनलाइजर, कोक और लिग्नाइट के ग्रास कैलोरिफिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्वचालित बोम्ब कोलोरीमीटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के निर्धारण के लिए सीएचएनएस एपरेटस, कोयला के ऐश फ्यूजन तापमान रेंज (आईडीटी, एसटीएचटी तथा एफटी) के लिए एएफटीआर उपकरण एचजीआई के निर्धारण के लिए कोयला एवं एचजीआई एपरेटस के लचीलेपन के निर्धारण के लिए कोयला प्लास्टोमीटर जैसे पारंपरिक तथा परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित है।

पेट्रोग्राफी लैब मेसरल कम्पोजिशन का निर्धारण, रेण्डम रेफ्लेक्टेंस (आरओआर प्रतिशत) तथा मीन अधिकतम रेफ्लेक्टेंस प्रतिशत (एमएमआर प्रतिशत) जैसे पेट्रोग्रेफिक विश्लेषण कर रहा है। यह अध्ययन कोयले के नमूनों के कोयला रैंक तथा कोयला के प्रकार के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह अध्ययन हाइड्रोकार्बन, ऑयल शेल्स, कोल बेड मिथेन, शेल गैस के निर्धारण के लिए सतही रॉक मूल्यांकन हेतु उपयोगी होता है। सीबीएम के मूल्यांकन के लिए मेगा क्लीट तथा माइक्रो क्लीट अध्ययन भी इस लैब में किया जाता है।

पेट्रोग्राफी लैब माइक्रो क्लीट अध्ययन के लिए इनजी डिसप्रेसिव स्पेक्टो मीटर के साथ स्केनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रो स्कोप, रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट, तथा मेसरल विश्लेषण के लिए फोटो मीटर रोटेटमेंट के साथ एडवान्स्ड पोल राइजिंग माइक्रोस्कोप जैसे आयात्ति स्टेट–ऑफ–आर्ट उपकरण से सुसज्जित है। इसके पास पेट्रोग्राफिक अध्ययन तथा क्लीट अध्ययन के लिए कोयला पिलर्स की तैयारी हेतु ग्रिडिंग तथा पॉलिशिंग मशीन, एब्रेसिव कटिंग मशीन तथा हॉट माउन्टिंग प्रैस भी है।

एनएबीएल मान्यता की स्थिति :

- 12 विभिन्न क्षेत्रों/ पारामीटरों में टेस्टिंग के क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय, राँची में इसे फेसिलिएट करने के लिए मानक आईएसओ/आईईसी 17025; 2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन के साथ भू–रासायनिक प्रयोगशाला को मान्यता दे दी गई है। प्रमाण पत्र संख्या टीसी 6920। दिनांक 03.01.19 से 02.01.21 तक वैध।

रासायनिक प्रयोगशाला की विशेष उपलब्धि:

- क्यूएसएस विजाग, मेघालय, बीसीसीएल तथा अन्य प्राइवेट पार्टियों को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- सीएसआईआर–सीआईएमएफआर द्वारा किए गए कोयला कोर प्रोसेसिंग तथा विश्लेषण का मॉनीटरिंग।
- मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा 5.00 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

- 2 वर्षों में 6000 मी. कोल कोर के विश्लेषण के लिए सीएमपीडीआईएल ने आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया।
- रासायनिक प्रयोगशाला, सीएमपीडीआईएल, राँची में स्थापित किए जाने हेतु एक्सआरएफ, मरकरी एनालाइजर इत्यादि सहित 7 उपकरणों की खरीद की जा रही है।

पेट्रोग्राफी लैब की विशेष उलब्धि :

- ***''कैरेक्टराइजेशन, बेनिफिकेशन एंड कार्बोनाइजेशन स्टडी ऑफ सम लो वोलेटाइल हाई रैंक एंड हाई वोलाटाइल लो रैंक कोल ऑफ दामोदर वैली बेसिनः रिसोर्से आइडेंटिफिकेशन फॉर ओग्युमेनटेशन ऑफ इंडीजीनीस कोकिंग कोल''*** शीर्षक एक पेपर, एक्सआईएक्स इन्टरनेशनल कोल प्रेपरेशन कांग्रेस – एक्सपो नई दिल्ली 2019 में प्रस्तुत किया गया। हिण्डालको तथा टिकाक कोलियरी (एनईसी) से प्राप्त नमूनों को सीआईएल से बाहर कार्य किया गया।
- विभिन्न संस्थानों/इंस्टीट्यूट, जैसे जीएसआई और राँची विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लगभग 40 प्रशिक्षुओं को कोल पेट्रोग्राफी के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण और पेट्रोग्राफी विश्लेषण के लिए उपकरणों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

21.0 सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ:

आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001, आईएसओ 37001 इत्यादि जैसे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के संस्थापन, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण आंतरिक अंकेक्षक प्रशिक्षण आडिटिंग सपोर्ट, कार्यान्वयन, प्रमाणन सपोर्ट, तथा पोस्ट प्रमाणन के लिए सीएमपीडीआईएल एक नॉडल एजेंसी है।

सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआईएल को नये संशोधित आईएसओ 9001:2015 मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्यूरो ऑफ इडियन स्टेंडर्डस द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। सीएमपीडीआईएल आईएसओ 14001, आईएसओ 50001 तथा आईएसओ 37001 (एन्टी ब्राइवरी प्रबंधन प्रणाली) के कार्यान्व्यन की प्रक्रिया में है।

हमारी 7 प्रयोगशाला को आईएसओ 17025, 2005 (टेस्टिंग तथा अंशशोधन प्रयोगशाला की सक्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएँ) कार्यान्वित करने के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीआइएल और उसकी सहायक कंपनियों के लिए सेवाओं का प्रबंध करने वाले सीएमपीडीआईएल के पेट्रोग्राफी लैब को अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीसीपी द्वारा मान्यता दी गयी है।

एनटीपीसी के पकरी–बरवादी कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए 'आईएमएस के फार्मूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेशन (आइएसओ 9001:2015 एआइएसओ 14001:2015 और आइएसओ 45001:2018)' के कार्य को सीएमपीडीआईएल ने अपनी विशेषज्ञ परामर्शी सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया।

इसके अतिरिक्त मौजूदा वर्ष के दौरान सीआइएल और उसकी सहायक कंपनियों को सीएमपीडीआईएल अपने घरेलू सहायता के साथ निम्नलिखित सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है :–

(i). सीआईएल, मुख्यालय के ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का आईएसओ 50001: 2011 से आईएसओ 50001:2018 में उन्नयन।

(ii). एमसीएल और ईसीएल के लिए पुराने मानक वाले ओएचएसएएस 2007 का आईएसओ 45000:2018 में बदलाव।

(iii). सम्पूर्ण बीसीसीएल के लिए आईएमएस का उन्नयन।

(iv). बीसीसीएल के अधिकारियों के संवेदीकरण/जागरूकता प्रशिक्षण के साथ–साथ एंटी–ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 3700:2016 का प्रलेखन।

अगले 10 वर्षों में राजस्व सृजन के नजरिए के साथ सीएमपीडीआईएल ने अपने पहले से तैयार

स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान को अपडेट किया है। मौजूदा इन–हाउस कौशल का लाभ उठाकर राजस्व में वृद्धि पर प्रमुख जोर दिया गया है। रणनीतिक व्यापार योजना 2020 में अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण के लिए अपनाई जाने वाली उपयुक्त और व्यापक रणनीतियों, नए राजस्व सृजन मॉडल और सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए आईटी का उपयोग, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली को अपनाने आदि के लिए भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने के लिए आवश्यक उपाय शामिल हैं।

सीएमपीडीआईएल ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को संशोधित करके एक कदम आगे बढ़ाया है। अपडेट की गई नीति/रूपरेखा में न केवल चिह्नित जोखिम और इसकी शमन योजना शामिल है, बल्कि इसमें उस जोखिम की निगरानी के लिए जोखिम निगरानी योजना भी शामिल है।

22.0 सामग्री प्रबंधन

22.1 2019-20 की विशेष उपलब्धि

1. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आपूर्ति आदेश की संख्या उनके संबंधित मूल्यानुसार निम्न हैं :

	2018-19		2019-20	
	आदेशों की संख्या	मूल्य (लाख में)	आदेशों की संख्या	मूल्य (लाख में)
कुल	144	2,919.42	185	6,481.55
एमएसईज	43	1,540.25	118	2,976.58

पिछले वर्ष की तुलना में कुल आपूर्ति आदेश 122% अधिक है और मूल्य के संदर्भ में एमएसई को आपूर्ति के आदेश समान अवधि के लिए 93% अधिक हैं।

2. महिला उद्यमी को दिए गए आपूर्ति आदेश का कुल मूल्य वर्ष 2019-20 के लिए एमएसई पर दिए गए आदेशों का लगभग 12.50% है जो आवश्यक 3% के सरकारी आदेश से अधिक है।

3. सामग्री प्रबंधन विभाग ने 29 जनवरी 2020 को सीएमपीडीआईएल के कोयल हॉल, एसटीसी, रांची में नेशनल एससी–एसटी हब, राँची (एनएसएसएचओ) से सम्बंधित अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों के लिए एक विशेष विक्रेता विकास बैठक का आयोजन किया था। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आगंतुक गणमान्य व्यक्तियों में निदेशक एमएसएमई, रांची शामिल थे। उन्होंने सीएमपीडीआईएल के प्रयासों की सराहना करते हुए टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में रांची में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हासिल की गई सफलता में सीएमपीडीआईएल का प्रयास अपनी तरह का अकेला प्रयास है।

4. चेन्नई के सीएएसआर को रु. 363.35 लाख मूल्य के 02 मानवरहित एरियल वाहन (यूएवी) का आपूर्ति आदेश दिया गया है। ये यूएवी पूरी तरह से सेंसर जैसे कि एलएडीएआर/ऑप्टिकल/थर्मल इत्यादि से युक्त एक अत्याधुनिक उपकरण हैं। एक बार इनकी तैनाती हो जाने पर इनका प्रयोग ओवरबर्डन और कोल की मात्रा की नियमित निगरानी में, खदानों के परिचालन नियोजन निगरानी और कई अन्य महत्वपूर्ण संचालनों के लिए अद्यतन सूचना के उत्पादन में किया जाएगा ।

5. 692.89 लाख मूल्य के 03 टेर्रेस्ट्रियल लेजर स्कैनर (टीएलएस) के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया।

6. 79.28 लाख रुपये मूल्य के 06 कम्पलीट इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग टोटल स्टेशन (ईटीएस) की खरीद पहले ही की जा चुकी है। ये सीएमपीडीआईएल के जियोमैटिक्स डिवीजन के कामकाज को मजबूत करेंगे।

7. प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु सत्त वायु परिवेश गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के 12 सेटों के लिए रु 772.33 लाख का आपूर्ति आदेश सफलतापूर्वक दिया गया है।

जिसमें से 11 सेट एमसीएल में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और 01 सेट सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा।

8. सीआइएल के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के लाइसेंस हेतु लगभग 1.5 करोड़ मूल्य का ऑर्डर रिकॉर्ड समय में रखा गया।

सीएमपीडीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लक्षित वार्षिक खरीद के साथ प्रदान किया जाना है जैसा कि पिछले वर्ष में किया गया था। इसके अलावा, एमएसएमई सम्बद्ध पोर्टल और सीएमपीडीआईएल वेबसाइट में एमएसई कार्नर में इस जानकारी की आवश्यकता है। इस संबंध में, पिछले 3 वर्षों के लिए खरीद डेटा निम्नानुसार दिया जा रहा है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20
कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	32.63	29.19	64.82

22.2 एमओयू लक्ष्य :

वित्तीय वर्ष 2020.21 के लिए लक्षित वार्षिक खरीद रु. 30.00 करोड़ है जिसमें से 9.00 करोड़ (लगभग 30%) एमएसई से खरीद के लिए अनुमानित है, जो सीएमपीडीआईएल में जारी निविदाओं में एमएसई की भागीदारी के अधीन है।

23.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएमपीडीआईएल के शिक्षण / सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशाला के आंकड़े निम्नानुसार है :

प्रमुख क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाह्य	विदेशी	कुल
प्रबंधकीय	801	78	40	0	919
तकनीकी / फंक्शनल	190	52	196	15	453
क्राश फंक्शनल	33	11	17	0	61
कुल	1024	141	253	15	1433

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया।.

23.1 स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी) में प्रशिक्षण :

क) प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों के विकास के अभिन्न अंग हैं। इस लिए सीएमपीडीआई में सुनिश्चित करने के लिए यह प्रयास किया गया हे कि उनका समग्र विकास सालोंभर लगातार होता रहे। इस संबंध में वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न तकनीकी गैर तकनीकी पर 1000 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले 1024 कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जो आवश्यकता आधारित हैं तथा कस्टमाइज कर दिया गया है। कुछ नीचे दिया गया है :

1. ईएसआरआई इंडिया द्वारा नवीनतम एआरसी जीआईएस प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन।
2. विभिन्न आईएसओ मानकों पर कार्यक्रम पर प्रशिक्षण।
3. तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रम (भूविज्ञान)।

4. ओपन कास्ट के लिए मैपटेक वल्कन 3 डी माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
5. व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ऑन हैण्ड प्रशिक्षण और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर कार्यशाला का आयोजन।
6. कार्लासन सॉफ्टवेयर भूविज्ञान पर प्रशिक्षण और अग्रतर परिचर्चा।
7. जीएसटी पर प्रशिक्षण।
8. डेटा खान सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
9. इलेक्ट्रॉनिक कुल स्टेशन पर प्रथम चरण का प्रशिक्षण।
10. सी–इनवॉइसिंग बैठक।
11. कर्मचारियों के विभागीय परीक्षा के लिए प्रशिक्षण।
12. 'ऑनलाइन इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ बिड्स एंड रिपोर्ट जनरेशन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इ–प्रोक्योरमेंट' पर प्रशिक्षण।
13. एमएस परियोजना पर प्रशिक्षण।
14. विभिन्न प्रबंधन मानकों आंतरिक लेखा परिक्षण कौशल पर प्रशिक्षण।
15. विशेषज्ञ समिति द्वारा आईसीसीएस समीक्षा के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण।

23.2 एमओयू लक्ष्य 2019-20:

कार्य जीवन संतुलन के साथ–साथ नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए महिला कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए 15 पहल कार्यक्रम एचआरडी विभाग द्वारा समय पर आयोजित किया गया। प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर की प्रगति की निरंतरता हेतु कम से कम 5% अधिकारियों (E-0 एवं ऊपर) को कम से कम 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। भारत के भीतर उत्कृष्टता केंद्र, जैसे आईआईटीएस, आईआईएम, एनआईटीएस, आईसीएआई आदि को हासिल किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 65 अधिकारीयों अर्थात 7.08% को प्रशिक्षित किया गया।

23.3 आईआईसीएम में प्रशिक्षण

प्रत्येक वर्ष एचआरडी डिवीजन आईआईसीएम के कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे वरीय और मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए नाम मनोनीत कराता है। कंपनी एवं कस्टमर की जरूरत के आधार पर विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान 141 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

23.4 बाह्य प्रशिक्षण :

तकनीकी/प्रबंधकीय स्कील अपग्रेडेशन एवं आधुनिक तकनीकी विकास से संबंधित प्रत्येक वर्ष विभिन्न डिसिप्लीन से अधिकारियों को प्रशिक्षण, कान्फ्रेंस वर्कशॉप, सिम्पोजियम आदि भाग लेने के लिए विभिन्न संस्थानों/जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष 253 अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत में विभिन्न जगहों प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया है।

कुछ संस्थानों के नाम, जहाँ हमारे कर्मचारियों को भेजा गया है, नीचे दिया गया है :

- खनन अभियांत्रिकी विभाग, आईआईटी, खड़गपुर
- भारतीय मानक ब्यूरो, बैंगलोर
- सीपेट,पटिया, भुबनेश्वर
- एएससीआई, हैदराबाद

- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीसी), मसूरी
- झारखंड राय विश्वविद्यालय, रांची
- एनआईटीटीआर, चंडीगढ़
- राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनजीडब्लूटीआरआई) रायपुर, छत्तीसगढ़
- एईआरबी (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड), मुंबई
- सीएसआईआर–सीएमआईआर, धनबाद
- खनन अभियांत्रिकी विभाग, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर

23.5 विदेशों में प्रशिक्षण :

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआईएल से कुल 15 अधिकारी ने वर्कशॉप/सेमिनार/ क्रॉन्फ्रेंस/ प्रशिक्षण/तकनीकी अपग्रेडेशन में भाग लेने के लिए विदेशों में विजिट किया।

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सीएमपीडीआईएल में इंटर्नशिप प्रशिक्षण

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को ग्रीष्म और शरद इंटर्नशिप प्रशिक्षण सीएमपीडीआईएल और मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में एचआरडी डिवीजन द्वारा दिया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआईएल में कुल 252 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छात्र अपने संबंधित क्षेत्रों में 4–6 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण/परियोजना कार्य करते हैं। प्रशिक्षण/परियोजना पूर्ण करने और उनके परियोजना रिपोर्ट सौंपने के बाद एचआरडी डिवीजन प्रशिक्षण/परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति पर प्रमाण–पत्र जारी करता है।

प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संस्थानों ने अपनी पहुँच बनाई :

- वीआईटी, वैल्लोर
- बीएचयू, वाराणसी
- बीआईटी, राँची
- आईआईटी(आईएसएम), धनबाद
- एक्सआईएस, राँची
- आईआईटी भुवनेश्वर
- केआईआईटी भुवनेश्वर
- चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
- आईआईटी, खड़गपुर
- एनआईटी, राऊरकेला आदि.

अप्रेन्टिक्स एक्ट 1961 के अनुसार अप्रेन्टिस प्रशिक्षण :

एमओयू के अनुसार सीएमपीडीआईएल ने कन्ट्रेक्टर वर्कर (31 मार्च, 2019 के अनुसार 4516) सहित सीएमपीडीआईएल के कुल मैन पावर का 2.50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सीएमपीडीआईएल में 132 अप्रेन्टिस लगे हुए हैं, जो 2.92 प्रतिशत है। ड्रिलिंग, यांत्रिकी, सिविल, कम्प्यूटर साइन्स, माइनिंग इत्यादि जैसे विभिन्न संकाय इसमें शामिल है तथा ये विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों तथा सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय में पदस्थापित हैं।

23.6 स्किल डेवपलमेंट :

प्लानिंग तथा खानों की डिजाइन, गवेषणत्मक कार्य, ईआईए/ईएमपी इत्यादि में सीएमपीडीआई लगा हुआ है। सीएमपीडीआई को अपना खान नहीं है। स्किल इंडिया स्कीम के तहत सीएमपीडीआई ने स्किल्ड सेमी स्किलड की पहचान की है, जो 2013 सीएमपीडीआई में कैट, 1,2,3 के रूप में ज्वाइन किया है तथा ये ओरियेंटेशन तथा रिफ्रेशर प्रशिक्षण के पद स्थापित हैं।

तद्नुसार इन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्षवार एक्शन प्लान तैयार किया जाता है तथा नीचे दिए चार्ट के अनुसार इन्हें समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

वर्ष	लक्ष्य (व्यक्तियों में)	उपलब्धि (व्यक्तियों में)
2016-17	120	116
2017-18	200	202
2018-19	220	222
2019-20	240	241
कुल	**780**	

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत सीएमपीडीआई के अन–स्किल्ड, सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जो इस प्रकार है :

1. सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में ड्रिलिंग कैम्प के लिए कैट 1,2,3 कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में संचालित विभिन्न लैब पर कैट–1,2,3 का प्रशिक्षण
3. ई–आफिस पर अन–स्किल्ड (कैट– I) तथा सेमी स्किल्ड (कैट–2 एवं 3) का प्रशिक्षण

24.0 बाह्य सीआईएल परामर्शी कार्य :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरा सहित 21 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से बाहर 28 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन जिनका कार्य पूरा किया गया वे निम्नलिखित हैं: अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड, ओडिशा कोल एंड पावर लिमिटेड, गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कंपनी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड आदि।

वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड,जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड, तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इत्यादि जैसे 18 संगठनों के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा कोल इंडिया से बाहर के 28 परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 21 संगठनों के 27.20 करोड़ रुपये के सीआईएल से बाहर 27 परामर्शी कार्यों को सीएमपीडीआईएल द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें कोयला मंत्रालय, पीएसयू/सरकारी संगठन और निजी कंपनियां शामिल हैं।

25.0 श्रमशक्ति एवं कल्याण क्रिया-कलाप :

25.1 श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण		31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
अधिकारी		892	862
गैर–अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	1018	1038
	दैनिक वेतनभोगी	1376	1262
समग्र कुल		**3286**	**3162**

25.2 कल्याण संबंधित गतिविधियाँ :

क्र.सं.	कल्याण संबंधी गतिविधियाँ	कार्यक्रम कि तिथि	टिप्पणी (यदि कोई है)
1	आंबेडकर जयंती का अयोजन	14 अप्रैल, 2019	अंबेडकर की तस्वीर पर माला चढ़ाकर राष्ट्र के विकास में उनकी दृष्टि और योगदान को याद किया गया। मुख्य अतिथि श्री बी.एन.शुक्ला
2	21 मई 2019 आतंकवाद निरोधी दिवस का अवलोकन	21मई, 2019	महाप्रबंधक (का –प्रशा.) द्वारा शपथ दिलाया गया। बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन।
3	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम	27 मई, 2019	
4	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन	31 मई, 2019	तम्बाकू मुक्त कार्यालय की शपथ
5	स्वच्छता पखवाड़ा	16 जून से 31 जून, 2019	16 जून से 31 जून, 2019
6	स्वतंत्रता दिवस 2019	15 अगस्त, 2019	
7	सीएमडी बनाम निदेशक फुटबॉल मैच	15 अगस्त, 2019	
8	वीप्स और कस्तूरी महिला सभा द्वारा कोयल हॉल में सभी कर्मचारियों के लिए एक्यूप्रेशर में प्रशिक्षण और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया	21 से 25 अगस्त, 2019	21 से 25 अगस्त, 2019
9	चाय पर चर्चा	हर महीने के पहले सप्ताह में (सितंबर, 2019 से दिसंबर, 2019)	
10	एकता दौड़	31 अक्टूबर, 2019	
11	विधान/स्थापना दिवस	26 नवंबर, 2019	
12	सांप्रदायिक सद्भाव	27.11.2019	
13	बालिकाओं के लिए क्रीड़ा गतिविधियाँ (एमओयू पैरामीटर के अनुसार)	14.12.2019	
14	नव वर्ष उत्सव	1 जनवरी, 2020	
15	बिरसा हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के साथ महात्मा गांधी पर एक सत्र	7 जनवरी, 2020	
16	सीएमडी बनाम निदेशक क्रिकेट मैच	26 जनवरी, 2020	

25.3 वर्ष 2019-20 के लिए अधिकारी स्थापना से संबंधित मुख्य सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई
1.	टर्मिनल लाभ का निपटारा	सेवा निवृत - 47 मृतक अधिकारी - 05 त्याग पत्र देने वाले अधिकारी - 18
2.	लाइफ कवर का भुगतान	04
3.	सीपीआरएमएसई के तहत मेडिकल कार्ड जारी करना	57
4.	प्राप्त सेवा निवृत्ति के मामले पर छुट्टी का नकदीकरण	54
5.	सेटल्ड	39
6.	प्रक्रिया के अंतर्गत	15
7.	मेडिकल रेफर के मामले	633

25.4 वर्ष 2019-20 के दौरान आरटीआई संबंधित सूचना

क्र.सं.	वार्षिक कार्ययोजना	की गई कार्रवाई
1.	आवेदन प्राप्ति की कुल संख्या	45
2.	वर्ष के दौरान आवेदनों का निपटारा किया गया	42
3.	प्रक्रियाधीन	03
4.	वर्ष के दौरान अपील प्राप्त	06
5.	अपिलों का निपटारा	05
6.	शेष	01
7.	सीआईसी (द्वितीय अपील आवेदन प्राप्त)	00
8.	सीआईसी अपील का निपटारा	00

25.5 वर्ष 2019-20 के दौरान सीपीजीआरएएम से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल आवेदन प्राप्त	आवेदनों का निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	30	27	3
2.	पेंसन	0	0	0
3.	पीएमओ	15	15	0

25.6 वर्ष 2019-20 के दौरान वीआईपी रेफरेंस से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल प्राप्त	निपटारा किया गया	अतिशेष/प्रक्रियाधीन
1.	लोकल/इंटरनेट	9	9	0

25.7 वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन की स्थिति :

क्र.सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	निपटाएं गए	विचारकधीन		अभियुक्ति
			सीएमपीडीआईएल	सीएमपीफओ	
1.	154	90	10	54	

25.8 वर्ष 2019-20 के दौरान गैर-अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित सूचना :

क्र.सं.	वार्षिक कार्य योजना	कार्रवाई की गई
1	टर्मिनल लाभों का निपटान	119
2	जीवन कवर का भुगतान	21
3	सीपीआरएमएसएनई के तहत मेडिकल कार्ड का वितरण	153
4	सेवा निवृत्ति के बाद छुट्टी नगदीकरण के मामले प्राप्त हुए	75
5	निपटाए गए	55
6	प्रक्रियाधीन	20

25.9 राजभाषा

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सत्त् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही। इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार सितम्बर, 2019 में ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया गया। कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत करने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 5000 रू., द्वितीय पुरस्कार 4000/–रू., तृतीय पुरस्कार 3000/–रू. और सांत्वना पुरस्कार 800 रू. से नवाजा गया। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित कैटगरी में प्रमाण–पत्र भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा दो विभागों जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया है, को चेयरमेंस विनर (अध्यक्षीय विजेता) तथा उप विजेता का शील्ड दिया गया तथा एक क्षेत्रीय संस्थान जिन्होंने अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में किया, को अध्यक्षीय विजेता का शील्ड द्वारा दिया गया। इसके अलावे सभी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

दिन प्रति दिन के सरकारी कार्य में राजभाषा 'हिन्दी' के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, मानव संसाधन विकास विभाग के त्त्वावधान में चार हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दैनिक रूटिन कार्य में हिन्दी के प्रयोग में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में अधिक प्रभावी हुई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण भी किया गया।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में राजभाषा के त्रैमासिक प्रगति की संवीखा करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की गई।

आपकी कंपनी ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (लोक उपक्रम), राँची दो छमाही बैठकें आयोजित की जिसमें विभिन्न लोक उपक्रमों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की गई।

25.10 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) एवं सूचना

वर्ष 2019–20 के दौरान सीएमपीडीआई में कार्यस्थल (रोक/निवारण, निषेध, (रिड्रेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के दर्ज किए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

1. वर्ष के दौरान प्राप्त सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों की संख्या	-	शून्य
2. वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	-	01
3. 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या	-	शून्य
4. वर्ष के दौरान आयोजित सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जागरूकता कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं की संख्या	-	01
5. मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	-	मामले को आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के साथ निपटाया गया क्योंकि मामले की प्रकृति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बजाय व्यक्तिगत/पारिवारिक विवाद से अधिक थी

26.0 सीएमपीडीआईएल में कोल इंडिया स्थापना दिवस का आयोजन :

राँची 16 नवम्बर, सीएमपीडीआईएल, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, ने दिनांक 16 नवम्बर, 2018 मयूरी हाल, सीएमपीडीआईएल में पूरे उत्साह से कोल इंडिया स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर के मुख्य अतिथि, माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने भाषण में कहा कि स्थापना दिवस मनाने से न केवल जश्न मनाने का अवसर मिलता है, बल्कि आत्ममूल्यांकन का और मूल्य प्रणाली, समानुभूति व संवाद दीक्षा का विकास किस रूप में हो कि संगठन के भीतर बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सके, इसका अवसर भी प्रदान करता है। श्री भनोट ने यह भी कहा कि किसी भी संगठन में 'मूल्यों का फ्रेम वर्क' संगठन को निरंतर बनाए रखने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के कॉर्पोरेट लक्ष्यों के सामान ही महत्वपूर्ण होता है।

इस अवसर पर, सीएमपीडीआईएल के अध्यक्ष सह प्रबंध श्री शेखर सरन ने सीआईएल और सीएमपीडीआईएल की स्थापना के मूल में निहित कारणों तथा इनके विकास और गठन के बारे में जानकारी दी। श्री सरन ने गवेषण और इसके संचालन के अन्य क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा अधिकारियों को सीएमपीडीआईएल की नियमित सेवाओं के अलावा नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने और कार्यात्मक क्षेत्र में विविधता लाने और आइओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा खनन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने थ्रस्ट क्षेत्र के बारे में भी बताया कि वर्तमान में सीएमपीडीआईएल कोल बेड मिथेन (सीबीएम) और भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है।

सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों को ऑपरेशन से संबंधित उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों से नवाजा गया। इस अवसर पर ड्रिल उत्पादकता, के आधार पर दुर्गापुर कैंप, क्षे. संस्थान 4, नागपुर को सर्वश्रेष्ठ ड्रिलिंग कैंप (मैकेनिकल) और सिंहपुर कैंप, क्षे. संस्थान 5, बिलासपुर (हाइड्रोस्टैटिक) श्रेणी के लिए पुरस्कार मिला।

सर्वोत्तम ड्रिल क्रूव केटेगरी अवार्ड (उच्चतम उत्पादकता) के तहत, ड्रिल डीएम–1000–2 (मुरपार), क्षे. संस्थान 4, नागपुर और सिंहपुर कैंप के.के. आर.–डब्लू.ए.आई.आई.सी–07, क्षे.संस्थान 5, बिलासपुर को क्रमशः मैकेनिकल और हाइड्रोस्टैटिक्स ड्रिल के लिए पुरस्कार मिला।

रिपोर्ट तैयार करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, ओपेनकास्ट रिपोर्ट हेतु मुख्य प्रबंधक (खनन) श्री बीरेंद्र कुमार को, भूमिगत रिपोर्ट के लिए श्री बी.के.ठाकुर मुख्य प्रबंधक (खनन) को, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के लिए श्री एस.एन. बोहिदार, जीएम (भूविज्ञान) और उनकी टीम आरआई–7, भुवनेश्वर को, पर्यावरण सेवाओं के लिए श्री बी. एन. दुपट्टावाला को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में अवर्गीकृत एलवीएमवी के पुनर्वर्गीकरण के लिए श्री सुनील कुमार जायसवाल, श्रीमती आभा प्रसाद और श्री जयंत प्रसाद को तथा श्री एस. कुंडू और उनकी टीम (मुख्यालय) को मिनी स्मार्ट कॉलोनियों के विकास की डीपीआर तैयार करने के लिए पुरस्कार दिए गए।

श्री आर.के. सिंह और श्री पी.के. सोमानी को क्रमशः 'गवेषण' और 'वित्तीय सेवाओं' में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) टीम की मिस स्वेता राय और मिस विक्टोरिया कुजूर को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला।

जीएम (सीएमपी) को 2018–19 में के अधिकतम मूल्य के बाहरी परामर्श कार्यों को प्राप्त करने के लिए य क्षे.नि.,क्षे.सं.7, भुवनेश्वर को 2018–19 में बाहर की कंसल्टेंसी जॉब्स में अधिकतम वृद्धि के लिए और क्षे.नि.,क्षे.सं.4, नागपुर को 2018–19 में बाहर की कंसल्टेंसी जॉब्स में सराहना के लिए पुरस्कार मिला।

तकनीकी श्रेणी में नवाचार के लिए पुरस्कार आरआई–I, आसनसोल की टीम के श्री एन.पी. घाटोपार और श्री तापस रॉय को राजमहल ट्रैप के एकीकृत भूभौतिकीय सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के लिए दिए गए। एएनएन और डब्लूटी का उपयोग करते हुए Carbonaceous बेड की ऑटोमैटिक लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन में इनोवेशन के लिए श्री थिनेश कुमार कोय कोल डैशबोर्ड डिजाइनिंग के लिए सीएमपीडीआईएल (मुख्या.) की टीम के श्री संदीप कुमार, श्री अवनीश कुमार और श्री नीलेश कुमार को इनोवेशन श्रेणी में पुरस्कार मिला बिलासपुर के श्री रामबाबू सिंह और उनकी टीम को भूजल बजट संगणना पर पहली वैज्ञानिक मॉडल रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुरस्कार मिला।

सीएसआर के तहत, सीएमपीडीआईएल, रांची को 18–19 में सीएसआर बजट के अधिकतम उपयोग के लिए पुरस्कार मिला और क्षेत्रीय संस्थान–IV, नागपुर को सभी आरआई के बीच, दूरदराज के क्षेत्रों में अधिकतम खर्च के लिए पुरस्कार मिला।

श्री दीपांशु साहू, श्री अतुल कुमार, श्री मुन्ना दत्ता, श्री अभिषेक मूंदड़ा, श्री नारायण कुमार साव, श्री हिमांशु वशिष्ठ, श्री एम.बी. सिंह, श्रीमती ममता टोप्पो, तुषार, श्री पुष्प राज वर्मा और उनकी टीम के श्री अनूप कुमार, श्री धनंजय जैन, श्री राकेश रंजन, श्री अनिल कुमार सिंह, सीएमपी लैब सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) के श्री बिनोद कुमार माटोय श्री लक्ष्मीदीप, श्री शैलेश चंद्र, श्री आदित्य श्रेष्ठकर को 'विशेष उपलब्धि पुरस्कार' मिला।

श्री ए.के. मोहंती, श्री वाई.के. सिंह, श्री अनिल सावनूर को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त, श्रीमती जॉली भट्टाचार्जी, श्री राम प्रसाद आधिकारी, श्री प्रीतेश वी पारोलिकल को 'युवा अधिकारी' पुरस्कार मिला। इसके अलावा, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री दीपक प्रसाद, श्री दशरथ राम, श्री अभिराम कुजूर को गैर–अधिकारी की श्रेणी में उनकी सेवाओं के क्षेत्र में पुरस्कार मिले।

इस अवसर पर, श्री के.के. मिश्रा, निदेशक (टी/ईएस); श्री आर.एन. झा, निदेशक (टी/आरडी एंड टी); श्री ए.के. श्रीवास्तव, सीवीओ; कोल इंडिया परिवार के पूर्व सीएमडी और निदेशक, जीएम/एचओडी, जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि, श्रीमती मीता सरन अध्यक्ष कस्तूरी महिला सभा और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कोल इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट गीत के गायन के साथ हुई।

27.0 2019-20 में पब्लिक सेक्टर (विप्स) सीएमपीडीआईएल में फोरम ऑफ वीमेन का क्रिया-कलाप :

नवगठित ''फंक्शनल मैनेजमेंट कमिटि'' ऑफ विप्स, सीएमपीडीआईएल चैप्टर (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान–3) के पदाधिकारी (ऑफिस बियरर) और एक्जीक्यूटिव सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. कोआर्डिनेटर/प्रेसीडेंट– श्रीमती सुनीता मेहता, महाप्रबंधक, (का0एवं प्र0)
2. अतिरिक्त को आर्डिनेटर/वाइस प्रेसीडेंट, श्रीमती विनीता अरोड़ा, वरीय प्रबंधक (पर्यावरण)
3. सहायक को आर्डिनेटर, श्रीमती सुमन रस्तोगी, वरीय प्रबंधक (कार्मिक)
4. जेनरल सेक्रेटरी, श्रीमती जेबा इमाम : वरीय प्रबंधक (जियोलॉजी)

27.1 अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक किए गए प्रमुख क्रिया-कलाप :

16-05-2019 को 'विकासशील कौशल का विकास' पर कार्यशाला

रांची में 16.05.2019 को विप्स द्वारा सीएमपीडीआईएल (मुख्या.) क्षे. संस्थान 3 की महिला कर्मचारियों के लिए 'विकासशील कौशल के विकास' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ सूचनाप्रद भूमिका के साथ मुखर संचार कौशल सिखाए गए।

पॉवर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा, एनटीपीसी के एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सेवानिवृत्त महाप्रबंधक और बहुत प्रसिद्ध और प्रशंसित कार्यशाला सुविधा प्रदाता और प्रशिक्षक, डॉ सुनीता सिंह, इस कार्यशाला की फैकल्टी थीं। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला को बहुत ज्ञानवर्धक पाया और इसे सभी ने सराहा।

27.2 27.05.2019 को 'लैंगिक संवेदनशीलता' और 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम -2013 पर कार्यशाला।

विप्स सीएमपीडीआईएल ने 27.05.2019 को 'लैंगिक संवेदनशीलता' और 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम – 2013 पर मयूरी सभागार, राँची में कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला की शुरुआत कस्तूरी महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीता सरन, श्री आर.के. झा, निदेशक (टी/आरडी एंड टी), श्री हेमंत श्रीवास्तव, प्रबंधन सलाहकार और अनूप कुमार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

श्री हेमंत श्रीवास्तव ने 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम – 2013, लैंगिक व्यवहार और यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों जैसे कि यौन रिश्वत, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न आदि के बारे में संक्षेप में चर्चा की।

श्री अनूप कुमार मेहता ने मुख्य रूप से 'कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम – 2013, में विवाद निवारण तंत्र, आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) की कार्यप्रणाली, खंड, परिभाषा और अध्याय पर प्रकाश डाला।

27.3 अच्छे स्वास्थ्य के लिए औषधि मुक्त पथ पर कार्यशाला

तनाव से संबंधित बीमारियों से प्रभावी राहत के लिए सीएमपीडीआईएल के कर्मचारियों के बीच स्व उपचार और निवारक प्रबंधन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए और एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवम उपचार संस्थान, इलाहाबाद के सहयोग से विप्स, सीएमपीडीआईएल और कस्तूरी महिला सभा ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु सीएमपीडीआईएल के कोयल हॉल में 21.08.2019 से 25.08.2019 तक अच्छे स्वास्थ्य के लिए औषधि मुक्त विषय पर पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

27.4 महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर

महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 23.08.2019 को सीएमपीडीआईएल डिस्पेंसरी, रांची में किया गया। मेदांता अस्पताल, रांची से डॉ अनुपमा को महिला कर्मचारियों के सामान्य चेकअप के लिए बुलाया गया था जिसमें लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज का पता लगाना और स्त्री रोग संबंधी चेकअप शामिल था।

27.5 सीएमपीडीआईएल की महिला अधिकारियों के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

एसटीसी भवन, सीएमपीडीआईएल में 15.11.2019 और 23.11.2019 को सीएमपीडीआईएल की महिला अधिकारियों के लिए "विकासशील व्यवहार कौशल" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न व्यवहार कौशल विकसित करने पर केंद्रित था जो पारस्परिक संबंधों, प्रभावी संचार, आकर्षक व्यवहार और उत्पादक भावनाओं के लिए आवश्यक होते है और कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों के साथ काम करने और अच्छा प्रदर्शन करने की अनुमति देगा।

27.6 18 से 26 नवंबर 2019 तक चिकित्सीय कल्याण कार्यक्रम

महिला, कर्मचारियों के लिए 18 से 26 नवंबर 2019 तक स्वर्णरेखा हॉल, एसटीसी भवन, सीएमपीडीआईएल में विभिन्न फन थेरेपी जैसे नृत्य, संगीत, योग, मार्शल आर्ट आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक चिकित्सकीय कल्याण

कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच उनके शरीर के बारे में जागरूकता पैदा करने, स्व–विनियमन कौशल विकसित करने और लचीलापन बनाने पर केंद्रित था। सीएमपीडीआईएल की सभी महिला कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता व्यक्त की क्योंकि इससे काम–तनाव प्रबंधन में बहुत मदद मिलती है।

27.7 महिलाओं से संबंधित विकारों पर जागरूकता कार्यक्रम :

एमओयू पैरामीटर 2019–20 और विप्स के सहयोग से, 13 दिसंबर 2019 को महिला कर्मचारियों के लिए कोयल हॉल, एसटीसी बिल्डिंग, सीएमपीडीआईएल में महिलाओं से संबंधित विकारों पर एक घंटे का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डॉ रेड्डीज फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा (डीआरएफएचई) के लिए सीएमपीडीआईएल की महिला कर्मचारियों में निरंतर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया था।।

27.8 फन एक्टिविटीज फॉर गर्ल चाइल्ड

एमओयू पैरामीटर 2019–20 के तहत, 'फन एक्टिविटीज फॉर गर्ल चाइल्ड' का आयोजन विप्स, सीएमपीडीआईएल द्वारा 14.12.2019 को एचआरडी क्लास रूम, सीएमपीडीआईएल में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया गया। गतिविधियों का विषय 'प्ले एंड लर्न' था। कार्यक्रम का संचालन सुश्री आकांक्षा सिन्हा, सेल्फ एनहांसर एंड सॉफ्ट स्किल फैसिलिटेटर, डोरंडा, रांची द्वारा किया गया। यह बच्चों के लिए एक यादगार और सुखद गतिविधि थी, जहाँ उन्होंने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

27.9 नि:शक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा

विप्स, सीएमपीडीआईएल जरूरतमंदों को सांत्वना देने के उद्देश्य से, गोंडवाना प्राथमिक विद्यालय, सीएमपीडीआईएल परिसर, रांची में आस–पास के क्षेत्रों के कमजोर बच्चों के लिए नि:शुल्क कक्षाएं चलाता है। कुल 30 छात्रों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है। श्रीमती अमिता मेहता, क्लर्क, एमटी लैब सीएमपीडीआईएल द्वारा पिछले 5 वर्षों से कक्षाएं ली जाती हैं।

27.10 महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर एक संवादात्मक सत्र

07.01.2020 को बिरसा हाई स्कूल के छात्रों के लिए विप्स, सीएमपीडीआईएल द्वारा महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती मीता सरन, संरक्षिका, बिरसा हाई स्कूल ने की थी। इस समारोह में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार, श्री मधुकर अध्यक्ष थे। उन्होंने दर्शकों से महात्मा गांधी के बचपन और जीवन के बारे में बात की और कैसे वे दुनिया की महान हस्तियों में से एक बन गए।

27.11 महिला कर्मचारियों का जन्मदिन समारोह

कर्मचारी की संलग्नता को सुधारने और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से विप्स, सीएमपीडीआईएल, हर महीने के पहले दिन जन्मदिन का आयोजन करती है। सभी महिला कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि उस विशेष महीने में आती है, उन्हें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत केक काटने और जलपान से होती है। सभी महिला कर्मचारियों को संगठन में अपने अनुभव को साझा करने और कार्य संस्कृति, प्रक्रियाओं आदि में सुधार के लिए विचार और तरीके सुझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

27.12 2019-20 के दौरान विप्स, सीएमपीडीआईएल द्वारा प्राप्त पुरस्कार और लॉरेल

विप्स, सीएमपीडीआईएल ने 30 वीं राष्ट्रीय मीट ऑफ विप्स, हैदराबाद में 12 फरवरी 2020 को अपनी गतिविधियों के लिए मान्यता पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार तेलंगाना के माननीय राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन द्वारा दिया गया था।

28.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

28.1 वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित अप्लीकेबल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

28.2 निदेशकों ने ऐसा लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

28.3 निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा जालसाजी एवं अन्य अनियमित्ताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

28.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

28.5 निदेशकों ने संपुष्ट की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स लोदा पटेल, वाधवा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, रांची को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कॉस्ट आडिटर (लागत अंकेक्षक) के रूप में नियुक्त मेंसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जीएसटी अंकेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके संपर्क में कंपनी ने चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर और हमारे समर्पित कर्मचारियों पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोजाली एब्जार्पसन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एवं आउटगो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिटर्न का सारांश, कारपोरेट गवर्नेस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन का जवाब, कंपनी अधिनियम, 2013 की सेक्शन 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, एमओयू 2019–20 पर रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

08/06/2020

(शेखर सरन)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

रॉंची

तिथि : 08.06.2020

परिशिष्ट - I

निदेशक मंडली की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा का संरक्षण

सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2019–20 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू किया है और बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा खपत का बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ–साथ स्पेशिफिक डीजल कंजप्सन का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया गया।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित ब्रोड हेड को स्वीकार किया गया।

i) नियोजित एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मेंटेनेंस मेजर्स को अपनाते हुए तथा लीकेज की पहचान करना और कम करना।

ii) एचईएमएम कंसीडरिंग हॉल रोड कंडीशन्स का स्पीड ऑप्टीमाइजेशन

iii) आइडियल आवर को मिनिमाइज करने के लिए टाइम अध्ययन और एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट से बचाव

iv) इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआईएल आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

i) डिमांड साइट मैनेजमेंट

ii) संचरण एवं वितरण हानि में कमी

iii) पावर फैक्टर में सुधार

iv) इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम

v) ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना

vi) ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना

vii) पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

(क.1) वर्ष 2019-20 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क.	डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	डीजल की खपत	प्रस्तावित बचत संभावना
1.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	31088 किलो लीटर	1483 किलो लीटर/वर्ष
2.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 30 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	51542 किलो लीटर	2490 किलो लीटर/वर्ष
3.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	29033किलो लीटर	1363 किलो लीटर/वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	39190 किलो लीटर	1367 किलो लीटर/वर्ष
5.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 10 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	110443 किला लीटर	5293 किलो लीटर/वर्ष
6.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 03 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	59696 किलो लीटर	2861 किलो लीटर/वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	63197 किलो लीटर	3024 किलो लीटर/वर्ष
ख.	**2019-20 के दौरान इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग पर किया गया अध्ययन**	**प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)**	**प्रस्तावित बचत संभावना**
1.	सीएमपीडीआई मुख्यालय द्वारा ब्लाक बी ओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	55.81	85.93 ला. रू./वर्ष
2.	सीएमपीडीआई मुख्यालय द्वारा एनसीएल मुख्यालय का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण	69.47	72.55 ला. रू./वर्ष
3.	सीएमपीडीआई मुख्यालय द्वारा डब्लू जे एरिया, बीसीसीएल के मूनिडिह यूजी प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण	70	192 ला. रू./वर्ष

(क2) वर्ष 2019-20 के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा शुरू कए गए माइन इल्यूमिनेशन रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रू.में)
1.	एनसीएल के जयंत ओसीपी का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	994
2.	सीएमपीडीआईएल क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद द्वारा बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र के एकेडब्लूएमसी प्रोजेक्ट काइल्यूमिनेशन सर्वेक्षण	53.76

(क3) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट / सौर ऊर्जा संयंत्र की पहल

क्षेत्रीय संस्थान - II, धनबाद

- 2019–20 में क्षेत्रीय संस्थान–2 में 30 केडब्लूपी सोलर रूफटॉप पावर प्लांट को चालू किया गया है।

क्षेत्रीय संस्थान - IV, नागपुर

- जून–2019 में क्षेत्रीय संस्थान–IV में 50 केडब्लूपी का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट चालू किया गया है।
- रु. 55 लाख की राशि के 100 केडब्लूपी सोलर रूफटॉप पावर के लिए टेंडर किया गया है।
- सीएसआर गतिविधियों के तहत जिला परिषद स्कूल, आनंदवन वरोरा (एमएस) में 6 केडब्लूपी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया।

क्षेत्रीय संस्थान - V, बिलासपुर

- कार्यालय भवन में 100 केवीपी रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना, कमीशन और परीक्षण।

ख). विदेशी विनिमय अर्जन और आउटगो :

क्र.सं.	कार्य विवरण	2019-20
1.	उत्पादों और सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के तलए नए निर्यात बाजारों का विकास, निर्यात में वृद्धि की पहल, निर्यात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी विनियम	
	क) अर्जित कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में)	0.02 करोड़ रू.
	ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी विनियम (करोड़ रू. में)	4.50 करोड़ रू.
	(यात्रा व्यय 0.32 करोड़ रू. + अन्य 0.32 करोड रू. + अन्य पूंजीगत सामग्री 3.86 करोड रू.)	

ग) अनुसन्धान और विकास और प्रौद्योगिकी समावेशन

i) एनसीएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), नेवेली एंड नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरूचिरापल्ली), एनआईटीटी), तमिलनाडू, द्वारा ''इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ ग्राउण्ड वाटर कंट्रोल एंड कन्वेयर सिस्टम इन माइन्स'' नामक एक एसएंडटी परियोजना हाल ही में शुरू की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 179.53 लाख रू. है। [एनएलसीआईएल–113.54 लाख रू. और एनआईटीटीः 65.99 लाख रू.]

- उपर्युक्त परियोजना का प्रमुख उद्देश्य टेम्परेचर वाइब्रेशन बोल्टेज, करेंट आदि को मॉनीटर करने और वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित आरएफ/जीपीआरएस के जरिए एनसीआईएल में कन्वेयर प्रणाली के लिए सोल्यूशन आधारित प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल करने के लिए स्वदेशी कम लागत उच्च कार्य निष्पादन वाली सेंसरर्स का विकास करना है। इस परियोजना में उपकरण संयंत्र को प्रभावित करने से पहले अग्रिम में विभिन्न दोषों का पता लगाने के लिए पारंपरिक और बुद्धिमान तकनीकों का उपयोग करके उपयुक्त दोष का पता लगाने और पहचान (एफडीआई) का डिजाइन किया जाएगा।

घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन) :

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान–सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन)/उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया–कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डालती है जबकि कुछ अन्य चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लए जरूरी खान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है :

1. भारत के दामोदर बेसिन की शेल गैस क्षमता का मूल्यांकन

इस परियोजना को एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा सीएमपीडीआईएल, रांची और सीआईएमएफआर, धनबाद के सहयोग से निष्पादित किया गया था।

इस परियोजना के तहत, दामोदर बेसिन की शेल गैस क्षमता का मूल्यांकन एकीकृत भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक, भू–रासायनिक और पेट्रो भौतिक जांच के माध्यम से किया गया है।

2. एसिड खान जल निकासी और इंडिविजुअल मेटल सल्फाइड की रिकवरी के साथ-साथ उपचार के लिए हाइब्रिड पीआरईएसआरआईएक्स प्रक्रिया

इस परियोजना को आईआईटी, रुड़की ने एनईसी, मार्गेरिटा और एससीसीएल, कोथागुडेम के सहयोग से निष्पादित किया था

इस परियोजना के तहत, एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) उपचार प्रक्रिया प्रदूषित पानी में अम्लता के निष्प्रभावीकरण द्वारा पर्याप्त क्षारीयता पैदा करके और भारी धातुओं को हटाने और एएमडी की कुल भंग ठोस सामग्री को कम करके किया गया है। साथ ही, वाणिज्यिक मूल्यों वाले एएमडी से क्रमिक रूप से भारी धातु आयनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

3. गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और एएमटी डेटा के 3 डी व्युत्क्रम मॉडलिंग का उपयोग करके सिंगरौली कोयला क्षेत्र के मुख्य कोयला बेसिन में विवर्तनिक अध्ययन के लिए एक एकीकृत भू-भौतिक

इस परियोजना को आईआईटी–आइएसएम, धनबाद ने सीएमपीडीआईएल,रांची के सहयोग से क्रियान्वित किया था

इस परियोजना के तहत, सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के मुख्य बेसिन में 3 डी पृथ्वी की उप–सतह संरचना को चित्रित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और ऑडियो–मैग्नेटोटेलुरिक्स ध्वनि विधियों का एक विवेकपूर्ण संयोजन किया गया था।

क्षेत्र की जांच से मॉडलिंग परिणामों की व्याख्या के आधार पर, प्रमुख परिणाम सूचीबद्ध किए गए

- मुख्य कोयला बेसिन के पश्चिमी क्षेत्र में कोयला सीमों की मोटाई अधिक है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सीमों की संख्या कम है। इन दोनों क्षेत्रों को विभाजित करने वाली रेखा का सीमांकन किया जा सकता है।
- पांच संभावित कोयला सीमों को मध्य के साथ–साथ पूर्वी क्षेत्र में वितरित किया गया है, यह देखा गया कि कोयला सीमों की संख्या और कोयले की मात्रा मुख्य कोयला बेसिन के पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी की ओर बढ़ती है।
- सामान्य तौर पर तलछट में पूर्वी क्षेत्र के ऊपर बारी–जारिया, कुंडा और पचुर पहाड़ियों के पश्चिम में महत्वपूर्ण मोटाई होती है।
- अध्ययन क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बीच एक मध्यम गहरी तहखाने की पहचान की जाती है।
- कोयला सीम और भी तलछटी मोटाई कुकरॉन, तिंगुरी और उत्तरी तलवा और देवरा मोर के उत्तर में घटती है, ई–डब्ल्यू ट्रेंडिंग फॉल्ट जोन के उत्तरी किनारे को समाप्त करती है।
- फ्रैक्चर जोन की उपस्थिति के कारण पूर्वी और मध्य के उत्तर और एन–ई में कई स्थानों पर सीम की मोटाई पतली और नगण्य हो जाती है। हालांकि, विशेष रूप से एमटी डेटा में देखा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र में सीम की मोटाई और तलछट दक्षिण की ओर जारी है।
- चुंबकीय विसंगतियों से कई छिपे हुए कोयला सीमों की उपस्थिति और दोषों, फ्रैक्चर जैसे कई टेक्टोनिक विशेषताओं की मौजूदगी की संभावना है।

4. हाई ऐश भारतीय थर्मल कोयले का ड्राई बेनिफिकेशन:

इस परियोजना को एनएमएल, जमशेदपुर द्वारा सीएमपीडीआईएल, रांची के सहयोग से निष्पादित किया गया था।

यह परियोजना सीएमपीडीआईएल तथा सीसीएल, राँची के सहयोग से आईआईटी, रूड़की द्वारा कार्यान्वित की गई है।

इस अध्ययन के तहत, एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र, इब वैली और तालचेर कोयला क्षेत्रों के गैर–कोकिंग कोयलों के शुष्क लाभकारीकरण का अध्ययन किया गया है, जो थर्मल पावर प्लांट में आवेदन के लिए

34% राख के लिए स्वच्छ कोयला उत्पादन के लिए वायु–द्रवीकरण कंपन डेक विभाजक तकनीक द्वारा अध्ययन किया गया है।

पायलट पैमाने के परिणाम के आधार पर, धोया हुआ कोयला (34% राख) की वसूली को अधिकतम करने के लिए उपरोक्त कोयले के ड्राई बेनिफिकेशन के लिए प्रक्रिया प्रवाह पत्रक तैयार किए गए हैं। हिंगुला और लखनपुर की कोयले के आकार -50+3 मिमी और -50+6 मिमी से कोयले के वेट और ड्राई बेनिफिकेशन को एनएमएल में आयोजित किया गया और यह पाया गया कि ड्राई बेनिफिकेशन के परिणाम वेट बेनिफिकेशन के करीब हैं। ड्राई बेनिफिकेशन पर अलग–अलग नमी की मात्रा का प्रभाव और अध्ययन के तहत सेपेरेशन प्रदर्शन पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

उपरोक्त तकनीक का उपयोग वाशरी स्थापित करने के लिए किया जा सकता है जो पानी के बिना चल सकता है। पानी से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को भी समाप्त किया जा सकता है।

5. *भूगर्भीयडेटा प्रसंस्करण, व्याख्या और संसाधन निरंतरता के लिए उलटे सत्त तरंगिका ट्रांसफॉर्म डेकोवोल्यूशन (आईसीडब्लूटी- डेकोन) का उपयोग करते हुए कोयले के पतले सीम की पहचान*

इस परियोजना को गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जीईआरएमआई), गांधी नगर द्वारा सीईएमपीडीआईएल, रांची के सहयोग से निष्पादित किया गया था।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आईसीडब्ल्यूटी–डेकोन नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित करके, कोयले की पतली सहित विभिन्न कोयला सीमों का परिसीमन करना था। विकसित सॉफ्टवेयर संसाधनों का आकलन करने के लिए कोयले के पतले सीम सहित कोयला सीम की विभिन्न परतों को रिसोल्व और अलग कर सकता है।

विकसित सॉफ्टवेयर को सीएमपीडीआईएल में मौजूद पैराडाइम सॉफ्टवेयर, सीस्मिक डेटा प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर के लिए अतिरिक्त पैकेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपर्युक्त अनुसंधान कार्य के माध्यम से प्राप्त होने वाले परियोजना लाभ निम्न हैं :

- सहसंबंध के लिए कुछ बोरहोल के साथ 2डी भूगर्भीय आंकड़ों की एकीकृत व्याख्या संसाधनों को प्रमाणित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी और साथ ही यह कोयले की संरचना, दोष, कोयले की गुणवत्ता और आगे की योजना के लिए अन्य जानकारी प्रदान करेगी।
- उपरोक्त परियोजना प्रभावी मानचित्रण और इंडिविजुअल कोयला सीम लागत के लिए एक वर्कफ्लो लाएगी।
- परियोजना कोयले के लिए त्वरित अन्वेषण और भूगर्भीय और सीमित कोर कुओं के साथ कोयला भंडार के आकलन के लिए गुंजाइश प्रदान करेगी।
- आईसीडब्ल्यूटी–डेकोन सॉफ्टवेयर सीएमपीडीआईएल भू–वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी होगा जो इंडिविजुअल कोयले के सीम के विस्तार के लिए संकल्प को बढ़ाएगा।
- यह कोयला सीमों के अन्वेषण और दोहन के लिए आवश्यक ग्रिड 2डी और 3डी भूगर्भीय आंकड़ों के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

6. *कोयले की खदानों में ब्लास्टिंग ओवरबर्डन के लिए कम घनत्व वाले छिद्रयुक्त अमोनियम नाइट्रेट के साथ एएनएफओ की तकनीकी-व्यावसायिक प्रभावकारिता का अध्ययन*

सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा डीएफपीसीएल, पुणे और डब्ल्यूसीएल, नागपुर के सहयोग से इस परियोजना को अंजाम दिया गया।

इस आरएंडडी परियोजना का मुख्य उद्देश्य एएनएफओ विस्फोटकों की तकनीकी–आर्थिक प्रभावकारिता का पता लगाना था, जिसमें सीआईएल की खानों में कम घनत्व, पोरस, ऊष्मीय रूप से स्थिर, प्रिल्ड अमोनियम

नाइट्रेट के साथ एसएमई (स्लरी मिक्स्ड इमल्शन–कॉलम चार्ज विस्फोटक) जैसे पारंपरिक विस्फोटक थे। पाउडर फैक्टर (पीएफ) के सन्दर्भ में, पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस आदि के लिए इसके ठोस और सुस्पष्ट ब्लास्ट छेद में फील्ड ट्रेल्स के साथ मूर्अत और मूर्त लाभ थे।

चंद्रपुर ओसीपी में किए गए परीक्षण विस्फोटों के डेटा विश्लेषण के आधार पर एएनएफओ और इमल्शन विस्फोटक दोनों के साथ विस्फोट के पैटर्न और परिणामों की पहचान की गई थी और उन्हें निकाला गया था। इसके बाद, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- एएनएफओ के मामले में औसत पाउडर का कारक 2.44 है और एसएमई के मामले में 1.69 है। यह इंगित करता है कि 44.37% उच्च औसत पाउडर फैक्टर मान एसएमई के सम्बन्ध ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक के रूप में एएनएफओ के उपयोग के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि एएनएफओ का उपयोग करके लगभग 44.37 से 53.34% उच्च पाउडर फैक्टर प्राप्त किया जा सकता है।
- यह पाया गया है कि एसएमई के बजाय एएनएफओ विस्फोटक के उपयोग से प्रति क्यूबिक मीटर रु. 0.52 से रु. 3.77 तक की बचत होगी। यह बचत बहुत बड़ी होगी क्योंकि ओपेकैस्ट खदानों से कोयले की खुदाई के लिए ओबी की एक बड़ी मात्रा को वार्षिक रूप से हटाया जाता है।

7. सतह खनन ढलानों की सुरक्षा जोनिंग में ग्राउंड आधारित इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक एपर्चर रडार (GbInSAR) की प्रयोज्यता और प्रदर्शन का आकलन

इस परियोजना को आईआईटी, खड़गपुर ने ईसीएल, सैंक्टोरिया के साथ मिलकर क्रियान्वित किया था।

उपरोक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य आरएंडडी प्रयासों के माध्यम से ब्लास्टिंग टाइम को शामिल करते हुए मौजूदा ओवरबर्डन (ओबी) डंप के इष्टतम ढलान डिजाइन और प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश तथा सिफारिशें करने के लिए वास्तविक समय (24X7, 365 दिन) के आधार पर सतह खनन ढलानों की सुरक्षा जोनिंग में ग्राउंड आधारित इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार की प्रयोज्यता और प्रदर्शन का आकलन करना था।

उपरोक्त परियोजना के परिणाम वास्तविक समय में गतिशील लोडिंग के मामले में, बहुत धीमी ढलान गति /विस्थापन और मौजूदा उच्च ओवरबर्डन (ओबी) डंप में तनाव के निर्माण मामले में अग्रिम पूर्व–विफलता संकेत प्रदान करेंगे। सोनपुर बाजारी खुली खनन परियोजना, ईसीएल को परियोजना के निष्पादन के लिए पहचाना गया।

परिशिष्ट - II

सेवा में,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

हम, शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं बी.के पाण्डेय, महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii. मैटीरियल्टी नीति में परिवर्तन हुआ है। दिनांक 01.04.2019 से चालू वर्ष में खोजे गए पूर्व अवधि से सम्बंधित एरर/ओमिसंस को अपरिवर्तित माना जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, अगर इस तरह की सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व का 1% से अधिक नहीं हैं (वैधानिक शुल्क का नेट)।

iii. किसी बड़े धोखाधड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

08/04/2020

(बी.के पाण्डेय)
महाप्रबंधक (वित्त)

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

M. No. : A45022
C. P. No. : 17016
Email ID: sj@way2corporates.in

निगमित शासन अनुपालन का प्रमाण–पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	यू 14292 जेएच 1975 जीओई 001223
नॉमिनल पूंजी	:	150,00,00,000 रू. (एक सौ पचास करोड़ रू.)
प्रदत्त पूंजी	:	38,08,00,000 रू. (अड़तीस करोड़ आठ लाख रू. मात्र)

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 008

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा–निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (दि ''कंपनी'') द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी की जिम्मेवारी है। हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपानई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

1. निदेशक-मंडल :

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक–मंडल द्वारा संचालिय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या का निर्धारण करते हैं। निदेशक को किसी तरह का क्वालिफिकेशन शेयर रखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्त के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

M. No. : A45022
C. P. No. : 17016
Email ID: sj@way2corporates.in

क) बोर्ड का आकार :

कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोसिएशन के अुनसार हमारे बोर्ड में 3 से कम तथा 15 से अधिक निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक नहीं होंगे। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक या सरकारी अंशकालिक निदेशक या गैर–सरकारी अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख) निदेशक मंडल का कोटिवार गठन :

31 मार्च, 2020 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 10 सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक,दो सरकारी अंशकालिक निदेशकतथा तीन गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं। इस बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरन हैं। कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के सेवा समाप्ति के बाद भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के द्वारा शेष दो निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी बाकी है। वास्वत में, बोर्ड के गठन के बारे में निगमित शासन के दिशा–निर्देश का अनुसरण स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद में ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2020 की तिथि के अनुसार बोर्ड का गठन इस प्रकार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक :

क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

1) श्री शेखर सरन

ख) कार्यकारी निदेशक

2) श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा

3) श्री रबीन्द्रनाथ झा

4) श्री अनिल कुमार राना

5) श्री सतेन्द्र कुमार गोमस्ता

II. **अंशकालिक सरकारी निदेशक :**

1) श्री विनय दयाल

2) डॉ. अनिन्द्य सिन्हा

III. **स्वतंत्र निदेशक :**

1) डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय

2) श्रीमती अलका पंडा

3) श्री प्रमोद सिंह चौहान

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

IV. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1) श्री अजितेश कुमार

ग) आयोजित बैठकों की संख्या एवं तिथि :

निदेशक–मंडल कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) है, जो कंपनी का संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 10 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठकों की संख्या	दिनांक	दिन	बैठक का स्थल
1.	223वीं	21.5.2019	मंगलवार	सीआईएल, नई दिल्ली
2.	224वीं	29.5.2019	बुधवार	सीआईएल, नई दिल्ली
3.	225वीं	29.06.2019	शनिवार	दार्जीलिंग
4.	226वीं	29.07.2019	सोमवार	सीआईएल, नई दिल्ली
5.	227वीं	18.9.2019	बुधवार	सीएमपीडीआई
6.	228वीं	29.10.2019	मंगलवार	सीएमपीडीआई
7.	229वीं	09.11.2019	शनिवार	सीएमपीडीआई
8.	230वीं	28.12.2019	शनिवार	सीएमपीडीआई
9.	231वीं	27.01.2020	सोमवार	सीएमपीडीआई
10.	232वीं	17.3.2020	मंगलवार	सीएमपीडीआई

2. (क) अंकेक्षण समिति का प्राथमिक कार्य सामान्यतः वित्त से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर ओवरसाइट दायित्वों को पूरा करने में निदेशक–मंडल की सहायता करना है।

लेखा परिक्षण समिति आतंरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है,वैधानिक लेखा परीक्षकों से मिलकर उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य सम्बंधित मामलों पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसईएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होता है।

अंकेक्षण समिति के विचार–विमर्श में निम्नलिखित के साथ सभी प्रकार के वाणिज्यिक पहलू शामिल हैः

क) बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समय–समय पर समीक्षा

ग) सरकारी अंकेक्षण तथा साविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

M. No. : A45022
C. P. No. : 17016
Email ID: sj@way2corporates.in

घ) मानक पारामीटर की तुलना में परिचालन उपलब्धि की समीक्षा

ङ) परियोजना एवं अन्य पूंजीगत (बड़ी) योजनाओं की समीक्षा

च) आंतरिक अंकेक्षण का जाँच–परिणाम/टिप्पणी की समीक्षा

छ) अनुकूल एवं कारगर आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास

ज) बोर्ड द्वारा प्रेषित मामलों के साथ–साथ किसी भी तरह के मामलों का विशेष अध्ययन/तहकीकात करना

ग) अंकेक्षण समिति का कार्य-क्षेत्र :

1. वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण।
2. अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान हेतु अनुमोदन।
4. खासकर निम्नलिखित मामल्रे में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष पेश करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :
   - क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व में सम्मिलित मामले
   - ख) लेखा नीति तथा प्रचलन में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसका कारण।
   - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया के आधार पर प्राक्कलन सहित महत्वपूर्ण लेखे की प्रविष्टि
   - घ) अंकेक्षण परिणाम से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   - ड.) वित्तीय विवरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, विनियमन एवं कंपनी की नीति) का अनुपालन
   - च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   - (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता (क्वालिफिकेशन)
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक अंकेक्षण विभाग की संरचना, कर्मचारियों तथा विभाग के नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरीयता, आंतरिक अंकेक्षण का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आंतरिक अंकेक्षण की आवृति शामिल है।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, पर आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

9. आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों/एजेसिंयों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें महत्वपूर्ण (मैटिरियल) प्रकृति के संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण की विफलता हो तथा इस मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, के साथ–साथ ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म कीकार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
12. सी एंड एजी ऑडिट के अंकेक्षण टिप्पणी पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी लेन–देन की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति एक ऐसे सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयास में कटौती तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र ऑडिटर के साथ पुनरीक्षण करना।
16. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्ता के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन नियंत्रण एवं सुरक्षा तथा संबंधित निष्कर्ष पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ समीक्षा और आंतरिक अंकेक्षक एवं स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसा के साथ–साथ प्रबंधन का प्रत्युर।
17. विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम (निष्कर्ष) पर प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ विचार एवं समीक्षा जिसमें गत अंकेक्षण अनुशंसा की स्थिति तथा अंकेक्षण कार्य के दौरान सामना की गई कठिनाइयों के साथ–साथ कार्य क्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक पहुँचने में किसी तरह की रूकावट शामिल है।
18. डिपोजिटर, डिबेन्चर होल्डर, शेयर होल्डर (घोषित डिविडेंट का भुगतान न करने के मामले) और क्रेडिटर्स को भुगतान।
19. संसद के लोक उपक्रमों की समिति (कोपु) की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।
20. अंकेक्षण समिति के विचारार्थ विषय में यथा उल्लेखित को अन्य कार्य करना।

घ) अंकेक्षण समिति के अधिकार

अंकेक्षण समिति को इसकी भूमिका के अनुरूप अधिकार भी प्राप्त रहेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विचारार्थ विषय के भीतर किसी भी क्रिया–कलापों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना (जानकारी) प्राप्त करना।

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

M. No. : A45022
C. P. No. : 17016
Email ID: sj@way2corporates.in

3. बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. संबंधित विशेषज्ञता वाले आउटसाइडरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो,
5. मुखबिरों (विसिल ब्लोअर) की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतंत्रता को सशक्त कर कनफ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट को समाप्त करना।
7. आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगी :

i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।
iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
iv. आंतरिक नियंत्रण (इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज) से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा,
vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च) गठनः

31/03/2020 को,अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष (17.11.2019 से) सदस्य–(10.07.2019 से16.11.2019 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री बिनय दयाल	सदस्य–(09.11.2017 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	डा.अनिंद्या सिन्हा	सदस्य (09.03.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य– (10.07.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
5.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य–(17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
6.	श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य–(29.05.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (वित्त), महाप्रबंधक (आईएडी) और सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

छ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित अंकेक्षण समिति की बैठक का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः दिनांक : 21.5.2019, 29.5.2019, 28.6.2019, 29.7.2019, 18.9.2019, 29.10.2019, 27.01.2020, और 17.3.2020 को कुल आठ बैठकें आयोजित की गई।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुसरण करने तथा निगमित शासन का अनुपालन करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

दिनांक : 09.11.2019 को आयोजित 229वीं बोर्ड की बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलखित सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष (17.11.2019 से)	स्वतंत्र निदेशक
2.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य (17.11.2019 से)	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य (17.11.2019 से)	स्वतंत्र निदेशक
4.	डा. अनिंद्या सिन्हा	सदस्य (12.05.2018 से)	सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	श्री कौशलेन्द्र कुमार मिश्रा	परमानेंट इनवाईटी (17.11.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा इस समिति को सभी तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लिए महाप्रबंधक (का. एवं प्र.) नोडल अधिकारी होंगे।

ख. वित्त वर्ष 19–20 में नॉमिनेशन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष 19–20 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी

4.0 सीएसआर कमिटी:

निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से कार्य व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रूप, सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस को बोर्ड स्तर की एक समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति

Surabhi Jain, ACS
Company Secretary

M. No. : A45022
C. P. No. : 17016
Email ID: sj@way2corporates.in

बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इस दिशा–निर्देश के अनुरूप 10.05.2013 को आयोजित 172वीं बैठक में बोर्ड ने सीएसआर समिति का गठन किया है।

कऋ गठन :

31/03/2020 को,सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसके अध्यक्षगैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री प्रमोद सिंह चौहान	सदस्य (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्रीमती अलका पंडा	अध्यक्ष (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	सदस्य (17.11.2019 से)	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य (21.05.2019 से)	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री रबीन्द्रनाथ झा	सदस्य (17.11.2019 से)	कार्यकारी निदेशक

महाप्रबंधक (एचआरडी) कमिटि के नोडल अधिकारी हैं, जो सीएसआर कमिटि को सारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे।

ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 29.05.2019, 29.07.2019, 17.09.2019, 27.01.2020, तथा 17.3.2020 को कुल 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं।

आगे हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता है और न ही इसकी दक्षता या प्रभावकारित के रूप में है, जिसे प्रबंधन ने कंपनी के मामले को संचालित किया है।

कृते सुरभि जैन
कंपनी सचिव

Surabhi

(सुरभि जैन)
एसीएस संख्या : 45022
सी.पी. संख्या : 17016

स्थान : राँची
दिनांक : 02.06.2020

परिशिष्ट - IV

लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
304ए श्रीलोक कंपलेक्स, 4 एच.बी. रोड, राँची - 834001

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के सदस्यगण

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विचार

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड ''दि कंपनी'' का संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (दी एक्ट) द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है तथा अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों दी कंपनीज (इंडियन आकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, यथा संशोधित ("Ind As") के साथ पठित तथा 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की स्थिति से संबंधित भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सकल विस्तृत आय, उस तिथि को समाप्त वर्ष में इक्विटी तथा उसके नकद प्रवाहों में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है।

विचार के लिए आधार:

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण का संचालन, हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत वर्णित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विसतृत वर्णन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण हमारी रिपोर्ट के लिए अंकेक्षकों के दायित्व से संबंधित अनुभाग में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ–साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, जो नैतिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं और वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगित हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा (ICAI) के कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि अंकेक्षण के लिए जो प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरण के अंकेक्षण विचार (audit Opinion) आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अंकेक्षण के मुख्य मुद्दे :

अंकेक्षकों की हमारी रिपोर्ट का यह भाग प्रबंधन के साथ आदान–प्रदान किए गए उन चुनिन्दा मुद्दों को वर्णित करने के लिए अभिप्रेत है, जो हमारें व्यावसायिक निर्णय के अनुसार मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह मुद्दे पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के संदर्भ में ही संबंधित थे, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मुद्दों पर एक अलग राय नहीं प्रदान करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि नीचे वर्णित मुद्दे हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा के मुद्दे हैं।

क्र.सं.	अंकेक्षण के मुख्य मुद्दे	अंकेक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	**<u>आईएनडीएएस 116 की स्वीकृति</u>** आईएनडीएएस 116 एक नया लीज अकाउंटिंग मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें पट्टों को लागत पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक लीज देयता को पहचानने की आवश्यकता होती है। वित्त प्रभार को हानि और लाभ लेखांकन के विवरण में वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। पट्टे की देनदारियों को शुरू में संविदा/व्यवस्था के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान भविष्य के पट्टे के भुगतान को छूट देकर मापा जाता है, मानक को अपनाने में, महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल हैं, जिसमें छूट दरों को निर्धारण और पट्टा अवधि शामिल है। इसके अतिरिक्त मानक संक्रमण के संबंध में व्यापक खुलासे को समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 2.5.1 और अन्य सूचना 5(एन) देखें।	अनुबंध संबंधी समझौतों और 1 अप्रैल, 2019 के संक्रमण के आधार पर पट्टों की पहचान पर कंपनी के मूलयांकन को आँका गया : • संक्रमण और संबंधित समायोजन की विधि का मूल्यांकन • आरओयू परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं की गणना में उपयोग किए गए डेटा के लिए कंपनी के परिचालन पट्टे की प्रतिबद्धताओं को शामिल कर, आँकड़े की पूर्णता का परीक्षण किया गया। • सांख्यिकीय सैंपलिंग दृष्टिकोण का उपयोग कर सैम्पल का चयन। ऐसे चयनित सैंपलों के लिए, हमने अंतर्निहित लीज संविदा के साथ लीज के मुख्य नियमों और शर्तों का मूल्यांकन किया। साथ ही हमने लीज देयता की गणना का मूल्यांकन किया और हर दर व लीज टर्म जैसे मुख्य अनुमानों को चैलेंज्ड किया। • लेखंकन नीति, नए जील मानकों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रक्कटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकनल किया और संक्रमण से संबंधित प्रासंगित प्रकटीकरणों को शामिल करते हुए उनकी पूर्णता और गणितीय शुद्धता का भी आकलन किया। **ऑडिट निष्कर्ष :** हमारी प्रक्रियों ने किन्ही महत्वपूर्ण अपवादों की पहचान नहीं की है।
2.	**कर स्थितियों का मूल्यांकन** कंपनी भारत में परिचालन कर रही है और स्थानीय कर प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर मामलों सहित व्यापार के नार्मल कोर्स के दौरान कर मामलों की एक सीमा पर आवधिक चुनौतियों के अधीन है। आयकर व्यय का अनुमान लगाने के लिए कंपनी को संभावित कर जोखिमों के लिए एक विशेष कर उपचार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है इसमें कर मुकदमों के संभावित परिणाम और संभावित कर जोखिमों को निर्धारित करने के कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में कर लेखांकन और प्रकटीकरण की संबंधित संभावना पर प्रभाव पड़ता है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 2.10 देखें।	हमारी अंकेक्षण प्रक्रियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ शामिल हैं : • मुख्य कर मुकदमों और संभावित कर जोखिमों की समझ प्राप्त करना। • अंकेक्षण दल ने • कंपनी द्वारा किए गए चुनिंदा प्रमुख पत्राचारों और परामर्शों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया, जिसमें प्रमुख कर मुकदमों और संभावित कर जोखिमों के लिए बाहरी कर विशेषज्ञों के साथ शामिल है। • वर्तमान और आस्थगति कर शेषों का आकलन करने में कंपनी द्वारा विचार की गई महत्वपूर्ण मान्यताओं और अपीलों के आधार पर उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई, मूल्यांकन और बैलेन्ज्ड किया गया। • हालिया कर निर्धारणों/पूछताछ, पिछले कर निर्धारणों के परिणामों कानूनीपूर्वता/न्यायिक निर्णयों और कर वातावरण में परिवर्तन और प्रमुख कर मुकदमों और संभावित कर जोखिमों के संभावित परिणाम के कंपनी के अनुमान को चुनौती देने के लिए आकलन की स्थिति का मूल्याकन किया गया। • करों से संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति और प्रक्कटीकरण का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। **ऑडिट निष्कर्ष :** हमारी प्रक्रियाओं ने किन्हीं महत्वपूर्ण अपवादों की पहचान नहीं की है।

3.	**प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से युक्त कुछ निश्चित मुकदमों के संबंध में, अन्य पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न दावों की पहचान ऋण के रूप में नहीं की गई है। प्रोविजनिंग के स्तरों के आकलन के लिए निर्णयन के एक उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक तथा स्वतंत्र कर सलाहकारों के सलाहों, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, के द्वारा समर्थित हैं। तद्नुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी की रिपोर्टड लाभ और निल परिसंपत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चित्ता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 2.14 को देखें।	**मुख्य अंकेक्षण प्रक्रियाएँ** हमारा अंकेक्षण विचाराधीन विषयगत मामलों और प्रासंगिक कानूनों के निर्णयन/व्याख्या पर केंद्रित था। • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक फोरमों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या पत्राचारों का परीक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही। • मुकदामों/कर आकलनों की मौजूदा स्थिति को समझाना। • प्रस्तुत आधार के संदर्भ में विचाराधीन विषय में और उपलब्ध स्वतंत्र विधिक/कर सलाह की मेरिट का मूल्यांकन। • चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय–वस्तु के विवरणों का संग्रह उन मुद्दो पर संभावित परिणाम और संभावित बहिर्वाह की समीक्षा और विश्लेषण। **आडिट निष्कर्ष :** हमारी प्रक्रियाओं ने किन्हीं महत्वपूर्ण अपवादों की पहचान नहीं की है।
4.	**आईएनडी एएस-19 में संशोधन-कर्मचारी लाभ** आईएनडीएस 19 कर्मचारी लाभ में संशोधन योजनागत संशोधन, क्लेमेंट और निपटान से संबंधित है। जब कोई इकाई योजना संशोधन या परित्याग के समय पिछली सेवा की लागत को विलंबित करती है, तो यह हमारी निर्धारित परिसंपत्तियों और एक्चुरियल मान का उपयोग करके शुद्ध परिभाषित लाभ की क्षमता/संपत्ति की मात्रा को फिर से बताएगी जों प्रस्तावित लाभों को दर्शाती है। योजना संशोधन स्थापना और निपटान के पहले और बाद की योजना के तहत संपत्ति	**आईएनडीएस 19 के संशोधन पर हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया** हमारा मूल्यांकन मुख्यतः उन विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने यह मूल्यांकन तब किया जब कोई योजना संशोधन, करटेलमेंट या निपटान लागत कंपनी में नहीं थी। इसलिए आइएननडीएस 19 के संशोधन के लिए वैलूएशन रिपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। **ऑडिट निष्कर्ष :** **हमारी प्रक्रियाओं ने किन्हीं महत्वपूर्ण अपवादों की पहचान नहीं की है।**

मामले का महत्व

क) वित्तीय विवरण में अन्य सूचना– 5(0)(I) की तरफ हमने ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह वर्णित है कि पुनर्विचार और मौजूदा आर्थिक संकेतकों के आधार पर कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी भविष्य की स्थितियों के कारण और इसके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न होने वाले

महतवपूर्ण परिवर्तनों की सतर्क निगरानी करना जारी रखेगी।

ख) नोट सं. 2.16.3 ''मैटिरियलटी'' का संदर्भ लें– मौजूदा वर्ष में खोजी गई तथा पिछली अवधि से संबंधित त्रूटियों/भूलों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा और यदि ये त्रुटियाँ और भूलें अपने सकल रूप में कंपनी की पिछले अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालनों से प्राप्त

(वैधानिक लेवी से प्राप्त निबल) कुल राजस्व के 1% से अधिक नहीं है, तो मौजूदा वर्ष में इनका समायोजन किया जाएगा।

ग) अन्य सूचना के 5(0)(II) का संदर्भ लें– फरवरी, 2020 तथा मार्च 2020 माह के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण कोविड–19 के कारण नहीं किया गया हे और इसे अभी शुरू किया जाना है। कंपनी का प्रबंधन दैनिक मामलों की रिपोर्टिंग पर इसका कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव देखता है।

घ) नोट सं. 11 अन्य चाले परिसंपत्तियों का संदर्भ लें– (वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान) कंपनी के वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले, जिसमें कुल 26.70 करोड़ रू. भी शामिल है का अंतरण कंपनी द्वारा प्रोटेस्ट के अंतर्गत आयकर के भुगतान के रूप में किया गया हे, जहाँ तक राशि का संबंध है, प्रथमतः इसका समावेश कंपनी को भुगतान नहीं किए/या कम भुगतान किए गए आयकर रिफंड में किया गया है।

हमारी राय उपर्युक्त के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।

अन्य सूचनाः

अन्य सूचना के लिए कंपनी का प्रबंधन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उत्तरदायी हैं। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी का समावेश है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को आच्छादित नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणें की हमारी लेखा परीखा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना और ध्यान रखना कि अन्य सूचना वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ सामग्री असंगत या अन्यथा सामग्री गलत बयानी पर आधारित तो नहीं है।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं इस अन्य सूचना की सामग्री गलत है य तो उस तथ्य को रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। चूँकि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

यह वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विहित भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार नकद प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य और स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (दी एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लिखि तमामले की जिम्मेवारी निदेशक मंडली की है। इस दायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव तथा फ्राड अन्य अनियमितताओं, यथोचित लेखा नीति का चयन और प्रयोग, निर्णय और आकलन जो उचित और विश्वसनीय हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए

संचालित किया जा रहा हो, जो भौतिक गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या भूलवश हो से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हों, को पहचानने और उनसे बचाने का दायित्व भी शामिल है।

वित्तीय विवरणें को तैयारी करने में, वर्तमान चिंताओं के साथ जारी रखने प्रकटीकरणों, वर्तमान चिंताअें से संबंधित उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है से संबंधित कंपनी क्षमता के आकलन के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के लिए अंकेक्षकों का दायित्व :

वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा लक्ष्य, उस तार्किक आश्वासन को प्राप्त करना है कि क्या ये विवरण अपनी पूर्णता में फ्रॉड या त्रुटि के कारण होने वाले किसी गलतबयानी से मुक्त हैं। इस संबंध में इससे जुड़े हमारे विचारों से युक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट जारी करना भी हमारा लक्ष्य है। यद्यपि तार्किक आश्वासन एक उच्च श्रेणी का आश्वासन है तथापि SAs के सहयोग से किये जाने वाले लेखा परीक्षा में इस बात की गारंटी नहीं है कि यह हमेशा वित्तीय विवरणों में मौजूद गलतबयानी की पहचान कर दी जाए। गलतबयानियाँ फ्रॉड या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है। या अलग–अलग या पूर्ण से महत्वपूर्ण यानि जा सकती हैं, यदि वे वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों लेने वाले निर्णयकर्ताओं को युक्तिपूर्वक प्रभावित करने के लिए अपेक्षित हों।

SAs के साथ संचालित इस लेखा परीक्षा के एक सदस्य के रूप में हमने पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का प्रयोग किया है तथा पेशेवर संशयवाद (Scepticism) को बनाए रखा है।

इसके साथ ही हमने :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह फ्रॉड या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया है। उन जोखिम के लिए उत्तरदायी निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान और मूल्यांकन भी किया है और उन लेखा परीक्षा प्रमाणों को प्राप्त किया है जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि की बजाय फ्रॉड के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी को नहीं पहचान पाने का जोखिम अधिक है क्योंकि फ्रॉड में कपटपूर्ण समझौता, फर्जीवाड़ा, जानबूझकर की गई भूल, गलत अर्थ या आंतरिक नियंत्रण पर ओवरवाइड होना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा जो कि इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, को तेयार करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त की। कंपनी 2013 की धार 143(3)(।)के अंतर्गत हम इस पर भी विचार देने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है और उन नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता कितनी है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, और लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता और सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया।
- लेखांकन के लिए वर्तमान चिंताओं को आधार बनाकर प्रबंधन द्वारा उनके प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकाला है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह भी निष्कर्ष निकाला है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है जो वर्तमान चिंताओं के साथ कंपनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमने यह निष्कर्ष निकाला कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों में हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। लेखा

परीक्षकों की हमारी रिपोर्ट के हमारे निष्कर्ष प्रापत आधारित (up to date) लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थिति के कंपनी की चिंता समाप्त हो सकती है।

- समग्र प्रस्तुतियों, संरचना और प्रकटीकरण युक्त वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन किया। तथा इसका भी मूल्यांकन की क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुती को प्राप्त करते हों।

हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया, वह वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय देने के लिए आधार देने हेतु पर्याप्त ओर उपयुक्त है। हम अन्य मामलों में, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय व महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों कमियों को शामिल करते हैं, जिसकी पहचान हम ऑडिट के दौरान करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, शासन से संबंधित आरोप लगाने वाले लोगों से संपर्क करते हैं। ऑडिट और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, जिसमें अंतरिम नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम एक स्टेटमेंट के साथ शासन को उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और संबंध्रें और अन्य मामलों, जो कि हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचे जा सकते हैं और सुरक्षा से संबंधित उपाय जहाँ लागू होते हों को संप्रेषित किया है।

शासन के साथ उन आरोपों जिनका संप्रेषण किया गया, हम मानते हैं कि वे मामले मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य अंकेक्षण मामले लेखा परीक्षा की अपनी रिपोर्ट में हमने इन मामलों का वर्णन किया है, जब तक विधि या विनियम इन मामलों के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हों या जब अत्यंत असामान्य परिस्थितियाँ हों, हमने निश्चय किया कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने दुष्परिणामों से इस तरह के सार्वजनिक हित लाभों के पिछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के वित्तीय विवरण एवं लेखे पर इसके प्रीााव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण ''परिशिष्ट–।'' में संलग्न कर रहे हैं।

2. अधिनियम (दिएक्ट) की धारा 143(II) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विहित मामले पर ''परिशिष्ट–2'' संलग्न करते हैं।

3. जैसा कि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने आवश्यक वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक थी।

   ख) हमारी राय में, पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा–पुस्तक रखी है।

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित +लेखा मानकों के अनुसार सही है।

ड.) निदेशक–मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2020 के अनुसार निदेशक–मंडली से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के लिए 31 मार्च, 2020 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''परिशिष्ट–3'' में उल्लेखित है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

छ) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावाली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध्में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

II. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर आर्थिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है।

III. प्रबंधन द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कोई ऐसी रकम नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना है।

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं. 006271सी

सीए संजय कुमार वाधवा
सदस्य
सदस्यता सं. 074749

स्थान : राँची
दिनांक : 9 जून, 2020

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - ।

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद । में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

परिशिष्ट - ए

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 143(5) के तहत दिशा-निर्देश

1) क्या कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन को आइटी सिस्टम के द्वारा प्रोसेस करने के लिए तंत्र मौजूद है ? यदि हाँ, तो उस आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन से जुड़े लेन देन के वित्तीय विहितार्थ सहित खाते की इंटिग्रिटी क्या है ? यदि कोई है तों उसका वर्णन किया जाए।

कंपनी के पास लेखांकन से जुड़े सभी लेनदेन तंत्र मौजूद है लेकिन इसमें उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र से युक्त सुदृढ़ एकीकृत व्यवस्था के साथ-साथ सुस्पष्ट वित्तीय नियंत्रणों ओर आंतरिक चेकों, जो सभी विभागों के एकीकरण और मुख्यालय सहित क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यालयों में प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं, का अभाव है।

2) क्या कंपनी के आधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है या कर्ज/लोन/व्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित आदि कोई मामला है ? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का वर्णन किया जाए।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के उधारदाता द्वारा ऋण चुका पाने की कंपनी की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है या उधार/लोन/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

3) क्या विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा–जोखा उसमें निहित नियामें और शतों के अनुरूप किया गया था? विचलन से संबंधित मामलां को सूचीबद्ध करें।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य की एजेंसियों से स्वीकृत/स्वीकृति के योग्य फंड के उपयोग का उपयुक्त लेखा-जोखा उसमें विहित नियमों और शर्तों के अधीन किया गया है।

वास्ते/लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.-006271सी

स्थान : राँची
दिनांक : 9 जून, 2020

सीए संजय कुमार वाधवा
सदस्य
सदस्यता सं- 074749

स्वंतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - ॥

(अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

i) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मानात्मक विवरण और अवस्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दिखाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है।

ख) कंपनी के पास अचल परिसंपत्तियों के साथी मदों को शामिल करते हुए चरणबद्ध रूप में सत्यापन का एक प्रोग्राम है, जो, हमोरी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में तार्किक है। इस प्रोग्राम के आधार पर, कुछ निश्चित अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन विवेच्य वर्ष में प्रबंधन द्वारा किया गया। हमें दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में किसी तरह की बड़ी विसंगति नहीं पाई गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, रिकार्ड की हमारी जाँच और हमें उपलब्ध कराए गए कन्वेएन्स डीड्स की जाँच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हे कि टाइटिल डीड्स, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल परिसंपत्तियाँ शामिल हैं तथा जो फ्रीहोल्ड हैं बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर हैं। भूमि और भवन की अचल परिसंपत्तियाँ जो कि लीज पर ली गईं थी और वित्तीय विवरणों में जिन्हें अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, के संबंध में लीज समझौता कंपनी के नाम से किया गया है।

ii) वस्तु सूची के संबंध में :

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड बनाए रखा है तथा प्रबंधन ने एक बाहरी एजेंसी को वर्षान्त में किया। जैसा कि हमें रिपोर्ट किया गया है, स्टॉक्स के भौतिक सत्यापन का रिकार्ड बुक से मिलान करने पर कोई महत्पूर्ण विसंगति नहीं देखी गई थी।

iii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह का प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण मंजूर नहीं किया है, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का 3(III) प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दिए गए ऋण एवं किए गए निवेश, जहाँ लागू हो के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।

v) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किसी भी तरह की ऐसी जमाएँ नहीं हैं जिनका दावा न किया गया हो, इसीलिए आदेश के इस क्लॉज का प्रावधान 3(III) कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी क्षरा संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(।) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के रख–रखाव को विनिर्दिष्ट किया गया है।

vii) वैधानिक बकाये के संबंध में हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार

क) कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकायों सहित अविवादित वैधानिक बकायों को सामान्यतः नियमित रूप से जमा कराया है।

ख) 31 मार्च, 2020 तक भविष्य निधि, आयकर, सेवाकर, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क शेस और अरियर के रूप में अन्य महत्वपूर्ण बकायों के संबंध में कोई अविवाहित देय रकम, देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक बकाया नहीं था।

ग) आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, सेस और अन्य महत्वपूर्ण बकायों जो कि दिनांक : 31 मार्च, 2020 विवाद की वजह से जमा नहीं किए गए उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 ए में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार दिया गया है।

viii) कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार ऋण या उधारी नहीं ली है, या कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(viii) अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

ix) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इनिशीयल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेब्ट–इन्स्ट्रूमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में धन नहीं उगाहा है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix) लागू नहीं होता है।

x) हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का गंभीर धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधकीय परिलब्धि कंपनी अधिनियम की अनुसूची– अ के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधान द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुरूप दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है।

xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसार की गई है तथा जहाँ लागू हो, प्रयोज्य लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में इसे विस्तृत रूप में प्रकट किया गया है।

xiv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा शेयरों का अधिमान्य आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश के क्लॉज 3(xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशक या उनके साथ संबद्ध व्यक्ति के साथ नॉन–कैश ट्रान्जेक्शन नहीं किया है।

xvi) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के तहत कंपनी का निबंधित होना अपेक्षित नहीं है।

वास्ते / लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.-006271सी

स्थान : राँची
दिनांक : 9 जून, 2020

सीए संजय कुमार वाधवा
सदस्य
सदस्यता सं- 074749

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का ''परिशिष्ट 2 ए''

परिशिष्ट 2 के पैरा vii (c) के अंतर्गत सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट का स्वतंत्र अनुभाग ''अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' का संदर्भ

कानून की प्रकृति	ड्यूज की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि का संबंध है	राशि (करोड़ रू. में)
आयकर अधिनियम 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2008–2009	रू. 0.61
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2009–2010	रू. 0.60
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	सीआईटी(ए)	वर्ष 2010–2011	रू. 0.71
आयकर अधिनियम, 1961	पूर्व अवधि व्यय की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2011–2012	रू.0.12
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर, मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ	आईटीएटी	वर्ष 2012–2013	रू. 1.04
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2013–2014	रू. 0.51
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति	आईटीएटी	वर्ष 2014–2015	रू. 0.69
आयकर अधिनियम, 1961	मेडिकल व्ययों की अस्वीकृति, विद्यालयों और संस्थानों को अनुदान, सोर्ट्स – रिक्रिएशन और पर्यावरण – वृक्षारोपण	सीआईटी(ए)	वर्ष 2016–2017	रू. 1.19
आयकर अधिनियम, 1961	सीएसआर व्ययों की अस्वीकृति, एनसीडब्लूए के लिए प्रावधान, मेडिकल व्यय, अनुदान कैंटीन क्रेच और अन्य कार्मिक लाभ	सीआईटी(ए)	वर्ष 2017–2018	रू. 31.67
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर व्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1999–2005	रू. 5.05
सेवाकर अधिनियम	सेवा कर व्याज और पेनाल्टी के अरियर के लिए माँग	झारखंड उच्च न्यायालय	वर्ष 1998–1999	रू. 3.82
सेवाकर अधिनियम	डिप्टी कमिश्नर, सीजीएसटी के दिनांक 28.01.2019 के आदेश के अनुसार रु. 0.02 की पेनाल्टी के भुगतान के लिए	कमिश्नर (अपील)	वर्ष 2015–2018	रू. 0.02

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - 3

'अन्य विधिक और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 3(f) का संदर्भ, सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट का अनुभाग''

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(।) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित परिशिष्ट)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के साथ उसी तिथि के अनुसार ''सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड'' (''दि कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा–निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रमाणित (स्थापित) स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्धता एवं पूर्णता, घोखाधड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत संबद्ध, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण के लिए गाइडेंस नोट (गाइडेंस नोट) तथा अंकेक्षण के मानकों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, के अंकेक्षण तक विस्तारित है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होते हैं, दोनों इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार संचालित किया गया। इन मानकों एवं दिशा–निर्देश नोट में अपेक्षित है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित है तथा मेनटेन किया जा रहा है और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक (मेटेरियल) संबंध में प्रभावकारी तरह से संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा योजना बनाकर अंकेक्षण करें।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी रिपोर्टिंग प्रभावकारिता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय निरीक्षण को हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्याख्या प्राप्त करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें अपर्याप्तता हो तथा मूल्यांकित जोखिमों पर आधारित डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता की जाँच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को मैटेरियल गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी अंकेक्षण राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल है जो (1) रिकार्ड के रख–रखाव से संबंधित, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्ति के लेन–देन तथा जमा को परिशुद्ध एवं स्वच्छ रूप से प्रतिबिम्बित करता हो (2)पर्याप्त आश्वासन देना की लेन–देन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुमति हेतु यथा आवश्यक रूप से दर्ज है तथा कि कंपनी का आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है (3) कंपनी की वैसी परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या जमा की रोकथाम तथा समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देना जो वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत अपर्याप्त प्रबंधन, के कारण कमी, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जा सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2020 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

वास्ते / लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म निबंधन सं.-006271सी

सीए संजय कुमार वाधवा
सदस्य
सदस्यता सं- 074749

स्थान : राँची
दिनांक : 9 जून, 2020

परिशिष्ट - V

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कम्पनी सचिवालय)

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(I) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में]

सतीश कुमार एंड असोसियट्स
(कंपनी सेक्रेटरीज)
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्भव बाबू लेन, थड़पकना, राँची' 834 001,
फोन नं. 09334606570/0913009905/0651&2212943
ई–मेल : cssatish26@gmail.com/skaranchilffice@gmail.com
PAN : ADGFS8830H

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,
गोंदवाना प्लेस काँके रोड, राँची, झारखंड–834031

हमने मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य संविधिक प्रावधानों तथा अच्छे निगमित कार्य–कलाप (गुड कारपोरेट प्रैक्टिसेज) के अनुपालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग किया है, जिससे हमें निगमित कार्य–कलाप/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा इस पर अपनी राय देने के लिए तर्कसंगत आधार मिल सके।कोविड–19 महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के बाद भी जहाँ भी आवश्यक हुआ है हमने शारीरिक रूप से अपेक्षित पुस्तकों और पत्रों का निरीक्षण किया है।

कंपनी के हिसाब–किताब, पेपर्स मान्यूट बुक्स, दाखिल किए फार्म तथा रिटर्न एवं द्वारा रखी जा रही अन्य रिपोर्ट के सत्यापन तथा कंपनी, अंकेक्षण अवधि 1 अप्रैल, 2019से मार्च, 2020 के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इसके नीचे दिए गए सूची सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है तथा यह भी कि कंपनी के पास कुछ हद तक इस ढंगसे तथा नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार समुचित बोड प्रक्रिया तकि अनुपालन रिपोर्ट उपलबध है।

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समापत वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (''दि कंपनी'') के पुस्तिका, अभिलेख, बही–खाता तााि कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाए गए नियम।
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
3. दी डिपोजिटरीज एक्ट,1996
4. दी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन–डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015
5. लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ओएम नं. 18 (8)/2005–जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार केंद्रीय लोक उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश ।
6. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन (अबोलिशन) अधिनियम, 1970।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके अंतर्गत अन्य पर्यावरणिक कानून एवं नियम।
9. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून (इस सम्बन्ध में परिशिष्ट का अनुसरण किया जाए)।

I. हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे पास पेश अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) के प्रावधान एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम, कंपनी के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, विशेषकर इसमें उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रिया तथा अनुपालन मेकानिज्म जैसा चाहिए वैसा ही एवं सही ढंग में तथा इसके नीचे दी गई रिपोर्ट के अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग–II के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों महिला स्वतंत्र निदेशक सहित को मिलाकर पर्याप्त संतुलन वाला निदेशक मंडल का गठन।
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन।
5. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय पर कंपनी रजिष्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न दाखिल करना
6. निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
7. शुक्रवार 28जून, 2019 को सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक बुलाना एवं आयोजित करवाना।
8. लूज में सही ढंग से रिकार्ड किया हुआ वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पुस्तक स्वरूप में बनाया जा रहा है।
9. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान
10. सांविधिक अंकेक्षकों, आंतरिक अंकेक्षकों तथा कॉस्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिम्यूनेरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
12. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों के दस्तावेज की व्यवस्था।
13. संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अन्य लागू कानून के तहत यथा विहित विभिन्न सांविधिक रिटर्न फाइल करना, संवेदकों के रजिस्टर का रख–रखाव आदि से संबंधित सभी अनुपालनों के लिए वचनबद्धता (हलफनामा)।

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
2. निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य इंटिटि में अपनी रूचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
3. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।
4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।

5. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन क्रिया–विधि (मेकानिज्म) के आधार पर तथा कंपनी सचिव एवं कंपनी के अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी के अन्य विभागाध्यों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र के आधार पर कंपनी के पास किसी प्रकार का अनुपालन लंबित नहीं है।

प्रबंधन का दायित्व

1. सचिवीय अभिलेख का रख–रखाव करना कंपनी का दायित्व है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार सचिवीय अभिलेखों पर राय (विचार) देना है।
2. सचिवीय अभिलेख की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने उपयुक्त अंकेक्षण प्रचलन एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होता है, के लिए यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं प्रचलन से हमारी राय (विचार) बनाने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।
3. हमने कंपनी अधिनियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है।
4. जब कभी अपेक्षित हुआ है, हमने कानून, नियम एवं अधिनियम के अनुपालन, हुई घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन/प्रमाणन प्राप्त किया है।
5. निगमित शासन के प्रावधान एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों विनियमनों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा दायित्व जाँच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित था।
6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य व्यापार कार्यान्वित किया है।

प्रत्याख्यान (डिसक्लेमर)

1. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा पुस्तिका की शुद्धता या औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।
2. जहाँ भी आवश्यक हुआ है, हमने पूर्वोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

वास्ते **सतीश कुमार एण्ड एसोसिएट्स**

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एफ.सी.एस. सं. : 8423
सी.पी. सं.: 9788

स्थान : राँची
दिनांक : 02.06.2020
यू.डी.आइ.एन. : F008423B000310725

परिशिष्ट - 1

अन्य कानूनों की सूची

क्र. सं.	अधिनियम/नियम/विनियम के नाम	कम्पनी की प्रयोज्यता	अनुपाल की स्थिति
1.	दी कोल माइंस एक्ट, 1952	लागू	अनुपालन
2.	दी पेमेंट ऑफ वेजेज (माइंस), रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
3.	कोल माइंस प्रोविडेंट फण्ड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1948	लागू	अनुपालन
4.	दी पेमेंट ऑफ अनडीस्बर्सड् वेजेज (माइंस) रूल्स, 1989	लागू	अनुपालन
5.	इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 एंड दी इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956	लागू	अनुपालन
6.	**जल** (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) **अधिनियम**, 1974 और नियम के अंतर्गत निर्मित	लागू	अनुपालन
7.	**वायु** (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) **अधिनियम**, 1981	लागू	अनुपालन
8.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884	लागू	अनुपालन
9.	सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1956	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	फोरेंन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 एंड दी रूल्स एंडरेगुलेशन मेड देयरअंडर टू दी एक्सटेंट ऑफ फोरेंन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग्सय	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	अधिनियम और दिशानिर्देश दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 के तहत निर्धारित है	लागू नहीं	लागू नहीं
	क) दी सेबी (इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजरी क्वार्मेंट) रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) दी सेबी (सब्सटेंसशियल एक्कविजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) रेगुलेशन्स, 2011	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग) दी सेबी (शेयर बेस्ड एम्प्लोयी बेनेफिट्स), रेगुलेशन्स, 2014	लागू नहीं	लागू नहीं
	घ) दी सेबी (इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	ङ) दी सेबी (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स), रेगुलेशन्स, 2009	लागू नहीं	लागू नहीं
	च) दी सेबी (बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज), रेगुलेशन्स, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004	लागू नहीं	लागू नहीं

13.	दी कोल माइंस रेगुलेशन्स, 2017	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	कोल माइंस पेंशन स्कीम, 1998	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	कोल माइंस कंजनवेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1974	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	दी माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, 1966	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	दी माइंस क्रेच रूल्स, 1961	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	दी माइंस रेस्क्यू रूल्स, 1985	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	कोल माइंस पिटहेड बाथ रूल्स, 1946	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	मैटरनिटी बेनेफिट्स (माइंस एंड सर्कस) रूल्स, 1963	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	दी एक्स्प्लोसिव रूल्स, 2008	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1960	लागू नहीं	लागू नहीं
23	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957	लागू नहीं	लागू नहीं
24	दी हजार्ड्स एंड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एंड ट्रांस्बाउंड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991 एंड रूल्स के अंतर्गत निर्धारित	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट - VI

संबंधित पार्टियों यू/एस 188 (1) के साथ अनुबंध या व्यवस्था।

फॉर्म नंबर एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा 3 (के खंड (ज) और कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे नियम के तहत सुरक्षित और सुविधाजनक प्रक्रिया शामिल है।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो**	शून्य
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ड.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन–देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	**आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**	**परिशिष्ट 'ए'** के अनुसार
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की प्रमुख शर्त	
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

परिशिष्ट -'ए'

31.03.2020 के अनुसार ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टियों का साथ लेन-देन

सरकार से सम्बद्ध संस्था होने के नाते सम्बद्ध पार्टी के साथ लेन–देन तथा नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य संस्था (इंटिटि) के पास बकाया शेष के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकता से इसे छूट मिली है।

आईएनडी एएस 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन की प्रकृति एवं रकम का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	98.11	बिक्री
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	63.99	बिक्री
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	110.21	बिक्री
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	121.41	बिक्री
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	370.63	बिक्री
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	73.28	बिक्री
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	67.32	बिक्री
कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल (100 प्रतिशत होल्डिंग कंपनी)	12.27	बिक्री
समग्र योग	**917.22**	

परिशिष्ट - VII

31.3.2020 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2017 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटीशेयर का:	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/–रू. से कम नहीं था। .....शून्य.....										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/–रू. प्रति माहसे कम नहीं था। .....शून्य.....										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। .....शून्य.....										

परिशिष्ट - VIII

भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड,
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A.J.C. BOSE ROAD,
कोलकाता/KOLKATA-700020

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या– 300/सीए/सीसीएल/ए,एएस/सीएस/सीएमपीडीआईएल/2019–20/ दिनांक : 16 जुलाई, 2020

सेवा में,
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 008

विषय :31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

संलग्नः यथोक्त।

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महा निदेशक
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 16 जुलाई, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 09 जून, 2020 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

(मौसमी राय भट्टाचार्या)
अंकेक्षण (कोयला) के महा निदेशक
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 16 जुलाई, 2020

परिशिष्ट - IX

सीएसआर रिपोर्ट का परिशिष्ट :

सीएमपीडीआईएल में सीएसआर क्रिया-कलाप :

निगमित सामाजिक दायित्व एवं निरंतरता (सस्टेनिब्लिटी) अपने स्टेक होल्डरों को पारदर्शी तथा नैतिक रूपमें मितव्ययिता सामाजिक तथा पर्यावरणिक दृष्टिकोण से टिकाऊ व्यापार करने के लिए उनके प्रति कंपनी की वचनबद्धता है। सीएसआर एवं सस्टेनिब्लिटी का क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक उन्नति, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के सीमांत एवं वंचित तबको को उत्थान करने पर विशेष ध्यान है। कंपनी अधिनियम, 20बी की धारा 135 तथा इसके तहत बनाए गए अधिनियम 2013 की तर्ज पर कंपनी की अपनी सीएसआर नीति है।

सीएमपीडीआईएल का सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी क्रिया कलाप (2019-20)

परिचय : टिकाऊ विकास तथा समावेशी विकास (उन्नति) को बढ़ावा देने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व की व्यापक पहचान है। स्टेक होल्डरों तथा समाज के व्यापक वर्ग द्वारा कारपोरेटों को अब सस्टेनेब्लिटी की दिशा में उठाये गए कदमों से आँका जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभा प्रदाता तथा सस्टेनेब्लिटी के लिए शासन में सामाजिक, पर्यावरणिक तथा नैतिक दायित्व का समिश्रण है। आज कारपोरेट के लिए यह आवश्यक हो गया हे कि सीएसआर की तरफ तेजी से अग्रसर हों तथा व्यापार में बने रहने के लिए उस समाज का विकास करें जहाँ वे अपना व्यापार कर रहे हों। सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी का मुख्य दबाव क्षमता निर्माण, सामुदायिक सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक आर्थिक उन्नति, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के सीमांत एवं वंचित तबकों की उन्नति करने पर है। सीएमपीडीआईएल की सीएसआर परियोजना इसके आस–पास के उन क्षेत्रों में चलाई जाती है, जहाँ यह अवस्थित है। इसमें प्रभावित समुदाय के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश सात राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्प भी शामिल हैं।

सीएमपीडीआईएल की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति :

I. प्रस्तावना :

सामाजिक निगमित दायित्व की अवधारणा को हर तरफ से महत्ता दी गई है। संगठनों ने यह महसूस किया कि समाज के निचले तबकों को ऊपर उठाने में अकेले सरकारी प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। निगमित (कारपोरेट) वातावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण कार्य करने में स्वायत्ता, परिचालन स्वतंत्रता अपेक्षित है। सीएमपीडीआईएल ने सस्टेनेबुल विकास के लिए सीएसआर के रणनीतिक टूल के रूप में अपनाया है। वर्तमान संदर्भ में सीएमपीडीआईएल में सीएसआर का मतलब न सिर्फ सामाजिक कार्यों में कोष का निवेश करना है, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया के साथ व्यावसायिक प्रक्रिया को मिलाना भी है।

II. परिचय :

सीएमपीडीआईएल के ड्रिलिंग कैम्प देश के 8 राज्यों के वैसे विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं जो अपेक्षाकृत सुदूर (आईसोलेटेड) हैं तथा बाहरी समाज के न्यूनतम संपर्क में हैं। सीएमपीडीआईएल सीएसआर के प्रथमतः लाभार्थियों में वे होंगे जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं और जिस क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल काम कर रहा है, वहाँ के निवासी होंगे।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सीएमपीडीआईएल की निगमित सामाजिक दायित्व की नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों को शामिल कर तैयार किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) व्यापक स्तर पर समुदाय के लिए कल्याण संबंधी उपाय ताकि समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग को अधिक–से–अधिक लाभ मिल सके।

ख) खासकर, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान,शिक्षा, प्रशिक्षण देना एवं सामाजिक जागरूकता फैलाना ताकि रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए आय सृजन करना।

ग) पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव करना तथा पारिस्थिति की संतुलन कायम रखना।

III. उद्देश्य

सीएमपीडीआईएल सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य हमारी व्यावसायिक नीति को सम्मिलत कर समाज के सत्त् विकास के उद्देश्य से सीएसआर को मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया बनाने हेतु सीएमपीडीआईएल के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना है। इसका लक्ष्य अपने क्रिया–कलापों को त्तकाल एवं दीर्घकालीन सामाजिक एवं पर्यावरणि प्रभाव के आधार पर कल्याणकारी उपायों के संवर्धन में सरकार की भूमिका में सहायता करना है। सीएमपीडीआईएल समाज एवं सामजिक एकता के उन्नयन की दिशा में अच्छा कारपोरेट नागरिक के रूप में कार्य करेगा।

IV. इसके तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र

➢ कार्य करने के लिए स्थानीय जगहों तथा सीएमपीडीआईएल के परियोजना स्थल/ड्रिलिंग कैम्प/क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय के आस–पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

V. कोष का आवंटन

सीएसआर के लिए कोष गत तीन वर्षों के लिए कंपनी के औसत निबल लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत या कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधन के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

VI. कार्य-क्षेत्र (स्कोप)

सीएसआर क्रिया–कलापों के कार्य क्षेत्र अनुसूची–7 में यथावर्णित ''क्षेत्र'' या विषय होंगे :

i. **स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना:** भुखमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल उपलबध कराना। संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग, स्टिगमा तथा भेदभाव आधारित रोक जैसे एड्स, कुष्ट, टीबी आदि के लिए सुविधा, देखभाल को बढ़ावा देना।

ii. **शिक्षा को बढ़ावा देना :** विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वयस्कों तथा दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाली शिक्षा तथा रोजगार सहित समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना तथा जीवन–यापन संवर्द्धन परियोजना।

iii. **असामनता को कम करना :** लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं, अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए आवास, होस्टल, डे केयर सेंटर तथा अन्य सुविधा स्थापित करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के द्वारा सामान की जा रही असमानता को कम करने के लिए उपाय।

iv. **सस्टेनेबुल पर्यावरण :** पर्यावरण की निरंन्तरता पारिस्थिति की संतुलन, वनस्पति एवं जीव–जन्तु का संरक्षण, प्राणी कल्याण, कृषि–वन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना भूमि जल एवं वायु की गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरणिक चुनौतियों के प्रति निवारक अप्रोच में सहायता, बेहतर पर्यावरणिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए पहल करना तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा प्रसार को प्रोत्साहित करना।

v. **राष्ट्रीय धरोहर तथा पारंपरिक कला का संरक्षण एवं संवर्द्धन :** ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों की मरम्मत तथा कलात्मक कार्यों की पुनर्बहाली के साथ–साथ राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तकला का संवर्द्धन एवं विकस।

vi. सशस्त्र बलों के योद्धाओं, युद्ध के विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए हितकारी उपाय।

vii. **खेलकूद को प्रोत्साहन :** ग्रामीण खेल–कूद, राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त खेलों, बच्चों, युवाओं,

दिव्यांगों तथा जनजातियों के लिए पारालंपिक खेल एवं ऑलम्पिक खेलों का प्रशिक्षण, उन्नयन तथा विकास।

viii. **कोष एवं आपातकालीन आवश्यकताओं में योगदान :** प्रधान मंत्री राहत कोष या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य कोष में अंशदान तथा अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सहायता एवं कल्याण में योगदान।

ix. केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में टेक्नोलॉजी इन्क्युबेटरों को अंशदान या कोष मुहैया कराना

x. ग्रामीण विकास परियोजना

xi. स्लम विकास परियोजना

VII. कार्यान्वयन

क) सीएसआर कोष को निवेश परियोजना या कार्य आधारित होना चाहिए और प्रत्येक परियोजना के लिए प्रारंभ में टाइम फ्रेम्ड पेरिओडिक माइल स्टोन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

ख) सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना/कार्य को सीधे या विशेषीकृत एजेंसिंयों द्वारा कार्यान्वित करवाया जाना चाहिए। विशेषीकृत एजेंसियाँ अकेले तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर सकती है। विशेषीकृत एजेंसियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. समुदाय आधारित संगठन चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक

ii. निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत

iii. स्वैच्छिक एजेंसियाँ (गैर सरकारी संगठन)

iv. संस्थान/अकाडमिक संगठन

v. ट्रस्ट, मिशन आदि

vi. स्वयँ सहायता समूह

vii. सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्तशासी संगठन

viii. स्टैंडिंग कॉन्फेरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप)

ix. महिला मंडल/समिति और इसी प्रकार के अन्य

x. सिविल कार्य के लिए संविदा एजेंसी

xi. व्यावसायिक परामर्शदाता संगठन आदि

VIII. संस्थागत व्यवस्था :

1. सीएसआर समिति एवं इसकी भूमिका:

सीएमपीडीआईएल में त्रिस्तरीय सीएसआर समिति कार्य करेगी जिनके नाम है :

i. **सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति :** इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक रहेंगे जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

सीएसआर शीर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित परियोजना को सीएमपीडीआईएल बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव के साथ–साथ प्रस्तावित वित्तीय व्यय को अनुशंसा के लिए सीएसआर बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति समय–समय पर सीएसआर परियोजना/कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी।

सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति सीएसआर कार्यों के लिए नये प्रस्ताव के मामले में खर्च होने वाली प्रस्तावित राशि की अनुशंसा करेगी।

ii. **मुख्यालय स्तर पर सीएसआर शीर्ष समिति :** इसमें मानव संसाधन विभाग, नगर अभियंत्रण एवं निर्माण प्रबंधन, वित्त, पर्यावरण तथा गवेषण के विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि के साथ–साथ अन्य आमंत्रित सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता, नोडल अधिकारी, सीएसआर, मुख्यालय करेंगे।

यह शीर्ष समिति सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश किए जाने से पहले किए जाने वाले सीएसआर के कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय करेगी। यह शीर्ष समिति किए जा रहे/पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा करेगी तथा इसकी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को देगी।

iii. **सीएसआर उप-समितिः** प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान के स्तर पर एक सीएसआर उप–समिति होगी, जिसमें कार्मिक एवं प्रशासन, सिविल, वित्त, पर्यावरण तथा गवेषण के विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि तथा अन्य आमंत्रित सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक करेंगे।

यह सीएसआर उप–समिति प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा करेगी तथा चयनित प्रस्ताव को मुख्यालय स्तर पर गठित सीएसआर शीर्ष समिति के पास भेज देगी।

2. मुख्यालय स्तर पर सीएसआर की शीर्ष समिति तथा क्षेत्रीय संस्थान स्तर पर सीएसआर की उप समिति परियोजनाओं एवं कार्यों की पहचान एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- समिति परिधिय क्षेत्र की सामुदायिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए आस–पास के ग्रामीणों, समुदायों, स्थानीय प्राधिकारियों/स्थानीय निकायों के साथ आपसी विचार–विमर्श करेगी तथा उन परियोजनाओं/कार्यों की अनुशंसा करेगी जिन्हें सीएसआर के तहत किए जाने हैं।
- वैसे मामले में जहाँ परियोजनाओं/कार्यों के दुहराए जाने की संभावना हो वहाँ कार्यों के दुहराव से बचने के लिए उपर्युक्त समिति सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों/परियोजनओं के लिए क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राज्य पदाधिकारी/सरकारी अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करेगी।

मुख्यालय के सीएसआर सेल के नोडल अधिकारी वरीय अधिकारी होते हैं। अंतिम सीएसआर कार्य–योजना के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय संस्थानों की बजट आवश्यकताओं को सीएसआर सेल, मुख्यालय को भेजगी। सभी क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के समेकित सीएसआर योजना शीर्ष सीएसआर समिति के समक्ष पेश करेगी। सभी प्राप्त प्रस्ताव/तैयार की गई योजनाओं की समीक्षा सीएसआर शीर्ष समिति द्वारा की जाएगी।

इस अनुशंसा को सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति सीएमपीडीआईएल बोर्ड से अनुमोदन लेने के पहले अनुशंसा करने के लिए सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश की जाएगी।

3. किसी भी सीएसआर परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन देने के लिए अधिकार (शक्ति)

क) यदि किसी क्षेत्रीय संस्थान का सीएसआर बजट घट जाता है, तो क्षेत्रीय निदेशक उस खास सीएसआर कार्य/परियोजना/कार्यक्रम को सीएमपीडीआईएल, मुख्यालय के पास भेज सकता है, जिसे उनके द्वारा आपातकालीन/महत्वपूर्ण समझा गया है। इसके बाद सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष पेश किया जाए।

ख) यदि वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजना/कार्य के अलावा किसी परियोजना नई परियोजना/कार्य का प्रस्ताव किया जाता है तो इस तरह की सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसको अनुमोदित कर सकते हैं। 25.00 लाख रू. से अधिक के प्रस्ताव के लिए सीएसआर बोर्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सीएमपीडीआईएल बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा।

IX. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं प्रलेखन :

क) डीपीई के दिशा–निर्देश को ध्यान में रखकर हर मामले में बेस लाइन सर्वेक्षण पर बल नहीं दिया जाता है तथा आवश्यकता आधारित मूल्यांकन अध्ययन के लिए घरेलू विशेषताएँ एवं संसाधन के प्रयोग सहित अन्य विकल्प अपनाने हेतु फ्लेक्सिबिलिटी मंजूर किया जाएगा।

ख) सीएसआर एप्रोच नीति, कार्यक्रम व्यय से संबंधित सूक्ष्म प्रलेखन तैयार किया जाना चाहिए तथा इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

X. मोनिटरिंग :

क) मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान के नोडल अधिकारी सीएसआर परियोजना/कार्यों पर

वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा सीएसआर की रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ख) सामुदायिक विकास संवर्ग तथा अन्य डिसिप्लिन के अधिकारियों से बनी मानिटरिंग एवं प्रभाव मूल्यांकन समिति समय–समय पर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना/कार्यों की मानिटरिंग एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का कार्य करेंगे। यह समिति नोडल अधिकारी सीएसआर सेल को रिपोर्ट करेगी।

XI. निष्कर्ष :

उपर्युक्त दिशा–निर्देश फ्रेम वर्क तैयार करेगा जिसके इर्द–गिर्द सीएमपीडीआईएल मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान. द्वारा सीएसआर कार्य किया जाएगा। सीएसआर से संबंधित कंपनी अधिनियम में किया गया कोई संशोधन के साथ–साथ डीपीई द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देश को इसमें जोड़ा जाएगा।

तुरंत प्रभाव से यह नीति सीएसआर से संबंधित अन्य नीति का स्थान लेगी (के बदले में होगी)

वर्ष 2019-20 में सीएमपीडीआईएल द्वारा चलाई गई सीएसआर परियोजना/किए गए कार्य

क) शिक्षा :

मेधावी छात्रों को छात्रवृति, गरीब परिवार की छात्राओं को ''भारत के माननीय प्रधान मंत्री की ''बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ'' अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालय शुल्क, पठन–पाठन सामग्री, यूनिफार्म के रूप में गरीब परिवार को छात्राओं को स्पांन्सरशीप। राँची, झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता आसनसोल आनंदम और आसनसोल ब्रेल अकादमी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन छात्रों को स्पांसरशिप। रांची जिले के दो सरकारी स्कूल के छात्रों के खेल के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्लम एरिया के वंचित/अनाथ/पिछड़े वर्गों के 72 छात्रों को स्पांसरशिप उपलब्ध कराया गया जिसमें देवअन्ना विवेकानन्द परमेश्वर पब्लिक स्कूल सेम्बों, राँची के स्कूल फीस, यूनिफार्म, स्कूल स्टेशनरी, पुस्तक एवं पुस्तिका शामिल है। बापूजी राजकीय उच्च विद्यालय, गोडकाना, भुवनेश्वर के लिए बिजली के उपकरणों के प्रावधान के साथ कक्षा का निर्माण।

राज्यकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, मुरगाँव, दधु पंचायत, लातेहार, झारखंड में मौजूदा शौचालयों की नवीकरण/मरम्मत तथा स्कूल भवन के गेट के साथ विभिन्न इकाईयों को जोड़ने वाले बाहरी दिवारों का निर्माण।सिंगरौली, म.प्र के दो सरकारी विद्यालयों में सबमर्सिबल पंप और पीवीसी वॉटर टैंक के साथ ट्यूबवेल प्रदान करना और ठीक करना जिसमें पाइप फिटिंग भी शामिल हैं।

वंचित/अनाथ बच्चों के बीच स्कूल यूनिफार्म एवं पाठ्य सामग्री का वितरण

ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकासः

वाडा चन्दगुड़िया गाँव, संतरा बांध गाँव तथा ककुदिया गाँव, कोसला कैम्प के निकट, उड़ीसा में ग्रामीणों के समारोह के लिए कल्याण मंडप का निर्माण। बांद्रा गाँव, केंद्र–येंसा, पंचायत समिति–वरोरा, जिला– चंद्रपुर, महाराष्ट्र में गाँव की सड़क का निर्माण।

बांद्रा गाँव, केंद्र-येंसा, पंचायत समिति-वरोरा, जिला- चंद्रपुर, महाराष्ट्र में गाँव की सड़क का निर्माण

ग) स्वास्थ्य सुविधा :

पश्चिम बंगाल के प्यारी फाउन्डेशन इंडिया ट्रस्ट बलरामपुर पुरूलिया के जरिए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के 15 कुष्ट रोगियों के लिए परामर्श, चिकित्सा, दवा, पैथेलॉजिकल जाँच, फिजिओथेरेपी तथा भोजन जैसे अन्य चिकित्सा सहायता तथा अस्पताल में भर्ती करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। हीट स्ट्रेस के मरीजों के लिए फिक्चर और फर्नीचर के प्रावधान वाले कमरे का निर्माण कोसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गाँव– कोसल, जीपी– कोसल, ब्लॉक– छींडीपाड़ा, ओडिशा में किया गया।

झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ पिछड़े जिलों के दूर–दराज के गांवों में आवधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है।

सीएमपीडीआईएल द्वारा चिकित्सा शिविर

घ) पेयजल सुविधा :

झारखंड में विभिन्न स्थानों पर 36 जल निकासी और मंच के साथ हैंड पंपों का निर्माण किया गया है। बोरवेल की खुदाई और लामदंड गांव, कुडुमकेला कैंप में पीने के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया।

ड.) कौशल विकास :

रांची जिले के 120 युवाओं को जीवन कौशल के साथ खुदरा विपणन में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रयास जेएसी, झारखंड को सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही कौशल विकास के द्वारा रोजगार के सृजन के लिए वंचित महिलाओं के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 2 बैच के सिलाई और डिजाइन कोर्स के लिए 15 संख्या में व्यवस्था भी की गई। सेवा संघ, कोलकाता को कंप्यूटरों में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गयी है– असंगठित और बेरोजगार युवकों को 90 की संख्या में सॉफ्टवेयर और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन को बहु–कुशल प्रशिक्षण, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के 40 अकुशल और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अकुशल और बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

च) सत्त् (सस्टेनेबुल) विकास :

जिला परिषद प्रथमिक शाला, बांद्रा गाँव, केंद्र – येंसा, पंचायत समिति – वरोरा, जिला – चंद्रपुर, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय संस्थान IV, नागपुर द्वारा की स्थापना।

जिला परिषद प्राथमिक शाला में 5 किलोवाट के सौर संयंत्र

छ) स्वच्छता कार्य योजना :

16 जून से 30 जून, 2019 तथा 16 अगस्त, 2019 से 31 अगस्त, 2019 तक सीएमपीडीआईएल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के अतिरिक्त 11 सितम्बर, 2019 से 27 अक्टूबर, 2019 तक नियमित स्वच्छता कार्यक्रम के साथ–साथ ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान चलाया गया, स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत मुख्यालय तथा सातो क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा व्यापक वृक्षारोपण के साथ–साथ फलदार वृक्ष लगाया गया। न सिर्फ सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों के ड्रिलिंग कैम्पों तथा मुख्यालय के कार्यालय परिसरों में बल्कि विभिन्न विद्यालयों, गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य अपना तथा अपने आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की आदत बनाना था। छात्रों, ग्रामीणों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता की शपथ लिया गया। ड्राईंग प्रतियोगिता, डोर–टू–डोर अभियान, दिवार लेखन तथा स्वच्छता रैली भी आयोजित की गई।

एसएपी 2019-20 के तहत विभिन्न की गयी गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए सीएसआर संबंधित व्यय

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा चिन्हित गतिविधि	सेक्टर जहाँ परियोजना लागू किए गए	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) लोकल क्षेत्र अथवा अन्य 2) उस राज्य जिला को उल्लिखित करें जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम शुरू किया गया था।	राशि परिव्यय (लाख में)	परियोजना अथवा कार्यक्रम सब-हेड पर खर्च राशि: 1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय। 2) ओवरहेड (लाख में)	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय (लाख में)	खर्च राशि: प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा
1	स्पिल ओवरः ब्रजकिशोर पब्लिक एजुकेशनल सोसायटी के नेत्रहीन छात्रों के लिए साइट डेवलपमेंट मेन गेट वर्क के साथ हॉस्टल कम कंप्यूटर सेंटर की पहली मंजिल का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	4	प्रत्यक्ष व्यय	1.11	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
2	स्पिल ओवरः गोंडवाना प्राइमरी स्कूल, जिला रांची, झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति, प्रायोजन और अन्य सहायता प्रदान करके समाज के गरीब जरूरतमंद वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	2.5	प्रत्यक्ष व्यय	1.21	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
3	स्पिल ओवरः बिरसा उच्च विद्यालय, डैम साइड जिला रांची, झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति, प्रायोजन और अन्य सहायता प्रदान करके समाज के गरीब जरूरतमंद वर्ग के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।						
4	सेम्बो और आसपास के क्षेत्रों, जिला रांची, झारखंड से 72 निराश्रित/अनाथ/सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा के लिए सहायता।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	3.84	प्रत्यक्ष व्यय	3.84	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
5	ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में 12 दृष्टिहीन छात्राओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए सहायता।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	2.3	प्रत्यक्ष व्यय	2.30	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)

6	गांव–कुलगू, कलेंडी, ब्लॉक–नगड़ी, जिला रांची, झारखंड में वृद्धाश्रम के परिसर में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए दो कॉटेज के निर्माण का प्रस्ताव।	बिंदु II, अनुसूची 8: बुजुर्गों के लिए घर	राँची, झारखण्ड	0	प्रत्यक्ष व्यय	0.00	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
7	गोंडवाना प्राइमरी स्कूल, रांची, झारखंड को छात्रवृत्ति, प्रायोजन और अन्य सहायता प्रदान करके समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	2.4	प्रत्यक्ष व्यय	2.40	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
8	बिरसा उच्च विधालय, रांची, झारखंड को छात्रवृत्ति, प्रायोजन और अन्य सहायता प्रदान करके समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	11.5	प्रत्यक्ष व्यय	9.65	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
9	झारखंड में रांची जिले के 120 युवाओं को जीवन कौशल के साथ–साथ खुदरा विपणन में कौशल विकास प्रशिक्षण।	बिंदु II, अनुसूची VII: व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने वाला रोजगार	राँची, झारखण्ड	10.62	प्रत्यक्ष व्यय	10.62	प्रयास जेएसी के माध्यम से
10	जिला रांची, झारखंड से छात्रों के लिए खेल के माध्यम से शैक्षिक विकास।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	5.81	प्रत्यक्ष व्यय	5.81	मंकी स्पोर्ट्स के माध्यम से
11	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी अस्पताल में 15 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने का खर्च के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता	बिंदु II, अनुसूची 7: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	6.11	प्रत्यक्ष व्यय	6.11	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
12	कांके क्षेत्र, जिला रांची, झारखंड की 15 वंचित महिलाओं के लिए सिलाई और डिजाइन कोर्स के दूसरे बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	बिंदु II, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने वाला रोजगार	राँची, झारखण्ड	0.46	प्रत्यक्ष व्यय	0.46	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)
13	झारखंड के रांची जिले में COVID-19 के मद्देनजर मास्क और हैंड सेनिटाइजर का वितरण।	बिंदु II, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	2.64	प्रत्यक्ष व्यय	2.64	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से)

14	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल मुख्यालय)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	2	प्रत्यक्ष व्यय	0.77	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
15	मेडिकल कैम्प (मुख्यालय)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.03	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
16	मेडिकल कैम्प (मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थान) (दवा की खरीद)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	8.0	प्रत्यक्ष व्यय	7.94	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
17	आसनसोल ब्रेल एकेडमी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल से 20 ब्लाइंड स्टूडेंट को प्रायोजन।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	राँची, झारखण्ड	9.14	प्रत्यक्ष व्यय	9.14	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
18	आसनसोल आनंदम, आसनसोल, पश्चिम बंगाल से 20 शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग छात्र को प्रायोजन।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	4.10	प्रत्यक्ष व्यय	4.10	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
19	आसनसोल, पश्चिम बंगाल के 90 अकुशल और बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण।	बिंदु II, अनुसूची VII: व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने वाला रोजगार	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	8.10	प्रत्यक्ष व्यय	8.10	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
20	आसनसोल, पश्चिम बंगाल के 40 अकुशल और बेरोजगार युवाओं को असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में बहु–कुशल प्रशिक्षण।	बिंदु II, अनुसूची VII: व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने वाला रोजगार	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	4.60	प्रत्यक्ष व्यय	4.60	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
21	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल मुख्यालय)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	2.00	प्रत्यक्ष व्यय	2.26	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
22	चिकित्सा कैम्प का संगठन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	आसनसोल, पश्चिम	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.25	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से

23	राजकीयकृत लक्ष्मी नारायण विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, धनसार, झारखंड में मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	धनबाद, झारखण्ड	5.43	प्रत्यक्ष व्यय	4.28	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
24	गोविंदपुर ब्लॉक, धनबाद, झारखंड के 20 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रोइडरिन्ग और सिलाई मशीनों की मरम्मत जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	धनबाद, झारखण्ड	6.928	प्रत्यक्ष व्यय	6.93	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
25	स्वच्छता कार्य योजना (सीएमपीडीआईएल मुख्यालय)	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	धनबाद, झारखण्ड	2	प्रत्यक्ष व्यय	1.98	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
26	चिकित्सा कैम्प	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	धनबाद, झारखण्ड	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
27	राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भैसाडोन, दधु पंचायत, लातेहार, झारखंड के लिए गेट सहित स्कूल भवन की विभिन्न इकाइयों में शामिल होने वाली बाहरी दीवारों का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	लातेहार, झारखण्ड	4.4	प्रत्यक्ष व्यय	3.98	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
28	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चोरधरा पतरातू, रामगढ़, झारखंड के लिए मौजूदा क्षतिग्रस्त और गिरी हुई बाउंड्री वॉल को गिराने के बाद बाउंड्री वाल का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	रामगढ़, झारखण्ड	3.5	प्रत्यक्ष व्यय	2.88	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
29	राजकीय मध्य विद्यालय, सिरम, भगेया पंचायत, लातेहार, झारखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शेड के साथ मंच का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	लातेहार, झारखण्ड	2	प्रत्यक्ष व्यय	1.85	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से
30	दाधु, बालूमाथ, लातेहार, झारखंड में राजकीय मध्य विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शेड के साथ मंच का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	लातेहार, झारखण्ड	2	प्रत्यक्ष व्यय	1.84	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम से

31	राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कैथा, रामगढ़, झारखंड के लिए सेप्टिक टैंक सहित टॉयलेट ब्लॉक, जलापूर्ति व्यवस्था सहित सोक पिट का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	रामगढ़, झारखण्ड	3.3	प्रत्यक्ष व्यय	3.30	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
32	दाधु पंचायत, बालूमाथ, लातेहार, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 06 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	लातेहार, झारखण्ड	6	प्रत्यक्ष व्यय	5.58	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
33	भगेया पंचायत, बालूमाथ, लातेहार, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 06 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	लातेहार, झारखण्ड	5.7	प्रत्यक्ष व्यय	4.91	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
34	बड़गांव पंचायत, टंडवा, चतरा, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 04 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	चतरा, झारखण्ड	3.8	प्रत्यक्ष व्यय	3.81	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
35	लपरा पंचायत, खलारी, जिला राँची, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 04 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	राँची, झारखण्ड	3.8	प्रत्यक्ष व्यय	3.37	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
36	मायापुर पंचायत, खलारी, जिला राँची, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 03 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	राँची, झारखण्ड	3	प्रत्यक्ष व्यय	2.69	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
37	चलकरी पंचायत, पेटरवार, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 07 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	बोकारो, झारखण्ड	5.7	प्रत्यक्ष व्यय	5.06	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
38	पिछरी पंचायत, पेटरवार, झारखंड के विभिन्न स्थानों पर प्लेटफार्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 06 हैंडपंपों की स्थापना।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	बोकारो, झारखण्ड	4.8	प्रत्यक्ष व्यय	4.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम

39	स्वच्छता कार्य योजना	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	2	प्रत्यक्ष व्यय	2.00	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
40	चिकित्सा कैम्प	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	राँची, झारखण्ड	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
41	**स्पिल ओवरः** जिला परिषद् उच्च प्रथमिक शाला, कोलारा, चिमूर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में मिड–डे मील शेड़ का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	6.889	प्रत्यक्ष व्यय	6.89	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
42	**स्पिल ओवरः** उच्च प्रथमिक शाला, नंदोरी, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में मिड–डे मील शेड़ का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	1.785	प्रत्यक्ष व्यय	1.79	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
43	**स्पिल ओवरः** गोपालपुर ग्राम पंचायत रामपिया ब्लॉक, ओडिशा में 15 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: सत्त् पर्यावरण	सुन्दरगढ़, ओड़िसा	0.246	प्रत्यक्ष व्यय	0.25	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
44	**स्पिल ओवरः** जिला परिषद उच्च प्रथमिक शाला, आनंदवन, महाराष्ट्र में 6 kW सौर पैनल की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: सत्त् पर्यावरण	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	3.49	प्रत्यक्ष व्यय	3.49	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
45	जिला परिषद् प्राथमिक शाला में बाउंड्री वॉल, स्कूल गेट, चेकर फ्लोरिंग और अन्य विविध कार्यों का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	14.99	प्रत्यक्ष व्यय	13.73	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
46	आंगनवाड़ी केंद्र में चारदीवारी और चेकरफ्लोअरिंग का निर्माण	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना			प्रत्यक्ष व्यय		प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
47	जिला परिषद प्रथमिक शाला में 5kW के सौर संयंत्र की स्थापना।	बिंदु IV, अनुसूची VII: सत्त् पर्यावरण	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	3.15	प्रत्यक्ष व्यय	2.71	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
48	बांद्रा गाँव, केंद्र–येंसा, पंचायत समिति–वरोरा, जिला–चंद्रपुर, महाराष्ट्र में गाँव की सड़क का निर्माण।	बिंदु X, अनुसूची 7: ग्रामीण विकास परियोजनाएं	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	20.76	प्रत्यक्ष व्यय	20.75	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम

49	जिला परिषद उच्च प्रथमिक शाला, केंद्र–दुर्गापुर, पंचायत समिति–चंद्रपुर, जिला–चंद्रपुर, महाराष्ट्र में एक बुकशेल्फ और 50 शीशा उपलब्ध कराना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र		प्रत्यक्ष व्यय	0.10	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
50	जिला परिषद प्रथमिक शाला, पायली, केंद्र–पदमपुर, पंचायत समिति–चंद्रपुर, जिला–चंद्रपुर, महाराष्ट्र में एक बुकशेल्फ उपलब्ध कराना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	0.38	प्रत्यक्ष व्यय	0.08	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
51	जिला परिषद प्रथमिक शाला, पिंपलगाँव, केंद्र–येंसा, पंचायत समिति–वरोरा, जिला–चंद्रपुर, महाराष्ट्र में 2 अलमीरा उपलब्ध कराना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र		प्रत्यक्ष व्यय	0.20	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
52	बोरेगाँव, वरोरा में वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	14.34	प्रत्यक्ष व्यय	0.00	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
53	स्वच्छता कार्य योजना	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	नागपुर, महाराष्ट्र	2	प्रत्यक्ष व्यय	2.01	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
54	चिकित्सा कैम्प संगठन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
55	**स्पिल ओवर:** कोरबा कैंप, बिलासपुर के पास जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी में रोगियों और उनके परिचारकों के लिए कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट के कमरे का निर्माण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	8.30	प्रत्यक्ष व्यय	7.67	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
56	**स्पिल ओवर:** बोरवेल की खुदाई और लामदंड गांव, कुडुमकेला कैंप में पीने के पानी का कनेक्शन।	बिंदु I, अनुसूची VII: पेयजल की सुविधा	रायगढ़, छत्तीसगढ़	2.39	प्रत्यक्ष व्यय	2.39	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
57	सरकारी छात्रावास भवन ब्लाइंड एंड डीफ स्कूल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक उपकरण सहित सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	10.00	प्रत्यक्ष व्यय	6.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम

58	जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र, गनियारी, छत्तीसगढ़ का सौर विद्युतीकरण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	15.00	प्रत्यक्ष व्यय	8.18	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
59	सरकारी हाई स्कूल (लड़कियों और लड़कों) खमतराई, पंचायत बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्टेज सहित शेड का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	10.00	प्रत्यक्ष व्यय	7.83	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
60	स्वच्छता कार्य योजना	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2.00	प्रत्यक्ष व्यय	1.87	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
61	चिकित्सा कैम्प संगठन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.24	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
62	निम्नलिखित तीन सरकारी स्कूलों में थ्री सीटर 77 वुडन डेस्क और बेंच की आपूर्ति :– (1) शासकीय हाई स्कूल, बांधा (20 नं.)। (2) शासकीय पुरवा मध्य विद्यालय, मोरोवा (17 नं.)। (3) शासकीय हाई स्कूल, नवीनगर (40 न.)।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	3.43	प्रत्यक्ष व्यय	3.39	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
63	निम्नलिखित दो सरकारी स्कूलों में ट्यूब वेल सहित सबमर्सिबल पंप की फिक्सिंग और पीवीसी पानी की टंकी सहित पाइप फिटिंग उपलब्ध करना:– (1) शशकीया पूर्वा माध्यमिका विद्यालय, मोरवा में ट्यूब वेल सहित 1 एचपी सबमर्सिबल पंप को लगाना और ओएच पीवीसी (1000) के साथ पाइप फिटिंग प्रदान करना। (2) शासकीय हाई स्कूल, बांधा में ट्यूब वेल सहित 2 एचपी सबमर्सिबल पंप को लगाना और ओएच पीवीसी (2000+) पानी टंकी के साथ पाइप फिटिंग प्रदान करना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	8.00	प्रत्यक्ष व्यय	6.38	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम

64	शासकीय हाई स्कूल, नवानगर, वैधन, सिंगरौली, एमपी में वाटर प्यूरीफायर कम कूलर (हैवी ड्यूटी) प्रदान करना और लगाना।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	0.72	प्रत्यक्ष व्यय	0.78	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
65	स्वच्छता कार्य योजना	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	2.00	प्रत्यक्ष व्यय	2.00	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
66	चिकित्सा कैम्प संगठन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.00	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
67	**स्पिल ओवरः** उड़ीसा के कोसला कैंप के पास बड़ा चंदगुड़िया गांव में ग्रामीणों की मंडली के लिए कल्याण मंडप का निर्माण।	बिंदु X, अनुसूची 7: ग्रामीण विकास परियोजना	अंगुल, ओड़िसा	2.55	प्रत्यक्ष व्यय	2.30	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
68	**स्पिल ओवरः** उड़ीसा के कोसला कैम्प के पास बहियाली यूपी स्कूल में पानी की आपूर्ति व्यवस्था के साथ बाउंड्री वाल की निर्माण तथा मरम्मत।	बिंदु X, अनुसूची 7: ग्रामीण विकास परियोजना	अंगुल, ओड़िसा	1.5	प्रत्यक्ष व्यय	0.59	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
69	कोसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हीट स्ट्रेस रोगियों के लिए फिचर और फर्नीचर की व्यवस्था के साथ कमरे का निर्माण।	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	अंगुल, ओड़िसा	8.06	प्रत्यक्ष व्यय	8.72	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
70	शिशु अनंत महाविद्याालय, बालिपतना में लड़कों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	7.49	प्रत्यक्ष व्यय	7.84	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
71	बापूजी सरकारी यूपी स्कूल, गोडाकाना, भुवनेश्वर के लिए बिजली के उपकरणों के प्रावधान के साथ कक्षा का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	13.2	प्रत्यक्ष व्यय	12.37	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
72	शिशु अनंत महाविद्यालय, बालिपतना, जिलाः खुर्दा में लड़कों के कमरा का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	16.95	प्रत्यक्ष व्यय	13.06	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम

73	ओएसएपी सरकारी हाई स्कूल, सीएमपीडीआई कॉलोनी के पास में पानी की आपूर्ति व्यवस्था के साथ शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	बिंदु II, अनुसूची 7: शिक्षा को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	10.46	प्रत्यक्ष व्यय	10.81	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
74	सीएमपीडीआईएल कॉलोनी के पास झुग्गी वालों के लिए पानी की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	बिंदु XI, अनुसूची VII: स्लम विकास	खुर्दा, ओड़िसा	27.99	प्रत्यक्ष व्यय	7.68	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
75	स्वच्छता कार्य योजना	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वच्छता को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	2	प्रत्यक्ष व्यय	1.98	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
76	चिकित्सा कैम्प संगठन	बिंदु I, अनुसूची VII: स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	खुर्दा, ओड़िसा	0.25	प्रत्यक्ष व्यय	0.23	प्रत्यक्ष रूप से (आतंरिक संसाधन के माध्यम
	कुल			**376.55**		**307.287**	

सीएसआर पर खर्च, 2019-20 के दौरान 307.287 लाख कुल बजट राशि के मुकाबले 2% नियम के अनुसार 300.01 लाख था। जबकि कुल गतिविधियों के लिए 376.55 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और सीएमपीडीआईएल की नीति के अनुपालन में है।

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
सीएमपीडीआईएल

(प्रमोद सिंह चौहान)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति,
सीएमपीडीआईएल

(आलोक कुमार)
नोडल अधिकारी
सीएसआर

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण 2019-20

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र

करोड़ रु. में

	टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्ति			
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	**174.12**	176.43
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	**23.13**	14.41
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5	**-**	-
(घ) इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6	**8.38**	3.96
(ड) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) ऋण	8	**-**	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	**1.02**	1.07
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		**78.25**	102.69
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	10	**0.81**	39.94
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**285.71**	338.50
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	**12.50**	9.73
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	**-**	-
(ii) पेशागत वसूली	13	**550.21**	579.98
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	**241.60**	135.62
(iv) अन्य बैंक शेष	15	**-**	-
(v) ऋण	8	**-**	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**52.14**	58.82
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)		**52.31**	76.66
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	**148.59**	99.03
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		**1,057.35**	959.84
कुल परिसंपत्तियाँ (क + ख)		**1,343.06**	1,298.34
इक्विटि एवं देयताएँ			
इक्विटि			
(क) इक्विटि शेयर कैपिटल	16	**38.08**	38.08
(ख) अन्य इक्विटि	17	**550.80**	428.74
कंपनी के शेयरहोल्डर को इक्विटि एट्रीब्यूटेबल		**588.88**	466.82
नन–कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		**-**	-
कुल इक्विटि (क)		**588.88**	466.82

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रु. में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
देयताएँ			
गैर–चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय (यदि कोई हो)			
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**85.50**	73.94
(ख) प्रावधान	21	**244.05**	215.72
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)			
(घ) अन्य चालू देएताएँ	22	-	-
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**329.55**	289.66
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) पेशागत देय	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		**0.07**	0.20
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**87.15**	182.76
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**14.95**	8.49
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	**135.04**	120.28
(ग) प्रावधान	21	**187.42**	230.13
(ध) चालू कर देयताएँ (निबल)			
कुल चालू देयताएँ (ग)		**424.63**	541.86
कुल इक्विटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1343.06**	1298.34

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1,2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)	**(बी. के पाण्डेय)**	**(के.के. मिश्रा)**	**(शेखर सरन)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध
		डीआईएन. 08256429	निदेशक
			डीआईएन.06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

दिनांक : 9 जून, 2020
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
	परिचालन से राजस्व			
क	परिचालन से राजस्व	24	**1381.31**	1274.56
ख	अन्य परिचालन राजस्व (निबल)		**-**	-
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**1381.31**	1274.56
(II)	अन्य आय	25	**21.70**	13.01
(III)	**कुल आय (I+II)**		**1403.01**	1287.57
(IV)	खर्च			
	उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	**23.37**	23.54
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद			
	समाप्त सामग्रियों की वस्तु–सूची में बदलाव/ चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27	**-**	-
	उत्पाद शुल्द			
	कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	**565.85**	525.10
	विद्युत एवं इंधन		**3.19**	2.95
	निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	**3.07**	1.58
	मरम्मती	30	**28.06**	24.58
	संविदात्मक व्यय	31	**378.93**	354.78
	वित्तीय लागत	32	**0.20**	0.14
	मूल्यह्रास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		**18.44**	23.66
	प्रावधान	33	**-**	1.33
	राइट आफ	34		
	अन्य व्यय	35	**69.28**	66.09
	कुल व्यय (IV)		**1090.39**	1023.75
(V)	अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)		**312.62**	263.82
(VI)	अपवादात्मक मद		**-**	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**312.62**	263.82
(VIII)	कर खर्च	36	**119.23**	90.55
(IX)	**कन्टीन्यूईंग परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**193.39**	173.27
(X)	डिसकंटीन्यूड परिचालन से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XI)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च		**-**	-
(XII)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात्) (X-XI) से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XIII)	जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में शेयर		**-**	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**193.39**	173.27
	अन्य विस्तृत आय	37		
क	(i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**(8.60)**	(6.39)
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।			

लाभ-हानि विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(करोड़ रु. में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
ख	(i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।		**(2.16)**	(2.23)
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(6.44)**	(4.16)
(XVI)	**कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए लाभ के लिए श्रेय :**		**186.95**	169.11
	कंपनी का मालिक :		**193.39**	173.27
	अनियंत्रित ब्याज :			
			193.39	173.27
	कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**186.95**	169.11
	अनियंत्रित ब्याज :			
			186.95	169.11
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए):**			
	(1) बेसिक		**5,078.52**	4,550.16
	(2) डाइल्यूटेड		**5,078.52**	4,550.16
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए):**			
	(1) बेसिक		**-**	-
	(1) डाइल्यूटेड		**-**	-
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए):**			
	(1) बेसिक		**5,078.52**	4,550.16
	(1) डाइल्यूटेड		**5,078.52**	4,550.16

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।
ईपीएस की गणना के लिए संदर्भ टिप्पणी 38 (5) (b)

(ए. मुंधरा)	(बी. के पाण्डेय)	(के.के. मिश्रा)	(शेखर सरन)
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन. 08256429	डीआईएन.06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

दिनांक : 9 जून, 2020
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए

(करोड़ रु. में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
क.	**परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :**		
	कर देने से पूर्व लाभ	**312.62**	263.82
	के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति	**18.44**	23.66
	बैंक जमा से ब्याज	**(7.95)**	(7.28)
	वित्तीय लागत	**0.2**	0.14
	निवेश से ब्याज/लाभांश	**-**	0.00
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**(0.04)**	(0.06)
	अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	**(12.47)**	(5.65)
	अवधि के दौरान देयता वापस लाया	**(1.24)**	(0.02)
	अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन	**-**	-
	चालू/गैर-चालू संपत्तियाँ एवं देयताएँ से पहले का परिचालन समायोजन के लिए :	**309.56**	274.61
	पेशागत प्राप्य	**29.77**	31.40
	इन्वेन्ट्रीज	**(2.77)**	(1.30)
	लघु/दीर्घकालिन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**45.09**	(40.19)
	लघु/दीर्घकालिन देयताए एवं प्रावधान	**(85.94)**	(170.52)
	परिचालन से उत्पन्न नकद	**295.71**	94.00
	आयकर भुगतान/रिफंड	**(117.07)**	(88.32)
	ब्याज भुगतान	**(0.20)**	(0.14)
	परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	**178.44**	5.54
ख.	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(29.27)**	(25.38)
	परिसंपत्ति की बिक्री से आय	**0.04**	0.06
	अन्य दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	**-**	-
	फिक्स्ड डिपॉजिट/सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	**7.95**	7.28
	अन्य गैर–परिचालित आय	**13.71**	5.67
	बैंक जमा में निवेश	**-**	**-**
	निवेश में बदलाव	**-**	**-**
	संयुक्त उद्यम में निवेश	**-**	**-**
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	**-**	**-**
	निवेशों से ब्याज/लाभांश	**-**	**-**
	निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	**(7.57)**	(12.37)

ग.	**फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप से नकदी प्रवाह**		
	अल्पकालिक उधार/सरकारी अनुदान से सुरूआत	**(0.30)**	(0.33)
	उधार का पुनर्भुगतान	**-**	**-**
	फाइनेंसिंग क्रिया–कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	**-**	**-**
	स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	**-**	**-**
	लाभांश और लाभांश कर	**(64.59)**	**(36.49)**
	इक्विटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	**-**	**-**
	फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल नकद (ग)	**(64.89)**	(36.82)
	नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**105.98**	(43.65)
	वर्ष के शुरुवात में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**135.62**	179.27
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी के समांतर (संदर्भ टिप्पणी 14 नकद के घटक और नकदी के समांतर के लिए)	**241.60**	135.62

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(बी. के पाण्डेय)
महाप्रबधक (वित्त)

(के.के. मिश्रा)
निदेशक
डीआईएन. 08256429

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन.06607551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते लोधा पटेल वाधवा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 074749

दिनांक : 9 जून, 2020
स्थान : राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

विवरण	01.04.2018 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2019 के अनुसार शेष	01.04.2019 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2020 के अनुसार शेष
1000 रू. प्रत्येक 3,80,800 इक्विटी शेयर के	38.08	-	38.08	38.08		**38.08**

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता प्राप्त शेयर का इक्विटी हिस्सा	अन्य भण्डार				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	प्रतिधारित कमाई	कुल	गैर-नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	कैपिटल रिजर्वस	सीएसआर रिजर्व	सत्त विकास रिजर्व						
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	**19.20**	-	-	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**296.45**	-	**296.45**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन या वधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
01.04.2018 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	-	-	**19.20**	-	-	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**296.45**	-	**296.45**
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	19.80	-	-	**4.04**	**36.40**	236.81	296.45	-	296.45
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	1.00	-	-	**8.66**	-	-	9.66		9.66
वर्ष के दौरान समायोजन			(1.33)	-	-	-	-	-	(1.33)	-	(1.33)
वर्ष के दौरान लाभ				-	-	-	(4.16)	173.27	169.11	-	169.11
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)								-	-	-	-
विनियोग											
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(8.66)	(8.66)	-	(8.66)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रु. में)

अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(25.52)	(25.52)	-	(25.52)
बोनस	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(4.75)	(4.75)	-	(4.75)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(6.22)	(6.22)	-	(6.22)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.87**	**-**	**-**	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**428.74**	**-**	**428.74**
01.04.2019 के अनुसार शेष	-	-	18.87	-	-	12.70	32.24	364.93	428.74	-	428.74
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	0.60	-	-	9.67	-	-	10.27	-	10.27
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.90)	-	-	-	-	-	(0.90)	-	(0.90)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(6.44)	193.39	186.95	-	186.95
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>विनियोग</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(9.67)	(9.67)	-	(9.67)
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(27.11)	(27.11)	-	(27.11)
बोनस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(26.47)	(26.47)	-	(26.47)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(11.01)	(11.01)	-	(11.01)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.57**	**-**	**-**	**22.37**	**25.80**	**484.06**	**550.80**	**-**	**550.80**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रु. में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साईट पुनःस्थापन लागत	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :															
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	1.15	1.43	-	48.07	119.03	0.29	-	10.11	1.80	9.98	-	-	0.68	-	192.54
जोड़कर	-		-	19.18	32.29	0.14	-	1.90	0.14	1.08	-	-	0.08	-	54.81
हटाकर / समायोजन	-	-	-	-	(6.73)	-	-	(0.01)	-	(0.16)	-	-	-	-	(6.90)
31 मार्च 2019 के अनुसार	**1.15**	**1.43**	**-**	**67.25**	**144.59**	**0.43**	**-**	**12.00**	**1.94**	**10.90**	**-**	**-**	**0.76**	**-**	**240.45**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1.15	1.43	-	67.25	144.59	0.43	-	12.00	1.94	10.90	-	-	0.76	-	240.45
जोड़कर	-	0.63	-	1.13	9.77	0.03	-	1.91	1.28	1.43	-	-	0.03	-	16.21
हटाकर / समायोजन	-	-	-	(0.41)	(2.21)		-	(0.80)	0.02	(0.41)	-	-	(0.07)	-	(3.88)
31 मार्च 2020 के अनुसार	**1.15**	**2.06**	**-**	**67.97**	**152.15**	**0.46**	**-**	**13.11**	**3.24**	**11.92**	**-**	**-**	**0.72**	**-**	**252.78**
संचित मूल्यह्रास और क्षति															
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-	0.07	-	4.06	35.27	0.05	-	3.20	0.71	3.76	-	-	-	-	47.12
वर्ष के दौरान चार्ज	-	0.02	-	1.99	17.56	0.06	-	1.60	0.34	1.55	-	-	-	-	23.12
क्षति															
हटाकर / समायोजन	-	-	-		(6.07)	-	-	(0.18)		0.03		-	-	-	(6.22)
31 मार्च 2019 के अनुसार	**-**	**0.09**	**-**	**6.05**	**46.76**	**0.11**	**-**	**4.62**	**1.05**	**5.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.02**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-	0.09	-	6.05	46.76	0.11	-	4.62	1.05	5.34	-	-	-	-	64.02
वर्ष के लिए चार्ज	-	0.10	-	1.74	12.13	0.05	-	1.35	0.29	1.15	-	-	-	-	16.81
क्षति															
हटाकर / समायोजन	-	-	-	0.27	(0.73)	(0.01)	-	(0.62)	0.03	(0.57)	-	-	-	-	(2.17)
31 मार्च 2020 के अनुसार	**-**	**0.19**	**-**	**7.52**	**58.16**	**0.15**	**-**	**5.35**	**1.37**	**5.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78.66**
नेट कैरिंग एमाउन्ट															-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**1.15**	**1.87**	**-**	**60.45**	**93.99**	**0.31**	**-**	**7.76**	**1.87**	**6.00**	**-**	**-**	**0.72**	**-**	**174.12**
31 मार्च 2019 के अनुसार	1.15	1.34	-	61.20	97.83	0.32	-	7.38	0.89	5.56	-	-	0.76	-	176.43

Note:

1. ऊपर प्लांट और मशीनरी में उन प्लांट और मशीनरी, जिसमें स्टैंड बाई इक्विपमेंट और स्टोर व पुर्जे आते को शामिल किया गया है, जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को संतुष्ट करता है, लेकिन अभी तक स्टोर्स से जारी नहीं हुआ है
2. अन्य भूमि में 0.63 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार शामिल है और उसी पर संचित परिशोधन 0.08 करोड़ रुपये है जो 31.03.2020 तक है
3. कंपनी लेखा नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। (टिप्पणी संख्या 2 देखें)
4. कुल पूंजीगत 16,1 करोड़ रुपये में से, 0.45 करोड़ रुपये फंड से संबंधित हैं और 0.03 करोड़ रुपये का सर्वेक्षण बंद परिसंपत्ति के अलावा और 0.63 करोड़ का संबंध पूंजीगत संपत्ति के पट्टे से है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रु. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना/विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
सकल वहनीय राशि :						
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	18.76	27.09	-	-	-	45.85
जोड़कर	1.29	6.59	-	-	-	7.88
हटाकर/समायोजन	(18.44)	(20.88)	-	-	-	(39.32)
31 मार्च 2019 के अनुसार	**1.61**	**12.80**	**-**	**-**	**-**	**14.41**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1.61	12.80	-	-	-	14.41
जोड़कर	7.00	3.41	-	-	-	10.41
हटाकर/समायोजन	(1.65)	(0.04)	-	-	-	(1.69)
31 मार्च 2020 के अनुसार	**6.96**	**16.17**	**-**	**-**	**-**	**23.13**
संचित प्रावधान और क्षति						-
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
क्षति	-	-	-	-	-	-
हटाकर/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट						-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**6.96**	**16.17**	**-**	**-**	**-**	**23.13**
31 मार्च 2019 के अनुसार	**1.61**	**12.80**	**-**	**-**	**-**	**14.41**

नोट- कुल डब्ल्यूआईपी में से रु 8.72 का जोड़ और समायोजन है, जिसमें से रुपये 0.01 करोड़ सी फंड से संबंधित है

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-
जोड़कर	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**-**
संचित प्रावधान और क्षति	
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**-**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	-
वर्ष के दौरान चार्ज	-
क्षति	-
हटाकर / समायोजन	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**-**
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च 2020 के अनुसार	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)	कुल
सकल वहनीय राशि :			
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	7.39	-	7.39
जोड़कर	4.00	-	4.00
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**11.39**	**-**	**11.39**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	11.39	-	11.39
जोड़कर	6.95	-	6.95
हटाकर / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**18.34**	**-**	**18.34**
संचित ऋणपरिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	5.58	-	5.58
वर्ष के दौरान चार्ज	1.85	-	1.85
क्षति		-	-
हटाकर / समायोजन		-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	**7.43**	**-**	**7.43**
1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	7.43	-	7.43
वर्ष के दौरान चार्ज	2.53	-	2.53
क्षति		-	-
हटाकर / समायोजन		-	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	**9.96**	**-**	**9.96**
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च 2020 के अनुसार	**8.38**	-	**8.38**
31 मार्च 2019 के अनुसार	3.96	-	3.96

नोट - कुल सॉफ्टवेयर एडिशन 6.95 करोड़ रुपये से, 0.15 करोड़ रुपये फंड्स से संबंधित है

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर–चालू		
शेयर में निवेश	-	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर	-	-
अन्य निवेश		-
सुरक्षित बाँड में	-	-
कोऑपरेटिव शेयर में	-	.
कुल	**-**	**-**
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 7 : (जारी.....)

निवेश

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश		
यूटीआई म्यूचुअल फंड	-	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान	-	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड	-	-
एसबीआई म्यूचुअल फंड	-	-
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड	-	-
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड	-	-
बीओआई एएसक्सए म्यूचुअल फंड	-	-
कुल	**-**	**-**
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 8 : ऋण

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अन्य ऋण		
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
क्रेडिट इम्पेयर्ड		
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

चालू

अन्य ऋण		
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-.	-
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
क्रेडिट इम्पेयर्ड		
संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा	.	-
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा		
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना	-	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग	-	-
अन्य जमा और प्राप्य *	**1.06**	1.11
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	**0.04**	0.04
	1.02	1.07
कुल	**1.02**	1.07
चालू		
कोल इंडिया के पास सरप्लस फंड	**-**	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास चालू खाता बैलेंस	**-**	-
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग		
कोल इंडिया लिमिटेड के पास बैलेंस	**17.14**	17.70
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	**-**	-
	17.14	**17.70**
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अर्जित ब्याज	**3.79**	1.96
दावे और अन्य रसीदें	**31.21**	39.16
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	**-**	-
	31.21	39.16
कुल	**52.14**	**58.82**

नोट: अन्य जमा और प्राप्य' में शामिल हैं–

	31.03.2020	31.03.2019
गैस कंपनी एवं अन्य को जमा	**0.02**	0.02
विद्युत कंपनी को जमा	**0.72**	0.72
पीएंडटी जमा	**0.07**	0.07
सुरक्षा जमा देय	**0.11**	0.11
कर्मचारी	**0.14**	0.19
कुल	**1.06**	1.11

नोट (2) क्लेम और अन्य प्राप्तियों* में शामिल है.

	31.03.2020	31.03.2019
क्लेम्स रिकवरेबल	**5.83**	6.76
आईएनडी एएस के कारण होनेवाली प्राप्तियाँ	**23.28**	20.30
एलआईसी (ग्रैचुटी) से प्राप्तियाँ	**2.10**	12.10
कुल	**31.21**	39.16

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) अग्रिम पूँजी	**0.69**	0.62
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	0.69	0.62
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम		
(क) युटिलिटी के लिए प्रतिभूति जमा	**-**	-
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	**-**	-
	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	**0.12**	39.32
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	**-**	-
	0.12	39.32
(ग) पार्टी से संबंधित अग्रिम	-	-
कुल	**0.81**	**39.94**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) पूंजी के लिए अग्रिम	-	-
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएँ और सेवाएँ)	**0.61**	0.81
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.23**	0.23
	0.38	0.58
(ग) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	**0.11**	0.09
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	-
	0.11	0.09
(घ) पार्टी से संबंधित अग्रिम	**-**	-
(ङ) अन्य अग्रिम और जमा	**116.99**	51.86
घटाकर : संदिग्ध दावा के लिए प्रावधान	**0.05**	0.05
	116.94	51.81
(च) प्राप्तियोग्य सीनवेट/वेट क्रेडिट	**31.16**	46.55
घटाकर : प्रावधान		-
	31.16	46.55
(छ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट	.	-
घटाकर : प्रावधान		
कुल	**148.59**	**99.03**

1. (ज) अन्य जमा एवं अग्रिम **

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020	31.03.2019
अग्रिम (एक्सए)	**0.56**	0.80
स्थायी अग्रदाय	**0.06**	-
अग्रिम भुगतान		0.01
टी.ए. (अधिकारी)	**0.47**	0.40
टी.ए. (स्टाफ)	**0.58**	0.83
चिकित्सा अग्रिम	**0.45**	0.73
टी.ए. अग्रिम (देश से बाहर)	**0.04**	0.02
भारत के अग्रिम सीआईएल सर्वेक्षण	**77.37**	38.30
अग्रिम सीआईएल सीआईएमएफर प्रयोगशाला	**10.59**	10.59
सी बी एम परियोजना	**0.11**	0.11
आयकर अंडर प्रोटेस्ट''	**26.70**	
एक्स-कोल बोर्ड एवं अन्य	**0.06**	0.07
कुल	**116.99**	**51.86**

** आयकर अंडर प्रोटेस्ट 26.70 करोड़ रुपये है। इसमें से 0.95 करोड़ रुपये का का सम्बन्ध वित्त वर्ष 2012–13 से है, 23.73 करोड़ रुपये का सम्बन्ध वित्त वर्ष 2017–18 से है, रुपये का 0.64 करोड़ का सम्बन्ध वित्त वर्ष 2016–17 से है, रु 0.68 करोड़ रुपये का सम्बन्ध वित्त वर्ष 2014–15 से है । 0.58 करोड़ का संबंध वित्त वर्ष 2010–11 से है, रु 0.12 करोड़ का संबंध वित्त वर्ष 2016–17 से है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार		
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले के भंडार (निबल)	-	-
(ख) भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टॉक	**12.50**	9.73
जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर	**-**	-
स्टोर एवं स्पेयर (लागत पर) का निबल स्टॉक	**12.50**	9.73
(ग) सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक	**-**	-
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस जॉब		
	12.50	9.73

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
चालू		
पेशागत प्राप्ति		
– प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**550.21**	579.98
– क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**3.05**	3.86
– क्रेडिट इम्पेयर्ड		
	553.26	583.84
घटाकर : बैड एवं संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	**3.05**	3.86
कुल	**550.21**	579.98
वर्गीकरण		
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान		
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**550.21**	579.98
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	**3.05**	3.86
क्रेडिट इम्पेयर्ड		

1. कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या तो गंभीर रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं होते हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनियों या निजी कंपनियों से होता है, जिसमें कोई भी निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य होता है।

2. 31.03.20 के अनुसार कुल 553.26 करोड़ रुपये बकाये में शामिल हैं:

a) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी) की विवादित बकाया राशि 0.63 करोड़ रुपये।

b) महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी) का बकाया राशि 0.15 करोड़ रुपये है जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा कम भुगतान किया गया है और सीईएमपीडीआई का मूल्य भिन्नता/दर संशोधन चालान 1.03 रुपये है जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा नहीं माना जाता है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा में	**139.14**	64.14
– चालू लेखा में		
इंटरेस्ट बेअरिंग (सीएलटीडी)	**101.83**	26.18
नॉन इंटरेस्ट बेअरिंग	**0.60**	45.28
– नकद क्रेडिट लेखा में	**-**	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	**-**	-
(ग) हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**0.01**	0.01
(घ) पास में नकद	**0.02**	0.01
(ङ) भारत से बाहर के पास में नकद	**-**	-
(च) अन्य	**-**	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	**241.60**	**135.62**
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	**-**	**-**
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**241.60**	135.62

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
बैंक के पास शेष		
– जमा लेखा	-	-
– माइन क्लोजर प्लान	-	-
– स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
– शेयर के बाईबैक के लिए एस्क्रो लेखा	-	-
– अदेय लाभांश लेखा	-	-
– लाभांश लेखा	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16 : इक्विटि शेयर पूँजी

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अधिकृत		
1000/–प्रति इक्विटी शेयर वाले 15,00,000 इक्विटी शेयर	**150.00**	50.00
	150.00	50.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)		
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/- रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/- रू. के 8 इक्विटी शेयर)	**-**	-
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रुप में आवंटित प्रत्येक 1000/- रू. के 275792 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/-रू. के 275792 इक्विटी शेयर)	**27.58**	27.58
ऋण को इक्विटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 105000 इक्विटि शेयर	**10.50**	10.50
कुल	**38.08**	38.08

1. प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रू. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड	380800	100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सत्त विकास रिजर्व					
01.04.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.20**	-	**-**	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**-**	**296.45**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिर्वतन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
01.04.2018 के अनुसार रीस्टेटेड शेष	**-**	**-**	**19.20**	-	**-**	**4.04**	**36.40**	**236.81**	**-**	**296.45**
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	1.00	-	-	8.66	-	.	-	9.66
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1.33)	-	-		-	-	.	(1.33)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	(4.16)	173.27	-	169.11
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
विनियोग								-	-	-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	.	.	.	.	.	.	.	(8.66)	.	(8.66)
अन्य रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-		-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(25.52)	.	(25.52)
बोनस	-	-	-	-	-		-		-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(4.75)	-	(4.75)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(6.22)	-	(6.22)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.87**	-	**-**	**12.70**	**32.24**	**364.93**	**-**	**428.74**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रु. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	अन्य व्यापक आमदनी	रिटेन्ड अर्निंग	अनियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सत्त विकास रिजर्व					
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	18.87	-	-	12.70	32.24	364.93	-	428.74
वर्ष के दौरान जोड़कर	-	-	0.60	-	-	9.67	-	-	-	10.27
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.90)	-	-	-	-	-	-	(0.90)
लेखांकन नीति में परिर्वतन या अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिर्वतन या	-	-	-	-	-	-	(6.44)	193.39	-	186.95
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन (नीबल कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनियोग	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	(9.67)	-	(9.67)
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(27.11)	-	(27.11)
बोनस	-	-	-	-	-	-	-		-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(26.47)	-	(26.47)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	(11.01)	-	(11.01)
प्री–ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.57**	**-**	**-**	**22.37**	**25.80**	**484.06**	**-**	**550.80**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी टिप्पणी (जारी .....)

रिजर्व एवं अधिशेष जारी ...

रिजर्व पूँजी : कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूँजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	एसएंडटी अनुदान	यूएनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	सीआईएल आरएंडडी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाऊस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार	3.06	0.05	0.06	-	15.36	0.33	0.01	**18.87**
जोड़कर	0.06	-	-	-	0.54	-	-	**0.60**
	3.12	0.05	0.06	-	15.90	0.33	0.01	**19.47**
घटाकर : मूल्यह्रास एवं समायोजन	0.31	-	-	-	0.56	0.03	-	**0.90**
31.03.2020 के अनुसार कुल योग	**2.81**	**0.05**	**0.06**	**-**	**15.34**	**0.30**	**0.01**	**18.57**
31.03.2019 के अनुसार कुल योग	3.06	0.05	0.06	-	15.36	0.33	0.01	**18.87**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 : उधारी

(करोड़ रु. में)

	01.04.2020 के अनुसार	01.04.2019 के अनुसार
गैर-चालू (नन-करेंट)	-	
टर्म लोन		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य लोन	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूति	-	-
चालू		
माँग पर पुनः देय ऋण		
– बैंक से	-	-
– अन्य पार्टियों से	-	-
संबंध्ति पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूत	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 19 : पेशागत देय

(करोड़ रु. में)

	01.04.2020 के अनुसार	01.04.2019 के अनुसार
चालू		
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए पेशागत देय	**0.07**	0.20
निम्न के लिए अन्य पेशागत देय		
– स्टोर एंड स्पेयर्स	**1.14**	2.06
– पावर एंड फ्युअल	**1.06**	-
वेतन और भत्ते	**35.35**	35.76
– अन्य	**49.60**	143.68
कुल	**87.22**	**182.96**

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया

	31.03.2020	31.03.2019
क) मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान अभी बाकी है, लेकिन अवधि समाप्त होने के कारण नहीं	**0.07**	0.20
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज, प्रदत्त अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	**शून्य**	शून्य
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया ब्याज और देय; जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	**शून्य**	शून्य
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और शेष भुगतान	**शून्य**	शून्य
ड़) आगे के वर्षों में भी बकाया देय ब्याज और देय है, जब तक कि उपरोक्त तारीखों के ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है	**शून्य**	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	01.04.2020 के अनुसार	01.04.2019 के अनुसार
गैर-चालू		
सिक्युरिटी डिपॉजिट	**2.38**	1.97
अर्नेस्ट मनी	**0.82**	3.21
अन्य *	**82.30**	68.76
कुल	**85.50**	73.94
चालू		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	**-**	-
निम्न के साथ चालू लेखा	**-**	-
– अनुषंगी कंपनियाँ	**-**	-
– आईआईसीएम	**-**	-
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता	**-**	-
अप्रदत्त लाभांश	**-**	-
सिक्युरिटी जमा	**2.27**	2.04
अर्नेस्ट मनी	**4.27**	1.14
पूंजीगत व्यय के लिए देय	**6.25**	3.83
अन्य*	**2.16**	1.48
कुल	**14.95**	8.49

टिप्पणी– अन्य* में शामिल है :

	31.03.2020	31.03.2019
कंट्रेक्टर कीप बैक	3.02	2.53
एक्सप्लोरेशन कीप बैक	77.54	64.46
कर्मचारियों से अग्रिम एवं जमा	3.33	3.25
लीज देयता	0.57	-
कुल	**84.46**	**70.24**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**103.78**	111.86
– छुट्टी नकदीकरण	**89.91**	68.29
– अन्य कर्मचारी लाभ	**50.34**	35.54
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
अलग करने की गतिविधि	**-**	-
अन्य*	**0.02**	0.03
कुल	**244.05**	215.72
चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटि	**26.11**	26.75
– छुट्टी नकदीकरण	**13.81**	14.66
– एक्सग्रेसिया	**14.86**	14.96
– कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	**89.17**	103.04
– नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान		5.29
– एक्जीक्यूटिव पे रिवीजन	**-**	-
– अन्य कर्मचारी लाभ	**20.76**	27.64
	164.71	192.34
साइट रेस्टोरेशन/माइन क्लोजर	**-**	-
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज डयूटि	**-**	-
अन्य*	**22.71**	37.79
कुल	**187.42**	**230.13**

अन्य* इस राशि में राजस्व व्यय के अनुमानित प्रावधान शामिल हैं।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
स्थानांतरण और पुनर्वास कोष	.	.
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रु. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
सांविधिक बकाया :		
सांविधिक बकाया :	**44.89**	49.02
कोयला आयात हेतु अग्रिम	-	-
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	**14.55**	11.36
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट	**-**	-
अन्य देयताएँ *	**75.60**	59.90
कुल	**135.04**	120.28

टिप्पणी – अन्य देयताएँ*

	31.03.2020	31.03.2019
सीबीएम सेल	**3.53**	3.73
रिलिफ पंफड	**0.04**	0.03
ईवीडब्लूएफ	**0.01**	0.01
अन्य कटौती	**0.20**	0.10
स्टेल चेक हेतु क्रेडिट	**0.15**	0.16
इम्प्रेस्ट से अनपेड	**0.17**	0.28
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	**0.01**	0.01
परीक्षण प्रयोगशाला	**0.28**	0.28
यूएनडीपी फंड	**0.27**	0.27
सीआईएल सीआईएमएफआर फंड	**0.21**	0.21
निधि और अन्य	**70.73**	54.82
कुल	**75.60**	59.90

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : प्रावधान (जारी.....)

अन्य चालू देयताएँ (जारी.....)

वर्ष के दौरान एसएंडटी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी और प्रतिपूर्ति के तहत प्राप्त अनुदान/कोष नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर-सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रालय	सीआईएल आरएंडडी अनुदान	कुल
01-04-2019 के अनुसार अथशेष	**0.48**	**2.36**	**0.25**	**0.23**	**0.26**	**4.39**	**7.97**
जोड़कर							
1. कोयला मंत्रालय	18.78	72.59		594.38		-	685.75
2. इस्पात मंत्रालय	-					-	-
3. सीआईएल कोलकाता	-	-	-	-	-	18.10	18.10
4. समायोजन	-	-	-	-	-	0.01	0.01
5. निधि पर बैंक का ब्याज	0.07	0.38	0.01	1.18		0.51	2.15
6. नहीं खर्च किये हुए धन की वापसी	0.07	-	-	-		11.94	12.01
	19.40	**75.33**	**0.26**	**595.79**	**0.26**	**34.95**	**725.99**
घटाकर : प्रतिपूर्ति / उपयोग	19.16	72.29		592.48	0.00	20.60	0.00 704.53 0.00
31-03-2020 को इतिशेष	**0.24**	**3.04**	**0.26**	**3.31**	**0.26**	**14.35**	**21.46**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
क. सेवाओं की बिक्री	**1,629.66**	1,503.84
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी	**248.35**	229.28
निबल बिक्री (क)	**1381.31**	1274.56
ख. अन्य परिचालन राजस्व		
बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-
कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क	-	-
लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क	-	-
घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी (एक्साइज को छोड़कर)	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	.	.
घटाकर : सांविधिक लेवी	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-	-
परिचालन से राजस्व (क+ख)	**1381.31**	1274.56

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
ब्याज पर आय	**7.95**	7.28
लाभांश से आय	.	.
अन्य		
एपेक्स शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.04**	0.06
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति	**-**	-
लीज रेंट	**-**	-
बट्टे खाते में वापस लाया गया देयता/प्रावधान	**1.24**	0.02
विविध आय	**12.74**	5.65
कुल	**21.70**	13.01

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग्य किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
विस्फोटक	**-**	-
टिम्बर	**-**	-
आयल एंड लुब्रिकेंट्स	**10.90**	10.87
एचईएमएम स्पेयर्स	-	-
अन्य उपयोग्य भंडार एवं पाटपूर्जे	**12.47**	12.67
कुल	**23.37**	23.54

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 27 : फिनिश्ड गुड्स की वस्तु सूची में परिर्वतन, चालू कार्य व्यवसाय में स्टॉक

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
कोयले का ओपनिंग स्टॉक		
जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयले में कमी	-	-
	-	-
क. कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव	-	-
डब्ल्यूआईपी	-	-
जोड़कर : ओपनिंग स्टाक का समायोजन	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
जोड़कर : डब्ल्यूआईपी	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
	-	-
ख. वर्कशॉप की वस्त-सूची में बदलाव	-	-
प्रेस ओपनिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
	-	-
घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब		
i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
	-	-
ग. प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्त्तन	.	-
ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्त्तन (क+ख+ग) {डिक्रिशन/एक्रीशन)}	.	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
वेतन और मजदूरी (भत्ते, बोनस इत्यादी सहित)	**335.92**	350.33
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	**57.24**	72.09
कर्मचारी कल्याण व्यय	**172.69**	102.68
कुल	**565.85**	**525.10**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
सीएसआर व्यय	**3.07**	1.58
कुल	**3.07**	1.58

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
भवन	**7.76**	6.30
संयंत्र एवं मशीनरी	**9.67**	8.15
अन्य	**10.63**	10.13
कुल	**28.06**	24.58

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
परिवहन शुल्क :		
प्लांट और उपकरणों की हायरिंग	**-**	-
अन्य संविदात्मक कार्य	**378.93**	354.78
कुल	**378.93**	354.78

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
ब्याज पर खर्च		
उधारी	-	-
डिसकाउन्ट्स का अन–वाइडिंग	0.05	-
अन्य	0.15	0.14
कुल	0.20	0.14

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट ऑफ रिवर्सल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
(क) निम्नलिखित के लिए भत्ता/प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	1.13
ग्रेड भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पाट पूर्जे	-	-
अन्य	-	0.20
कुल (क)	-	1.33
(ख) अलाउन्स/प्रोविजन रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	-	-
ग्रेड भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पाट पूर्जे	-	-
अन्य	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क-ख)	-	1.33

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
ग्रेड विभिन्नता	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाकर :– पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
यात्रा व्यय	**20.36**	19.13
प्रशिक्षण खर्च	**1.32**	3.23
टेलीफोन एवं पोस्टेज	**3.89**	1.93
विज्ञापन एवं प्रचार	**2.39**	1.84
ढुलाई भाड़ा	**-**	-
डीमूरेज	**-**	-
सुरक्षा व्यय	**18.70**	17.73
सीआईएल का सेवा शुल्क	**-**	-
किराया शुल्क	**8.41**	7.25
लीगल खर्च	**0.04**	0.05
परामर्शी शुल्क	**0.40**	2.57
अंडर लोडिंग शुल्क	**-**	-
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर नुकसान	**0.03**	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय		
– लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	**0.21**	0.11
– कराधन मामले के लिए	**0.01**	-
– अन्य सेवाओं के लिए	**0.09**	0.04
– किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.22**	0.22
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	**0.66**	0.58
पुनर्वास शुल्क	**-**	-
किराया	**0.55**	0.42
दर एवं कर	**0.59**	0.81
बीमा	**0.11**	0.08
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	**-**	-
रेस्कयू/सुरक्षा व्यय	**-**	-
डेड रेंट/सर्फेस रेंट	**-**	-
साइडिंग मेंटेनेंस शुल्क	**-**	-
आर एंड डी पर व्यय	**-**	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	**0.37**	0.47
विविध खर्च	**10.93**	9.63
कुल	**69.28**	66.09

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
चालू वर्ष	**79.03**	66.10
आस्थगित कर	**24.44**	26.24
मैट क्रेडिट इंटाइटिलमेंट	**-**	(0.64)
पूर्व वर्ष	**15.76**	(1.15)
कुल	**119.23**	90.55

31.03.2019 के लिए कर व्ययों का रिकॉन्सिलीएशन और लेखंकित लाभ का भारत की घरेलु कर दरों से गुणा करना	**31.03.20 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए**
कर पूर्व लाभ	312.62	263.82
25.168% / 34.944% की आयकर दर पर	78.68	92.18
स्वीकार्य व्ययों पर कम कर	21.70	42.20
गैर–कटौती योग्य व्यय पर अतिरिक्त कर	22.05	16.12
नार्मल के अनुसार आयकर व्यय	79.03	66.10
MAT प्रावधान (Sec 115JB) (B) के अंतर्गत आयकर	-	55.23
ए/बी के लिए अधिक कर देय	**79.03**	**66.10**
मैट क्रेडिट इटाइटिलमेंट	-	(0.64)
आस्थगित कर	24.44	26.24
पूर्व वर्षों के लिए कर	15.76	(1.15)
लाभ और हानि के विविरण में रिपोर्ट किए गए आयकर खर्च	**119.23**	**90.55**
प्रभावी आयकर दर :	**38.14**	**34.32**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रु. में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2020	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2019
क)		
(i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(8.60)**	**(6.39)**
	(8.60)	(6.39)
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(2.16)**	**(2.23)**
	(2.16)	(2.23)
कुल (क)	**(6.44)**	(4.16)
ख) (i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
		-
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर	**-**	-
	-	-
कुल (ख)		-
कुल (क+ख)	**(6.44)**	(4.16)

टिप्पणी -1 निगमित सूचना

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिकी, जलभू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणि ाक डाटा सृजन सहित कोयला एवं खनिज गवेषण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआईएल शिड्यूल ''बी''/मिनी रत्न कैट–। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निबंधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2020 के अनुसार क्रमशः 150 करोड़ रूपए तथा 38.08 करोड़ रूपए है।

टिप्पणी-2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार :

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण मापन के हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर तैयार किया गया है।

- फेयर वैल्यू के आधार पर कुछ निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं
- डिफाइंड बेनेफिट प्लान–फेयर वैल्यू के आधार पर प्लान परिसंपत्तियों का मापन
- लागत पर वस्तुसूची (Inventories) या NRV जो भी कम हो

2.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलव अंक तक करोड़ रूपए में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं नॉन करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट/नॉन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब :

क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।

ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,

ग) प्रतिवेदित अवधि के बाद बारह माह के भीतर परिसंपत्ति को वसूल (रियलाइज) करने की संभावना हो; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य होता है (जैसा कि इंडएएस 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक संस्था चालू के रूप में एक दायित्व को वर्गीकृत करेगी:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटान करने की अपेक्षा करता है।

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता हैय

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देय होने के कारण देयता हैय या

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे के द्वारा इसके निपटान में इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

2.3 राजस्व की पहचान :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचार तब की जाती है जब वस्तुओं और सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है, जिसके अनुसार कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने यह सामान्य निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्थाओं प्रमुख है, क्योंकि यह वसतुओं या सेवाओं के ग्राहकों को हस्तांतरण से पूर्व विशिष्ट तौर नियंत्रित करता है।

निम्नलिखित 5 चरणों का प्रयोग करते हुए IndAS 115 का सिद्धांत लागू होता है :

चरण । - अनुबंध की पहचान :

निम्नलिखित सभी कसौटियों के पूरा करने पर ही कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए उत्तरदायी हैः

क) अनुबंध करने वाली पार्टियों ने अनुबंध की स्वीकृति दी है और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो ;

ख) वस्तुओं और सेवाओं की स्थानांतरित करने के लिए कंपनी प्रतयेक पार्टी के इस संबंध में अधिकारों की पहचान कर सकती है ;

ग) वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरिक करने के लिए कंपनी भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है ;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक त्तव हों (जैसे अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकद प्रवाह से संबंधित खतरा, समय और राशि में परिवर्तन होने की संभावना) ; और

ड.) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा जिन्हें ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा। विचार करने की राशि, जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि विचार परिवर्तनशील है, क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या समान आइटम के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंध का संयोजन :

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों की एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पार्टियों) के साथ एक ही समय में एक ही अनुबंध मानकर प्रवेश करेगी यदि निम्नलिखित मानदंडों में एक या अधिक का पालन होः

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में नेगोशिएट करती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है;

ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ और सेवाएँ (या प्रत्येक अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएँ) एक एकल प्रदर्शन दायित्व है।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दो स्थितियाँ मौजूद हों तो कंपनी अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करेगी।

क) अनुबंध का दायरा बढ़ जाता है वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ अलग–अलग होते हैं और

ख) अनुबंध की कीमत एक विचारणीय मात्रा में बढ़ जाती है जो कंपनी की अतिरिक्त बचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के स्टैंड अलोन बिक्री मूल्य को दर्शाती हैं और विशिष्ट अनुबंध की परिस्थितियों को उस मूल्य के लिए कोई उपयुक्त समायोजन दर्शाता है।

चरण-2 प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करना

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है कि ग्राहक को हसतांतरित करने का प्रत्येक वादा या तोः

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं और सेवाओं का एक बंडल) अलग–अलग है या

ख) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान है ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न है।

चरण-3 लेन-देन की कीमत का निर्धारण

लेन–देन की कीमत का निर्धारण करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों व अपनी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखती है। लेन–देन की कीमत के तौर पर उस राशि पर विचार किया जाता है, जिसे कंपनी ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के बदले प्राप्त करने की आशा करती है। तीसरे पक्ष हेतु एकत्रित राशि की गणना इसके अंतर्गत नहीं की जाती है (ग्राहकों के साथ अनुबंध में जिन वायदों पर विचार किया जाता है उनमें निश्चित या परिवर्ती या दोनों की राशियाँ शामिल होती है।

जब लेन–देन की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जब एक कंपनी निम्नलिखित प्रभावों को ध्यान में रखती है :

– वैरिएबल कंसिडरेशन

– वैरिएबल कंसिडरेशन की बाधा का अनुमान

– महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों की मौजूदगी

– नॉन–कैश कंसिडरेशन

– ग्राहक को देय कंसिडरेशन

कंसिडरेशन की राशि– छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य में छूट, प्रोत्साहनों, प्रदर्शन बोनसों या इसी तरह की वस्तुओं के कारण अलग–अलग हो सकती है। वायदा किया गया कंसिडरेशन की अलग–अलग हो सकता है यदि कंपनी भविष्य की आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित होती है।

कुछ अनुबंधों में, पेनाल्टी स्पष्ट होती है। इन मामलों अनुबंध के सार के अनुसार पेनाल्टी दी जाती है। जहाँ लेन–देन की कीमत के निर्धारण में पेनाल्टी निहित है, वह वैरिएबल कंसिडेरेशन के भाग का निर्माण करता है।

कंपनी अनुमानित वैरिबल कंसिडरेशन की राशि के कुछ या संपूर्ण राशि को एक सीमा तक शामिल करती है, जिसके संबंध में यह अत्याधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वैरिएबल के साथ जुड़ी अनिश्चित्ता का बाद में समाधान नहीं कर लिया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर यह अपेक्षा की जाती है तो, एक महत्वपूर्ण वित्तीय अवयवों के प्रभाव के लिए कंपनी वायदा की गई कंसिडरेशन की राशि को समायोजित नहीं करती है। जब कि वह किसी ग्राहक को एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है जिसके बीच की अवधि एक वर्ष या कम होगी।

कंपनी रिफंड देयता की पहचान करती है यदि कंपनी ग्राहक से कंसिडरेशन प्रापत करती है और उस कंसिडरेशन की राशि का कुछ भाग या पूरी राशि के ग्राहक की रिफंड किए जाने की संभावना है। एक रिफंड देयता प्राप्त (या प्राप्ति के योग्य) कंसिडरेशन की राशि के आधार पर मापी गई है, जिसके लिए कंपनी के हकदार होने की संभावना नहीं है। जैसे लेन–देन की कीमत में शामिल नहीं होने वाली राशि) रिफंड देयता (और लेन–देन की कीमत में संबंधित परिवर्तन, जिसके कारण अनुबंध देयता में भी परिवर्तन हो) परिस्थिगत परिवर्तनों के लिए प्रतयेक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संशोधित की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद विभिन्न कारणों से लेन–देन की कीमत में परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो वायदा की गई वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले में प्राप्त होने वाली संभावित कंसिडरेशन राशि, जिसकी हकदार कंपनी है, में परिवर्तन करते हैं।

चरण-4 : लेन-देन की कीमत का आवंटन :

कंपनी के लिए लेन–देन की कीमत के आवंटन का उद्देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) को लेन–देन की कीम का आवंटन एक ऐसी राशि के रूप में हो जो कंसिडरेशन की उस राशि को दर्शाता हो जो ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के बदले कंपनी प्राप्त करने की संभावित हकदार हो।

प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को लेन–देन की कीमत का आवंटन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के सापेक्षिक आधार पर करने के लिए, कंपनी अनुबंध की स्थापना में प्रतयेक प्रदर्शन दायित्व को अंतर्निहित अलग–अलग वस्तु या सेवा के अनुबंधन पर स्टैंड अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के अनुपात में लेन–देन की कीमत आवंटित करती है।

चरण-5 : राजस्व की पहचान :

कंपनी राजस्व की पहचान तब (या जैसे) करती है जब ग्राहक को हस्तांतरित वायदा की गई वस्तु और सेवा के प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट हो। एक वस्तु या सेवा तब (या जैसे) हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु और सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए समय के साथ ही प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करते हुए राजस्व की पहचान करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड प्राप्त हो:

क) ग्राहक एक कंपनी के द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और खपत करता है, जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी संपत्ति बनाता है या बढ़ाता जिसे ग्राहक उस संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है जिसे बनाया या बढ़ाया जाता है ;

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति का सृजन नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के लिए भुगतान करने हेतु प्रवर्तनीय अधिकार है। समय के साथ संतुष्ट प्रतयेक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्राप्ति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व की प्रगति के मापन के लिए कंपनी एक ही तरीका लागू करती है और समान परिस्थितियों में समरूप प्रदर्शन दायित्वों के लिए कंपनी निरंतर उसी तरीके को लागू करती है। प्रतयेक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्मापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष स्थानांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक की मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके से लागू करती है। आउटपुट विधियों में प्रदर्शन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, मील के पत्थर तक पहुँच, बीते हुआ समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाईयाँ शामिल है।

समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कंपनी प्रगति के अपने मापकों में संशोधन करती है ताकि प्रदर्शन दायित्व के आउटकम में होने वाले किसी भी परिवर्तन को दर्शाया जा सके। प्रगति की कंपनी के मापकों ऐसे में परिवर्तन; Ind As 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुरूप लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए कंपनी राजस्व की पहचान केवल तभी करती है यदि वह प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का तार्किक मापन कर सके। जब (या जैसे) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है तब कंपनी लेन–देन की कीमत की राशि की गणना राजस्व के रूप में करती है।

यदि समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट नहीं होता है, तब कंपनी समय के एक बिन्दु पर प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। समय के एक बिन्दु या समय विशेष; जिसमें कि ग्राहक वायदा की गई वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है तथा जिसमें कंपनी प्रदर्शन दायित्व से संतुष्ट होती है, का निर्धारण करने के लिए कंपनी; नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों जो निम्नलिखित से युक्त लेकिन उसी तक सीमित नहीं है, पर विचार करती है :

क) वस्तु और सेवा के लिए भुगतान का अधिकार कंपनी के पास है ;

ख) वस्तु या सेवा का ग्राहक के पास विधिक टाइटल है ;

ग) कंपनी ने वस्तु और सेवाओं के भौतिक नियंत्रण को हस्तांतरित कर दिया है ;

घ) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण खतरा और पुरस्कार है;

ड.) ग्राहक के पास वस्तु और सेवा को स्वीकार कर लिया हो।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करते हुए अनुबंध को अनुबंध परसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग–अलग प्राप्य के रूप विचार करने के बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ :

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय में कंसिडरेशन का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन के भुगतान के पहले या भुगतान के देय होने के पहले किसी वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण है तो, अर्जित कंसिडरेशन; जो कि शर्तों के अधीन है, के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।

ट्रेड रिसिवेबल्स :

एक प्राप्य (रिसिवेबल्स); कंसिडरेशन की एक राशि जो शर्तों के अधीन है; के संबंध में कंपनी क अधिकार को व्यक्त करता है। (जैसे देय कंसिडरेशन के भुगतान के पूर्व केवल समय के पैसेज की आवश्कता होती है)।

अनुबंध देयताएँ :

एक अनुबंध देयता ग्राहक को उन वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण की बाध्यता है, जिसके बदले कंपनी ने ग्राहक से कांसीडरेशन प्रापत किया हो (या कंसिडरेशन की एक राि देय हो)। कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के पूर्व यदि ग्राहक द्वारा कंसिडरेशन का भुगतान किया जाता है, तब एक अनुबंध देयता की पहचान की जाती है जबकि भुगतान कर दिया गया हो या देय हो (दोनों में जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबधं के अंतर्गत कार्य कर रही हो तो अनुबंध देयता की राजस्व के रूप में देखा जाता है।

ब्याज :

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश :

निवेश से प्राप्त लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर लिया गया हो।

अन्य दावे :

अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से किये गए रियलाइजेशन पर व्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब रियलाइजेशन की निश्चित्ता हो और उसका मापन विश्वसनीय ढंग से हो सके।

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइन प्लानिंग/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए परामर्शी सेवा से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवा कर का 10 प्रतिशत, विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5 प्रतिशत, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवा कर 7.5 से 20 प्रतिशत तक एकरूपता के साथ किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2017 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दर के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। 1.4.2018 से एक पृथक लागत केंद्र (जियोमेटिक्स) लागू किया गया। पहले यह पीएंडडी कार्य आंतरिक परामर्श में शामिल था।

2.4 सरकार से अनुदान :

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन–पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों से इतर से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक ''अन्य आय'' के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्ति योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटिटी के लिज त्तकाल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती है जिस अवधि में वह प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

एक अनुबंध है, या होता है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी समयावधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टादाता के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि में, पट्टेदार को लागत पर एक सही उपयोग परिसंपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को पहचानना होगा जो कि सभी पट्टों के लिए उस तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम नहीं हो या अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की है।

इसके बाद, राइट–टू–यूज एसेट को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ली जाने वाली राशि को बढ़ाकर लीज देयता को मापा जाता है, किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन के लिए ली गई भुगतानों को दर्शाने हेतु कैरी की राशि को कम करने और ले जाने के लिए रीम्यूरिंग राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए।

जब तक कि वह वित्त प्रभार को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता प्राप्त है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल नहीं होती है।

यदि पट्टाय पट्टे की अवधि के अंत तक पट्टेदार को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या यदि राइट–ऑफ–यूज संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार एक खरीद विकल्प का उपयोग करेगा, तो संपत्ति के उपयोगी जीवन पर राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है। अन्यथा, पट्टादाता राइट–ऑफ–यूज संपत्ति के अधिकार से पहले के उपयोग के अधिकार की संपत्ति के जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत से पहले राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति का मूल्यह्रास करेगा।

2.5.2 पट्टाकर्ता रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह काफी हद तक सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक है। एक पट्टे को एक ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व में प्रासंगिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित नहीं करता है ।

परिचालन पट्टे- परिचालन पट्टों से लीज भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि नहीं होता है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टे- एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में अपनी बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए उसमें निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे पर पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रतयक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यह्रास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।

ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।

ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरूद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यह्रास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रतयेक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यह्रास पद्धति को मूल्यह्रास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।

'मरम्मत एवं रख–रखाव' के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक

फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर आँकी जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचे दी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरोकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंसपेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रूप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर आँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) की लागत की कैरिंग रकम डिरोक्नाइज होता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सत्त् उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजीशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस अवधि में प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए कंपनियों के अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित संपत्ति का उपयोगी जीवन उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/हटा दी गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रो–राटा के आधार पर जोड़/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

''अन्य भूमि'' में कोयला वाहक (धारक) क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास)(सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित मुआवजा (क्षतिपूर्ति) एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालीन

हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यह्रासित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन,आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिंलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

Ind As के लिए संक्रमण :

कंपनी ने लागतम मॉडल के अनुसार कैरिंग मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त **Ind As के लिए संक्रमण** की तारीख के रूप में, पिछले GAAP के अनुसार मापा जाता है)।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति :

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फ़ाइ नाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयेागी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम–से–कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उसे लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट) :

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है। परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्याद है तथा इसका उचित मूल्य डिसपोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है। जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निर्धारित किया जाता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी इडिविजुअल खानों को कैश जेनेरेशन की एक अलग इकाई के रूप में विचार करती है।

यदि एक परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम अनुमानित की जाती है, जब वहनीय राशि (caÙkying amount); परिसंपत्ति की रिकवरी के योग्य राशि से कम हो जाती है और इम्पेयरमेंट हानि की गणना लाभ ओर हानि के विवरण में की जाती है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट :

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इक्विटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति :

2.9.1 प्रारंभिक पहचान (रिकॉग्निशन) एवं माप :

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो,

वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय–सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 परवर्ती माप :

वित्तीय देयता की परवर्ती माप का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)।
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट

2.9.1.1 डीरिकग्नीशन

एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या इसी तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से व्युत्पन्न है (जब बैलेंस षीट से हटा दिया गया है) :

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या एक 'पास–थ्रो' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को सामग्री की देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व मान लिया है, और या तो (क) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या 'पास–थ्रो' व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब यह परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के न तो हस्तांतरित और न ही पर्याप्त रूप से हस्तांतरित किया गया है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनीय कंपनी की निरंतर भागीदारी की हद तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को एक आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक अधिकतम राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है।

2.9.2.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) (उचित मूल्य के अतिरिक्त)

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति एवं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर पर इम्पेयरमेंट हानि की माप एवं पहचान के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रयोग में लाती हैः

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीरिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।

ख) वित्तीय परिसंपत्यिाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट है उन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग) इंडएएस 17 के तहत प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) लीज

घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो ट्रान्जेक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर ट्रान्जक्शन के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज

कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंट लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएँ :

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप :

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित लोन और उधारी शामिल है।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं उधारी तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल ट्रांन्जक्शन कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप :

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता :

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिग्नेटेड) वित्तीय देयता शामिल है। वित्तीय देयता को ''ट्रेडिंग के लिए रखे गए'' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल है जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्रिंजग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेक्टिव हेड्रिजग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है।

लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर आरंभिक रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन)/हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति (गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्त्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ :

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ–साथ प्रभावी व्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेशन :

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से

रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्सटिंग्विस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण :

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय दायित्व हो। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडेल में परिवर्त्तन शायद ही कभी (इन्फ्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्त्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्त्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्त्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया–कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्यिों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से त्तकाल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या ब्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण तथा किस प्रकार उनकी गणना की जाती है, को दर्शाता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिह्नित संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण को तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का ऑफ सेटिंग :

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन–पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ–साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.9.6 नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट :

बैलेंस शीट में नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट बैंकों और हाथों पर नकदी और महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधिन है। नकद प्रवाह के समेकित ब्याज के प्रयोजन के लिए नकद एवं नकद इक्यूवेलेन्ट में उपर परिभाषित अनुसार नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

2.10 कराधान :

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर आयकर की वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार ''आयकर के पहले लाभ'' से कर योग्य लाभ में अंतर है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर योगय हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्त्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता हे जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग करम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी कर योग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलबध होगा जिसके विरूद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थायी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से सम्बद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है। यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरूद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा।

अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर येाग्य लाभ उपलबध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त ढंग से इनेक्ट किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्त्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इक्विटी में चिह्न्त (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इक्विटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ :

2.11.1 अल्पकालीन लाभ

सभी अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की पहचान उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुए हों।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ :

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना :

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना हे जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा मेनटेन किए जा रहे कोष में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना :

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके

वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिसकाउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिसकाउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एक्चुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रतयेक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्चुअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपत्ति उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्चुरियल प्राप्ति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान त्तकाल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल ब्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयता के प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त डिसकांडट दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में त्तकाल की जाती है।

2.11.3 कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ :

परिभाषित लाभ योजना के लिए एलटीए, एलटीसी, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रूप पसर्नल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना आदि में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा आदि जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की पहचान उसी आधार पर की जाती है जैसा कि दिए गए आधार पर की जाती गया है। इन लाभों के लिए अलग से कोई विशिष्ट फंड नहीं है।

2.12 विदेशी मुद्रा :

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है।

ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें

परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो।

गैर मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में डीमॉनेटाइज्ड किया जाता है, जो लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनियम दर पर मूल्यवान है।

2.13 वस्तु सूची

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स :

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट (जो लूज टूल्स को भी शामिल करता है) के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड एवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तु सूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षांत में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची :

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली (विधिक और संरचनात्मक) घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है।

सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट बेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आऊटफ्लो की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफ्लो की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन–आकूरेंस द्वारा संपुष्ट करना होगा। भावी अनिश्चित्ता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग) :

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इक्विटि शेयर आउटस्टैंण्डिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रति शेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इक्विटि शेयर की भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रति शेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इक्विटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटेड पोटेनशियल इक्विटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंटस, एस्टीमेट्स और एजम्पसन :

आईएनडीएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टेड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय–समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 जजमेंट्स :

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस रूप में तैयार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अपरिहार्य है।

इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना शामिल है :

क) उपयोगकर्त्ता की इकोनोमिक डिसीजन–मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा

ख) वह तथा कथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

(i) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफ्लो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो; (ii) लेन–देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबसटांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है; (iii) यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है; (iv) विश्वसनीय होता है तथा (v) निरंतरता के आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्दे से निपटा जाता है।

ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेंटे पर विचार करता है, और उसकी अनुपस्थिति में अन्य स्टैण्डर्ड सेटिंग बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकान्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेपचूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंसटेंट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग टेरेन के आधार पर गवेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा–निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर मौजूदा चिंताओं पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण) :

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडीविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्णता का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइडिंग फेक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मेटेरियलिटि) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आईटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

1.04.2019 त्रुटियों/चूकों, जो पिछली अवधि से संबंधित हों तथा जिनका पता मौजूदा वर्ष में लगाया गया हो; महत्वपूर्ण नहीं मानी है और चालू वर्ष (Current Year) के दौरान समायोजित कर ली जाती है, यदि ये सभी त्रुटियाँ ओर चूकें, सीआईएल की पिछली अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर परिचालन (वैधानिक लेवी का निबल) से प्राप्त कुल राजस्व के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हों तो।

2.16.3.1 प्राक्कलन और एजम्पसन :

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मेटेरियल एडजस्टमेंट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधी मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारामीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलबध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्त्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.3.2 गैर-वित्तीय परिसंपत्ति में छूट :

यदि रिकवरेवल अमाउन्ट कैश जेनेरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रुप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रकचरिंग एक्टिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रुप वचनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ–साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांडट रेट के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।

2.16.3.3 कर :

आस्थगित कर परिसंपत्ति अनयूज्ड टैक्स लॉसेस के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, लॉस को यूटिलाइज्ड करने के विरूद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिगनीफिकान्ट मैनेजमेंट जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है तथा भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सकता है।

2.16.3.4 परिभाषित लाभ योजना :

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्पलायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्यांकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकांडट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओवलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्त्तन से हाईली सेंसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है। भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और गेच्युटि में बढ़ोत्तरी अनुमानित भावी इन्फ्लेशन दर पर होता है।

2.16.3.5 वित्तीय इंसट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन :

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूल्य पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्त्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्टेड फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणी 38 : 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी

1. उचित मूल्य माप

क) श्रेणीवार वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

(करोड़ रू. में)

	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :		–		–
सहायक कंपनी में प्रीफरेंश शेयर – इक्विटी अवयव – डेटा अवयव		–		–
म्यूचुअल फंड/आईसीडी		–		–
लोन		–		–
जमा और प्राप्य		53.16		59.89
व्यापार प्राप्य		550.21		579.98
नकद एवं नकद इक्विवैलेंट		241.60		135.62
अन्य बैंक शेष		–		–
वित्तीय देयताएँ		–		–
उधारी		–		–
ट्रेड पेएबल्स		87.22		220.75
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी		9.74		8.36
अन्य देयताएँ		90.71		74.07

ख) उचित मूल्य का सोपानक्रम :

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा–निर्देश) उपलबध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैण्र्डड के तहत निर्धारित तीन स्तरों मं इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

(करोड़ रू. में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
यदि कोई अन्य वस्त	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रू. में)

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की माप की जाती है।	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश :						
प्रिफरेंश शेयर – इक्विटी अवयव – डेट अवयव						
– अन्य निवेश						
लोन						
जमाएँ और प्राप्य			53.16			59.89
व्यापार प्राप्य			550.21			579.98
नकद और नकद समतुल्य			241.60			135.62
अन्य बैंक बैलेंस			–			–
वित्तीय देयताएँ						
उधारियाँ			–			–
व्यापार देय			87.22			220.75
सिक्योरिटी जमा और बयाना राशि			9.74			8.36
अन्य देयताएँ			90.71			74.07

स्तर 1 : स्तर 1 सोपानक्रम में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूल्य का उपयोग कर मापी जाती है। इसमें म्यूचुअल फंड, जिसका कोटेड मूल्य है और जो क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित की जाती है।

स्तर 2 : वित्तीय इस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ऑब्जर्बेवल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्सिमाइज कर तथा इनटिटि–स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जर्वेशन के योग्य है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इनपुट का एक या अधिक ऑब्जर्बेवल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इक्विटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत प्राप्त, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक :

वैल्यू फायनासिंयल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है :

म्युचुअल फंडों में निवेश के संबंध में उल्लिखित बाजार मूल्य (NAV) का उपयोग

घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना :

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट की सहायता से फेयर वैल्यू की गणना नहीं किया जाता है।

ड.) एमोर्टाइज्ड लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का फेयर वैल्यू एवं देयताओं की गणना :

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।
- कंपनी का विचार है कि सिक्युरिटी डिपॉजिट को महत्वपूर्ण फाइनानसिंग कम्पोनेंट में शामिल नही किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणें के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइन स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जता है। तद्नुसार सिक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरूआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूममेंट का फेयर वैल्यू जिसे एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीति :

कंपनी के प्रमुख वित्तीय दायित्वों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के सपोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद

तुल्यमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधान की देख–रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य–कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्देश्य के अनुरूप चिन्ह्त मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है :

यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेज एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
ऋण जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एजिंग विश्लेषण/ क्रेडिट विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटिज का विविधिकरण।
लिक्विडिटी जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलबधता।
बजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेंस्टिविटी विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स), वरीय प्रबंधन और ऑडिट समिति द्वारा नियमित देख–रेख और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ–साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलबध कराता है।

क. क्रेडिट जोखिम : क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्षीय अनुबंध पर कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

क्रेडिट की अपेक्षित हानि :

कंपनी संदेहास्पद/क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानि क्रेडिट की अपेक्षित हानियों के जीवनकाल द्वारा उपलब्ध कराती है (सरलीकृत दृष्टिकोण)।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों के लिए क्रेडिट की अपेक्षित हानियाँ इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

	31.03.2020	31.03.2019
सकल वाहक राशि	553.26	583.84
अपेक्षित हानि दर	0.55%	0.66%
अपेक्षित क्रेडिट भत्ता हानि	3.05	3.86

31.03.2020 (करोड़ रू. में)

एजिंग	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वाहक राशि	323.56	113.00	46.34	21.53	9.60	39.23	553.26
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	7.77%	0.55%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	3.05	3.05

31.03.2019

(करोड़ रू. में)

एजिंग	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 से अधिक के लिए बकाया	कुल
सकल वाहक राशि	287.18	130.90	103.93	15.57	18.08	28.18	583.84
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	13.70%	0.66%
अपेक्षित क्रेडिट (भत्ता हानि प्रावधान)	-	-	-	-	-	3.86	3.86

हानि अलाउन्स प्रावधान का रिकान्सीलिएशन-व्यापार प्राप्य

(करोड़ रू. में)

1.4.2019 को हानि अलाउन्स	3.86
हानि अलाउन्स में परिवर्तन	(0.81)
31.3.2020 को हानि अलाउन्स	3.05

वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट

उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जजमेंट और इम्पेयरमेंट की गणना के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास–वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. तरतला जोखिम :

विश्वसनीय तरलता जोखिम प्रबंधन में आबलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के द्वारा कोष की उपलबधता और बाजार योग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलबधता को बनाकर कोष में लचीलापन बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्रान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

ग) बाजार जोखिम :

क. विदेशी करेंसी जोखिम :

विदेशी मुद्रा जोखिम; भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन और एक मुद्रा में पहचानी गई परिसंपत्तियों या वर्णित देयताएँ हैं जो कि कंपनी की कार्यशील मुद्रा नहीं है (आईएनआर)। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के के प्रति सुगम्य है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफ्लो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्त्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है। बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटी के विविधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा–निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधन :

कंपनी सरकारी एनटीटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा–निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनी की पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

	31.03.2020	31.03.2019
इक्विटी शेयर कैपिटल	38.08	38.08
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य

3. कर्मचारी लाभ : पहचान और मापन (आईएनडी एएस-19)

क) ग्रेच्यूटी :

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना और भागीदारी के तौर पर ग्रेच्यूटी को; भारतीय जीवन बीमा के द्वारा मेन्टेन करने के लिए अधिकृत किया गया है। परिभाषित लाभ ग्रेच्यूटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग कर एक्चुरीज द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना की जाती है। समायोजनों तथा एक्चुरीयल परिकलनों से उत्पन्न पुनर्मापित लाभों और हानियों की पहचान स्पष्ट तौर पर अन्य व्यापक आय के अंतर्गत, उसी अवाही में की जाती है, जिस अवधि में इस तरह के लाभ या हानियाँ हुई हैं।

ख) अवकाश नकदीकरण :

अर्जित अवकाश के लिए दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की जाती है। इसीलिए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर अर्जित अवकाश के लिए भविष्य में अपेक्षित भुगतान की गणना वर्तमान मूल्य पर की जाती है। यह भुगतान कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उपलब्ध कराई गई सेवा के संदर्भ में दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मार्केट सिल्ड्स का प्रयोग करते हुए लाभों की छूट दी जाती है, जो संबंधित दायित्व की शर्तों से जुड़ा होता है। समायोजनों तथा एक्चुरिअल परिकलनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः किए जाने वाले मापनों का उल्लेख अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

ग) भविष्य निधि :

कंपनी ने भविष्य निधि और पेंशन फंड के मद में पूर्व निर्धारित दर पर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को स्थायी अंशदान का भुगतान किया है। सीएमपीएफ ने फंड का निवेश अनुमति प्राप्त सिक्योरिटी में किया है। विवेच्य अवधि के दौरान उपर्युक्त के मद में रू. 34.56 (47.67 करोड) के अंशदान का उल्लेख लाभ और हानि विवरण (नोट 28) में किया गया है।

घ) कंपनी कुछ डिफाइन्ड बेनीफिट प्लान को चलाती है जिसका मूल्य एक्चूरियल आधार पर तय होता हैः

(i) निधित

- ग्रेच्युटि

(ii) गैर-निधित

- छुट्टी नकदीकरण
- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन
- चिकित्सा लाभ
- खान एक्सीडेंट बेनीफिट पर आश्रित को क्षतिपूर्ति

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2020 को कुल देयता 371.26 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ग्रेच्युटी की कुल देयता रु.170.20 करोड़ है जिसमें से 42.45 करोड़ रुपये वित्त पोशित है।

31.03.2020 को एक्च्यूरियल देयता :

(करोड़ रू. में)

मद	01.04.2019 को ओपनिंग एक्च्युरियल देयता	वर्ष के दौरान इनक्रीमेंटल देयता	31.03.2020 को क्लोजिंग एक्च्युरियल देयता
ग्रेच्यूटी	162.07	8.13	170.20
अर्न लीव	55.41	14.08	69.49
हाफ पे लीव	21.59	7.07	28.66
लाइफ कवर योजना	0.61	0.06	0.67
सेटलमेंट अलाउंस एक्जीक्यूटिव	2.64	0.02	2.66
सेटलमेंट अलाउंस गैर–अधिकारी	0.87	0.01	0.88
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना	0.05	0.00	0.05
लीव ट्रेवल कंसेसन	3.45	0.21	3.66
चिकित्सा लाभ अधिकारी	63.91	21.76	85.67
चिकित्सा लाभ गैर–अधिकारी	6.94	2.38	9.32
खान एक्सीडेंटल मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति/मुआवजा			
कुल	**317.54**	**53.72**	**371.26**

(ii) **एक्चुअरी के प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :**

ग्रेच्युटि (निधित) और छुट्टी नकदीकरण (निधित) के लिए कर्मचारी बेनीफिट हेतु एक्चुअरी के प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :–

31.03.2020 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का एक्च्यूरियल मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2019	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान मूल्य में परिवर्त्तन	31.03.2020
167.54	गत मूल्यांकन के अनुसार आबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	162.07
10.79	करेंट सेवा लागत	13.15
11.40	इंटरेस्ट कॉस्ट	9.92
-	पार्टिसीपेन्ट कंट्रीब्यूशन	-
-	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोरसन	-
-	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोरसन	-
1.65	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	11.13
-	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
3.78	अन एक्सपेक्टेड अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-2.44
-	अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	विदेशी विनिमय दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
33.09	प्रदत्त लाभ	23.63
-	एक्यूजीशन समायोजन	-
-	ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
-	करटेलमेंट लागत	-
-	सेटलमेंट लागत	-
-	अन्य (मूल्यांकन तिथि की समाप्ति पर अनसेटल्ड देयता	-
162.07	मूल्यांकन तिथ पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	170.20

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. मे)

31.03.2019	निम्न के अनुसार योजना परिसंपत्ति को फेयर वैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2020
37.59	अवधि की शुरूआत में योजना परिसंपत्तियों का फेयर वैल्यू	24.38
2.84	ब्याज पर आय	1.61
18.00	नियोक्ता का अंशदान	40.00
-	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
-	एक्वीजिशन/बिजनेस कम्बिनेशन	-
-	सेटलमेंट कॉस्ट	-
33.09	प्रदत्त लाभ	23.63
-	एसेट सीलिंग का प्रभाव	-
-	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	-
-	एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय तथा इंश्योरेंस प्रीमियम	-
-0.96	इंटरेस्ट इनकम को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	0.09
24.38	मापन अवधि के अंत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	42.45

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू. में)

31.03.2019	तुलन पत्र के रीकानसिलिएशन दर्शाता हुआ	31.03.2020
-137.69	निधि की स्थिति	-127.75
-	अनरीकोगनाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट	-
-	अवधि के दौरान अनरिकोगनाइज्ड एकच्यूरियल लाभ/हानि	-
-	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
-	अनफंडेड एक्रूएड/प्रीपेड पेंशन कॉस्ट	-
24.38	परिसंपत्ति निधि	42.45
162.07	देयता निधि	170.20

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2019	प्लान एजम्पसन को दर्शाती तालिका	31.03.2020
7.75%	डिस्काउन्ट दर	6.60%
7.75%	प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	6.60%
अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.25%	बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दर (सैलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.25%
N/A	पेंशन वृद्धि दर	N/A
15.16	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15.17
15.16	देयताओं का औसत अवधि	15.17
आईएमएलएम 2006–2008 अल्टीमेट	मोर्टालिटि तालिका	आईएमएलएम 2006–2008 अल्टीमेट
60	उम्र पर सेवा–निवृति पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा–निवृति महिला	60
0.30%	पूर्व सेवा निवृति एवं डिसएबलमंट (सभी संयुक्त कारणों)	0.30%

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू.में)

31.03.2019	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2020
10.79	चालू सेवा लागत	13.15
-	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
-	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
8.56	निबल ब्याज लागत	8.31
-	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
-	करटेलमेंट पर लागत(हानि/(लाभ)	-
-	केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	-
-	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
-	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
19.35	लाभ लागत(लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	21.46

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

31.03.2019	अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2020
1.65	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	11.13
0.00	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
3.78	असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-2.44
	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
5.43	**कुल वास्तविक (लाभ)/हानि**	8.69
-0.96	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	0.09
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
6.39	अवधि के अंत में शेष	8.60
6.39	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	**8.60**

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

31.03.2019	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2020
-	नकद और नकद समकक्ष	-
-	निवेशित राशि	-
-	डेरिवेटिव्स	-
-	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
-	संरचित ऋण	-
-	अचल सम्पदा	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार एसेट्स	-
-	कॉर्पोरेट बांड	-
-	ऋण प्रतिभूतियाँ	-
-	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-
-	अन्य	-
-	**कुल**	-

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2019	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति के कुल: आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31.03.2020
-	नकद और नकद समकक्ष	-
-	निवेशित राशि	-
-	डेरिवेटिव्स	-
-	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-
-	संरचित ऋण	-

-	अचल सम्पदा	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार एसेट्स	-
-	कॉर्पोरेट बांड	-
-	ऋण प्रतिभूतियाँ	-
-	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-
-	अन्य	-
-	**कुल**	**-**

तालिका 9: प्रकटीकरण आइटम

मृत्युदर तालिका	
उम्र	**मृत्युदर (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

31.03.2019		**सेंसिटिविटि विश्लेशण**	**31.03.2020**	
वृद्धि	**कमी**		**वृद्धि**	**कमी**
157.04	167.50	छूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	164.13	176.82
- 3.11%	3.35%	बेस ड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-3.57%	3.89%
164.65	159.49	वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	173.11	167.38
1.59%	-1.60%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	1.71%	-1.66%
162.22	161.93	एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	170.40	170.01
0.09%	-0.09%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.11%	-0.11%
162.95	161.19	मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	171.17	169.24
0.54%	-0.54%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.57%	-0.57%

तालिका 11 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

नकद प्रवाह सूचना दर्शाती तालिका	
अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	164.15
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	144.45
कंपनी का विवेक	-

तालिका 12 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	(करोड़ रू. में)
1	24.75
2	28.14
3	22.67
4	18.87
5	22.36
6 से 10	57.12
10 वर्ष से अधिक	171.12
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	345.02
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	174.82
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	170.20

तालिका 13 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

नेट पीरियोडिक बेनेफिट कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड के आउटलुक नेक्स्ट इयर कंपोनेंट्स को दर्शाने वाली तालिका	
वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि	13.29
ब्याज लागत अगली अवधि	10.42
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	11.23
गैर–मान्यता प्राप्त पिछली अवधि की सेवा लागत	
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल / लाभ हानि	
सेटलमेंट कॉस्ट	
कर्टेलमेंट लागत	
अन्य (एक्चुरियल लाभ / हानि)	
लाभ लागत	12.48

तालिका 14 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रू. में)

31.03.2019	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2020
25.83	चालू देयता	23.97
140.67	गैर–चालू देयता	146.23
166.50	निबल देयता	170.20

31.3.2020 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का एक्च्यूरियल मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

31.03.2019	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2020
73.56	गत मूल्यांकन के आधार पर ओबलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	77.00
4.54	चालू सेवा लागत	4.59
4.93	ब्याज लागत	4.36
-	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	-
-	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोर्सन	-
-	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोर्सन	-
1.09	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	8.68
-	डेमोग्राफिक पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
9.54	असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	25.45
-	अन्य कारण के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन से प्रभाव	-
16.65	प्रदत्त लाभ	21.93
-	अर्जन समायोजन	-
-	ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	-
-	करटेलमेंट लागत	-
-	सेटलमेंट लागत	-
-	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनसेटल्ड देयता)	-
77.00	मूल्यांकन तिथि के अनुसार ओवलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	98.15

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू.में)

31.03.2019	निम्न के अनुसार प्लान एसेट के फेयर बैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2020
-	अवधि की शुरूआत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	-
-	ब्याज से आय	-
-	नियोक्ता का अंशदान	-
-	सहभागी अंशदान	-
-	अर्जन/व्यवसाय समन्वय	-
-	सेटलमेंट लागत	-
-	प्रदत्त लाभ	-
-	परिसंपत्ति की सीलिंग पर प्रभाव	-
-	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन पर प्रभाव	-
-	प्रशासनिक व्यय और इंश्योरेंस प्रीमियम	-
-	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-
-	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्ति का फेयर प्लान	-

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू.में)

31.03.2019	तुलन पत्र के लिए रिकनसिलिएशन दर्शाती तालिका	31.03.2019
-77.00	निधि की स्थिति	-98.15
-	अनरीकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	-
-	अवधि के अंत में अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	-
-	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	-
-	अनफंडेड एक्रुएड/प्री पेड पेंशन लागत	-
-	निधि परिसंपत्ति	-
77.00	निधि की देयता	-98.15

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2019	प्लान एजम्पसन दर्शाती तालिका	31.03.2020
NA	प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	NA
अधिकारी के लिए 9.00 प्रतिशत एवं कर्मचारी के लिए 6.25 प्रतिशत	बढ़ी क्षतिपूर्ति की दर (सेलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00 प्रतिशत एवं कर्मचारी के लिए 6.25 प्रतिशत
N/A	पेंशन में वृद्धि दर	N/A
15.16	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	16.17
15.16	देयताओं की औसत अवधि	16.17
आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेंट	मोरटालिटि तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेंट
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–महिला	60
0.30% प्रतिशत प्रति वर्ष	जल्दी सेवा निवृत्ति एव ंडिसएक्लमेंट (सभी कारण संयुक्त)	0.30% प्रतिशत प्रति वर्ष
उपेक्षित	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	उपेक्षित

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू.में)

31.03.2019	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2020
4.54	चालू सेवा लागत	4.59
-	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	-
-	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	-
4.93	निबल ब्याज लागत	4.36
-	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
-	करटेलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	-
10.63	केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	34.13
-	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	-
-	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	-
20.10	लाभ लागत (लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	43.08

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू.में)

31.03.2019	अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2020
-	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-
-	**कुल वास्तविक (लाभ)/हानि**	-
-	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	-
-	एसेट सिलिंग का प्रभाव	-
-	अवधि के अंत में शेष	-
-	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	-

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

मृत्युदर तालिका	
उम्र	**मृत्युदर (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू.में)

31.03.2019		सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2020	
वृद्धि	**कमी**		**वृद्धि**	**कमी**
73.71	80.62	छूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	93.29	93.17
-4.28%	4.70%	बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-4.96%	5.49%
80.56	73.73	वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	103.39	84.88
4.61%	-4.25%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	5.34%	-4.87%
77.23	76.78	एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	98.28	88.55
0.29%	-0.29%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.13%	-0.13%
77.42	76.59	मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	98.70	88.33
0.54%	-0.54%	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.56% 93.29	-0.56% 103.54

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम

भविष्य के भुगतानों की अनुमानित जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका	
वर्ष	**(करोड़ रू.में)**
1	8.50
2	10.54
3	8.50
4	8.98
5	11.50
6 से 10	37.29
10 वर्ष से अधिक	166.42
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	251.74
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	153.58
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	98.15

तालिका 10 : निबल देयता का पृथक्करण

(करोड़ रू. में)

31.03.2019	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2020
8.71	चालू देयता	8.24
68.30	गैर–चालू देयता	89.92
77.00	निबल देयता	98.15

4. मान्यतारहित आइटम

(क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(क1) (करोड़ रू. में)

कंपनी के विरूद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया			
		31.03.2020	**31.03.2019**
1	**केंद्रीय सरकार** **आय कर** **सेवा कर** रायल्टी सेंट्रल एक्साइज	 34.51 8.89	 17.71 9.06
2	**राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी** बिक्री कर प्रवेश कर		
3	**सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज** लिटिगेशन के तहत कंपनी के विरूद्ध सुईट		
4	**अन्य**	3.63	4.69
	कुल	47.03	31.46

(क2) (करोड़ रू. में)

क्र. सं.	ब्यौरे	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य इलाके	सीपीएसइ	अन्य	कुल
1	01.04.2019 के अनुसार ओपनिंग	26.77			4.69	31.46
2	वर्ष के दौरान जोड़	30.85			0.02	30.87
3	वर्ष के दौरान दावों का निपटान किया गया					
	क. ओपनिंग बैलेंस से	14.22			1.08	15.30
	ख. वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त					
	ग. वर्ष के दौरान निर्धारित कुल दावे (क+ख)	14.22			1.08	15.30
4	31.03.2020 के अनुसार क्लोजिंग	43.40			3.63	47.03

(क3) (करोड़ रू. में)

क्र. संख्या	विवरण	31.03.2020 के अनुसार राशि	31.03.2019 के अनुसार राशि
1	**केन्द्रीय सरकार**		
	आयकर	34.51	17.71
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा सेस		
	केन्द्रीय बिक्री कर		
	सेवाकर	8.89	9.06
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग	43.40	26.77
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरणीय मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	आगमन शुल्क		
	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी		
	एमएडीए		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
3	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता की कार्यवाही		
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप–योग		
4	अन्य : (यदि कोई हो)		
	विविध	3.63	4.69
	उप–योग	3.63	4.69
	सकल योग	47.03	31.46

ख) वचनबद्धता (आईएनडीएएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणना किए जाने के लिए कांट्रेक्ट की शेष राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 35.68 करोड़ (10.42 करोड़ रूपए) है।

अन्य प्रतिबद्धताएं 398.99 करोड़ (663.71 करोड़) हैं।

ग) गारंटी :

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर प्रभारित किया गया है।

5. अन्य सूचना

क) प्रावधान

कर्मचारी लाभ से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को छोड़कर, विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि, जो कि 31.03.2020 को यथोचित हैं, नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रू. में)

प्रावधान	01.04.2019 के अनुसार अर्थशेष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान के दौरान वृद्धि	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट बैक/ समायोजन	डिस्काउन्ट की अनवाईडिंग	31.03.2020 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1 :-प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण :					
परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2 :-पूंजीगत कार्य जारी :					
सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में :					
टिप्पणी 3:- गवेशण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति :					
प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1:- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ:					
प्रावधान :					
टिप्पणी 8 :- ऋण :					
अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अनुषंगी					
कम्पनियों के पास चालू खाता :					
वसूली योग्य दावे :					
अन्य वसूली योग्य :					
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ:					
वेषणात्मक वेधन कार्य : यूटिलिटिज के लिए					
सिक्युरिटि जमा के अगेंस्ट :					
टिप्पणी 11 :- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :					
राजस्व के लिए अग्रिम : सांविधिक बकाये के अगेंस्ट	0.23				0.23
अग्रिम भुगतान :					
अन्य जमा :	0.05				0.05
अन्य वसूली योग :					
टिप्पणी 12 :- वस्तु सूची :					
कोयले का स्टॉक :					
स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक:	0.60		(0.42)		0.18
टिप्पणी 13 :-पेशागत वसूली :					
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	3.86		(0.81)		3.05
टिप्पणी 21 :-गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन :	103.04	16.78	(30.65)		89.17
एनसीडब्ल्यूए :	5.29		(5.29)		0.00
अधिकारी वेतन रीविजनः					
माइन क्लोजरः					
एनपीएसः	18.70	0.99	(10.13)		9.56

(ख) अधिकृत शेयर पूंजी

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
रु. 1000/– प्रति शेयर का 15,00,000 इक्विटी शेयर	150.00	50.00

(ग) प्रति शेयर अर्जन (आईएनएस एएस-33):

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	193.39	173.27
ii)	इक्विटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	380800.00	380800.00
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/– प्रति शेयर)	5078.52	4550.16

(घ) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (आईएनडी एएस-24)

क) संबंधित पार्टियों की सूची

i) सहायक कंपनियां

1) इस्टर्न कोलफील्डस लि. (ECL)
2) भारत कोकिंग कोल लि. (BCCL)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (CCL)
4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (WCL)
5) साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि. (SECL)
6) नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (NCL)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि. (MCL)
8) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद	कब तक
शेखर शरण	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	01.01.2016
के. के. मिश्रा	निदेशक तकनीकी	11.10.2018
आर. एन. झा	निदेशक तकनीकी	30.01.2019
ए. के. राणा	निदेशक तकनीकी	01.08.2019
सतेन्द्र कुमार गोमश्ता	निदेशक तकनीकी	25.02.2020
बी. एन. शुक्ला	निदेशक तकनीकी	17.08.2017 से 14.06.2019
ए. के. चक्रवर्ती	निदेशक तकनीकी	03.08.2016 से 31.07.2019
कृष्ण चन्द्र पांडेय	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019

अल्का पांडा	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
बिनय दयाल	निदेशक	09.11.2017
डॉ. अनिन्द्या सिन्हा	सरकार नामित निदेशक	05.02.2018
प्रमोद सिंह चौहान	स्वतंत्र निदेशक	16.10.2019
देबाशीष गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015 से 16.11.2019
राजेन्द्र पसाद	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015 से 16.11.2019
बी. के. पांडेय	मुख्य वित्तीय अधिकारी	03.06.2019
अभिषेक मुंधरा	कंपनी सचिव	18.02.2016

मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालीन कर्मचारी लाभ** सकल वेतन परक्यूजिट्स चिकित्सा लाभ	 2.27 0.64 0.09	 2.22 0.34 0.02
ii)	**नियोजन पश्चात लाभ** पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	0.57	0.27
iii)	परिभाषित लाभ के एक्चुरियल मूल्यांकन	2.02	2.00
iv)	सेवानिवृत्ति लाभ	0.00	0.00
v)	**टर्मिनेशन लाभ** छुट्टी नकदीकरण ग्रेच्युटि	 0.17 0.20	 0.00
	कुल	**5.96**	**4.85**

टिप्पणी :

(i) उपर्युक्त के अलावा, पूर्ण कालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 प्रति माह के भुगतान पर 1000 किमी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.15	0.12

सिटिंग शुल्क का शेष बकाया

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

ग्रुप में संबंधित पार्टी से लेनदेन :

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।

31.03.20 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधित पार्टी से लेनदेन

(करोड़ रू. में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	लीज रेंट इनकम	सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए फंड पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	चालू खाता लेनदेन	बिक्री
इस्टर्न कोलफील्डस लि.								0.18	98.11
भारत कोकिंग कोल लि.								0.88	63.99
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.								5.00	110.21
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.								0.17	121.41
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि.								4.34	370.63
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड								1.26	73.28
महानदी कोलफील्ड्स लि.								0.21	67.32
कोल इंडिया लिमिटेड								60.30	12.27

संबंधित पक्षों के साथ बकाया

(करोड़ रू. में)

	देनदार	चालू खाता शेष	
संबंधित पक्षों का नाम	**31.03.20 को बकाया राशि की राशि**	**31.03.20 को प्राप्य**	**31.03.20 को देय**
इस्टर्न कोलफील्डस लि.	25.20	0.00	0.00
भारत कोकिंग कोल लि.	40.92	0.00	0.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	52.41	0.00	0.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	88.71	0.00	0.00
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि.	23.29	0.00	0.00
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड	112.19	0.00	0.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	23.23	0.00	0.00
कोल इंडिया लिमिटेड	22.81	17.14	0.00

ख) कराधान (आईएनडी एएस-12)

आयकर के मद में 31.03.2020 को समाप्त वर्श के दौरान खातों में 76.87 करोड़ रु. (रु.63.87 करोड़) की राशि प्रदान की गयी।

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आईएनडी एएस –12 के अनुसार की गई गणना के आधार पर कंपनी के पास एक स्थगित कर संपत्ति (निबल) है।

आस्थगित कर की गणना

i) आस्थगित कर आस्तियों और देयता की भरपाई की जा रही है क्योंकि वे एक ही षासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित हैं।

ii) 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च 2020 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता नीचे दी गई है:

(करोड़ रू. में)

आस्थगित कर देयता :	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित	**7.81**	**7.89**
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
संदिग्ध ऋण, दावे आदि के लिए प्रावधान	0.85	1.39
कर्मचारी के पृथकरण और सेवा निवृत्ति	85.16	108.98
अन्य	0.05	0.21
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	86.06	110.58
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता)	**78.25**	**102.69**

वर्तमान कर आस्तियों का विवरण

(करोड़ रू. में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती	129.18	245.34
आयकर का प्रावधान	(76.87)	(168.68)
वर्तमान कर आस्तियाँ (निवल)	52.31	76.66

ग) लेखे के लिए बने प्रावधान :

धीमी गति से चलने वाले/नॉन–मूविंग/अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

घ) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि :

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर–चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम–से–कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

पहले नोट –10 में राजस्व अग्रिम के रूप में दिखाए गए सर्वे ऑफ इंडिया फंड से संबंधित 39.07 करोड़ रु को अब नोट –11 में अन्य अग्रिमों और जमाओं के तहत दिखाया गया है।

ड.) चालू देयताएँ :

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

च) बैलेंस की संपुष्टि

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।

छ) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत सामान	3.86	2.12
(iii) भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	0.32	0.69

ज) विदेशी करेंसी में खर्च :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.32	0.39
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
पूँजीगत सामान	3.86	शून्य
अन्य	0.32	2.82

झ) विदेशी करेंसी में अर्जन :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
अन्य	0.02	शून्य

ञ) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या-26) की कुल खपत

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयात्ति सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) स्वदेशी	23.37	100	23.54	100.00

ट) **राजस्व जानकारी अलग-अलग रूप में**

(करोड़ रू. में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तु या सेवा का प्रकार		
– कोयला	1381.31	1274.56
– अन्य	1381.31	1274.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		
ग्राहकों के प्रकार		
– पावर सेक्टर	12.19	29.27
– नॉन–पावर सेक्टर	1369.12	1245.29
– अन्य या सेवाएं (CMPDIL)	1381.31	1274.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		
अनुबंध के प्रकार		
– एफएसए		
– ई नीलामी	1381.31	1274.56
– अन्य	1381.31	1274.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		
वस्तु या सेवा का समय		
– समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित वस्तुएं		
– समय के साथ स्थानांतरित वस्तुएं	397.74	350.98
– समय के एक बिंदु पर स्थानांतरित सेवाएँ	983.57	923.58
– समय के साथ स्थानांतरित सेवाएँ	1381.31	1274.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व		

ठ) **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ**

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग–अलग सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना द्वारा आच्छादित है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के चिकित्सा लाभ के लिए अलग से योजना "कंट्रीब्यूट्री पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट" के माध्यम से प्रशासित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयता को एक्चुरियल वैल्यूएशन पर आधारित माना जाता है।

01.01.2007 से पहले के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए 31.03.2020 को वित्त पोषित स्थिति 6.76 करोड़ है और 31.03.2020 को देयता 12.68 करोड़ है।

01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए 31.01.2020 को वित्त पोषित स्थिति के बाद 34.62 करोड़ और 31.03.2020 पर उसी के लिए देयता 53.84 करोड़ है।

ड) पेंशन

कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल के कार्यकारी परिभाषित योगदान पेंशन योजना –2017 ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। 31.03. 2020 को वित्त पोषण की स्थिति 105.85 करोड़ (79.21 करोड़) है और 31.03.2020 के लिए देयता 9.56 करोड़ (18.70 करोड़) है।

ढ) लीज

दिनांक 30 मार्च, 2019 की कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वीडियो अधिसूचना के द्वारा 01.04.2019 से आईएनडी एएस 17, लीज के स्थान पर भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 116 लीज, कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है। पट्टों पर लेखा नीति को आईएनडी एएस 116 के अनुसार बदल दिया गया है। आईएनडी एएस 116 के रूप में मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के परिवर्तन द्वारा वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज समझौतों ने कंपनी के कम होने की स्थिति में राइट–ऑफ–यूज एसेट की मान्यता और भविष्य के लीज भुगतान के लिए लीज लायबिलिटी को जन्म दिया है।

ट्रान्जीशन कंपनी पर संचयी विधि का पालन किया गया है यानी शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता दी है, रिटेंड आय के प्रारंभिक संतुलन के लिए एक समायोजन के रूप में और रु. 69,211/ - को प्रारंभिक रिटेंड आय के लिए समायोजित किया गया है। बैलेंस षीट में मान्यता प्राप्त लीज देयता की गणना के लिए 7.75: का उपयोग पट्टेदार की उधारी दर के रूप में किया गया है।

31.03.2020 के अनुसार परिचालन पट्टे के बारे में लीज देयता प्रतिबद्धता, पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर से ऊपर का उपयोग करके 0.93 करोड़ थी जबकि शेष पत्रक में मान्यता प्राप्त 31.03.2020 के रूप में पट्टे की देयता 0.55 करोड़ है।

ण) अन्य

(i) कोरोना वायरस (कोविड–19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर इस प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

(ii) इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट – फरवरी 2020 और मार्च, 2020 के महीने में महामारी के कारण ऑडिट नहीं किया गया।

(iii) पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़े जहाँ आवश्यक समझे गए हैं, फिर से व्यक्त, एकत्रित और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

iv) नोट – 1 और नोट – 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट– 3 से 23 दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र के भाग का निर्माण करते हैं और नोट– 24 से 37 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के भाग का निर्माण करते हैं। नोट – 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 1 से 37 तक के लिए हस्ताक्षरित

(ए. मुँधरा)	**(बी.के पाण्डेय)**	**(के. के. मिश्रा)**	**(शेखर सरन)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध-निदेशक
		डीआईएन - 08256429	डीआईएन - 06607551

उसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
लोधा पटेल वाधवा एंड क.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म निबंधन स ं.– 006271C

(सीए संजय कुमार वाधवा)
पार्टनर
सदस्यता सं.– 074749
यूडीआईएन–

दिनांकः 9 जून, 2020
स्थानः राँची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड
डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
मिनी रत्न कंपनी (कैट-I)
आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित
गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड
राँची - 834 031

www.cmpdi.co.in

2344/Sep'20/Sumudran/0651-2204437